लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र / Thirteenth Session]

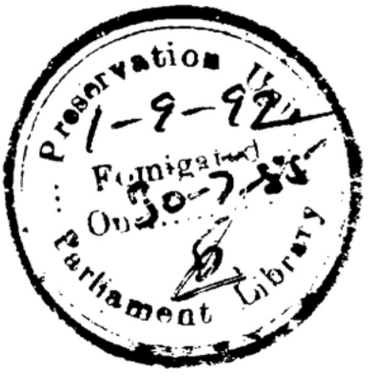

[खंड 52 में अंक 41 से 49 तक हैं / Vol. LII contains Nos. 41 to 49]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रूपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 42—मंगलवार, 29 अप्रैल, 1975/9 वैशाख, 1897 (शक)

No. 42—Tuesday, April 29, 1975/Vaisakha 9, 1897 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*तारांकित प्रश्न 812 से 816	*Starred Questions Nos. 812 to 816	1–15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 817 से 832	Starred Questions Nos. 817 to 832	16–24
अतारांकित प्रश्न संख्या 7878 से 7898, 7900 से 7912, 7914 से 7981, 7983 से 8026 और 8028 से 8077	Unstarred Questions Nos. 7878 to 7898, 7900 to 7912, 7914 to 7981, 7983 to 8026 and 8028 to 8077	24–128
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Question of Privilege	129–131
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	131–132
सरकारी उपक्रमों सम्बधी समिति	Committee on Public Undertakings	
68 वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	Sixty-eighth Report and Minutes	132
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	
76 वां तथा 77 वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	Seventy-sixth and Seventy-seventh Reports and Minutes	132–133
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	
154 वां, 156 वां, 157वां, 161 वां, 162 वां, 163 वां, 164 वां, 158 वां, 168 वां 169 वां तथा 170 वां प्रतिवेदन	Hundred and Fifty Fourth, hundred and fifty sixth, hundred and fifty seventh, hundred and sixty first, hundred and sixty second, hundred and sixty third, hundred and Sixty fourth, hundred and fifty eighth, hundred and sixty eighth, hundred and sixty ninth and hundred and seventieth Reports	133–134

किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ PAGES
हैसालोंग कोयला खान, जिला हजारीबाग (बिहार) के श्रमिकों की शिकायतों के बारे में याचिका	Petition re. grievances of workers of Hesalong Colliery, Hazaribagh (Bihar) . .	134
सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई	Arrest and Release of Members	
सर्वश्री महादीपक सिंह शाक्य और अटल बिहारी वाजपेयी	Sarvashri Maha Deepak Singh Shakya and Atal Bihari Vajpayee . .	134
नियम 377 के अधीन मामले	Matters under Rule 377	
(1) बजट (सामान्य) सम्बन्धी शेष मांगों सम्बन्धी गिलोटीन की प्रक्रिया का मामला	1. Procedure for guillotine of outstanding Demands for Grants (General Budget)	134–136
(2) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किश्तों के भुगतान का मामला	2. Payment of D. A. instalments to Central Government Employees . .	136
अनुदानों की मांगें, 1975-76	Demands for Grants, 1975-76	136–170
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	Ministry of Industry and Civil Supplies	136–153
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh . .	136–137
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani .	137–138
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe . .	138
श्री एन० ई० होरो	Shri N. E. Horo	138–139
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon .	139–140
डा० कैलास	Dr. Kailas . . .	140–141
श्री एम० एस० संजीवी राव	Shri M. S. Sanjeevi Rao	141–142
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate	142–144
श्री के मालन्ना	Shri K. Mallanna .	144
श्री निम्बालकर	Shri Nimbalkar . .	144–145
श्री आर० एन० बर्मन	Shri R. N. Barman .	145–146
श्री टी० ए० पाई	Shri T. A. Pai . .	146–153
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs	153–170
श्री सरोज मुखर्जी	Shri Saroj Mukherjee .	154–168
श्री एच० के० एल० भगत	Shri H. K. L. Bhagat .	168–169
श्री झारखण्डे राय	Shri Jharkhande Rai .	169
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy. . . .	169–170

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
संचार, शिक्षा और हकाज कल्याण, उर्जा मंत्रालय आदि कों अनुदानों की मांगें बिना चर्चा स्वीकृत हुई ।	Ministries of Communications, Education and Social Welfare, Energy etc. etc.— Demands for Grants-Guillotined	171–174
विनियोग विधेयक (संख्या 2) 1975	Appropriation (No. 2) Bill, 1975— Introduced—	174–179
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	175–176
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya	176
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	176
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	177
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee.	177
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	178
श्री सी० सुब्रहमण्यम्	Shri C. Subramaniam	178–179
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass.	179

लोक-सभा
LOK-SABHA

मंगलवार, 29 अप्रैल, 1975/9 वैशाख, 1897 (शक)
Tuesday, April 29, 1975/Vaishakha 26, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हाथी समिति का प्रतिवेदन

*812. **श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी समिति ने यह कहा है कि अनुमति पत्र और सी० ओ० बी० लाइसेंस, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके जारी किये जा रहे हैं, यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे अनुमति पत्रों को रद्द करने का है, जो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम और नियमों के प्रतिकूल है ; और

(ख) क्या उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, नियमों और विनियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी उद्योग मन्त्रालय की है और क्या ऐसे अनुमति पत्रों के जारी करने से भारतीय निर्माता और उत्पादक कम्पनियों को हुई हानि की जांच करने के लिए प्रोद्योगिकी-विज्ञों की एक समिति नियुक्त करने का सरकार का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की शासन व्यवस्था का सम्बन्ध उद्योग और सिविल सप्लाई मंत्रालय से संबद्ध है ।

औषध और भेषज उद्योग समिति की रिपोर्ट सरकार को 6 अप्रैल, 1975 को मिली थी और अब उस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री भालजीभाई परमार : मैंने इस प्रश्न की सूचना उद्योग मंत्रालय को दी थी और मेरा प्रश्न 23 अप्रैल की सूची में तारांकित प्रश्न संख्या 1 था । बाद में मुझे बताया गया कि मामला

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय से सम्बन्धित है और इसे उत्तर के लिए उस मंत्रालय को भेज दिया गया है ।

अब यह मंत्रालय उत्तर देने से बच रहा है और उद्योग मंत्रालय को उत्तरदायित्व सौंप रहा है । इसका अर्थ हुआ कि मुझे अपने प्रश्न का उत्तर कभी भी नहीं मिल सकेगा । अध्यक्ष महोदय मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । कृपया मंत्री जी से कहें कि वह मेरे अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर दें ।

श्री क० आर० गणेश : आप अनुपूरक प्रश्न पूछिये ।

अध्यक्ष महोदय : आपको मुझे लिखित रूप में बताना चाहि था कि यह आपके मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री के० आर० गणेश : यदि आप माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न को देखें तो आपको पता चलेगा कि यह दो भागों से सम्बन्धित है (क) दिये गये सी० ओ० बी० लाइसेंसों और अनुमति पत्रों के बारे में ; और (ख) इस सम्बन्ध में हाथी समिति की सिफारिशों के बारे में भी । हमने बताया है कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की क्रियान्विति उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय का विषय है । हाथी समिति के बारे में हमने यहां बताया है ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु सदस्य दो मंत्रालयों के बीच लटक रहे है । वह कहते है कि यह आपसे सम्बन्धित है और आप कहते है 'नहीं' ।

श्री एस० एम० बनर्जी : अगले दिन आपने कहा था कि हाथी समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करना सरकार का उत्तरदायित्व है । सी० ओ० बी० लाइसेंसों का मामला निश्चय ही उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित है । दूसरे सदन में भी इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उ ाया गया था । हाथी समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर क्यों नहीं रखा जाता और सदस्यों में क्यों नहीं परिचालित किया जाता ? यह एक गम्भीर बात है । इसे सभा पटल पर रखने हेतु आप मंत्री महोदय को निदेश दें ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इतना प्रयास करने और इतना धन व्यय करने के बाद वे कह रहे हैं कि हम इसे ग्रन्थालय में रख रहे हैं । इसे ग्रन्थालय में क्यों रखा जा रहा है । इसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री परमार, आप मंत्री जी से जितने उत्तर संभव हो ले और शेष भाग के लिए मैं इसे सम्बन्धित मंत्रालय के लिए पुन: गृहीत करूंगा । शेष भाग के लिए आप प्रश्न भेजें । मैं से अल्प सूचना प्रश्न के रूप में गृहीत करूंगा ।

श्री भालजीभाई परमार : अनुमति पत्रों और सी० ओ० बी० लाइसेंसों से भारी लाभ होता है । विदेशी फर्मों के प्रभुत्व का मुख्य कारण अनुमति पत्र है और केवल कुछ विदेशी फर्मों को ये सुविधाएं प्राप्त हैं । हाथी समिति ने इन पत्रों को अवैध घोषित करके सही काम किया है । क्या सरकार सत्र के दौरान हाथी समिति का प्रतिवेदन सभापटल पर रखेगी और उसकी सिफारिशों को लागू करेगी और विदेशी फर्मों द्वारा शोषण को तुरन्त समाप्त करेगी ?

श्री के० आर० गणेश : जहां तक सी० ओ० बी० लाइसर्सों, अनुमति पत्रों और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटों का सम्बन्ध है, हाथी समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया है और इस सम्बन्ध में सिफारिशें की हैं । सरकार उन सिफारिशों पर विचार करेगी और उनके बारे में निर्णय लेगी ।

जहां तक हाथी समिति के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, जैसाकि मैंने बताया है कि सरकार को 6 अप्रैल, 1975 को प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। सरकार इस पर विचार कर रही है। सरकार इस सत्र के दौरान समिति का प्रतिवेदन रखेगी।

श्री भालजीभाई परमार : सरकार उन विदेशी फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है जिन्होंने सी० ओ० बी० लाइसेंसों और अनुमति पत्रों से अनुचित लाभ उठाया है और जिससे भारतीय फर्मों को काफी हानि हुई है।

श्री के० आर० गणेश : जैसा कि मैंने बताया है कि हाथी समिति ने सी० ओ० बी० लाइसेंसों, अनुमति पत्रों और रजिस्ट्रेशन-सर्टिफिकेटों की समस्या पर विशिष्ट सिफारिशें की हैं। सरकार इन सिफारिशों के आधार पर निर्णय लेगी।

श्री एच० एम० पटेल : चूंकि इसे बाद में रखा जायेगा, अतः मंत्री जी बतायें कि इस सम्बन्ध में हाथी समिति की संक्षिप्त रूप में क्या सिफारिशें हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या हाथी समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा या नहीं।

दूसरे, प्रश्न यह है कि चेयरमेन सहित अधिकांश सदस्यों की यह सिफारिश है कि सरकार को उद्योग अपने हाथों में ले लेना चाहिये। सरकार की क्या राय है यदि उन्होंने इस सम्बन्ध में अपना विचार तय कर लिया है। यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? क्या यह विदेशी फर्मों के दबाव के कारण हैं?

श्री के० आर० गणेश : जैसा कि पहले बताया गया है सरकार हाथी समिति की सिफारिशें सभा पटल पर रखेगी।

सरकार समूचे प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखेगी और माननीय सदस्यों को पूरा प्रतिवेदन पढ़ने का अवसर मिलेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने पूछा था कि क्या अधिकांश सदस्यों द्वारा की गई सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार की जायेगी--क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में निर्णय ले लिया है?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आप अपना प्रश्न दोहरा रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से बता चुके हैं कि वे इस की जांच करेंगे और इसे सभा-पटल पर रखेंग। पहले उन्हें इसकी जांच कर लेने दीजिये।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : हाथी समिति की सिफारिशें सभा पटल पर रखी जायेंगी।

सरकार ने की गई सिफारिशों के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। सिफारिशों को बताना भी उचित नहीं होगा क्योंकि अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने लगेंग और हम इसके लिए तयार नहीं हैं क्योंकि हमने इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया है। अतः हम सदस्यों से तबतक प्रतीक्षा करने का अनुरोध करते हैं जबतक हम सिफारिशों के बारे में निर्णय न ले लें। हमें कुछ समय लगेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है।

श्री बी० वी० नायक : मेरा प्रश्न सी० ओ० बी० लाइसेंसों के बारे में है जो किसी न किसी मंत्रालय द्वारा दिये गये हैं--(इस विशेष मामले में पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय)--तथ्य यह है कि इन लाइसेंसों को जारी करने में सभी मंत्रालयों ने प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमितताएं बरती हैं--प्रत्येक मंत्रालय के निर्णयों को देखते हुए क्या सरकार इन सी० ओ० बी० लाइसेंसों को अवैध घोषित करेगी ?

श्री के० आर० गणेश : हमने कई बार सी० ओ० बी० लाइसेंसों, रजिस्ट्रेशन पत्रों और अनुमति पत्रों के बारे में बताया है । औद्योगिक विकास अधिनियम से पूर्व अपनाई गई प्रक्रिया भिन्न थी ; इस अधिनियम के बाद अलग प्रक्रिया अपनाई गई, जब विविधीकरण हुआ तो कुछ और प्रक्रिया अपनाई गई । इसी कारण मामले पर हाथी समिति ने विशेष रूप से विचार किया है और विशिष्ट सिफारिशें की हैं । सरकार इन पर विचार करेगी और निर्णय लेगी । मैं यह नहीं कह सकता कि क्या ये सी० ओ० बी० लाइसेंस गलत हैं या अवैध हैं या नहीं क्योंकि तथ्य यह है कि कुछ उत्पादन हुआ है । चूंकि मामले पर समिति ने विशेष रूप से विचार किया है, अतः सरकार समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेगी ।

राज्य सरकारों को राज्यों की कारों के प्रयोग के बारे में अनुदेश

*813. **श्री के० मालप्पा :**

श्री एन० ई० होरो :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पेट्रोल के मूल्य में भारी वृद्धि तथा देश में पेट्रोल की कमी के कारण केन्द्रीय मंत्रियों तथा अन्य अतिथियों द्वारा राज्यों में राज्यों की कारों के प्रयोग के बारे में राज्य सरकारों को कुछ अनुदेश जारी किये है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बाते क्या हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री के० मालप्पा : क्या सरकार के नोटिस में यह आया है कि कुछ राज्य कुछ केन्द्रीय मंत्रियों को राज्य -कारों में यात्रा करने की अनुमति नहीं दे रहे है और वे मंत्री केवल विभागीय कारों का प्रयोग कर रहे है ? क्या राज्य-कारों के प्रयोग में मंत्रियों के बीच कोई भेदभाव है और यदि हां तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ।

श्री के० डी० मालवीय : मुझे किसी विशेष घटना की जानकारी नहीं है । यदि माननीय सदस्य कोई विशेष घटना बतायें तो मैं इसे देखूंगा और सन्तोषजनक उत्तर दूंगा ।

श्री के० मालप्पा : मेरा दूसरा प्रश्न यह है । पेट्रोल के प्रयोग में किफायत के कारण क्या केन्द्रीय मंत्रियों ने अपने दौरे कम कर दिये हैं और यदि हां, तो इस कारण राज्य कारों में कितने प्रतिशत पेट्रोल की बचत हुई ।

श्री के० डी० मालवीय : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री एन० ई० होरो : मैं पेट्रोलियम और रसायन मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या पेट्रोल को राशन करने हेतु राज्य सरकारों को अनुदेश जारी करना ठीक है क्योंकि पेट्रोल का मूल्य बढ गया है और हम इस में बचत करना चाहते हैं। किसी प्रकार की हिदायतें जारी करने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री के० डी० मालवीय : सामान्य हिदायतें पहले ही जारी की जा चुकी है। पेट्रोलियम उत्पादों की बचत के लिए सभी राज्य सरकारों तथा संस्थानों को अनुदेश जारी किये गये है क्योंकि इनकी कमी है। इसमें राज्य सरकारें भी शामिल हैं।

श्री एन० ई० होरो : यदि ऐसा है तो उन्होने पहले यह क्यों कहा कि कोई अनुदेश जारी नहीं किये गये ?

श्री के० डी० मालवीय : मैंने ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है।

श्री एन० इ० होरो : मंत्री महोदय ने पहले 'नहीं' कहा है परन्तु अब वह अलग बात कह रहे है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया भ्रम में न पड़ें। वह राज्य सरकारों को राज्य कारों के प्रयोग के बारे में अनुदेशों के सम्बन्ध में था और आपने पेट्रोल के राशन के बारे में प्रश्न पूछा है।

श्री एन० ई० होरो : प्रश्न पूछने का पूरा उद्देश्य पेट्रोल के प्रयोग के बारे में था।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। ये दो अलग प्रश्न है।

श्री के० लकप्पा : मेरे विचार में प्रश्न के उद्देश्य और पृष्ठ भूमि को समुचित रूप से समझा नहीं गया। कारण यह है कि इस प्रश्न का उत्तर पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के बजाय गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाना चाहिये था। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि पेट्रोल का राशन करने और केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा राज्य कारो के प्रयोग के बारे में कोई हिदायत नहीं दी गई है। ऐसी एक घटना कर्नाटक में हुइ जब एक केन्द्रीय मंत्री को राज्य कार नहीं दी गई। केन्द्रीय मंत्री अपने निर्वाचन-क्षेत्र के दौर और सरकारी दौरे पर थे। उन्हे बस से आना पड़ा। माननीय मंत्री ने बताया है कि ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गई। केन्द्रीय मंत्री को राज्य द्वारा कार न देने के मामले का कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी हिदायते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : इस प्रश्न की पृष्ठभूमि के बारे में मुझे पता नहीं है। मैं जांच कराऊंगा और यदि जांच से कोई मामला उठता है तो मैं उसे सभा के समक्ष रखूंगा।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि राज्य और केन्द्र सरकारों के मंत्रालयों को पेट्रोल की बचत करने को कहा गया है। इसलिये क्या वह बतायेंगे कि इसके बाद मंत्रियों और मंत्रालयो द्वारा पैट्रोल की खपत में कोई कमी हुई है ?

श्री के० डी० मालवीय : पैट्रोलियम उत्पादों, विशेषकर पेट्रोल की खपत में मंत्रालयों और मंत्रियों द्वारा निश्चित रूप से कमी हुई है। कितनी कमी हुई है इसके बारे में मैं अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूं।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड

*814. **श्री वसन्त साठे :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अप्रैल, 1975 के "ब्लिट्ज" में 'एन्टीबोयोट्रिक्स एट पम्परी शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें व्यक्त किये गये विभिन्न विचारों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

सरकार का ध्यान इस लेख की ओर आकृष्ट किया गया है जो दिनांक 5 अप्रैल, 1975 को ब्लिट्ज के अंक में प्रकाशित हुआ था । कंपनी के कार्यों को वर्णन को बहुत ज्यादा बढ़ाया चढ़ाया गया है और उसे हानि पहुंचाने का लक्ष्य रहा है । यह बात सत्य है कि कंपनी की लाभप्रदता सन्तोष जनक नहीं है और वर्ष 1973-74 में 148 लाख रुपये की हानि हुई थी । और प्रारम्भ में यह कम मूल्य और अत्यधिक उत्पादन लागत के कारण हैं । जिसमें श्रम करार के कारण उच्च वेतन अदायगी शामिल है । श्रमिक सम्बन्ध में भी पूर्ण है और कंपनी के पास उस बोर्ड में एक कामगर निदेशक भी है । वर्ष 1973-74 और 1974-75 के अंतर्गत हिन्दुस्तान ऐण्टी बायोटिक्स लि० के दो मुख्य मदों पेन्सिलीन और स्ट्रेप्टोमाइसिन के उत्पादन में गिरावट हुई । वर्ष 1972-73 के 72 मी० टन स्ट्रेप्टोमाइसिन का उत्पादन 1974-75 में घटकर 63 मी० टन हो गया । उसी प्रकार वर्ष 1972-73 के 81·87 एम० एम० यू० के उत्पादन से वर्ष 1974-75 में पेन्सिलिन का उत्पादन घटकर 63 02 एम० एम० यू० हो गया । स्ट्रेप्टोमाइसिन के संबंध में एक अधिक उत्पादन देने वाले स्टेन प्राप्त कर लिया गया है । इस स्ट्रेन का आधारित उत्पादन के स्थिरीकरण के साथ उत्पादन एक बार फिर से स्थापित क्षमता तक बढ गया है । पेन्सिलिन के बारे में एक अधिक उत्पादन देने वाले स्ट्रेनों की खरीद के बारे में इस समय बातचीत चल रही है और यह आशा की जाती है कि उपरोक्त स्ट्रेन को प्राप्त कर लेने के बाद पेन्सिलिन का उत्पादन फिर ऊंचे स्तर पर किया जा सकता है ।

कंपनी के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे है जिसमें निम्न लिखित शामिल है :—

(क) निदेशक मण्डल ने कंपनी के उत्पादन इंजीनियरी और मैथ्टरियल प्रबन्ध पर सिफारिश करने के लिए एक निर्यात समिति की स्थापना कर दी है । कमेटी की सिफारिश कार्यान्वियनाधीन है ।

(ख) राष्ट्रीय उत्पादकता समिति के साथ सहयोग से संयंत्र और उपकरण के बेहतर अनुरक्षण की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए गए है ।

(ग) संकुचित उधार से कंपनी के कार्य पर प्रभाव पड़ा था किन्तु इसे बैंक से सफलता पूर्वक आवास मिल गया है ।

(घ) हाइमाडसिन संयंत्र के उत्पादों में विपणन में सुधार करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे है ।

(ङ) विटामिन सी संयंत्र की उत्पादन क्षमता का निरीक्षण करने और खराबिया का पता करने के लिए एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की गई है ।

सरकार कंपनी के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाना जारी रखेगी ।

श्री वसन्त साठे : उत्तर में कहा गया है कि कम्पनी के मामलों का ब्यौरा का इतना बढ़ा-चढ़ा कर दिया गया है कि इससे तथ्य बिगड़ गये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि 'ब्लिट्ज' में छपे समाचार यदि तोड़ मरोड़ कर पेश किये गये हैं तो क्या उनका घाटा 1974-75 में बढ़ कर कुल 5 करोड़ रु० नहीं हो गया ? दूसरे, क्या विटामिन-सी के बारे में घाटे का कारण यह नहीं है कि टेकनालोजी और सहायक उत्पाद, जैसे सरबीटोल, को एक गैर-सरकारी बहुराष्ट्रीय फम को बेच देने के कारण नहीं हुआ है, जो दुगना लाभ कमा रही है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स ने किस विदेशी कम्पनी से तकनीकी सहयोग लिया है और क्या इसका एक वरिष्ठ अधिकारी एक बहुराष्ट्रीय फर्म, 'जान वेथ' में चला गया है और क्या उसी ने एम्पीसिलीन टकनालोजी के बारे में इस कम्पनी के साथ बातचीत की है ?

श्री के० आर० गणेश : 8 अप्रैल को सभा में हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स के बारे में श्री अनन्त राव पाटिल के प्रश्न के संबंध में अनेक प्रश्नों के उत्तर दिये गये थे ।

जहाँ तक 'ब्लिट्ज' में छपे समाचारों का सम्बन्ध है, इसके दो भाग ह । एक पहलू ो इस कम्पनी के कुछ मामलों के बारे में है—पैनिसिलिन तथा स्ट्रेपटोमाइसिन के निर्माण और उससे हो रहे घाटे की बात है । दूसरा पहलू यह है कि कुछ आरोप लगाये गये हैं । वास्तव में पूरा चित्र सामने नहीं रखा गया है ।

पैनिसिलिन और स्ट्रेपटोमाइसिन में घाटा सहायक उत्पादों और कच्चे माल की लागत के कारण हैं, जिनका मूल्य गत 2-3 वर्षों में बहुत बढ़ गया है जबकि इन दवाइयों के मूल्य 1959-60 के स्तर पर ही रखे गये हैं । यह सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के कारण हैं । मूल्य निश्चित करते समय सरकार को उद्योग के आर्थिक पहलू के साथ-साथ उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण पर भी विचार करना होता है । जहां तक एच० ए० एल० को हो रहे घाटे के मूल कारणों का सम्बन्ध है, वह पेनिसिलिन और स्ट्रेपटोमाइसिन के मूल्यों के 1959-60 के स्तर पर बनाये रखने के कारण है और जब डी० आई० जी० पी० द्वारा मूल्य में 1974 में वृद्धि की गई तो भी वह कच्चे माल और पैकिंग के सम्बन्ध में ही की गई थी । अन्य चीजों का इसमें नहीं जोड़ा गया ।

जहां तक विटामिन-सी का सम्बन्ध है, यह सच नहीं है कि अधिकांश विटामिन सी किसी विदेशी कम्पनी को दी गई है । विटामिन-सी की समस्या यह है कि हमने एन० सी० एल० की तकनीक अपनाई है। इसके निर्माण और इंजीनियरी पहलुओं में कुछ त्रुटियां है और इसके लिए उपचारात्मक उपाय किये गये हैं और आशा है कि इनके बाद विटामिन-सी के उत्पादन में स्थायित्व आ जायेगा ।

उनके दूसरे प्रश्न के उत्तर में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सच है कि एच० ए० एल० ने सहयोग करार किया है और पेनिसिलीन की विधि विदेशी फर्मों से प्राप्त की है तथा स्ट्रैप्टोमाइसिन बनाने की विधि एक जापानी फर्म तथा अमरीका की 'मेर्क' नामक फर्म से लेने की बातचीत चल रही है। ग्लेक्सो से भी एक प्रविधि ली गई है।

इन प्राविधियों को प्राप्त करने में कुछ अनुचित बात नहीं है क्यों कि इन्हीं से उत्पादन होता है। आशा है कि उत्पादन बढ़ेगा और इस कारखाने की अर्थव्यवस्था सुधरेगी।

श्री वसन्त साठे : मने विशेष रूप से 'जानवेथ' के बारे में पूछा था कि क्या कम्पनी के एक भूतपूर्व अधिकारी ने उसमें नौकरी कर ली है ?

श्री के० आर० गणेश : सिद्धान्त रूप में कहीं से भी प्रविधि लेने में कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रविधि से आशा है कि कारखाने की अर्थव्यवस्था और उत्पादन दोनों में सुधार होगा।

पूछे गए दूसरे प्रश्न के उत्तर में मेरा ख्याल है कि इसका उत्तर पहले भी दिया जा चका है। एक अधिकारी ऐसा था परन्तु अब वह उस कम्पनी में नहीं है।

श्री वसन्त साठे : उसका नाम क्या है ? उन्हें प्रश्नों का उत्तर ठीक से देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय को उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।

श्री वसन्त साठे : मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि वह प्रश्नों के उत्तर ठीक से दे। किसी विशेष प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए। मेरा प्रश्न था कि क्या कम्पनी के किसी भूतपूर्व अधिकारी के 'जानवेथ' के साथ सम्बन्ध थे ?

श्री के० आर० गणेश : पहले पुछे गए प्रश्नों के उत्तर में भी मैंने यही कहा था कि हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स लिमिटेड के एक अधिकारी ने (वहां सेवा में न रहने पर) जानवेथ में नौकरी कर ली थी। इस समय वह वहां भी नहीं हैं।

श्री वसन्त साठे : क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स के निदेशक मण्डल ने दिसम्बर, 1973 में कम्पनी के घाटे के कारणों की जांच करने के लिए एक उप-समिति नियुक्त की थी, जिसकी बैठक नहीं करने दी गई। पहले निदेशक मण्डल में श्रमिकों के एक प्रतिनिधि को भी रखे जाने का प्रस्ताव था, जिससे प्रबन्ध में श्रमिकों का योगदान लिया जा सके। पहले तो इस समिति की बैठक नहीं होने दी गयी और सितम्बर, 1974 में हुई बैठक के बाद जब इसकी रिपोर्ट आई तो क्या उसे मन्त्रालय को भेजा गया ? उक्त समिति की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री के० आर० गणेश : निदेशक मण्डल द्वारा बनाई गयी समिति की रिपोर्ट 28 सितम्बर, 1974 को पेश की गयी थी। उसमें अनेक सिफारिशें की गई थीं। पीछे इस प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि अधिकांश सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गयीं हैं। दो वरिष्ठ अधिकारियों की सेवाएं—एक इंजीनियरिंग अनुभाग का और दूसरा उत्पादन अनुभाग का—समाप्त कर दी गयीं है। उत्पादन, रखरखाव, उत्पादन सम्बन्धी करारों और अन्य सिफारिशों की क्रियान्विति स्थितियों में हैं।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के अनेक विभागों के अध्यक्षों ने सेवा निवृत्ति के बाद इस कम्पनी का उत्पादन ठप्प करने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में नौकरी कर ली है और इन कम्पनियों के साथ उनके पहले से ही सम्बन्ध थे ?

(ख) क्या यह सच है कि इस कम्पनी में बनाई जा रही पेंसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन आठ फर्मों --छः बहुराष्ट्रीय और दो भारतीय कम्पनियों को दी जा रही है और इन दो भारतीय कम्पनियों को पेंसिलिन की बहुत कम मात्रा दी जा रही है ? यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ? सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि ये प्रबन्ध निदेशक या अध्यक्ष या बड़े अधिकारी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ कोई सम्बन्ध न रखें ताकि वे सेवा-निवृत्ति से पहले या बाद में उनमें नौकरी पा कर ऐजेन्टों के रूप में कार्य न कर सकें ?

श्री के० आर० गणेश : हिन्दुस्तान ऐंटीबायटिक्स के एक मुख्य प्राधिकारी ने 'जानवेथ' में नौकरी कर ली थी जो अब उसमें नहीं है ।

मुझे किसी अन्य व्यक्ति के किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी में नौकरी पाने के बारे में जानकारी नहीं है ।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को पेनिसिलिन और स्ट्रेपटोमाइसिन की सप्लाई के बारे में निवेदन है कि ये दवाईयां बहुत सी कम्पनियों को दी जा रही हैं ।

श्री रानेन सन : ये दवाइयां 8 कम्पनियों को दी जा रही हैं जिनमें से दो भारतीय हैं और भारतीय कम्पनियों को बहुत कम मात्रा में ये दवाईयां दी जा रही हैं ।

श्री के० आर० गणेश : हम इस मामले की जांच करेंगे कि इस मामले में कोई भेदभाव बरता जा रहा है या नहीं और क्या इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बहुत अधिक मात्रा में सप्लाई की जा रही है ।

डा० रानेन सेन : सरकार का हिन्दुस्तान ऐंटीबायटिक्स से बड़े अधिकारियों के विदेशी कम्पनियों के साथ सम्बन्ध-विच्छेद कराने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : सभा में यही प्रश्न अनेक बार उठाया जा चुका है अतः यदि वे विदेशी कम्पनियों में नौकरी प्राप्त कर लेते हैं तो इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जाती है ?

श्री के० आर० गणेश : इस सम्बन्ध में कुछ सरकारी नियम हैं और कुछ सरकारी आदेश भी हैं जिनके अनुसार सरकारी कर्मचारियों को आचरण करना होता है । यद्यपि हिन्दुस्तान ऐन्टीबायटिक्स पूर्णतया सरकारी संगठन नहीं है, फिर भी यह एक सरकारी क्षेत्र का संगठन है और सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के दो वर्ष बाद कहीं भी नौकरी पा सकते हैं । यह प्रतिबन्ध केवल दो वर्ष की अवधि के लिए होता है कि वे अपने प्राधिकारियों से पहले अनुमति प्राप्त करें । अतः इस प्रश्न का सम्बन्ध सरकार द्वारा इस संबंध में लिए गए निर्णयों और स्थिति पर निर्भर करता है । मैं यह नहीं कह सकता कि मंत्रालय या हिन्दुस्तान ऐन्टीबायटिक्स के लिए किसी व्यक्ति को रोकना संभव होगा जब तक कि कानून में विशेष उपबन्ध न हो । वर्तमान स्थिति और वर्तमान सरकारी नियमों के अनुसार एक बार किसी व्यक्ति के सेवा से निवृत्त होने पर दो वर्ष के अन्दर अन्दर यदि वह कहीं अन्य नौकरी करना चाहता हो तो उसे अपने प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होती है ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तमा : 'ब्लिट्स' के समाचार को पढ़ने से और मन्त्री महोदय के उत्तर बाद स्पष्ट है कि वह सब मन-घड़न्त बातें थी और वे सभी आरोप ठीक नहीं थे। प्रबन्ध निर्देशक एक तेलगू व्यक्ति है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या उन्हें हटाने का षड् यंत्र चल रहा है। और क्या वह इसकी जाच करगे और वस्तु-स्थिति हम बताएगें।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : क्या यह षड़यन्त्र चल रहा है? सही-सही बात सामने आनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय को सदस्य महोदया के सुझाव नोट करने चाहिए।

श्री डी० एन० तिवारी : क्या प्रतिवर्ष उत्पादन बढ़ा है? क्या 1971-72 से अब तक उत्पादन बढ़ता रहा है या क्या सरकार की इस नीति से कि कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि, वेतन-वृद्धि आदि के अनुरूप दवाईयों की कीमत न बढ़ाई जाए कम्पनी को इतना अधिक घाटा हुआ है? क्या यह भी सच है कि इस कम्पनी के कुछ अधिकारियों की अपनी फैक्ट्रियां हैं और वे कुछ दवाईयां बना कर इस कम्पनी तथा अनेक कम्पनियों को बेच देते थे और इसी कारण उन्हें सेवा से हटाया गया है।

श्री के० आर० गणेश : कम्पनी को घाटा होने का मूल कारण 1969 में निश्चित किए गए मूल्य हैं। 1974 में अन्तरिम मूल्य वृद्धि की गयी थी जो कच्चे माल आदि के मूल्यों में वृद्धि से सम्बद्ध थी। अत: मूल्य निर्धारण प्रणाली पर गौर करना आवश्यक है। बी० आई० सी० पी० मूल्य निर्धारण के सम्पूर्ण ढांचे की जांच कर रही है, अत: मूल्यों को अधिक न्यायोचित आधार पर निश्चित करना होगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, यह ठीक है कि वर्ष 1973-74 और 1974-75 में पैनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन के वर्तमान स्टाक की कम खपत के कारण उत्पादन में कुछ कमी को गयी थी। अब कम्पनी में बढ़िया किस्म की दवाइयां आ जाने से इसमें उत्पादन और अर्थव्यवस्था में सुधार होन की आशा है। इससे न केवल कम्पनी की आर्थिक स्थिति सुधारेगी बल्कि घाटे की सम्भावना भी नहीं रहेगी।

श्री डी० एन० तिवारी : कुछ दवाइयां बनाने के लिए कुछ उच्च अधिकारियों ने कारखाने खोल रखे हैं। इन दवाओं को वे कारखानों को सप्लाई करते थे और इसी कारण उन्हें सेवा से हटाने दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये बड़े औद्योगिक गृहों को लाइसेंस देना

+

***815. श्री मधु दण्डवते :**

श्री डी० पी० जडेजा :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये बड़े औद्योगिक गृहों को लाइसेंस देने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वड़े औद्योगिक के मामले एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को सौंपे गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो इस आयोग की सिफारिशें क्या थीं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेंदव्रत बरूआ) : (क) कृषि मंत्रालय ने, जो कि चीनी उद्योग से सम्बंधित है, कहा है कि उत्पादन बढ़ाने के लिये बड़े औद्योगिक गृहों को लाइसेंस देने का उस मंत्रालय द्वारा कोई सामान्य निर्णय नहीं किया गया है। औद्योगिक लाइसस देने सम्बन्धी नीति तय करना उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय का काम है।

(ख) आयोग को कोई मामला नहीं सौंपा गया।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रो० मधु दण्डवत : प्रश्न पूछने से पहले मैं यह बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि भाग (ख) में दिए गए उत्तर को न्यायोचित ठहराने के लिए उन्होंने प्रश्न के भाग (क) का अस्पष्ट उत्तर दिया है। मैंने यह नहीं पूछा कि क्या किसी तरह का सामान्य नीतिनिर्णय लिया गया है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या ठोस मामलों में कुछ बड़े-बड़े गृहों को नए एकक स्थापित करके या विद्यमान क्षमता का विस्तार करके चीनी के उत्पादन को बढ़ाने की अनुमति दी गई है ? मैं आपसे यही जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। यदि आप उन गृहों के नाम नहीं बताना चाहते, जिन्हे क्षमता विस्तार की अनुमति दी गई है, तो ऐसी स्थिति में वे मामले एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग को क्यों नहीं सौंपे गए ताकि उनका केन्द्रीकरण थोड़े से लोगों के हाथों में ही न हो ?

श्री बेंदव्रत बरूआ : श्रीमन्, सम्बन्धित मंत्रालयों ने बड़े-बड़े गृहों की एक सूची भेजी है जिन्हे उत्पादन के विस्तार की अनुमति दी गई है। इनमें पहला गृह दिल्ली क्लाथ एंड जनरल मिल्ज है, जिसे चीनी उत्पादन को बढ़ाने की अनुमति दी गई है। दूसरा गृह डी० सी० एम० है। इसे दौराला एकक में चीनी उत्पादन के विस्तार की अनुमति दी गई है। तीसरा गृह ई० आई० डी० पैरी है जिसे विस्तार की अनुमति दी गई है और चौथी जयपुर शूगर कम्पनी है, जिसे उत्पादन विस्तार के लिए कहा गया। पांचवां गृह के० सी० पी० लिमिटेड है, जिसे हाल ही में विस्तार की अनुमति दी गई है।

ये सभी गृह 25 से 40 प्रतिशत तक उत्पादन-विस्तार चाहते थे। यह मामला एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग को इस लिए नहीं सौंपा गया क्योंकि एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया में अधिनियम की धारा 214 केवल तभी लागू होती है जबकि देश में उत्पादित उत्पाद के एक तिहाई भाग उत्पादन करने वाला कोई प्रमुख उपक्रम हो। जब कोई नया उपक्रम होता है तो अधिनियम की धारा 22 लागू नहीं होगी। और इसलिए चीनी के उत्पादन में कोई भी चीनी कम्पनी प्रभुत्व वाली नहीं है। इसलिए मामला एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया में आयोग को सौंपने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय मंत्री ने कई नाम का उल्लेख किया है। मैं उनका ध्यान 6 जनवरी, 1975 की सभी महत्वपूर्ण आर्थिक पत्रिकाओं की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें राज्य के वित्त मंत्री, श्री एन० डी० तिवारी ने 6 जनवरी, 1975 को लखनऊ में कहा कि पांचवीं योजना में राज्यो में चीनी की 27 नई मिलें स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। जिस सूची का आपने अभी उल्लेख किया उसमें इस घोषणा का कोई संकेत नहीं मिलता। या तो उनका वक्तव्य गलत है या फिर आपका वक्तव्य गलत है। मैं जानना चाहता हूं कि किसका वक्तव्य गलत है ?

श्री बेदव्रत बरूआ : चीनी उद्योग का विस्तार बड़े पैमाने पर नहीं किया गया है । कृषि मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूची के बारे में मैं स्थिति बता सकता था कि किस-किसको विस्तार की अनुमति दी गई है । 250 चीनी मिलें पहले ही चालू हो गई हैं और 102 चीनी मिलें अभी चालू होनी है ; यद्यपि उन्हें लाइसेंस प्रदान कर दिए गए हैं । इनमें से 84 मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं । 17 सरकारी क्षेत्र में हैं और गैर-सरकारी क्षेत्र में केवल एक मिल है । नये लाइसेंसों के बारे में यह स्थिति है । माननीय सदस्य न विस्तार के बारे में प्रश्न पूछा है । इस सम्बन्ध में मैंने बता दिया है कि पांच गृहों को उत्पादन के महत्वपूर्ण पहलुओं तथा तत्काल चीनी के निर्यात को ध्यान में रख-कर विस्तार की अनुमति दी गई है ।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान्, मेरा दूसरा प्रश्न है...

अध्यक्ष महोदय : आपने यह पहले ही पूछ लिया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान, मेरा दूसरा प्रश्न यह है...

अध्यक्ष महोदय : प्रो० दंडवते मैं आपको याद दिला दूं कि आपने दो प्रश्न पूछ लिए हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने केवल स्पष्टीकरण मांगा था ।

अध्यक्ष महोदय : यह वांछनीय नहीं है । आप दूसरे प्रश्न को स्पष्टीकरण कह रहे है और पुनः प्रश्न पूछने जा रहे है ।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आप यह कह दें कि मैंने दूसरा प्रश्न पूछ लिया है तो मैं बैठ जाऊंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बारे में पहले भी आपको कहा है । यह अच्छी बात नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं एक बहुत ही संगत प्रश्न पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु यह प्रश्न तीसरा होगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं सद्भावना के इस वातावरण में प्रश्न पूछूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे दुख है, मैं नियम के विरुद्ध नहीं चल सकता ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने हैड फौन नीचे रख दिया है । मैं साफ नहीं सुन सकता ।

अध्यक्ष महोदय : आप सहज ही ऐसा कह देते हैं । फिर भी मैं विशेष रूप में अनुमति देता हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि चंकि सरकार ने विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए चीनी का अधिक निर्यात करने की नीति बनाई है, इसलिए कई गैर-सरकारी उद्यमी नए एकक स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं और इसके फलस्वरूप वे नए एककों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु सरकार से अनुरोध कर रहे हैं ?

श्री बेदव्रत बरूआ : श्रीमान्, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं। इस सम्बन्ध में भेजे गए आवेदन-पत्रों का सम्बन्ध कृषि एवं औद्योगिक विकास मंत्रालयों से है। किन्तु जैसा कि मैंने पहले कहा है, जहां तक लाइसेंस देने का सम्बन्ध है, अधिक प्राथमिकता सहकारी तथा सरकारी क्षेत्र को दी जा रही है। गैर-सरकारी क्षेत्र में केवल एक कम्पनी को लाइसेंस दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगा जो मंत्री द्वारा उत्तर देते समय खड़े रहते हैं। श्री दंडवते मुझे दुःख है, इसके बावजूद भी आपको उत्तर वहीं मिला।

श्री के० सूर्यनारायण : श्रीमान, क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि क्या उन्होंने विभिन्न बड़े गृहों को विस्तार के लिए लाइसेंसों की स्वीकृति देने से पहले विभिन्न सम्बन्धित राज्य सरकारों से भी परामर्श किया है ?

श्री बेदव्रत बरूआ : श्रीमान, मैंने पहले ही कह दिया है कि इसका सम्बन्ध कृषि तथा औद्योगिक विकास मंत्रालयों से है। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया है और इन मामलों में राज्य सरकारों से परामर्श किया जाता है।

श्री डी० के० पंडा : श्रीमान, तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री, श्री मौर्य ने कई घोषणाएं की थीं कि किसी भी गैर-सरकारी फर्म या कम्पनी को एक भी लाइसेंस नहीं दिया जायगा और नहीं दिया गया है और ये सभी लाइसेंस सहकारी फर्मों को दिए गए हैं। चरतराम और भपतराम को भी कोई लाइसेंस नहीं दिया गया। जब ऐसी घोषणा की गई थी तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन घोषणाओं के बाद इस गैर-सरकारी, एकाधिकारवादी फर्म को लाइसेंस दिया गया ? ये लाइसेंस किस समय दिए गए और उससे पहले सरकारी स्तर पर क्या निर्णय किए गए थे ?

श्री बेदव्रत बरूआ : सरकार द्वारा कई बार बताई गई नीति के अनुसार ही कार्य किया गया है। स्थिति यह है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, ये सभी लाइसेंस नहीं थे। ये आंशिक रूप से उत्पादन का विस्तार करने के बारे में थे। किसी भी बड़े गृह को नया लाइसेंस नहीं दिया गया है। ऐसा भी इसलिए किया गया क्योंकि चीनी उपलब्ध थी उन कम्पनियों में क्षमता उपलब्ध थी तथा विस्तार की लागत भी कम थी। इसके अतिरिक्त 30 कम्पनियों में कम लागत तथा कम वित्तीय ऋण अन्तर्ग्रस्त थे। कुछ विशिष्ट मामलों में ही छूट दी गई है। हाल ही में एक कम्पनी के उत्पादन-विस्तार के बारे में मुझे बताया गया कि 1,250 टन प्रति दिन की क्षमता वाली कम्पनी पर 7 करोड़ रुपया लगेगा, इतनी ही क्षमता वाली कम्पनी के विस्तार का प्रस्ताव 4 करोड़ रुपये में हो सकता है। अतः यह निर्णय इन कारणों से तथा निर्यात संवर्धन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से किया गया है।

Shri Narsingh Narain Pandey : May I know whether he is aware of the miserable condition of the Sugar mills of those Companies which have been allowed to expand their production under the MRTP Act? Their Condition is not being improved by them. That is why the Bhargava Commission had recommended that in the interest of Consumers, production, labour and nation, Government should take over these sick mills and steps should be taken to improve their condition. That is why the U. P. Government has set up a corporation to take over these sick mills. If so, why Duarala Mill of Charat Ram Bharat Ram & Company has been allowed to expand? Mr. Banshi Dhar is owner of this Mill.

Mr. Speaker : You have become habitual to first give information and then ask whether it is correct.

श्री बेदव्रत बरूआ : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि क्या यह मामला एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं से सम्बन्धित है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि एकाधिकार की दृष्टि से किसी नये उपक्रम की मंजरी के लिए आवेदन पत्र नहीं आया है क्योंकि चीनी उद्योग के लिए बड़े उद्योग गृह उद्योग स्थापित नहीं कर सकते ।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैंने बहुत स्पष्ट प्रश्न पूछा था कि क्या इन कारखानों की हालत बहुत खस्ता है और एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अन्तर्गत यह अनिवार्य नहीं है कि विस्तार की अनुमति देने से पूर्व उनकी जांच की जायें । क्या इसकी जांच की गई थी या नहीं ?

श्री बेदव्रत बरूआ : मैं पहले ही बता चूका हूं कि कम्पनी कार्य विभाग की या एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम की किसी भी धारा के अन्तर्गत मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है और जिन पांच मामलों की मंजूरी कृषि या औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा दी गई है, उनमें भी ऐसी किसी प्रकार की मंजूरी अपेक्षित नहीं थी । स्थिति स्पष्ट कर दी गई है क्यों कि धारा 21(4) के अन्तर्गत चीनी का उत्पादन करने वाली किसी भी कम्पनी की एकाधिकार-निर्बंधात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अन्तर्गत मंजूरी लेने से मुक्त कर दिया गया है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : : मंत्री महोदय ने यह महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि विस्तार का खर्चा, नया एकक स्थापित करने के खर्चे से आधा है । तो फिर निजी या सहकारी क्षेत्र के सभी कारखानों को विस्तार की अनुमति क्यों न दे दी जाये ताकि वह पांचवी योजना के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें ?

श्री बेदव्रत बरूआ : मैं समझता हूं कि सरकार की नीति सभी क्षेत्रों में तथा विशेष रूप से सहकारी क्षेत्र में चीनी का उत्पादन बढ़ाने की है ।

निर्वाचन संबंधी विधियों का संशोधन

*816. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी लोक सभा निर्वाचनों से पूर्व निर्वाचन संबंधी विधियों का संशोधन किया जायेगा ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डॉ० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) निर्वाचन विधि में संशोधनों संबंधी संयुक्त समिति की सिफारिशों पर मुख्यत: आधारित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1973 लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था और वह उस सदन में लम्बित है । निर्वाचन विधि के विभिन्न पहलुओं पर राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ आजकल विचार-विमर्श किया जा रहा है । निर्वाचन विधि में संशोधन करने के बारे में आगे की कार्यवाही इन विचार-विमर्श के परिणामों पर निर्भर करेगी ।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है वह प्रश्न के अनुरूप नहीं है । इसलिए मेरा प्रथम पूरक प्रश्न यह है कि (क) प्रत्याशियों के चुनाव खर्चे में कितनी सीमा तक सरकार द्वारा सहायता की जायेगा, (ख) उन प्रत्याशियों का क्या होगा जो चुनाव तो जीत जायेंगे परन्तु जिनकी जमानत जब्त हो जायेगी जैसा कि पहले कुछ मामलों में हुआ है ; और (ग)

सरकार द्वारा प्रत्याशियों को सीधे या दलों के माध्यम से क्या-क्या अन्य सुविधायें उपलब्ध करवायी जायेगी और अन्ततः मैं यह जानना चाहता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 1973 कब चर्चा के लिए सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इनकी ओर से एक प्रश्न और पूछ लूं कि इन्हें निर्विरोध चुनाव जितने के लिए क्या कर रहे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। एक मात्र बात जो इस सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं वह किये गये व्यय के भुगतान के सम्बन्ध में है। जिन प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो गई हों या अन्य इसी प्रकार के मामलों के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है। विचाराधीन प्रश्नों में से एक यह भी है और अन्य दलों के साथ इसके बारे में भी विचार-विमर्श किया जायेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : एक ओर तो वह कह रहे हैं कि जीते हुये प्रत्याशी तथा दूसरी ओर कह रहे है जिनकी जमानतें जब्त हो गई है ।

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : यादि कोई इस प्रकार को परस्पर विरोधी बात करे तो मैं उसका उत्तर नही दे सकता ।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : पहले कई बार ऐसा हुआ है कि प्रत्याशी चुनाव तो जीत जाते हैं परन्तु उनकी जमानतें जब्त हो गई। खैर मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या स्वतंन्त्र प्रत्याशियों तथा दलों द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की अन्तिम सीमा बढ़ा दी जायेगी और यदि हां तो संसद तथा विधानसभा के लिए उनकी अलग अलग सीमा कितनी होगी और क्या राज्य सभा तथा राज्य विधान परिषदों के चुनाव नियमों में भी कोई संशोधन किया जा रहा है ?

श्री एच० आर० गोखले : जहां तक चुनावों पर किये जाने वाले खर्च की अधिकतम सीमा का प्रश्न है वह सीमा स्वतन्त्र तथा दलके प्रत्याशियों के लिए अलग नहीं है, उनके लिए भी वही सीमा है। खर्चे की अधिकतम सीमा में वृद्धि किये जाने का प्रश्न अन्य राजनीतिक दलों के साथ विचाराधीन है। मुझे ऐसा पता चला है कि कुछ दला ने सिफारिश की है कि खर्चे की अधिकतम सीमा में वृद्धि की जानी चाहिये।

Shri Janeshwar Mishra : Sir, it has been stated in the question that whether election laws would be amended before the next Lok Sabha Elections. I want to know if Lok Sabha Elections will be held because according to present indications it appears that Elections may not be held at all? Secondly, I want to know that whether the Representation of the People Act will be amended to safeguard the interest of Leader of the House against whom an Election Petition is before the Court so that in the event of an adverse judgement, her Election may not be affected.

श्री एच० आर० गोखले : मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान मे एसी व्यवस्था है कि सदन का कार्यकाल समाप्त होते हो सदन स्वतः भंग हो जाता है, (व्यवधान) यदि आपातकालीनस्थिती हो तो सरकार इसे आगे तक लागु रखन के लिए संसद कि अनुमति ले सकती है। सरकार एसा कर सकती है।

Shri Janeshwar Mishra : All this is an attempt to save the Prime Minister. I want the hon. Minister to give a reply thereto.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

हड़ताल में भाग लेने के कारण ओलावाक्कोट डिविजन के कर्मचारियों की पदावनति

***817. श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओलावाक्कोट डिवीजन के बहुत से कर्मचारियों की पदावनति केवल हड़ताल में भाग लेने के कारण ही कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा उनसे सम्बंधित अन्य विवरण क्या है ;

(ग) क्या ओलावाक्कोट डिवीजन में पदावनत किये गये सैक्शन कन्ट्रोलर्स अपने पदोन्नति के स्थानों पर अभी तक बहाल नहीं किये गये है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) केवल मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने के कारण ओलाव्क्कोट मण्डल के किसी रेल कर्मचारी को परावर्तीत नहीं किया गया। लेकिन 7 खडं है नियंत्रकों को, उनकी पदोन्नति के बाद के 18 महिनों की अवधि में किये गये कार्य की समीक्षा करने के बाद अपने मूल संवर्ग में परावर्तित कर दिया गया।

(ग) और (घ) सात कर्मचारियों ने अपने परावर्तन के विरूध्द केरल उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी है और मामला न्यायाधीन है ।

तट से दूर भूकम्प संबंधी आंकड़े तैयार करने के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एक संगणक केन्द्र की स्थापना

***818. श्री पी० गंगादेव :**

श्री डी०पी० देसाई :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के खोज-कार्य को तेज करने के लिये तट से दूर भूकम्प सबधी आंकडे को तैयार करने और उनकी व्याख्या करने की दृष्टि से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एक संगणक केन्द्र की स्थापना की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने एक आई बीएम 370/145 इलैक्ट्रौनिक डेजिल डेटा प्रौसेसिग कम्पयूटर के लिए आर्डर दिया है यह कम्पयूटर, जो देरादून में लगाया जायेगा, का उपयोग अपतटीय और तटीय भूभौतकीय आकड़ों के संसाधित करने के लिए तथा तरजरवायर माडलिंग के अध्ययन के लिए किया जाएगा। इस कम्पयूटर की लागत 2.52 करोड़ रुपये होगी जिसमें से लगभग विदेशी मुद्रा 742 लाख रुपये होगी।

बाम्बे हाई और कावेरी बेसिन में विकास के लिये सोवियत संघ द्वारा तकनीकी जानकारी की पेशकश

*819. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने बाम्बे हाई और कावेरी बेसिन के खोज कार्य के विकास के लिये तकनीकी जानकारी देने की पेशकश की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, नहीं ?

(ख) प्रश्न ही नही उठता।

दिल्ली में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण

*820. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब हुआ है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) छह संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों अर्थात् चांदनी चौक, दिल्ली सदर, बाहरी दिल्ली, करोल बाग, नई दिल्ली और दक्षिण दिल्ली की निर्वाचक नामावलियां 31 मार्च, 1975 को और पूर्व दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली 7 अप्रैल, 1975 को अंतिम रुप से प्रकाशित की गई थी।

नामरूप उर्वरक परियोजना

*821. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : नामरूप उर्वरक परियोजना कब तक पूरी हो जायगी तथा आरम्भ में परियोजना के पूरा होने का निर्धारित समय क्या था तथा आरम्भ में इस पर कितनी लागत आने का अनुमान था ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : प्रायोजना की यान्त्रिक स्थापना पूरी हो चुकी है और इसे चालू करने का कार्य जारी है। यह प्रायोजना जो पहले 1971 के अन्त तक चालू की जानी थी अब लगभग अक्तूबर 1975 तक चालू होने की आशा है। प्रायोजना के मूल लागत अनुमान 29.46 रुपये के थे ; अनुमान है कि अब प्रायोजना की लागत 58.62 करोड़ रुपये होगी।

लोक सभा के निर्वाचनों को 1977 के लिए स्थगित करना

*822. **श्री समर गुह :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्यमान आपातकालीन स्थिति के उपबन्धों के अनुसार लोक सभा के निर्वाचनों को 1977 के लिये स्थगित करने के प्रश्न पर विचार कर रही और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या लोक सभा के आगामी निर्वाचन 1976 के आरम्भिक महीनों में कराये जायेंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ;

(ग) क्या 1975 में लोक सभा के निर्वाचन कराये जाने की कोई संभावना है, यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(घ) विभिन्न राज्यों में लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन कार्य की नवीनतम स्थिति के बारे में तथ्य क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) विद्यमान स्थिति के अनुसार, उत्तर 'हां' में है ।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्यों तथा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र को छोड़कर, परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 9 के अधीन संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के आदेश सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत जारी किए जा चुके हैं ।

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की बाबत परिसीमन आयोग का आदेश भारत के राजपत्र में 28–4–1975 को, प्रकाशित किया जाना नियत किया गया है । राजस्थान राज्य में आयोग ने परीसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 9(2) (घ) के अधीन सार्वजनिक बैठकें की हैं और धारा 9(2) (घ) के अधीन अंतिम आदेश शीघ्र ही जारी किया जाएगा । शेष राज्यों की बाबत आदेश जून, 1975 के अन्त तक जारी किए जाने की आशा है ।

भारतीय तेल निगम के उत्पाद सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव

*823. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम का विचार अपने उत्पाद उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से सीध वास्तविक प्रयोक्ताओ को उपबन्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है और भारतीय तेल निगम की वर्तमान वितरण नीति क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) भारतीय तेल निगम को कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । परन्तु सरकार ने एक समिति की नियुक्ति की है जो ग्रामीण एवं अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक उपभोक्ता सहकारी समितियां, कृषि उद्योग निगम, कृषि सेवा केन्द्र आदि का अधिष्ठापन करके तेल कम्पनियो के फुटकर विक्री केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने की सिफारिश करेगी ।

मद्रास तट और ताम्बरम के बीच सोडावाटर और फलों के स्टालों के लिये लाइसेंस फीस लगाना

*824. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 और 1973–74 के लिए मद्रास तट और ताम्बरम के बीच उप नगरीय सेक्शन में प्रत्येक सोडावाटर और फलों के स्टाल के लिये कितनी लाइसेंस फीस लगाई गई ;

(ख) क्या लाइसेंस फीस बिक्री कर के लिये राज्य सरकार द्वारा आंकी गई बिक्री के आधार पर लगाई जाती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह किस आधार पर लगाया जाता है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क)

स्टेशन	स्टाल की किस्म	लाइसेंस शुल्क	
		1972-73 के लिए	1973–74 के लिए
मद्रास बीच . .	सोडा वाटर	2,000	2,000
मद्रास फोर्ट . .	,,	350	350
मद्रास पार्क . .	,,	800	800
मद्रास एपुम्बूर . .	फल और सोडावाटर	4,000	4,000
मद्रास चेटपेट . .	सोडा वाटर	385	385
नुंगामबक्कम . .	,,	350	350
कोडामबक्कम . .	,,	350	350
मम्बालम . .	आइसक्रीम तथा सोडावाटर सहित शाकाहारी अल्पाहार	5,000	5,000
सईदापेट . .	सोडावाटर	600	600
गुइन्डी . .	,,	600	600
सेंट थामस माउंट . .	,,	500	500
मिनमबक्कम .	,,	250	250
पालावरम . .	,,	400	400
क्रोमपेट . . .	,,	525	525
ताम्बरम सेनिटोरियम .	,,	150	150
ताम्बरम . .	फल और सोडा वाटर	2,750	2,750

(ख) और (ग) : जी हां, बिक्रीकर प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित की गयी औसत बिक्री को लाइसेंस शुल्क निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाता है। यह शंका होने पर कि बिक्री कर प्राधिकारियों द्वारा किया गया निर्धारण कम है अथवा उसमें वे मदें शामिल नहीं हैं जिन पर कर नहीं लगता है, तो लाइसेंस शुल्क निर्धारित करने के लिए, औसत बिक्री का मूल्यांकन करने के लिए, सम्बन्धित यूनिट की बिक्री पर 3 अथवा 4 दिनों तक निगाह रखने के लिए रेलवे वाणिज्य निरीक्षकों को तैनात किया जाता है।

Suggestion made by Tarkunde Election Reforms Committee

*825. **Shri Ishwar Chaudhry:**
Shri Hemendra Singh Banera :

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the suggestion made by Tarkunde Election Reforms Committee that the election expenditure and all other accounts as also the sources of income of all the recognised political parties should be required statutorily to be audited by Chartered Accountants appointed by the Election Commission;

(b) if so, Government's reaction thereto; and

(c) whether the said suggestion would curb use of black or unaccounted money and if so, the objection in accepting this suggestion?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale) : (a) Yes, Sir.

(b) Decision on the various suggestions may have to awaitn the outcome of the discussions now being held with the leaders of political parties.

(c) Does not arise.

आसाम के तेल शोधक कारखानों की तेल शोधन क्षमता

*826. **श्री नुरूल हुडा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के संसदसदस्यों ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन पेश किया था जिसमें तथा बातों के साथ साथ यह आग्रह किया गया था कि प्रस्तावित बोगइंगांव तेल शोधक कारखाने अन्य वर्तमान गोहाटी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता बढाई जाये, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) जी हां आयल इंडिया लि० और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अब तक स्थापित भडारों से 1978–79 तक असम तेल क्षेत्रों से प्रतिवर्ष 5.30 मिलियन मी० टन तक अशोधित तेल उपलब्ध होने की संभावना है। असम अशोधित तेल पर आधारित वर्तमान शोधनशालाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये यह पर्याप्त है।

वर्तमान और प्रायोजित शोधनशालाओं की आवश्यकताओं से ऊपर अतिरिक्त अशोधित तेल उपलब्ध होने की सम्भावना है।

कलकत्ता ट्यूब रेलवे परियोजना

*827. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रुस द्वारा आवश्यकताओं को पूरा करने के वायदे को पूरा करने से इन्कार किये जाने के कारण तथा लागत में वृद्धि होने के कारण कलकत्ता ट्यूब रेलवे परियोजना का परित्याग किया जा रहा है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी स्वामित्व वाले विटामिन 'सी' के एकक

*828. **श्री एम० एन० मुखर्जी :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग वाले गैर-सरकारी क्षेत्र के विटामिन 'सी' के एककों का बाजार में लगभग एकाधिकार हैं ;

(ख) इसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में विटामिन 'सी' के संयंत्र स्थापित करेगी ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है;

(घ) क्या सरकार हाथी समिति की सिफारिशों के अनुसार विदेशी स्वामित्व वाले इन विटामिन 'सी' के एककों को अपने नियंत्रण में लेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) मैसर्स साराभाई एफ कैमिकल्स पश्चिम जर्मनी के मैसर्स में ए० जी० के सहयोग से कार्य कर रहे थे। इस जर्मन कम्पनी की भारतीय कंपनी में 26% साम्य पूंजी थी। 15 जुलाई, 1969 को यह करार समाप्त कर दिया गया था और मैसर्स साराभाई एफ कैमिकल्स पूर्ण रूप से भारतीय हो गई। साराभाई एफ कैमिकल्स को वर्तमान में उनकी विटामिन सी और उसके साल्टों के कुल 387.50 मीटरी टन/प्रतिवर्ष की लाइसेंसीकृत क्षमता की तुलना में, 120 मीटरी टन विटामिन सी की निर्माण करने की क्षमता के लिए लाइसेंसकृत किया गया है। देश के 255 मीटरी टन के कुल उत्पादन क्षमता की तुलना में, वर्ष 1974 के अन्तर्गत उनके द्वारा 233 मीटरी टन का उत्पादन किया गया।

(ख) और (ग) मैसर्स हिन्दुस्तान एण्टी बायोटिक्स लिमिटेड, जो कि एक सरकारी क्षेत्र एकक है को पहले से ही प्रति वर्ष 25 मीटरी टन विटामिन सी की उत्पादन करने के लिए लाइसेंसीकृत किया गया है। उनका पांचवी योजना के अंतर्गत 250 मीटरी टन तक विकास करने का प्रस्ताव हैं।

(घ) व (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गैस के नये कनेक्शनों पर रोक

*829. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैस के नये कनेक्शन दिये जाने पर इस समय कोई रोक लगाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या लोगो को पंजीकरण करवाने के बाद गैस पाने के लिए वर्षों प्रतीक्षा करनी होती है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये जायेंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध सरकार द्वारा नहीं लगाया गया है। किन्तु तेल कम्पनियों को सलाह दी गई है कि वे तब तक किसी भी बाजार में नये ग्राहक न बनायें जब तक दीर्घ कालिक आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैस की अधिक सप्लाई नहीं की जाती। बर्माशल, काल्टेक्स तथा एच पी सी की शोधन शालाओं से कुल तरल पेट्रोलियम गैस की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उनके वर्तमान ग्राहकों की मांग पर्याप्त है। इस प्रकार ये कम्पनियों नये ग्राहकों को तभी बनाती है जब बाजार में कुछ पुर्नव्यवस्था की गई हो तथा वे दीर्घकालीन आधार पर नये ग्राहकों को गैस की सप्लाई सुनिश्चित कर सकते हो। आई ओ सी बाजार में ग्राहक वहा बनाती है जहां अतिरिक्त गैस उपलब्ध की जाती है तथा जहां इसके सुविधा का विकास करने का विचार हो वहां नये बाजार खोलती है। तथापि सरकार ने आई ओ सी को सलाह दी है कि वह प्रत्येक अलग अलग डीलर द्वारा ग्राहकों को पुस्तिका में दर्ज करने पर एक सीमा बांधे।

(ख) तरल पेट्रोलियम गैस की वर्तमान मांग तेल कम्पनियों के उत्पादन तथा विपणन सुविधाओं से कहीं अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप जनता को नये गैस कनैक्शन प्राप्त करने के लिए अनेक स्थानों पर एक लम्बे अवधि से प्रतीक्षा करनी होती है।

(ग) देश में ईन्धन गैस की कमी को समाप्त करने के सम्बन्ध में उठाये जाने वाले उपायों के बारे में 4-3-1975 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न स० 2127 के उत्तर को देखें।

Memorandum by Ticket Checking Staff Association

*830. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Ticket Checking Staff Association to has been submitting memoranda to Govt. from time to time to recognise T.C. and T.T.E. category as "running staff"; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and whether Government are seriously considering the question of recognising this category as the "running staff"?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) As T.Cs and T.T.Es. do not fulfil the criteria laid down for the category being treated as running staff, they are not treated as such nor is the Goverment considering the question of recognising this category as running staff.

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा आम इस्तेमाल की आयातित औषधियों का वितरण

*831. **श्री के० लकप्पा :** क्या **पेट्रोलियम** और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी एजेंसी के माध्यम से आयात की जाने वाली आम इस्तेमाल की औषधियां और औषधियों की मध्यवर्ती वस्तुओं का देश में औषध तथा फार्मास्यूटिकल्ज एककों को इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्ज लिमिटेड द्वारा उनके अधिकार से कम वितरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) औषध तथा फार्मास्यूटिकल्स एककों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल सप्लाई करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) आई डी पी एल केवल उन सारणीबद्ध प्रपुंज औषधों /औषध मध्यवर्ती पदार्थों का वितरण करते हैं जो उनके उत्पादन के क्षेत्र में आते हैं। वास्तविक उपभोक्ताओं को सारणीबद्ध विषयों का आवंटन पिछली खपत और राज्य औषध नियंत्रण लाईसेंस प्राधिकरण की सिफारिशों पर किया जाता है। अतिरिक्त भाग के आवंटन पर भी गुण के आधार पर विचार किया जाता है। यदि लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अनुसार विशेष प्रपुंज औषध के लिए संयंत्र की हकदारी पिछली खपत से अधिक है।

पाइपराजाइन सिटरेट और फेनोवारवीटोन सोडियम के अलावा 1974–75 वर्ष के दौरान आई डी पी एल, वास्तविक उपभोक्ताओं को उनकी हकदारी के अनुसार उनके उत्पादन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सारणीबद्ध प्रपुज औषधों/औषध मध्यवर्ती पदार्थों को पूर्ण रूप में सप्लाई करते हैं। पाइपराजाइन सिटरेंट और फेनोवारविटोन सोडियम के लिए प्रेषण आर्डर जो 1974–75 के आंवंटन की एक तिहाई, की सप्लाई के लिए अभी तक शेष रहते हैं, जारी किये जा रहे हैं।

1975–76 के दौरान वास्तविक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को उनकी हकदारी के अनुसार पूरा करने के लिए आयात योजना को अन्तिम रूप दिया गया है और राज्य व्यापार निगम को तदनुसार आयातों की व्यवस्था करने के लिए सलाह दी गई है।

गुजरात तथा महाराष्ट्र में चावल की तस्करी करने वाला गिरोह

*832. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 5 अप्रैल, 1975 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "वैगन्स यूज्ड फ़ार राईस स्मगलिंग' चावल की तस्करी के लिए उपयोग में लाये वैगन शीर्षक से प्रकाशित समाचार के अनुसार

क्या रेलवे सुरक्षा बल और खाद्य तथा नागरिक पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने खाद्य की कमी वाले राज्यों गुजरात तथा महाराष्ट्र में चोरी छिपे चावल भेजने में लगे बड़े गिरोह का पता लगाया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो वैगनों दुरूपयोग करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद् क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) अब तक चार व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। दिल्ली रेलवे पुलिस ने अनिवार्य वस्तु अधिनियम (1975 की 10) की धारा 7 के अधीन नयी दिल्ला रेलवे पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया है और जांच-पड़ताल की जा रही है ।

मैसर्स सेन्डोज द्वारा ग्लाइकोसाइड्स और एग्लीकोन की निर्यात

7878. श्री खेमचन्द भाई चावड़ा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइसेंस संख्या एल/22/166/63 सीएच० 111, दिनांक 31 अगस्त, 1963 के सम्बन्ध में संडोज के मामले में लाइसेंस समिति और विदेश करार समिति की समरी में ग्लाको-साइड्स और एग्लीकोन 'फ्रेक्शन' (भाग) के लिये 40 लाख रुपया, से 50 लाख रुपया के निर्यात की शर्त का उल्लेख किया गया था, यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है तथा शर्त का किस रूप में उल्लेख किया गया था ;

(ख) क्या विदेशी करार समिति/लाइसेंस समिति के अनुमोदन में निर्यात के बारे में कोई सिफारिश निहित की थी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) विदेश करार समिति / लाइसेंस समिति के अनुमोदन में अथवा औद्योगिक लाइसेंस और करार जैसी किसी अन्य अनुमोदन में शर्त क्यों नहीं लगाई गई ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उत्तरदायित्व निर्धारित करने अथवा इस फाइल को सी० बी० आई० को सौंपने का है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और उन्हें सभा पटल पर रखा जायेगा। सरकार द्वारा आगामी कार्रवाई पर विचार ऊपर (क) से (ग) की स्थिति का पता लगाने के पश्चात् किया जायेगा ।

Vacation of stay Orders for giving Justice to Ticket Checking Staff of Ratlam Division (Western Railway)

†**7879. Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Chief Commerical Superintendent, Western Railway, had sanctioned twelve posts of Train Conductors in 1970 for the Ratlam Division;

(b) whether the ticket checking staff of Ratlam Division were not given these posts because ticket checking staff of Kota Division had obtained a Stay Order from a Court of Kota on 15th June, 1970;

(c) the further period for which this stay order will remain operative;

(d) when will the Legal Department of Western Railway get the four year old stay order vacated; and

(e) the reasons why the ticket checking staff of Ratlam Division is not put on the Train Conductors job (till the above Stay Order is vacated) on 19-Down and 20-Up Dehradoon Express between Ratlam and Bombay?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No sanction was issued but instructions were issued by the Western Railway headquarters which required the Ratlam Division to create 12 posts of Conductors including 2 Leave Reserves.

(b) Yes. Before the posts could be created, an interim injunction restraining the Railway administration from implementing the decision was received from the Court.

(c) This depends on the Court.

(d) The Western Railway is making all efforts to get the injunction vacated.

(e) The Railway Administration is obliged to maintain arrangements in force prior to the issue of the orders referred to in the reply to part (a).

पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों के जिलों में इन्डेन गैस की एजेन्सियां

7880. **श्री टुना उर्राव :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के जिलों में इन्डेन गैस की कोई एजेन्सियां दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में, राज्यवार तथा जिलेवार इन्डेन गैस के एजेन्टो के नाम क्या है ;

(ग) प्रत्येक एजेन्सी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का एजेन्सीवार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या जिलों में इन्डेन गैस को लोकप्रचलित बनाने के लिये स्थानीय साप्ताहिकों तथा अन्य पत्रिकाओं में विज्ञापन दिये जाते है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों में इन्डेन गैस को लोकप्रचलित बनाने हेतु प्रचार के लिये क्या माध्यम अपनाया जाता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) सूचना सलग्न विवरण पत्र में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9555/75]**

(घ) से (ङ) इडेन गैस की सीमित उपलब्धता तथा सूचिबद्ध किए गए ग्राहकों की लम्बी प्रतिक्षा सूची को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में इसको लोकप्रिय बनाने संबंधी और अधिक उपाय करना आवश्यक नहीं है।

कूच बिहार और न्यू कूच बिहार स्टेशनों पर सामान की हानि के लिए भारतीय खाद्य निगम अथवा इसके स्टोरिंग एजेंट की दी गई क्षतिपूर्ति

7881. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार, अलग अलग पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कूच बिहार (मीटर गैज) और न्यू कूच बिहार (ब्राड गैज) स्टेशनों पर सामान को हानि के लिये भारतीय खाद्य निगम अथवा इसके स्टोरिंग एजेंट को कुल कितनी राशि की क्षतिपूर्ति दी गई है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस बारे में कोई गभीर जांच की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

फिजर्स का उत्पादन

7882. **श्री नानूभाई एन० पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में फिजर्स ने लाइसेंसवार प्रत्येक वस्तु का कितना उत्पादन किया और क्या उन वस्तुओं का उपयोग रक्षित उपभोग के लिये किया जाता है, उनका विक्रय मूल्य क्या है और क्या उन्हें विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों का पुनरीक्षित करने की अनुमति दी गई थी यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) मैसर्स फिजर्स और मैसर्ज फिजरड्मेक्स में हुये करार की मुख्य बाते क्या है;

(ग) क्या 'प्रोटीनेक्स' का विक्रय महाराष्ट्र के औषध नियत्रण प्राधिकारियों के अनुमोदन से होता है तथा इसका लाइसेंस एक औद्योगिक लाइसेंस है, गत तीन वर्षों में इसका कितना उत्पादन हुआ, लाइसेंस की क्षमता क्या है, विक्रय मूल्य क्या है तथा इसके मूल्यों में कितना पुनरीक्षण करने की अनुमति दी गई ; और

(घ) औद्योगिक लाइसेंस की शर्तों/विदेशी पूंजी निवेश बोर्ड के नियमों का उल्लंघन करने के लिये सरकार का इस फर्म के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) एक विवरण पत्र इसके साथ सलग्न है [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9556/75**] जिसमें लाइसेंस प्राप्त क्षमता वाली प्रपुंज औषधों का नाम, गत दो वर्षों के दौरान उत्पादन, मूल्य, अन्यो को सप्लाई की मात्रा, यदि मैसर्स फाइजर्स लि० बम्बई को स्वीकृत मूल्यों में संशोधन करने की कोई अनुमति दी हो ?

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोचीन स्थित फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल ट्रावनकोर, का मंत्री द्वारा दौरा

7883. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में कोचीन स्थित फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल ट्रावनकोर का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो सम्बद्ध अधिकारियों से हुई बातचीत की संक्षित रूपरेखा क्या है और उसके क्या परिणाय निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख) पेट्रोलियम एवं रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 2 और 3 अप्रैल 1975 को फर्टीलाइजर और ट्रावनकौर लि० के उद्योगमण्डल और कोचीन प्रभागों का दौरा किया और इन उपकरणों के प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं तथा उनके समाधान के लिए सम्बद्ध अधिकारियों से विचार विमर्श किया। मंत्री ने कोचीन I प्लांट के सन्तोषजनक कार्य संपादन तथा कोचीन II प्रयोजना के शीघ्र सम्पन्न करने के लिए प्रबंधकों द्वारा किये गये उपायों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कोचीन एक प्लांट और कोचीन प्रायोजना का भी निरीक्षण किया।

तत्पश्चात् मन्त्री ने एफ०जे०सी०टी० की विभिन्न श्रम संघो के प्रतिनिधि से भी भेंट की और औद्योगिक सम्बन्धों पर भी विस्तार पूर्वक विचार किया। मन्त्री ने यूनियन के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि बाकी मामलो पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा और उनका शीघ्र संतोषजनक समाधान किया जायेगा।

मंत्री के अधिकारियों और युनियन के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श में बताया कि सरकार को कोचीन II को अमोनिया सप्लाई के लिए सन्तोष जनक प्रबन्ध की कठिनाइयों तथा एफ० ए०सी०टी० तथा एफ ई डी ओ की अन्य समस्याओं से पूर्णरूप से परिचित है। परन्तु उन्होंने यह आश्वासन दिया कि उन्हें एफ ए सी टी और एफ ई डी ओ के भविष्य की किसी भी प्रकार की चिन्ता की आवश्यकता नहीं है और सरकार इन संगठनों को सुदृढ बनाने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी। उन्होंने अन्त में अधिकारियों और कर्मचारियों से मैत्रीपूर्ण वातावरण और औद्योगिक शान्ती बनाये रखने के लिए अपील की जिसे जनता के सामने एफ ए सी टी की उचित प्रतिमा बनी रहे।

स्वेज नहर के खुलने के फलस्वरूप अशोधित तेल के मूल्य में गिरावट

7884. श्री राम हेडाऊ : क्या **पेट्रोलियम** और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वेज नहर के खुलने से भारत द्वारा लीबिया, अल्जीरिया, ईराक तथा सऊदी अरब से आयात किये जाने वाले अशोधित तेल के मूल्य में गिरावट आने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) स्वेज कनाल के खुल जाने से भारत द्वारा ईराक और सउदी अरब से आयात किए जाने वाले कच्चे तेल के मूल्यों में कोई कमी होने की संभावना नहीं है। वर्तमान में लीबिया और अल्जेरिया से किसी कच्चे तेल का आयात नहीं किया जा रहा है।

मंत्रालय के उपक्रमों द्वारा प्रयोग में जाये जाने वाले प्रचार माध्यम

7885. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत प्रत्येक उपक्रम द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले प्रचार माध्यमों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या ये उपक्रम, जिलास्तर के छोटे समाचारपत्रों को प्रचार माध्यम नहीं बनाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) जिला स्तर के समाचारपत्रों के माध्यम से ग्रामीण लोगो के बीच उपक्रमों के कार्य का प्रचार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (घ) तक सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

दक्षिण मध्य रेलवे के लोको तथा सी० एण्ड डब्ल्यू० कर्मचारियों के लिए यात्रा अवधि

7886. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे के लोको तथा सी० एण्ड डब्ल्यू० कर्मचारियों को जब क्रेनों खराब इंजनों अथवा इजिनो के परीक्षण चालन के साथ भेजा जाता है तो उनकी यात्रा की अवधि को समयोपरि भत्ते की गणना के प्रयोजन से ड्यूटी के रूप में नहीं माना जाता;

(ख) क्या अन्य रेलों (अर्थात् दक्षिण-पूर्व रेलवे) में ऐसा माना जाता है और यदि हां, तो दक्षिण-मध्य रेलवे में ऐसा न मानने का क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस गल्ती को सुधारने संबंधी आदेश जारी किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

डी० डी० टी० बनाने वाली कम्पनियां

7887. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में डी० डी० टी० बनाने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 में उनका वार्षिक उत्पादन कितना रहा; और

(ग) प्रत्यक प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ग) हिन्दुस्तान इन्सैक्टी साइड लि० जो इस मंत्रालय के अधीन एक सरकारी उपक्रम है देश में डी० डी० टी० (तकनीकी) का एकमात्र उत्पादक है। उसकी डी० डी० टी० उत्पादन के लिए पर्याप्त क्षमता 4200 मीटरी टन है।

दिल्ली एकक 2800 टन

अलवाय एकक 1400 टन

(ख) वर्ष	उत्पादन (मीटरी टन)
1973-74	3442
1974-75	3668

समस्त भारत की यात्रा के लिए एक विशेष गाड़ी "वर्धमान एक्सप्रेस" चलाने के बारे में अनुरोध

7888. **श्री भगत राम राजाराम मनहर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भगवान महावीर की 2500 वीं निर्माण वर्षगाठ के अवसर पर वर्तमान जैन तीर्थ यात्रा संघ, 9950216, गली नम्बर 6, कैलास नगर, दिल्ली द्वारा अथवा इसकी ओर से समस्त भारत की यात्रा के लिये जिसमें प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और बड़े नगरों की यात्रा भी शामिल है, एक विशेष गाड़ी 'वर्धमान एक्सप्रैस' चलाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया हैं ;

(ख) क्या यह अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो किन शर्तों पर और यदि नहीं, तो अनुरोध स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या एक बार अनुरोध स्वीकार कर लिया गया था लेकिन बाद में रेलवे अधिकारियों ने शर्तों में परिवर्तन कर दिया था और भारी धनराशि जमा करने की मांग की थी और यदि हां, तो शर्तों में इस प्रकार कितनी बार परिवर्तन किये गये थे और किस प्रकार के परिवर्तन किये गये थे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) विशेष गाड़ी चलाने की स्वीकृति निजी पार्टियों के लिए लागू सामान्य शर्तों के अनुसार दी गयी थी ।

(घ) जी नहीं । पार्टी से केवल यह अनुरोध किया गया था कि नियमों के अनुसार विशेषें गाड़ी चलाने के लिए प्रत्यादेश प्रभार के रूप में 3000 रुपये जमा करे तथा अपने कार्यक्रम में मामूली समायोजन कर ले ।

गैस के नये कनेक्शनों के आबंटन की प्रतीक्षा सूची वाले व्यक्ति

7889. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) आई० ओ० सी० की गैस के नये कनेक्शनों के आवंटन की प्रतीक्षा सूची में कितनी व्यक्ति हैं; और

(ख) प्रतिमास कितने नए कनेक्शन दिए जाते है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) अनेक इंडेन वितरणकर्त्ताओं की प्रतीक्षा सूची में लगभग 2 लाख व्यक्ति हैं ।

(ख) इंडियन आयल कारपोरेशन प्रति माह 15,000 से 20,000 की औसतन कनेक्शन दे रही है ।

निर्वाचन विधियां

7890. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय समाजवादी दल द्वारा एक प्रेस सम्मेलन में निर्वाचन विधियों के संबंध में किये गय सुझावों के बारे में सरकार को जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी हां ।

(ख) निर्वाचन विधि में संशोधन करने के लिये विभिन्न प्रस्तावों पर कोई विनिश्चय करने से पूर्व, राजनीतिक दलों तथा विरोधी दलों के नेताओं के साथ इस समय किए जा रहे विचार-विमर्श के परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी ।

गुनुपुर-नौपाडा छोटी (नेरो गेज) लाइन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के लिए निर्धारित की गई धनराशि

7891. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना में दक्षिण पूर्व रेलवे की गुनुपुर-नौपोड़ा की छोटी (नैरो गेज) लाइन के नवीनकरण और विकास के लिये कितनी राशि निर्धारित की गयी है ;

(ख) निर्माण कार्य की कितनी प्रगति हुई है और इस लाइन के विकास के लिये वर्ष 1975–76 के लिये कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ;

(ग) क्या चालू वर्ष में रायगढ़ तक ले जाने के लिये इस लाइन का सर्वेक्षण कराने के लिये कोई धनराशि की व्यवस्था की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) समूचे गुनुपुर–नौपाड़ा खण्ड में 132 लाख रुपये की कुल लागत से फिर से पटरी बिछाने का काम वर्ष 1973–74 से विभिन्न चरणों में किया जा रहा है । 21.75 लाख रुपये की लागत के पटरी नवीकरण के काम पूरे हो चुके हैं। 5.86 लाख रुपये की लागत से 56 कि० मी० की लम्बाई में खराब स्लीपरों के बदलने और 8.35 लाख रुपये की लागत से 55 कि० मी० में गिट्टी बिछाने का काम शुरू किया गया है । रेल-पथ और पुलों के पुनःस्थापन के लिये 1975–76 में 11.70 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

ऐसे कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 1957 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए परन्तु जिन्होंने अंशदायी भविष्य निधी का विकल्प दिया

7892. **श्री इंद्रजित गुप्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो 1 अप्रैल, 1957 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए परन्तु जिन्होंने अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प दिया ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

"जनता" साबुन का उत्पादन करने में साबुन बनाने वालों को विफलता

7893. **श्री विरभद्र सिंह :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि साबुन निर्माता पर्याप्त मात्रा में 'जनता' साबुन निर्धारित मूल्य पर बेचने के लिये बाजार में देने के वचन को पूरा करने में विफल रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) साबुन उद्योग के संगठित क्षेत्र को सितम्बर, 1974 से 3 से 6 महीने के अन्तर्गत 1.00 रुपये से 1.5 रु० के मूल्य पर 100 ग्राम की नहाने के जनता साबुन की एक टिकिया का उत्पादन करना था तथा इसने नहाने के साबुनों के कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत के स्तर पर जनता साबुन के उत्पादन का स्थिर करना था। जिसकी मात्रा प्रति वर्ष 1100 मीटरी टन नियत की गई थी। अब तक चार उत्पादकों ने जनता साबुन बाजार में जारी किया है और अब तक जनता साबुन का कुल उत्पादन संतोषजनक है। सरकार भी जनता साबुन के उत्पादन की देख भाल कर रही है ।

रेल कर्मचारियों द्वारा एक और राष्ट्रव्यापी हड़ताल

7894. **श्री बरके जार्ज :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया रेलवे एम्प्लाइज कानफेडेरशन की नेशनल कन्वेशन ने पांच दिवसीय 'धिक्कार दिवस' मनाने और दो दिनों तक क्रमिक उपवास करने का निर्णय किया है, जो इस वर्ष मई के बाद किसी समय रेल कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिये पूर्व संकेत के रूप में होगी ;

(ख) क्या उन्होंने धिक्कार दिवस पूरे देश में 28 फरवरी को मनाने तथा संसद् के सामने क्रमिक उपवास 17 और 18 मार्च को करने का निर्णय किया है ;

(ग) क्या वे रेल मत्रालय द्वारा मानी गई आठ मांगों में से छः मांगों का क्रियान्वयन चाहते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) समाचार पत्रों में छपी सूचना के अलावा अन्य कोई औपचारिक सूचना अभी तक नहीं मिली है । लेकिन, अप्रैल 1974 में मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत के दौरान स्वीकार की गयी रियायतें पहले ही कार्यान्वियन के चरण में हैं ।

भुतपुर्व रलवे मंत्री द्वारा 2 जनवरी 1975 को दिये गये भाषण का सरकारी विवरण

7895. श्री भोगन्द्र झा : क्या रेल मंत्री भूतपूर्व रेलवे मंत्री द्वारा की गई घोषणा को कार्यान्वित करने के बारे में 18 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 47 के उत्तर के संबंध में यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व मंत्री के भाषण का औपचारिक तौर से कोई लिखित नोट लिया गया था अथवा पूर्वोतर रेलवे का कोई अधिकारी जिसमें जनरल मैनजर श्री चोपड़ा भी शामिल हैं, उनके भाषण के दौरान वहां उपस्थित थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या वे भूतपूर्व मंत्री द्वारा नाम लेकर बर्खास्त किये गय कर्मचारी के बहाल करने की खुली घो णा की पुष्टि करते हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) स्वर्गीय श्री ल.लित नारायण मिश्रा के भा ण की कोई लिखित टिप्प ी नही ी गयी थी क्योंकि उद्घाटन भा ण की हिन्दी में छापी गयी प्रतियां तत्काल उपलब्ध नही थी ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

भुसावल तथा नागपुर से केलें और सन्तर लदें मालडिब्बों का देरी से पहुंचना

7896. श्री एम० एम० जोजफ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केले तथा संतरे से लदे विशेष माल डिब्बे जो क्रमश: भुसावल तथा नागपुर डिविजनों से 72 घंटें में दिल्ली पहूंच जाने चाहिए वे पिछले दो महिनों से दिल्ली पांच से सात दिन पश्चात पहुंच रहे हैं । जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश फ ल मार्ग में सड़ जाते हैं और फल विक्रेताओं से प्रतिदिन लाखों रुपये की हानि उठानी पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) यद्यपि केलों/संतरों से लदे अधिकतम माल डिब्बे गंतव्य स्थान पर परिवहन में लगने वाले निर्दिष्ट समय के भीतर नहीं पहुंचे तथापि 73 में से 52 स्पैशल गाड़ियां पांच दिन के भीतर पहुंच गयीं ।

(ख) संतरे/केले के माल डिब्बों के संचलन पर निगरानी बड़ी कर दी गयी है ताकि विलम्ब न हो ।

भारतीय रेलवे के वेतन बिलों में वृद्धि

7897. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1973, 31 मार्च, 1974 तथा 31 मार्च, 1975 को भारतीय रेलवे में जोनवार रेलवे बोर्ड और आर० डी० एस० ओ०, डी० एल० डब्ल्यू०, सी० एल० डब्ल्यू० तथा आई० सी० एफ० के वेतन बिलों की राशि कितनी-कितनी थी ;

(ख) उक्त यूनिटों में से प्रत्येक यूनिट के बिल में पृथक्-पृथक् निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत वर्षवार कितनी कितनी वृद्धि हुई है ;

(1) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश पर ;

(2) अतिरिक्त पद बनाये जाने पर तथा नयी भर्ती पर;

(3) पदों के ग्रेड बढाने तथा पदोन्नतियों पर;

(4) यात्रा भत्तों पर ; और

(5) समयोपरि भत्तों पर;

(ग) क्या वेतन बिलों में यह वृद्धि अतिरिक्त रेल डिब्बे/गाड़ियों तथा नई रेल लाइनों जसी नई आस्तियों में भी परिलक्षित होती है ; और

(घ) यदि हां, तो नई आस्तियों के निर्माण की जोनवार सूची क्या है और क्या इसके परिणाम-स्वरूप कार्य संचालन कुशलता में भी कोई सुधार हुआ है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बटा सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—9557/75]**

गैर-सरकारी क्षेत्र की बड़ी बड़ी निगमित कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी, आस्तियां, उत्पादन तथा कुल लाभ

7898. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग गैर-सरकारी क्षेत्र की 101 बड़ी बड़ी निगमित कम्पनियों के कार्यकरण का कोई नियमित रिकार्ड रखता है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रत्येक बड़ी कम्पनी को वर्ष 1960-61, 1967-68 तथा 1973-74 (अथवा 1972–73 यदि वर्ष 1973–74 के आंकड़े उपलब्ध न हों) के दौरान प्रदत्त पूंजी, कुल आस्तियां, उत्पादन तथा कुल लाभ कितना-कितना रहा है ; और

(ग) वर्ष 1960–61, 1967–68 तथा 1973–74 के दौरान समूचे निगमित गैर-सरकारी क्षेत्र की कुल आस्तियों, लाभों तथा उत्पादनों में इन 101 कम्पनियों का कितना अंश रहा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) कम्पनी कार्य विभाग गत कुछ वर्षों से प्रत्येक एकान्तर वर्ष वृहद् आकार की कम्पनियों के वित्तीय आंकड़ों का संकलन कर रहा है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—9558/75]** इस संकलन के अन्तर्गत 101 भीमकाय निगम आते हैं। 1973–74 के वर्ष के आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है।

(ख) 1972–73 तथा 1967–68 के वर्षों में परिसम्पत्तियों की मात्रा के अनुसार 101 शीर्षस्थ कम्पनियों में से प्रत्येक की प्रदत्त पूंजी का मूल्य, कुल परिसम्पत्तियां, बिक्री/मुख्य आय, करों से पहले लाभ, क्रमश: विवरण पत्र 1 व 2 [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—9558/75] में प्रदर्शित किये गये हैं। 1960–61 के वर्ष की इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) 31–3–1974 तक देश में 37735 गैर-सरकारी, गैर-बैंकिंग कम्पनियां कार्यरत थीं। कम्पनी कार्य विभाग द्वारा इन कम्पनियों की 1967–68 व 1972–73 में कुल परिसम्पत्तियों, लाभ तथा व्यापारावर्त की गणना नहीं की गई है, क्योंकि इसके लिये 37,000 से ऊपर कम्पनियों से सम्बन्धित आंकड़ों की गणना करनी पड़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप अत्याधिक समय एवं श्रम लगेगा। अत: सम्पूर्ण निजी निगम क्षेत्र की कुल परिसम्पत्तियों, लाभों व व्यापारावत में इन 101 कम्पनियों का भाग नहीं बताया जा सकता।

कम टन-मात्र में तथा अधिक रुपये-मूल्य वाली औषधों का उत्पादन करनेवाली बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियां

7900. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान भारत में कार्य कर रही बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों ने कम टन-मात्रा में तथा अधिक रुपये मूल्य वाली औषधों के उत्पादन पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है जबकि सरकारी क्षेत्र के एककों ने देश में अधिक टन-मात्रा में तथा कम रुपये मूल्य की औषधों का निर्माण किया है ;

(ख) क्या महत्वपूर्ण औषधों के कुल उत्पादन में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अंशदान 8 प्रतिशत से अधिक नहीं है और अमीबियासीस मलेरिया, तपेदिक, चर्म रोगों तथा अन्य स्थानिक कर्मचारियों के उपचार के लिये आवश्यक औषधों के उत्पादन में उनका योगदान उल्लेखनीय नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने महत्वपूर्ण औषधों का तथा उपरोक्त (ख) भाग में वर्णित औषधों का वस्तुत: कितना-कितना उत्पादन किया और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) यह लगभग सही है। कुछ विदेशी कंपनियां अधिक टनों में उत्पादन कर रहे हैं।

(ख) संगठित क्षेत्र के 5300 मी० टन के कुल उत्पादन की तुलना में वर्ष 1973 के अन्तर्गत विदेशी फर्मों द्वारा लगभग 19 करोड़ रुपये के मूल्य की 6000 मी० टन एन्टीबायोटिक और सिन्थेटिक्स औषधों का उत्पादन किया गया है इसलिये देश में वर्ष 1973 में भारत के हिसाब से प्रपुंज औषधों के कुल उत्पादन में उनका योगदान 12 प्रतिशत से कम था। उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा अमीबोसिस (ऐन्टीडाइसेन्ट्री), मलेरिया (मलेरिया अवरोधी), ट्यूबरक्लोसिस (टी० बी० अवरोधी), बार्मस होर्मिन्टीक्स अवरोधी, एन्टीफिलेरियल एण्ड एन्टीबायोटिक्स के लिए एण्टीडीसेन्ट्री औषधों का उत्पादन निम्नलिखित था।

श्रेणी	यूनिट	सरकारी क्षेत्र		पूर्ण स्वामित्व और 50% तक विदेशी साम्य पूंजी वाली फर्में		भागीदारी वाली भारतीय फर्में		50 % से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली फर्में	
		1973	1974	1973	1974	1973	1974	1973	1974
एन्टी डाइसेन्ट्री . . .	टी	शून्य	शून्य	85.62	151.61	28.70	31.09		
एन्टीमेलेरियल्स . . .	टी	29.02	एन ए	6.01	5.94	29.21	30.80		
एन्टी टी–बी . .	टी	144.61	78.27	315.64	276.47	169.64	121.99		
एन्टी हेलमिन्टीक्स .	टी	66.53	63.31	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
एन्टीफिफ्लेरियल . .	टी	शून्य	शून्य	1.04	2.16	6.61	0.13		
एन्टीबायोटिक्स :									
(i) पेनसिलिन .	एम एम यू	136.68	127.07	110.642	128.229	—	—		
(ii) अन्य . . .	मी०टन	120.25	130.89	110.52	109.82	89.39	98.81		

(ग) एक विवरण पत्र संलग्न है [**ग्रंथालय में रखा गया । दखिए संख्या एल० टी०—9559/75**] जिसमें गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी अधिकांश पूंजी वाली विभिन्न कम्पनियों द्वारा **उक्त (ख)** के अन्तर्गत प्रपूंज औषधों का उत्पादन शामिल है। आई डी पी एल द्वारा ऐन्टीहेल्मिन्टिक्स का संपूर्ण उत्पादन (पाइपराजिन और इस का क्षार) किया जाता है।

कालका स्टेशन पर स्थानांतरित हुए पार्सल क्लर्कों द्वारा जमा की गई आस्तियां

7901. **श्री लालजी भाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 330–560 रुपये (पुनरीक्षित वेतनमान) के ग्रेड वाले कुछ पार्सल क्लर्कों को दिसम्बर, 1974 में प्रशासनिक कारणों स नई दिल्ली स्टेशन से कालका स्टेशन पर स्थानान्तरित कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हीं कर्मचारियों ने अपनी घोषित आय के स्रोतों से कहीं अधिक आस्तियां जमा कर ली है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या प्रशासन का विचार इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी हां, एक पार्सल क्लर्क को स्थानांतरित कर दिया गया है ।

(ख) दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें से एक छद्म नाम से थी । उनमें यह आरोप लगाया गया था कि पार्सल क्लर्क ने काफी धन संचित कर लिया है । इस आरोप के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच का कार्य शुरू कर दिया है और जांच अभी हो रही है ।

(ग) प्रारंभिक जांच के परिणाम के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की वांछनीयता पर विचार किया जायेगा ।

भारतीय समुद्री सीमा में तेल वाले क्षेत्र (जोन)

7902. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय समुद्री सीमा में तथा समुद्री सीमा के समीप तेल वाले कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं ;

(ख) समुद्री सीमा के समीप तेल निकालने के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार क्या सुरक्षण है ; और

(ग) समुद्र के भीतर की उन रक्षित निधियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) हमारे अपतटीय क्षेत्रों में अब तक तेल बम्बई हाइ में पाया गया है । जब तक अन्य अपतटीय क्षेत्रों में व्यधन कार्य तथा परीक्षण आरंभ नहीं किए जाते, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि वे मुख्य तेल युक्त क्षेत्र सिद्ध होंगे । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 297 के अंतर्गत, समस्त भूमि, जल सीमा क्षेत्र के समुद्र या भारतीय महाद्वीपीय मग्नतट के नीचे छिपी हुई मूल्यवान वस्तुएं संघीय सरकार में निहित होगी तथा संघीय सरकार के कार्यहेतु निहित होगी । उप-समुद्री भण्डारों के संरक्षण हेतु जब और जहां कहीं भी आवश्यक हो पर्याप्त एहतियाती कदम उठाय जाएंगे ।

कलकत्ता भूमिगत रेलवे की वर्तमान स्थिति

7903. **श्री रानेन सेन :**
श्री के० एम० मधुकर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता भूमिगत रेलवे के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि अब तक किये गये समझोते के अनुसार इस परियोजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सोवियत संघ की सहायता पर्याप्त नहीं होगी ; और

(ग) यदि हां, तो आवश्यक उपकरणों को अर्जित करने संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या वैकल्पिक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ताकि यह परियोजना निर्धारित समय के अनुसार पूरी हो सके ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) काम हो रहा है । 1975–76 के बजट में 8.4 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी है।

(ख) जी हां ।

(ग) सोवियत संघ आयात संबंधी आवश्यकताओं का लगभग 62 प्रतिशत सप्लाई करने की स्थिति में नहीं है । चूंकी महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) कलकत्ता की आयात सबंधी आवश्यकताओं के लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्री की आवश्यकता है, अत: सरकार इस बात पर सक्रीय रुप से विचार कर रही है कि इन आवश्यकताओं के अधिकतम संभाव्य सीमा तक उपर्युक्त ऋण स्त्रोतों से पूरा किया जाये । बशर्ते कि परियोजना के लिए रूपयों में पर्याप्त धन उपलब्ध करा दिया जाये ।

झालवाड़ सिटी और झालवाड़ रोड रेलवे स्टेशन के बीच रेल सम्पर्क सम्बन्धी सर्वेक्षण

7904. **श्री बनमाली बाबू :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री भागीरथ भंवर :
श्री धनशाह प्रधान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार झालवाड़ सिटी का झलवाड़ रोड रेलवे स्टेशन के साथ सम्पर्क करने के लिये कोई प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पेट्रोल में मिलावट के मामले

7905. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश भर में पेट्रोल में मिलावट के मामले बढ़ते जा रहे हैं ;

(ख) क्या भारतीय उपभोक्ता परिषद ने इस संबंध में कोई विशिष्ट शिकायतें की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

M/s. Gluconate Limited, Calcutta

†7906. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether there is a drug manufacturing company known as Gluconate Limited, in Calcutta ;

(b) if so, whether drugs used for Kala-Zar and some other serious diseases were manufactured by the said company;

(c) whether this company has been lying closed since November, 1974; and

(d) the action taken by Government to reopen it?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c) The main bulk drugs and formulations produced by the company are :

1. Acriflavine
2. Fuflavine
3. Pethidine Hcl.
4. Proflavine Hcl.
5. Pentavalent Antimony
6. Blood-Bottles
7. Alkacitron.

The production of various products of the company came to a gradual stop in 1974.

(d) The matter is being considered in consultation with the Government of West Bengal.

धनबाद डिवीजन (पूर्व रेलवे) के गुरपा के निकट रेल दुर्घटना

7907. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे पर धनबाद डीवीजन में गुरपा के निकट 3 मार्च, 1975 को एक गम्भीर रेलवे दुर्घटना हुई थी जिसमे बिजली के इंजन सहित लोहे से भरे 67 माल डिब्बे पटरी से उतर गये और उलट गये जिससे गाडियों के आतागमन पर बहुत अधिक प्रभाव पडा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में 80 प्रतिशत निर्धारित सक्रिय ब्रेक क्षमता की व्यवस्था थी ;

(ग) गत तीन वर्षों में गुरपा के निकट नियंत्रण के फेल हो जाने के कारण रेलवे दुर्घटनाएं होने के क्या विशिष्ट कारण हैं और यदि प्रत्येक मामले में दुर्घटना में सार्वजनिक धनराशि की कितनी हानि हुई ; और

(घ) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, । इस दुर्घटना में 31 मालडिब्बे पटरी से उतर गये थे ।

(ख) जी नही । किन्तु गाडि में 73 प्रतिशत सक्रिय ब्रेक शक्ति की व्यवस्था थी ।

(ग) पिछले 3 वर्षों अर्थात 1972–73, 1973–74 और 1974–75 मे ऐसे केवल दो मामले हुए अर्थात् 27–12–1974 को दो मालगाड़ियों की टक्कर हुई और 3–3–1975 को एक मालगाड़ी पटरी से उतर गयी ।

27–12–1974 की टक्कर का कारण यह था कि ई० सी० 203 अप मालगाड़ी का ड्राइवर हेवी डाउन ग्रेडपर गाड़ी को नियंत्रण में रखने में विफल रहा और उसने इस खंड के लिए निर्धारित 32 कि० मी० प्रति घंटा की प्रतिबंधित रफ्तार के नियम का उल्लंघन किया था । उसने अप होम सिगनल के खतरे के संकेत की अवहेलना की और गाड़ी ई० सी० 595 अप मालगाड़ी के लदे हुए भाग के पीछे जा टकरायी ।

3–3–1975 को पटरी से उतरने की घटना की जांच पूरी नहीं हो पायी क्योंकि ड्राइवर बीमार है और गवाही देने में असमर्थ है ।

(घ) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए रनिंग कर्मचारियों के लिए व्यापक शैक्षणिक अभियान चलाया गया है जिसमें यह बताया जाता है कि नामित खंडों पर ब्रेक पावर के परीक्षण की भारी आवश्यकता है और आगे के घाट खंड़ों पर कमजोर ब्रेक-पावर के मामले बुक किये जाने चाहिये तथा गहरे ढलानों वाले खंडों पर 32 कि०मी० प्रतिघंटा की प्रतिबन्धित रफ्तार का पालन किया जाना चाहिए । प्रारंभिक यार्डों से भी ब्रेक पावर में सुधार किया जा रहा है । गुरुपा स्टेशन के कार्य संचालन नियमों म भी संशोधन किया जा रहा ताकि निचले ढलानपर समय रखनेवाली गाडी के यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगले स्टेशन तक उसे सीधे जाने की अनुमति दे दी जाती है ।

असावती स्टेशन से मासिक सीजन टिकटें जारी करना

7903. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असावती स्टेशन से प्रतिदिन दिल्ली आने वाले यात्रियो को प्रातः 9 बजे से पूर्व मासिक/सीजन टिकटें जारी करने की कोई व्यवस्था नही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है, विशेषतया जबकि वहां से अन्तिम गाडी प्रात . 8. 2 बजे चलती है ; और

(ग) समय में परिवर्तन करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे कि हजारों दैनिक यात्रियों को सुविधा हो सके ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) असावती रेलवे स्टेशन पर प्रातः 9.00 बजे से पहिले सीज़न टिकट जारी किये जाने की व्यवस्था है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Payment of Sixth Instalment to the Depositors by Globe Motors

†7909. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) when the Globe Motors were to pay the sixth instalment to their depositors

(b) whether they have failed to do so; and

(c) if so, the efforts being made by Government to ensure the payment of sixth instalment to their depositors immediately?

The Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua) : (a) and (b) According to information obtained by the Registrar of Companies, Delhi from M/s. Globe Motors Limited the company was to commence payment of sixth instalment to its depositors on 22-2-1974, which the company has not done so far.

(c) The payments are being made under a scheme of arrangement sanctioned by the Delhi High Court, and it is the Court which has to ensure compliance of its order. The company is stated to have filed an application seeking extension of time for completing the payment of fifth instalment and the High Court has granted exstension of time upto 31st July, 1975. The sixth instalment is payable upto a priod of two years from the completion of payment of fifth instalment according to the order of the said High Court.

ऊंचे ग्रेड वाले नये पद बनाये जाने पर अतिरिक्त व्यय

7910. **श्री शरद यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे के नौ जोनों में हाल में ऊंचे ग्रेडों में लगभग सौ नये पद बनाए गये है ;

(ख) क्या साथ ही सभी रेलवे जोनों में मितव्ययिता के नाम पर निम्न स्तर पर छटनी की गयी है ;

(ग) क्या ऊंचे ग्रेड के पदों पर इन अधिकारियों के वेतनों, यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्तों पर 3.25 करोड़ रूपये का अधिरिक्त व्यय होगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो अतिरिक्त व्यय का सही अनुमान क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) क्षेत्रीय रेलो पर पिछले छः महीनों के दौरान विभिन्न अवधि के लिए प्रशासनिक ग्रेड के 21 पदों का सृजन किया गया है ।

(ख) किसी नियमित रेल कर्मचारी की छंटनी नहीं की गयी है क्योकि सरकार की नीति कर्मचारियों की छंटनी करने की नहीं बल्कि फालतू कर्मचारियों को वैकल्पिक पदों पर लगाने की है । लेकिन नैमतिक श्रमिकों को, जिन्हें मौसमी निर्माण कार्यों, परियोजनाओं आदि के लिए रखा जाता है , काम समाप्त होने पर छुट्टी कर दी जाती है ।

(ग) और (घ) अतिरिक्त पदों के वेतन पर प्रतिमाह लगभग 37,000 रु० खर्च आता है । यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्तों पर अतिरिक्त खर्च मामूली सा होता है ।

डी० सी० एम० के कोटा स्थित संयंत्र में उर्वरकों का जमा हो जाना

7911. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री राम सहाय पांडे :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० सी० एम० के कोटा स्थित संयंत्र में भारी मात्रा में उर्वरक जमा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : दिल्ली क्लाथ मिल्स ने बताया है कि 25–4–75 को उनके कोटा स्थित उर्वरक संयंत्र में लगभग 21000 मी० टन यूरीया का स्टाक था। स्टाक का जमाव मुख्य रूप से कुछ राज्यों को आवंटित मात्रा को न उठाने के कारण हुआ है ।

धनबाद डिवीजन में रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि

7912. **श्री भोला मांझी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद डिवीजन (पूर्व रेलवे) में जून 1974 से प्राय : प्रतिदिन रेल दुर्घटनाएं घटित हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो धनबाद डिवीजन में जून, 1974 से 5 मार्च , 1975 तक का अवधि में होने वाली रेल दुर्घटनाओं का ब्योरा क्या है ;

(ग) दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं, प्रत्येक मामलें में जान तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति की कितनी हानि हुई और दोषी पाये गए अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ,

(घ) 1973–74 की उसी अवधि में कितनी दुर्घटनाएं हुई ; और

(ड़) दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि के क्या कारण है।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) 1-6-1974 से 5-3-1975 तक की अवधि में पूर्व रेलवे के धनबाद मंडल में गाडियों के टक्कर की 2 और पटरी से उतरने की 8 घटनाएं हुई। इन दुर्घटनाओं में कोई सवारी गाडी ग्रस्त नहीं हुई थी। समपार पर दुर्घटना तथा गाडि में आग लगने की कोई घटना नहीं हुई ।

(ग) गाड़ियों की टक्कदर की 1 और पटरी से उतरने की 5 घटनाओं में 9 रेल कर्मचारी दोषी पाये गए इन कर्मचारियों को दण्ड देने के लिये अनुशासन और अपील नियमों के अंतर्गत जांच का काम जारी है । गाडियों के टक्कर के दूसरे मामले में रेलवे संरक्षा के अपर आयुक्त की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है । पटरी से उतरने की दो घटनाएं यान्त्रिक उपस्कर की खराबी के कारण हुई थी और एक घटना रेलकर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की गलती के कारण हुई थी ।

गाडियों की टक्कर के फलस्वरूप 15 रेलकर्मचारी मारे गये । दूसरी टक्कर और पटरी से उतरने के मामलों में कोई जन-हानि नहीं हुई ।

गाडियों की टक्कर के दो मामलों में रेल सम्पत्ति को अनुमानत: लगभग 5,67,300 रू० की क्षति पहुंची और पटरी से उतरने के मामलों में अनुमानत : लगभग 16,19,735 रू० की हानि हुई ।

(घ) 1973–74 की इसी अवधि में गाडियों की टक्कर की 3 और पटरी से उतरने की 2 घटनाएं हुई थी ।

(ङ) दुर्घटनाओं में यह वृद्धि मुख्यत: ड्राइवरों की गलती के कारण हुई है ।

राज्यों की भट्टी तेल सम्बन्धी आवश्यकता एवं इसकी उपलब्धता

7914. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष की प्रत्येक तिमाही में विभिन्न राज्यों की भट्टी तेल संबंधी आवश्यकता एवं इसकी उपलब्धता का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ;

(ख) चालू वर्ष की प्रथम तिमाही में इन राज्यों को भट्टी तेल का कितना कोटा दिया गया; और

(ग) चालू वर्ष के शेष भाग में इसकी पूरी आवश्यकता की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) , (ख) उन लघु उद्योगों/राज्य सरकार प्रयोजनाओं जो किसी केन्द्रीय उत्तरदायी अधिकारि के साथ पंजीकृत नहीं जिसके लिये राज्य सरकारों/संघ शामिल प्रदेशों को वार्षिक आधार पर विशिष्ट कोटे दिए गए है तथा जिनका संचालन राज्यों के उद्योग निदेशकों द्वारा किया जाता है की आवश्यकताओं को पूरा करने को छोडकर भट्टी के तेल का आबंटन राज्य-वार आधार पर नहीं किया जाता है ।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत करने हेतु उद्योगों को भट्टी के तेल की सप्लाई भट्टी के तेल की स्थायी समिति द्वारा किए गए आंबटन के आधार पर की जाती है ।

मैसर्स इन्डोफिल का उत्पादन

7915. **श्री सोमचन्द्र सोलंकी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गत तीन वर्षों में मैसर्स इन्डोफिल के उत्पादन की मुख्य बातें क्या हैं, उत्पादन की मदें कौन सी है, लाईसेंस प्राप्त क्षमता कितनी है और वर्तमान उत्पादन कितना है ;

(ख) इस फर्म के साथ हुये करारों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) फर्म के निदेशकों के नाम क्या हैं तथा उनके वेतन तथा परिलब्धियां क्या हैं ; और

(घ) क्या इस कम्पनी में उनके मत्रालय के किसी भूतपूर्व कर्मचारी को, जिसने औदयोगिक स्वीकृतियां प्राप्त कराने में फर्म की सहायता की थी , रोजगार प्राप्त है और यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1972–73 और 1974 में इन्डोफिल द्वारा निर्मित मदें उनकी क्षमता और उत्पादन निम्न प्रकार था :

(मीटरी टनों में)

निर्माण की मदें	लाइसेंस क्षमता	उत्पादन		
		1972	1973	1974
डीथेन फनगीसाईड्ज स्टाम टोक कैल्येन, केराचेन, तथा डिफार पर आधारित सूत्रयोग	2600	148	268	308
2. एफीलिक इमलशन रेजिन	1,000	516	506	639
3. सैन्थैटिक अैनिग लजेंट	1,200	78	72	126
4. इपोसी आयल प्लास्टीसाइर्स	800	61	107	69

मैसर्स इण्डोफिल को स्टाम, टोक जैसे उच्चकोटी के अपतृणा नाशक के निर्माण के लिए भी औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है और लाईसैंस कार्यान्वियनाधीन है ।

(ख) भारत में इण्डोफिल की नई कम्पनी की स्थापना के लिए मैसर्ज अमृतिलाल प्राईवेट लि० और अमेरिका की मैसर्ज रोहम एण्ड कम्पनी के बीच सहयोग के मुख्य शर्तें निम्नप्रकार है:

(i) कम्पनी की इक्वटि पूंजी का 57/20% से भी अधिक रोहम एण्ड हास कम्पनी पिलाडलफिया यू० एस० ऐ० के पास नहीं होगी ।

(ii) रोहम एण्ड हास कम्पनी को कोई राईलटी या डिलाइनिंग और इन्जिनियरिंग फीत नहीं दी जायगी ।

(iii) आयात की जाने वाले उपकरण की लागत (23 लाख रुपये से अधिक नहीं) को विदेशी लागत से पूरा किया जायेगा और यदि कुछ शेष हुआ तो रोकड विदेशी मुद्रा में लाभ लाया जायेगा

(iv) तकनीशियों के वेतन तथा अन्य व्यय का भारत में रूपयों से भुगतान किया जायेगा ।

(ग) कम्पनी के वर्तमान निदेशको के नाम निम्नप्रकार है :

श्री जे० आर रावरनर (निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष)

श्री ऐ० एल० वालाश (प्रबन्ध निदेशक)

श्री वी० एल० ग्रीगोरी

श्री टी० एम० सेन (वी० एल० गोगरी के स्थान पर)

श्री डी० एल० फैली

श्री आर० र० शाह (डी० एल० फैली के स्थान पर)

श्री के० के० मोदी

श्री एम० के० मोदी

श्री वालश और श्री सेन पूरे समय के लिये निदेशक है जिनकी नियुक्ति का सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया है । उनके वेतन तथा परिलब्धियां निम्नप्रकार है :—

(1) श्री ऐ० एल० वालश कनिष्ठ प्रबन्धक निदेशक 1–1–74 से 26–5–75	वेतन 7500 रुपये प्रति मास और कम्पनी के नियमों के अनुसार बोनस तथा प्रावीडैन्ट फंड सेवा निवृत्ति फंड, ग्रेचुटी, चिकित्सा अनुलाभ, गमन अनुलाभ अवकाश, यात्रा रियायत, फर्निशड् निवास स्थान, कार का निशुल्क उपयोग, निवास स्थान टेलीफोन और दो क्लबों की फीस ।
(2) श्री टी०एम०सेन पूरे काल के निदेशक 8–5–1970 से 5 वर्षों के लिये ।	वेतन 3,200 रुपये, वार्षिक वृद्धि जो 500 से अधिक नहीं होगी जिसका निदेशक बोर्ड निर्णय करेगा और कम्पनी के नियमोक और कम्पनी के नियमों अनुसार बोनस तथा प्रावीडैट फंड तथा अन्य अनुलाभ चिकित्सा अनुलाभ अवकाश यात्रा रियायत, निवास स्थान, टेलीफोन, ड्राईवर के साथ कार, एक क्लब का चदा और व्यक्तिगत दुर्घटना, पोलीसी की परिलब्धिया

(ध) इस मंत्रालय के एक भूतपूर्व कर्मचारी की 1969 के अन्त में इस कम्पनी में सरकार की अनुमति प्राप्त कराने के उपरान्त नियुक्ति हुई थी । अनुमति प्रदान करते समय कम्पनी की इस मंत्रालय के साथ सम्पर्क को ध्यान में रखा गया था और यह देखा गया कि इस कर्मचारी की जो सेवा निवृत्ति से पहले के अवकाश पर था इस मन्त्रालय में वापिस आने तथा अपनी सरकारी स्थिति को कम्पनी के नियुक्ति प्राप्ति करने के लिए समझौते में प्रयोग करने की सम्भावना नहीं थी ।

दिल्ली और वाराणसी के बीच रायबरेली और प्रतापगड होते हुए तेज पैसेंजर गाड़ी चलाना

7916. श्री राजदेव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और वाराणसी के बीच नई चलाई गई 157–अप और 158– डाउन पैसेंजर गाड़ियों रायबरेली और प्रतापगढ़ से होकर गुजरेंगी ;

(ख) क्या पिछडे क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों , नगरों और जिला मुख्यालयों से होकर लखनउ और वाराणसी को जोड़ने वाले दो और अन्य छोटे मार्ग हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त भाग (क) में उल्लीखित मार्ग चुनने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय म उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । लखनउ और वाराणसी को जोडनेवाला केवल एक छोटा मार्ग है जो सुल्तानपुर होकर है ।

(ग) राय बरेली और प्रतापगढ़ मार्ग पर होने वाले यातायात को देखते हुए तथा सुल्तानपुर मार्ग पर माल यातायात के संचलन के हितों में, 157/158 नई दिल्ली वाराणसी एक्सप्रैस राय बरेली और प्रतापगढ़ के रास्ते चलायी जा रही है ।

महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में लम्बित मामले

7917. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में इस समय कितने मामले लम्बित हैं ;

(ख) उक्त न्यायालय द्वारा प्रतिवर्ष औसतन कितने मामले निपटाये गये ;

(ग) क्या महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में निर्धनों को कानूनी सहायता की सुविधाएं प्रदान की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) 31–12–74 को मुम्बई उच्च न्यायालय में 46,022 मामले लम्बित थे ।

(ख) 1972, 1973 और 1974 के दौरान मुम्बई उच्च न्यायालय में एक वर्ष में औसतन 29,255 मामले निपटाए गए हैं ।

(ग) और (घ) हमारी जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार के पास ऐसे पिछडे वर्गों के सदस्यों को जिनकी वार्षिक आय 1800/– रु० से अधिक नही है, सिविल कार्यवाहियों या दांडिक कार्यवाहियों या मामलतदार न्यायालय अधिनियम, 1906 के अधीन ऐसी कार्यवाहियों में, जो बृहत्तर मुम्बई के बाहरवाले क्षेत्रों के निचले न्यायालयों के विनिश्चय के विरुद्ध मुम्बई उच्च न्यायालय में अपील या पुनरीक्षण में की जाती है, सरकार के खर्च पर कानूनी सहायता देने की एक स्कीम है ।

बिड़ला गृह द्वारा शा वालेश एण्ड कम्पनी को अपने नियंत्रण में लेने के लिए किया गया प्रयास

7918. **श्री मधु लिमये** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को आल इंडिया शा वालेस एम्पलाईज फेडरेशन से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें बिड़ला गृह द्वारा कम्पनी की अपने नियत्रण में लेने के लिए किए जा रहे प्रयास के बारे में कहा गया है ;

(ख) इंडिया स्टीमशिप कम्पनी का विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के मामले का लंदन में शा वालेस को अपनी नियंत्रण में लेने के प्रयास से कहां तक संबन्ध है ; और

(ग) बिड़ला एकाधिकारी गृह द्वारा इस महत्वपूर्ण कम्पनी को अपने नियंत्रण में लेने से रोकने के लिए कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) हां, श्रीमान जी ।

(ख) विभाग को कोई सूचना नहीं है ।

(ग) जबकि विभाग को आरोपित नियंत्रण में लेने के प्रतिक्रोश की बाबत कोई सूचना नहीं है, फिर भी यह उल्लेनीय है कि कम्पनी विधि बोर्ड ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 250 (4) के अन्तर्गत यह निर्देशित देते हुये दिनांक 18–12–1972 को एक आदेश पारित किया

था कि मै० आर० जी० शा एण्ड कम्पनी लि०, मै० शा डर्बी एण्ड कम्पनी लि०, मै० शा स्काट एण्ड कम्पनी लि०, एवं, मै० थामस राइस मिलिंग कम्पनी लि० द्वारा इस कम्पनी में धारित साम्य हिस्सों का कोई हस्तांतरण तीन वर्ष की अवधि तक लागू नहीं होगा ।

औषध फर्मों द्वारा उत्पादन क्षमता का बढ़ाया जाना

7919. **श्री वयालार रवि** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे औषध फर्मों के नाम तथा संख्या क्या है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि की है ; और

(ख) ऐसे मामलों की मुख्य बातें क्या हैं जहां उनको नियमित कर दिया गया है तथा गैर-नियमित एककों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) संगठित क्षेत्र के विभिन्न औषध फर्मों ने गत तीन वर्षों में अपनी घटी हुई क्षमता के संबंध में जो वृद्धियां की हैं उसके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी । औषधों के आधिक्य उत्पादन के प्रश्न की जांच हाथी कमेटी द्वारा अपनी 6-4-1975 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर की जाएगी ।

क्षेत्रीय प्रयोगशालायें स्थापित करने का प्रस्ताव

7920. **श्री एस० ए० मुरुगन्तम** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छोटे औषध एककों की सहायता करने के लिए देश में क्षेत्रीय प्रयोगशालायें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा स्थापित औषध और भेषज के कार्यकारी दल ने 1973 में पेश की अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि 1 करोड़ रुपये/प्रतिवर्ष से कम बिक्री वाले औद्योगिक यूनिटों की मदद करने के लिये पांच राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की जानी चाहिए कि विषाक्तता और जैव उपलब्धता के लिए उनको अपने स्वकीय सूत्रयोगों के परीक्षण का विकास करने में मदद करें, उचित प्रयास के उत्पादकों का विकास करने और अपने विद्यमान प्रेसेसों को सुधार का विकास करें । यह सिफारिश विज्ञान और प्रौद्गिक विभाग और अन्य सम्बन्धित विभागों/मन्त्रालयों के साथ परामर्श से विचाराधीन है ।

भारत में तट-दूर छिद्रण कार्य के लिए फ्रांसीसी सहायता

7921. **श्री हरी सिंह** :

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस ने हमारे बेश में तट-दूर छिद्रण कार्य के लिये सहायता देना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां तो इसके लिये क्या क्या शर्तें पेश की गई हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) और (ख) आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग पर इण्डो-फ्रेंच इंधयन दल ने फ्रेंच संस्थाओं हाल ही में अपटीय तेल की खोज के लिए फ्रेंच संस्थाओं से सहायता प्राप्त हो सकने की संभावना व्यक्त की है और अनुभव किया है कि दोनों देशों के बीच व्यधन एवं उत्पादन प्लेट फार्मों के लिए सहयोग की सम्भावना है । तथापि अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं हुए ।

सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव

7922. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसी सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी नियुक्ति विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुकूल हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी): (क) और (ख) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में किसी सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं ।

Catering Contractors on Western Railway

†7923. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names and the addresses of the catering contractors working on the various stations on the Western Railway; and

(b) since when they have been working?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) & (b) Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha after it is compiled.

Class I and Class II Officers on Railway

†7924. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of Class I and II officers in the Railways in 1964 and at present;

(b) the amount being paid at present to the Class I and II officers towards their salaries and other benefits and how does it compare with that paid in 1964; and

(c) the benefits being given at present to these officers and the expenditure being incurred by the Railway thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a), (b) and (c) The requisite information for the years 1963-64 and 1973-74 (latest available) is as under :

	1963-64	1973-74
Number of Class I and II officers as on 31st March	5,785	8,763*
Wage bill including Dearness Allowances, Travelling Allowances, City Compensatory Allowances etc. (In crores of rupees)	5·99	12.53
Retirement benefits (In crores of rupees) . . .	0.64	1.22

(*This includes about 1,800 posts of Assistant Surgeons upgraded to Class II with effect from 1-1-1966).

सल्फ्यूरिक एसिड का विक्रय मूल्य

7925. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन शुल्क तथा अन्य शुल्कों सहित सल्फ्यूरिक एसिड का औसत फक्ट्री बाह्य विक्रय मूल्य कितना रहा है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र और गुजरात की तुलना में पश्चिम बंगाल में सलफूरिक एसिड का फैक्टरी बाह्य मूल्य बहुत अधिक है यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा केन्द्रीय सरकार ने मूल्य कम करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सल्फूरिक एसिड का कोई कारखाना देश में उपलब्ध आयरन-पायराईट्स का प्रयोग कर रहा है और यदि हां, तो उस कारखाने का नाम क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान उसमें वास्तव में कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायगी ।

(ग) भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक का सल्फ्यूरिक ऐसिड प्लांट, बिहार में इस मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रम पाइराईट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि० को अमझोर की खानों से प्राप्त लोहा पाइराईटस पर आधारित है। इस प्लांट का पिछले तीन वर्षों में सल्फ्यूरिक ऐसिड का उत्पादन निम्न प्रकार था ।

वर्ष	उत्पादन (मीटरी टन)	विशेष
1972	—	संयंत्र परीक्षणाधीन है
1973	35,492	
1974	31,644	

डी० डी० टी० का आयात तथा उसका उत्पादन

7926. श्री बेकारिया : क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा क रेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० टी० का आयात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में डी०डी० टी० का आयात किया जा रहा है ; और

(ग) उसी अवधि में भारत में कितनी मात्रा में डी० डी० टी० का उत्पादन किया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां ।

(ख) डी० डी० टी० (तकनीकी) और डी० डी० टी ० 75 प्रतिशत का वर्ष 1973–74 और 1974–75 के दौरान किया गया आयात निम्न प्रकार था :—

मात्रा (मी० टनों में)

	1973–74	1974–75
डी० डी० टी० तकनीकी	3251	3745
डी० डी० टी० 75 प्रतिशत	3807	4384

(ग) वर्ष 1973–74 और 1974–75 के दौरान डी० डी० टी० तकनीकी का स्थानीय उत्पादन क्रमशः 3442 मीटरी टन और 3668 मीटरी टन था । अपेक्षित सूत्रयोगों का उत्पादन, आयातित और देशीय तकनीकी डी० डी० टी० में से, किया गया था ।

वर्तमान तेल शोधक कारखानों में स्वदेशी अशोधित तेल का शोधन

7927. श्री पी० रंगनाथ शिनाय : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के वर्तमान तेल शोधक कारखानों में स्वदेश अशोधीत तेल का शोधन नहीं किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो स्वदेश अशोधित तेल का शोधन करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) और (ख) गुजरात और असम तेल से प्राप्त देशीय कच्चे तेल को गुजरात, असाम और बिहार की शोधनशालाओं में साफ किया जाता है ।

जहां तक बम्बई हाई से उत्पादित किए जाने वाले कच्चे देशीय कच्चे तेल का प्रश्न है, दो कूपों से अब तक उपलब्ध तेल का विश्लेषण करने पर यह संकेत मिले हैं कि यह कच्चा तेल अंकलेश्वर, कच्चे तेल के समान है इसलिए इसको कोयाली शोधनशाला में प्रक्रियान्वित किया जा सकता है । अन्य शोधन शालाओं में बम्बई हाई कच्चे तेल को प्रक्रियान्वित करने हेतु, संयत्रों में

तुलनात्मक रूप से केवल छोटे मोटे परिवर्तन तथा सुधार करने की आवश्यकता होगी । वर्तमान में बम्बई हाई कच्चे तेल का इष्टतम उपयोग का प्रश्न विचाराधीन है। बम्बई हाई क्षेत्र की पूर्ण रूप रेखा बना लेने तथा कच्चे तेल के आगामी ब्यौरे प्राप्त हो जाने से पूर्व, इसके परिष्करण संबंधी योजनाओं को वर्तमान में अंतिम रूप देना असामयिक होगा ।

नई दिल्ली स्टेशन के पार्सल क्लर्क के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

7928. **श्री महादीपक सिंह शाक्य** : क्या रेल मंत्री पार्सल क्लर्क के नई दिल्ली स्टेशन से कालका स्टेशन पर स्थानांतरण के बारे में 25 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4793 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उत्तर रेलवे के सतर्कता विभाग द्वारा इस पार्सल क्लर्क के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा कदाचार के कुछ और मामलों की जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों में इस पार्सल क्लर्क के विरुद्ध तीन शिकायतें मिली थीं जिनमें पहले दिये गये उत्तर में बतायी गयी एक शिकायत शामिल है ।

(ख) दो शिकायतों के सम्बन्ध में उत्तर रेलवे के सतर्कता विभाग द्वारा जांच पडताल पूरी हो गयी है और इनके फलस्वरुप पार्सल क्लर्क के विरुद्ध अनुशासन और अपील नियमों के अनुसार कार्रवाई शुरु कर दी गयी है । तीसरी शिकायत की जांच की जा रही है ।

(ग) इन मामलों को अन्तिम रूप देने के बाद पार्सल क्लर्क के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी ।

पंजाब में औद्योगिक एककों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की कमी

7929. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या पंजाब में अनेक मध्यम तथा छोटे पैमाने के औद्योगिक एकक मिट्टी के तेल, डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कमी के कारण बन्द होते जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है ।

(ख) उपरोक्त (क) ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

सूक्ष्म तरंग एकक तथा दूर संचार इन्स्पेक्टरों के पद पर अनुसूचित जाति के कर्मचारी

7930. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के प्रत्येक डिवीजन और सुक्ष्म तरंग एकक में प्रत्येक ग्रेड में कितने दूर संचार इंस्पेक्टर है ;

(ख) दक्षिण रेलवे के प्रत्येक डिवीजन तथा सूक्ष्म तरंग एकक में प्रत्येक ग्रेड में ऐसे कितने संचार इंस्पैक्टर है जिन्होंने एस० एस० एल० सी० परीक्षा पास की है ;

(ग) प्रत्येक ग्रेड में अनुसूचित जाति के कितने कर्मचारी है ;

(घ) क्या इस प्रत्येक ग्रेड में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का सांविधिक प्रतिशत रखा गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9560/75]**

(घ) और (ङ) 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों का और $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत अनुसूचित जन जातियों का आरक्षण कोटा एक वर्ष में भरी जानेवाली रिक्तियों के आधार पर आकलित किया जाता है न कि किसी संवर्ग के कुल कर्मचारियों की संख्या के आधार पर।

उच्चतम न्यायालय में 10 वर्ष से भी अधिक समय से लम्बित मामले

7931. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय में कुछ मामले दस वर्ष से भी अधिक समय से लम्बित हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं; और

(ग) इनके कब तक निपटाए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कलकत्ता में ट्यूब रेलवे के बारे में मंत्रालयों द्वारा ज्ञापन

7932. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल, वित्त तथा परिवहन और नौवहन मंत्रालयों एवम् आयोजना आयोग ने कलकत्ता में ट्यूब रेलवे के बारे में कोई ज्ञापन पेश किया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कलकत्ता भूमिगत रेल परियोजना संभवत: त्याग दी जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मारुति प्राइवेट लिमिटेड तथा इससे सम्बद्ध कम्पनियों के निदेशक मंडल

7933. श्री मुखितयार सिंह मलिक : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति प्राइवेट लिमिटेड तथा इससे सम्बन्ध कम्पनियों के निदेशक मंडल के निदेशकों के नाम और पते क्या है ; और

(ख) इस कम्पनी तथा इससे सम्बन्ध कम्पनियों के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक कौन है और उन्हें अन्य सुविधाओं तथा परिलब्धियों सहित प्रतिवर्ष कितना वेतन मिलता है ;

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ) :(क) तथा (ख) कम्पनि अधिनियम 1956 के अन्तर्गत "मारुति प्राईवेट लिमिटेड" के नाम से कोई कम्पनी पंजीकृत नहीं है । तथापि "मारूति लिमिटेड" के नाम की एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है । मारुति लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्यों के नाम और पते नीचे दिये जाते है :–

निदेशकों के नाम	पता
1. श्री एम० ए० चिदम्बरम, अध्यक्ष	आदयार हाउस, मद्रास–25
2. श्री संजय गांधी, प्रबंध निदेशक	1, सफदरगंज रोड, नई दिल्ली
3. श्री रौनक सिंह , निदेशक	16, फ्रेन्डस कालोनी, नई दिल्ली।
4. श्री विद्याभूषण, निदेशक	154, अंसारी रोड, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)
5. श्री कपिल मोहन, निदेशक	46, पूसा रोड, नई दिल्ली

श्री संजय गांधी मैसर्स मारूति लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक है तथा इनको 2 मार्च, 1972 से 5 वर्षों की अवधि हेतु 4,000 रु० मासिक वेतन और 24,000 रु० वार्षिक से अधिक न हो के आधार पर शुद्ध लाभों तथा अन्य परिलब्धियों पर 1 प्रतिशत कमीशन पर नियुक्त किया गया था ।

"सम्बधित कम्पनियों" के शब्दों का आयात स्पष्ट नहीं है अत: इस प्रकार को सम्बन्धित कम्पनियां के सम्बन्ध म इसी प्रकार की सूचना देना सम्भव नहीं है ।

Buffaloes sent from Kota Goods Shed to Bilaspur during 1974-75 and 1975-76.

†**7934. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of buffaloes sent from Kota goods shed to Bilaspur in wagons during 1974-75 and 1975-76 and the income earned therefrom; and

(b) the number of buffaloes which died in these wagons and the causes thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No buffaloes were booked from Kota goods shed to Bilaspur during the year 1974-75 and uptil April, 1975 during the current year 1975-76.

However, 8820 buffalo calves were booked during 1974-75 and another 580 buffalo calves were booked during 1975-76 from Kota goods shed to stations on Bilaspur Division of South Eastern Railway. The income earned as freight for the said bookings of buffalo calves was Rs. 2,81,160/- and Rs. 18,531/- respectively.

(b) The Railway Administration has not so far received any claim for the death of these animals.

Stalls, trolleys and Khomchas in Bombay Central and other Divisions of Western Railway.

†**7935. Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3867 on the 18th March, 1975 regarding stalls on the railway stations in Bombay Division and state :

(a) whether the proprietors and firms operating stalls, trolleys and khomchas, in Bombay Central and various Divisions of Western Railway show their sale proceeds eight to ten times less;

(b) if so, whether Government propose to examine their sale account or get it done through any other agency by making a comparative study of the raw material and other material purchased by them from the Market and the sale proceeds so that Government revenue is increased; and

(c) the income accruing at present to the above Divisions from the contractors and firms as also the amount out of sale proceeds realized from them?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

बिहार में मार्टिन लाइट रेलवे के अधिग्रहण के लिए शर्तें

7936. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय बिहार में आरा-ससाराम तथा फतवा-इस्लामपुर के बीच चलने वाली मार्टिन लाइट रेलवे का अधिग्रहण करने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उक्त कम्पनी और रेल मंत्रालय के बीच किन शर्तों पर समझौता हुआ है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अब तक ऐसा कोई भी विनिश्चिय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

7937. श्री छत्रपति अम्बेश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय में उपमंत्री को रेलवे द्वारा चलाये जा रहे शैक्षिक संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में कोई अर्ध-सरकारी पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह मामला विचाराधीन है। इस संबंध में अंतिम निर्णय ले लिये जाने के बाद सूचना सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

वर्ष 1974 में रेलवे वर्कशापों में उत्पादन में गिरावट

7938. श्री एस० एन० मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 में देश में रेलवें वर्कशापों के उत्पादन में 30 प्रतिशत की कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(घ) देश में रेलवे वर्कशापों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी नहीं। लेकिन, उत्पादन में मामूली-सी कमी अवश्य हुई है और कुछ मामलों में वृद्धि भी हुई है।

(ख) उत्पादन में कमी का मुख्य कारण है हड़ताल की स्थिति और उसका असर और साथ ही बिजली संबंधी कठिनाइयाँ। कुछ मामलों में उत्पादन में कमी का कारण यह रहा कि ऐसे उत्पादन के लिए धन के आबंटन में जानबूझकर कटौती की गयी।

(ग) ऐसी कोई जांच आवश्यक नहीं है, क्योंकि कारणों का पता है।

(घ) श्रमिक स्थिति में सुधार और कुछ क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई में सुधार होने से, ऐसा अनुमान है कि अगले महीनों में रेल कारखानों के काम में सुधार होगा।

जबलपुर और बम्बई के बीच दो डब्बे जोड़ने का प्रस्ताव

7939. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 अप हावड़ा-बम्बई मेल और 4 डाउन बम्बई-हावड़ा गाड़ियों में प्रथम श्रेणी और दूसरी श्रेणी की दो कम्पोजिट बोगियां जबलपुर से इलाहाबाद और आगे हावड़ा-दिल्ली तक के लिए जुड़ती हैं;

(ख) क्या उक्त दोनों गाड़ियों में जबलपुर और बम्बई के बीच 2 बोगियां कम रहती हैं; और

(ग) यदि हां, तो जबलपुर से बम्बई और वापसी के लिए बम्बई से जबलपुर तक दो बोगियां क्यों नहीं जोडी जातीं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बटा सिंह) : (क) जी हां, हावडा-और जबलपुर के बीच चलने वाला पहले एवं दूसरे दर्जे का एक मिला-जुला सवारी डिब्बा तथा दिल्ली और जबलपुर के बीच चलने वाला इसी प्रकार काएक अन्य डिब्बा क्रमश: जबलपुर और हावडा तथा जबलपुर और इलाहाबाद के बीच 3/4 हावड़ा-बम्बई डाक गाड़ियो में लगकर चलते हैं।

(ख) जी हां ।

(ग) 3 अप/4 डाउन हावडा-बम्बई डाक गाड़ियों द्वारा जबलपुर और बम्बई के बीच दो अतिरिक्त सवारी डिब्बों का चलाया परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नही है क्योंकि जबलपुर में डिब्बे खडे करने की सुविधाएं अपर्याप्त है ।

काडर पदों पर काम कर रहे इंस्ट्रक्टिंग फायरमैन

7940. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 150–240 (ए) के वेतनमान वाले इंस्ट्रक्टिंग फायरमैन काडर पदों पर काम कर रहे है और उन्हे इन पदों पर स्थायी भी कर दिया गया है ;

(ख) क्या 150–240 (ए) वेतनमान वाले ड्राइवरों का दायित्व इंस्ट्रक्टिंग फायरमनों की तुलना में अधिक है जबकि दोनों पदों के ग्रेड और वेतनमान समान है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इंस्ट्रक्टिंग फायरमैन जब ड्राइवर के पदों पर नियुक्त किये जाते है या ड्राइवर इंस्ट्रक्टिंग फायरमैन पद पर नियुक्त किये जाते है, तो उन्हें अर्जित वेतन वृद्धियों का लाभ दिया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण और इससे सम्बद्ध नियम क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उन्हें उसी वेतनमान में की गई सेवा का लाभ देने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) :(क) मध्य और पूर्वोत्तर रेलों में ग्रेड 150–240 रुपये (प्रा० वे०) में अनुदेशक फायरमैन का कोई पद नही है। अन्य रेलों में ग्रेड 150–240 रुपये (प्रा० वे०) में फायरमैन अनुदेशक के पद है । ये सामान्यत: संवर्ग बाह्य पद है जो अनुभवी फायरमैनों या शंटरों या उन ड्राइवरों में से भरे जाते है जो डाक्टरी दृष्टि से अकोटि-कृत हो जाते है लेकिन जिन्हें श्रेणी ए–3 में उपयुक्त घोषित किया जाता है जोकि फायरमैन अनुदेशक के रूप में काम करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में इन पदों को संवर्ग पद माना जाता है और इन पदों पर स्थायीकरण किया जाता है ।

(ख) दोनों पद समान ग्रेड में है। यह नहीं कहा जा सकता कि एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक उत्तरदायित्व निभाना पडता है ।

(ग) संवर्ग-बाह्य पदों में की गयी सेवा के लिए वेतन-वृद्धियों को गिनने से सम्बन्धित आदेश पहले स्पष्ट नही थे। 16–3–1973 को एक स्पष्टीकरण जारी करके यह बताया गया है कि संवर्ग पद पर लौटने पर संवर्ग बाह्य-पद के वेतन के आधार पर वेतन निर्धारित करना अनुमेय नही है ।

(घ) रेलवे बोर्ड के 18-11-66 के पत्र सं० एफ० (ई) एफ० आर० 1/5 द्वारा यथा-संशोधित, मूल नियम 22 के अनुरूप, भारतीय रेल स्थापना संहिता, भाग-II के नियम 2017 में यह व्यवस्था है कि कुछ शर्तों के अधीन आने वाले मामलों को छोडकर संवर्ग-बाह्य पद पर पर की गयी सेवा वेतन-वृद्धि के प्रयोजन के लिए समान वेतन-मान के संवर्ग पद में अब स्वीकार्य नहो है।

(ङ) जी नही; लेकिन परेशानी से बचाने के लिए यह व्यवस्था की गयी है कि जिन मामलों में संवर्ग-बा य पद में की गयी सेवा को लेखे में लेकर वेतन निर्धारित किया जा चुका है, उन मामलों में इस तरह निर्धारित वेतन और स्पष्टीकरण के अनुसार स्वीकार्य वेतन के बीच के अन्तर की राशि को वैयक्तिक वेतन माना जाये और उसे भविष्य की वार्षिक वेतन-वृद्धियों और वेतन में होने वाली वृद्धियों में समाहित कर लिया जाये।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में अस्थायी पद

7941. एस० एम० सिद्दय्या : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1974 को इस मंत्रालय में तथा इसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के उन अस्थायी पदों की कुल संख्या कितनी थी जो कि गत तीन वर्षों से अस्तित्व में थे और जिसके अनिश्चित काल तक बने रहने की सम्भावना है; और

(ख) इन पदों को नियमों के अधीन यथापेक्षित स्थायी घोषित न करने के क्या कारण है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

समस्तीपुर डिवीजन में बिना टिकट यात्रा

7942. श्री आर० एम० बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर रेलवे डिवीजन (बिहार) में हाल ही में बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे मंत्रालय ने इस मामले की जांच की है ;

(ग) रेलवे मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में की गई जांच के क्या परिणाम निकले; और

(घ) समस्तीपुर रेलवे डिवीजन में बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नही।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) समस्तीपुर में मंडल वाणिज्यिक अधीक्षक के अधीन एक विशेष टिकट जांच संगठन बनाया गया है जोकि उन खंडों पर अचानक जांच करता रहता है जहां बिना टिकट यात्रा बहुत अधिक होती है। इस संगठन द्वारा भारी अभियान चलाये जाते है जिनमें सडक से जाकर घात लगाकर छापा मारना तथा किलाबंदी करके जांच करना शामिल है। अप्रैल, 1974 से फरवरी, 1975

तक इस संगठन द्वारा समस्तीपुर मंडल में की गयी अचानक जांचों के फलस्वरूप, बिना टिकट या अनियमित टिकटों से यात्रा करते हुए 6,936 व्यक्ति पकडे गये तथा किराये और अधि-प्रभार के रूप में उनसे 33,558 पये 60 पैसे वसूल किये गये। अनियमित यात्रा के लिए 3,065 व्यक्तियों का चालान किया गया जिनमें से 2,474 व्यक्तियों को जेल भेजा गया और न्यायिक जुर्माना के रूप में 96,823.00 रुपये वसूल किये गये।

इसके अतिरिक्त, समस्तीपुर मंडल में एक शैक्षणिक कक्ष कार्यरत है, जिसका काम है बैठकों के जरिये और व्यक्तिशः मिलकर सामान्य जनता को और विद्यार्थियों को शिक्षित करना ताकि वे बिना टिकट यात्रा न करें।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल की खोज का कार्य तेज किया जाना

7943. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 और वर्ष 1974 में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किए गये सर्वेक्षण और उनके परिणामों का ब्यौरा क्या है और क्या कुछ तेल क्षेत्रों का पता लगा है;

(ख) इस तेल खोज के लिए भूगर्भीय सर्वेक्षण किन क्षेत्रों में किए गये; और

(ग) वर्ष 1973 और 1974 में इस पर कुल कितना खर्च किया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) 1973 और 1974 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने विस्तृत अधिविस्तृत और टोह भूगर्भीय सर्वेक्षण कार्य किया और भूगर्भीय सर्वेक्षण के अलावा तेल अन्वेषण करने के लिए भूकंपीय और घुत्वाकर्ष व चुम्बकीय अनेक पार्टियों का विस्तार किया। मोटे तौर पर भूगर्भीय सर्वेक्षणों से सविस्तर स्तर-शैल दिशा और संरचनात्मक जानकारियों के स्पष्ट करने में मदत मिली। सर्वेक्षण किए गए विभिन्न इलाको में तल घटी सवनता और संरचना के बारे में लाभदायक जानकारी देने की व्यवस्था की। इन सर्वेक्षणों से अनेक संरचनात्मक और अन्य दिलचस्प लक्षणों की खोज की गई थी। तीन नए तेल क्षेत्रों अर्थात् असम में चरली, गुजरात में बम्बई अपतर की खोज की गई थी।

(ख) निम्नलिखित में इलाके और क्षेत्र शामिल है :—

राज्य	स्थान
जम्मू और कश्मीर	पुंज और डलहौजी के बीच का इलाका।
राजस्थान	परिवार ग्राम और किचन्दवाय इलाकों के उत्तर जैसलमेर के इलाके में।
गुजरात	वधवान का पश्चिमी धरगधरा और सुरेन्द्र नगर, बडौदा का उत्तर, पश्चिमी और रधनपुर का उत्तर।
मध्य प्रदेश	पश्चिम में सन नदी और पूर्व में कान नदी के बीच।
आंध्र प्रदेश	सरपुर राजपुरा और पूर्व में प्रानहिता नदी तक वलार सा के चहुं ओर और वर्धा नदी के उत्तर

राज्य	स्थान
तमिल नाडु .	तमिलनाडू का पूर्वी भाग और पांडिचेरी
अरुणाचल प्रदेश .	भैरव कुण्डा कालाटिंग भिमेरी मेदन, हिलिआंग दागवक के चारों ओर का इलाका और भरेली और दिगरांग नदी के बीच का इलाका ।
त्रिपुरा . . .	अथरमुरा एन्टीसिलीन और बंगलादेश से उत्तर सहित कुमारवार से अन्तर्राष्ट्रीय बाण्ड्री
असम . . .	मिकरी हिल
अण्डमान द्वीप . .	वदर नाला से उत्तर के बीच का इलाका दक्षिण में रंगट-काक्स न स्थान और मलारगर वोल्यिूसे पश्चिम तक
भूटान . . .	सरभंग और रावंग मदी के बीच का इलाका

(ग) वित्तीय वर्ष 1972–73 और 1973–74 के लिए सूचना उपलब्ध है जो नीचे दी गई है :—

1972–73	1973–74
329.49 लाख रुपये	347.18 लाख रुपये ।

केरल राज्य में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कमी

7944. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या केरल में गत वर्ष पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की भारी कमी रही थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) केरल को निर्धारित कोटे की सप्लाई के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) : पिछले वर्ष केरल में मोटर स्प्रिट (पैट्रोल) या डीजल तेल का कोई अभाव नहीं था। परन्तु राज्य के कोटे में भारी कटौती के फलस्वरूप कुछ महीनों में राज्य में मिट्टी के तेल की कमी की शिकायतें थी ।

(ग) मोटर स्प्रिट और डीजल तेल का राज्य वार कोटा विनियोजन नहीं किया जाता । नवम्बर, 1974 से राज्यों को मिट्टी के तेल के कोटे में वृद्धि की गई है। निकट भूतपूर्व केरल में इन उत्पादों की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1974

7945. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1974, 1 फरवरी, 1975 से लागू किया गया है;

(ख) क्या इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् कुछ विदेशी फर्में इसके लिए दोषी पाई गई हैं; और

(ग) क्या कुछ मामलों में अब विदेशी फर्में भारतीय फर्मों के समकक्ष है और यदि हां, तो वे क्या ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : (क) हां, श्रीमान जी ।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी, तथापि इस विषय में अभी कुछ कहना अतिशीघ्रता होगी, क्योंकि संशोधन अधिनियम, केवल 1 फरवरी, 1975 से लागू हुआ है ।

(ग) भारत में व्यापार का स्थान स्थापित करने वाली वे विदेशी कम्पनियां जिनकी हिस्सा पूंजी का 50 प्रतिशत से अधिक भारतीय नागरिकों अथवा भारत में विनिगमित निगम निकायों के पास है, को अब उनके द्वारा भारत में किए जा रहे व्यापार की दृष्टि से विहित किए जाने वाले कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का पालन करना पडेगा । कथित अधिनियम की धारा 159, 209, 209क, 233क, 233ख 234 से 246 (दोनों को सम्मिलित कर) के उपबन्ध भारतीय व्यापार के सम्बन्ध में भारत में व्यापार का स्थान स्थापित करने वाली सभी विदेशी कम्पनियों पर लागू कर दिये गये हैं । दिनांक 19 फरवरी, 1975 की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 52 (ङ) के रूप में भारतीय राज-पत्र में प्रकाशित, धारा 159 का विदेशी कम्पनियों पर लागूकरण, नियम 1975, की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसकी प्रति सदन के पटल पर दिनांक 21 मार्च 1975 को प्रस्तुत की गई थी ।

सप्ताह में दो बार चलने वाली तिनसुकिया एक्सप्रेस सेवा को दैनिक सेवा में बदलने का प्रस्ताव

7946. श्री रोबिन ककोटी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तिनसुकिया से न्यू बोगई गांव होकर दिल्ली तक सप्ताह में दो बार चलने वाली एक्सप्रैस सेवा को दैनिक सेवा में बदलने जा रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी वर्गों के लोगों द्वारा इस बारे में की जा रही भारी मांग से अवगत है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं, लेकिन 18-2-1975 से नयी दिल्ली-तिनसुखिया डाक गाडी का चलना सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर 3 दिन कर दिया गया है ।

(ख) इस गाडी को प्रतिदिन चलाये जाने की मांग की जांच की गयी है लेकिन मार्गवर्ती खण्डों पर लाईन क्षमता सीमित होने और दिल्ली/नयी दिल्ली पर टर्मिनल सुविधाओं के अभाव के कारण परिचालन की दृष्टि से इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन

7947. **श्री नूरुल हुडा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आपात स्थिति के जारी रहने से लाभ उठाकर वर्तमान लोक सभा की अवधि को मार्च, 1976 से आगे बढ़ाने तथा फरवरी-मार्च, 1976 में होने वाले साधारण निर्वाचनों को अनिश्चित काल तक स्थगित करने के बारे में केन्द्र सरकार की कोई योजना है; और

(ख) क्या लोक सभा के साधारण निर्वाचन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार फरवरी-मार्च 1976 में ही होंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) विद्यमान स्थिति के अनुसार उत्तर 'हां' में है ।

राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों द्वारा अपनी आस्तियों की घोषणा

7948. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

श्री एस० एन० मिश्र :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले राष्ट्रपतीय निर्वाचन के दौरान देश के अनेक समाचार पत्रों में यह विचार व्यक्त किये गये थे कि स्वस्थ राजनैतिक वातावरण का निर्माण करने के विचार से यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति पद के प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी जंगम और स्थावर आस्तियों की घोषणा करनी चाहिए;

(ख) क्या सरकार ने उक्त मांग पर विचार कर लिया है और इस बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) सरकार ने इस विषय पर कुछ रिपोर्ट देखी हैं ।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं ।

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक, 1972, जो राष्ट्रपतीय निर्वाचन के पूर्व विधि बना दिया गया था, विषयक संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था और उस विधेयक पर विचार किए जाने के समय भी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था ।

उर्वरक के रूप में निर्जन (एनहाइड्स) एमोनिया का उपयोग

7949. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक के रूप में निर्जल (एनहाइडस) एमोनिया के सीधे उपयोग के लिए प्रायोगिक आधार पर दुर्गापुर में आरंभ की गई प्रायोगिक परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) उक्त प्रयोग अन्य किन स्थानों पर किया गया; और

(ग) इस नई पद्धति से मोटे तौर पर कितनी किफायत हो सकेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अजल अमोनिया का उर्वरक के रूप में सी` प्रयोग के संबंध में परीक्षण करने के लिए भारतीय उर्वरक निगम ने दुर्गापुर में एक प्रायोगिक प्रयोजना चालू की है। इस प्रयोजना की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

—धान युक्त क्षेत्र की स्थिति में अजल अमोनिया की क्षेत्र की उपयुक्तता की जांच करना;

—अजल अमोनिया के प्रयोग की पद्धति, प्रयोग के विस्तार और प्रयोग के समय का मानकीकरण करना;

—अमोनिया के रख-रखाव के लिय विशेषकर भण्डारण से नर्स टैंक और नर्स ैंक से प्रायोगिक टैंक तक स्थानान्तरण और खेत में वास्तविक प्रयोग के लिये एक ड्रिल मशीन को चलाना।

—अजल अमोनिया अर्थात परम्परागत ठोस उर्वरकों की कुशलता पर विचार करना

(ख) भारतीय उर्वरक निगम क्रमश: गेहूं और गन्ने की फसल पर निगम के नंगल और गोरखपूर एककों के आसपास चुने हुए स्थलों पर भी अजल अमोनिया के प्रयोग पर परीक्षण कर रहा है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र को-आपरेटिव फर्टिलाइज ` एण्ड कैमिकल्स लि० ने भी गन्ने की फसल के लिये उर्वरक के स्रोत के रूप में अजल अमोनिया के प्रयोग पर सरिली (महाराष्ट्र) में परीक्षण प्रारम्भ कर दिया है।

(ग) उर्वरक के रूप में भूमि पर अजल अमोनिया के सीधे प्रयोग की स्पष्ट स्थिति, विभिन्न केन्द्रों पर किये जा रहे परिक्षणों के परिणामों के मिलने और उनका मूल्यांकन किये जाने के पश्चात् ही, उपलब्ध होगी।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के इंजीनियरों द्वारा इंजीनियरी सवा परीक्षा पास किया जाना

7950. श्री चन्द्र शैलानी : क्य **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने इंजीनियरों के इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 1974 पास की थी और कितने 'व्यक्तित्व परीक्षा' के आधार पर साक्षात्कार से निकाल दिये गये थे;

(ख) क्या उक्त परीक्षा पास करने वाले किन्तु व्यक्तित्व परीक्षा में फेल होने वाले इन उम्मीदवारों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है;

(ग) कोटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही हैं; और

(घ) क्या एक तकनीकी काम के लिए तकनीकी जानकारी की अपेक्षा व्यक्तित्व अधिक महत्वपूर्ण है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इंजानियरिंग सेवा परीक्षा, 1974 के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अनुसूचित जाति के 56 और अनुसूचित जन जाति के 2 उम्मीदवारो को व्यक्तित्व पराक्षा के योग्य पाया गया था। परीक्षा के अंतिम परिणाम के

आधार पर संघ लोक सेवा आयोग ने अनुसूचित जाति के 30 उम्मीदवारों और अनुसूचित जन जाति के 1 उम्मीदवार को उन विभिन्न सेवाओं/पदों पर नियुक्त करने की सिफारिश की है जो इस परीक्षा के आधार पर भरे जाते है।

(ख) व्यक्तित्व परीक्षा के लिए कोई न्यूनतम अर्हक नहीं रखे गये हैं। जो उम्मीदवार इन परीक्षाओं में अंतिम रूप से सफल होते हैं उनका योग्यता-क्रम उनकी लिखित परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार व्यक्तित्व परीक्षा में कोई अंक प्राप्त किये बिना भी किसी उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए सिफारिश हो सकती हैं। अतः किसी उम्मीदवार का व्यक्तित्व परीक्षा में फेल हो जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(ग) वर्तमान आदेशों के अधीन आरक्षित कोटा भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों की सिफारिश यथा-सम्भव छूट वाले स्तर तक कर सकता है। इस नीति के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग ने अनुसूचित जाति के 30 और अनुसूचित जन जाति के 1 उम्मीदवार की सिफारिश की है। इसके अलावा इस योजना के कार्यक्रम के अधीन सरकार ने विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र और शिक्षण एवं निर्देशन केन्द्र चलाये हैं।

(घ) जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, व्यक्तित्व परीक्षा के लिए कोई न्यूनतम अहक अंक नहीं रखे गये हैं।

सोवियत संघ तथा अन्य देशों को औषधियों का निर्यात

7951. श्री डी० पी० जदेजा :

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सोवियत संघ तथा अन्य देशों को किसी किस्म की औषधियों का निर्यात कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 1974-75 के दौरान उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्पित की गई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) अप्रैल, 1974 से जनवरी, 1975 के दौरान आयातित औषध और औषध मध्यवर्ती पदार्थों के मदों/श्रेणियों के नाम तथा आयात करने वाले मुख्य देशों के नाम से संबंधित सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गयी है आंकडे मूल रसायनों, फार्मास्यूटिकल्स तथा कासमटिकस एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल से प्राप्त सूचना पर आधारित है।

विवरण

क्रम संख्या	मद	अप्रैल 1974/ जन० 1975	आयात करने वाले मुख्य देश
1	एन्टिबायेटिक्स तथा-इसके प्रेपन्स	14666.4	युगोस्लाविया, लीबिया, फिली-पाइन्स, ग्रीस, श्रीलंका
2	क्विनान साल्ट	18937.1	चैकोस्लोवाकिया, रूस, जी० एफ० आर० नाइदरलैंड, बुलगेरिया

क्रम संख्या	मद	अप्रैल 1974/ जन० 1975	आयात करने वाले मुख्य देश
3	ब्रुकीन साल्ट .	2302.2	अमेरिका, बलगेरिया
4	एन्टिडियाबेटिक औषध .	1155.5	जापान, आस्ट्रेलिया
5	अबजौरबेंट काटन वूल वन्दागज एन० ई० एस०	23766.7	पोलेंड, हांगकांग, जम्बिया, केन्या, जापान, तनजानिया, साइरिया फिलिपाइन्स
6	एसेटाइल सालसालिक एसिड .	2243.9	श्रीलंका
7	मेनथोल . .	4982	यू० के०
8	बेटा आयनोन .	11171.0	रूस, जापान
9	सालीसाइलिक एसिड .	3976.1	बेलजियम, जी० एफ० आर०
10	मेडिसिनल कास्टर आयल .	171336.4	चैकोस्लावाकिया, यू० के०, रूस० यू० एस० ए०, जापान
11	मेटानिलिक एसिड . .	2004.4	आस्ट्रेलिया, निदरलेंड, स्विटजरलेंड
12	हाइड्रोक्विनोन .	1443.2	इटली, नाइदरलेंड, जापान
13	साइलम हस्क . .	64278.4	यू० एस० ए०, फ्रान्स, एफ० एफ० आर०
14	साइलम सीड्स . .	6995.1	यू० एस० ए०, जी० एफ० आर०, फ्रांस

मैसर्स सैंडोज पर लगाई गई फ्री ईक्विटी की शर्त

7952. श्री के० एस० चावड़ा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सैंडोज को दी गई एक स्वीकृति की शर्त यह है कि वह सैंडोज बेसल स्विट्जरलैंड को एक परियोजना के लिए 10 लाख रुपये की फ्री ईक्विटी जारी करेगा;

(ख) यदि हां, तो यह ईक्विटी कब दी गई थी तथा धन प्रेषण कब से आरंभ हुआ;

(ग) क्या सरकार ने कंपनी द्वारा प्रयुक्त वर्तमान पूंजी की तुलना में 10 लाख रुपये की इक्विटी संभावनाओं का मूल्यांकन करने का कोई प्रयास किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है तथा इस विदेशी फर्म को अब तक कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) मैसर्स सैंडोज को दिय गये औद्योगिक लाइसेंस संख्या एल०/22/166/63–के० मी० 111, दिनांक 21-8-1963

के अंतर्गत आने वाली योजना के संबंध में यह अनुमति दी गई थी कि मैसर्स सैंडोज (इंडिया) द्वारा जारी किये गये 52 लाख रुपये के शेयर में से 10 लाख रुपये के शेयर का सैंडोज वाले (स्विटजरलैंड) को उनके द्वारा 31–12–63 तक पोडोपिल्स के निर्माण हेतु योजना और विकास में किये गये व्यय के लिए योगदान के रूप में आवंटन किया जाय।

संबंधित साम्य पूंजी 15-2-65 को दी गई थी और उस पर प्रेषण उसी तिथि से प्रारंभ हुए।

(ग) और (घ) अब तक एसा कोई प्रयास नहीं किया गया है लेकिन मामले की जांच की जा रही हैं।

दैनिक मजूरी पर नैमित्तिक श्रमिक

7953. श्री एम० एस० पुरती : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मियाभाई पंचाट के अनुसार रेलवे के नैमत्तिक श्रमिकों को स्थान विशेष में दी जाने वाली दैनिक मजूरी के आधार पर मजूरी दी जा रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में विधान सभा तथा संसद के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों म कमी

7954. श्री दुना उराव : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिय विधान सभा और संसद के आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या कम की गई है;

(ख) यदि हां, तो यह संख्या इन राज्यों में गत साधारण निर्वाचनों के समय की संख्या की तुलना में, राज्यवार, कितनी कम है; और

(ग) एसे परिवर्तनों के राज्यवार, क्या कारण है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) केवल त्रिपुरा राज्य म विधान सभा के 2 अनुसूचित जनजाति स्थान घटा दिए गए हैं अर्थात् 19 से 17 स्थान कर दिए गए हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल राज्य को वाबत संसदीय और विधान सभा के वर्तमान स्थानों की संख्या और परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 8 के अधीन अवधारित स्थानों की संख्या को दर्शित करने वाला विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में गखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9561/75]**

(ग) लोक सभा और विधान सभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 तथा परिसीमा अधिनियम, 1972 की धारा 9(1)(घ) के अनुसार ही किया गया है।

कलकत्ता, पश्चिम दीनाजपुर, बर्दवान और दार्जिलिंग में हुए निर्वाचनों पर व्यय

7955. श्री टुना उरांव : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत साधारण निर्वाचन के दौरान बर्दवान, पश्चिम दीनाजपुर और दार्जिलिंग से निर्वाचित उम्मीदवारों द्वारा कितना व्यय किया गया;

(ख) उपर्युक्त निर्वाचन के दौरान इन्हीं क्षेत्रों से लोक सभा के स्थानों पर सरकार ने कितना औसत व्यय किया; और

(ग) वर्ष 1971 के निर्वाचन में कलकत्ता के विधान सभा स्थानों के लिये निर्वाचित उम्मीदवारों ने कितना औसत व्यय किया ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) 1972 में पश्चिम बंगाल की विधान सभा के लिए हुए पिछले साधारण निर्वाचन में दार्जिलिंग, पश्चिम दीनाजपुर और बर्दवान के तीनों जिलों में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में निर्वाचित उम्मीदवारों द्वारा किया गया व्यय निम्न प्रकार है :—

(i)	दार्जिलिंग जिला	32525.73
(ii)	पश्चिम दीनाजपुर जिला . . .	62760.68
(iii)	बर्दवान जिला	168031.63

1971 में किए गए लोक सभा के साधारण निर्वाचन के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती है क्योंकि प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित किसी भी जिले में पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नहीं हैं, उदाहरणार्थ कुछ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र दूसरे पडोसी जिलों में फैले हुए हैं।

(ख) सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) 1971 में पश्चिम बंगाल की विधान सभा के लिए हुए साधारण निर्वाचन के दौरान कलकत्ता जिला में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में किया गया औसत व्यय 5470.91 रु० था।

गत तीन वर्षों के दौरान कम्पनियों में व्यक्तियों की नियुक्तियां

7956. श्री टुना उरांव : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी विधि बोर्ड ने गत तीन वर्षों के दौरान कुछ कम्पनियों में अनेक व्यक्तियों को नियुक्त किया है;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या है और किन-किन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है तथा उनकी योग्यताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त कम्पनियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति के बाद कम्पनी-वार किये गए सुधार संबंधी तथ्य क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : (क) हा, श्रीमान जी। कम्पनी विधि बोर्ड ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408(1) के अन्तर्गत कुछ कम्पनियो में निदेशक नियुक्त किये हैं।

(ख) एक विवरण पत्र संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9562/75**]

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 (1) के अन्तर्गत निदेशकों की नियुक्ति, किसी कम्पनी के कार्यकलापो को इस प्रकार संचालित होने से रोकने के लिये की जाती है, जो या तो कम्पनी के किसी सदस्य को पीडित करने के लिये हो, अथवा कम्पनी अथवा जनता के हितों के लिये प्रतिकूल प्रभावी हो। एक कम्पनी में सरकार द्वारा नियुक्त किये गये निदेशक, कम्पनी के निदेशक मंडल के माध्यम से, प्रबन्ध में भाग लेकर कम्पनियों को इस प्रकार के कार्य करने से रोकते हैं, जो कम्पनी अथवा जनता के हितों के प्रतिकूल हों। मै० बेलापूर शुगर एण्ड अलाईड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड तथा मै० नेशनल रैयन कारपोरेशन लिमिटेड, के मामले में सुधारों की सूचना प्राप्त हुई हैं, जहां सरकारी निदेशक प्रभावी सिद्ध हुए हैं।

ओलवाककोट डिवीजन में रेलवे सहायक स्टेशन मास्टरों को स्थानापन्न भत्ता

7957. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान ओल वाककोट डिवीजन में रेलवे के सहायक स्टेशन मास्टरों को स्थानापन्न भत्ते के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : ओल्लवाक्कोड मंडल के रेलवे सहायक स्टेशन मास्टरों को विगत तीन वर्षों के दौरान स्थानापन्न भत्ते के रूप में भुगतान की गयी राशि नीचे दी गयी है :—

1972–73	4,186.00 रुपये
1973–74	2,174.00 रुपये
1974–75	2,158.00 रुपये
	8,518.00 रुपये

मैसर्स सीबा गाईगी (इंडिया) लिमिटेड में उत्पादन

7958. **श्री नानूभाई एन० पटेल** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स सीबा गाईगी (इंडिया) लि० द्वारा गत तीन वर्षों में किए गए उत्पादन संबंधी मुख्य विशेषतायें क्या हैं तथा लाइसेंस/अनुमोदन संख्या सहित मदवार कितना उत्पादन हुआ और उसका विक्रय मूल्य क्या है;

(ख) अथवा करार में किए गये परिवर्तनों तथा बाद में सरकार द्वारा किए जान वाल अनुमोदनों का आधार क्या है जिस पर उत्पादन आधारित है तथा स्विटजरलैंड में मैसर्स सीबा गाईगी की राशि का भुगतान किया जाता है तथा भुगतान प्रणाली क्या है और उन्हें ऐसा करने की अनुमति देने के क्या कारण है;

(ग) निदेशकों के नाम क्या है, उनके वेतन तथा परिलब्धियां क्या है, और किसके अनुमोदन द्वारा यह किया जाता है; और

(घ) क्या इस कंपनी ने मूल करार का उल्लंघन किया है तथा बिना वैध लाइसेंस के नई वस्तुओं का विपणन किया है; और यदि हां, तो उन उत्पादों के नाम क्या है तथा इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1971, 72 और 73 के बारे में अपेक्षित सूचना वाला विवरण पत्र संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9563/75]**

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मैसर्स रैलीज (इंडिया) लिमिटेड के कुछ अन्य कम्पनियों के साथ करार

7959. **श्री नानूभाई एन० पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स वोरिंधर नौल जो० डो० सियरले-टाटा फिझन सी० ई० फुलफोर्ड तथा अन्य कंपनियों के साथ मैसर्स रेलीज (इंडिया) लि० के करारों की मुख्य विशेषतायें क्या है;

(ख) क्या उनके द्वारा उत्पादन का वितरण किया जाता है अथवा निर्यात और गत तीन वर्षों के दौरान भुगतान किस प्रकार किया गया;

(ग) क्या विदेशी इक्विटी वाली यह फर्म विभिन्न फर्मों जिन पर उसका नियंत्रण है के माध्यम से किए गये निर्यात और आयात के संबंध में राशि से कम तथा अधिक के बीजक बनाती है; तीन वर्षों के दौरान उन्होंने कितना निर्यात किया; निर्यात किन मूल्यों पर किया गया; हकदारी क्या है; और उनको ऐसा करने की अनुमति देने के क्या कारण है;

(घ) क्या इस फर्म ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम विदेशी पूंजी निवेश बोर्ड के नियमो तथा विनियमों और आयात/निर्यात की शर्तों का उल्लघन किया है; और

(ङ) रेलीज के साथ टाटा फिझन को मिलाने संबंधी मुख्य विशेषतायें क्या है; और उनके मिलने के समय उनकी आरंभिक इक्विटी तथा भुगतान का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गुजरात को 1974–75 में डीजल तथा मिट्टी के तल का आबंटन

7960. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात को 1973–74 मे आवंटित किये गये डीजल और मिट्टी के तेल की तुलना मे 1974–75 मे किये गये आवंटन मे कोई वृद्धि हूई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) 1973–74 की तुलना मे 1974–75 के दौरान गुजरात की मिट्टी के तेल के आवंटन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। डीजल तेल का आवंटन राज्यवार आधार पर नहीं किया जाता है।

(ख) उपरिलिखित (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजराथ के औद्योगिक एककों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की कमी

7961. श्री डी० डी० देसाई : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के बहुत से मध्यम दर्जे के और लघु औद्योगिक एकक मिट्टी के तेल तथा डीजल आयल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादो की अपर्याप्त सप्लाई के कारण बन्द किए जा रहे है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) मंत्रालय मे कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है।

(ख) उपरोक्त (क) के विचार मे रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गुजराथ में विद्युतीकरण न की जा सकीं रेलवे लाइनें

7962. श्री डी० डी० देसाई : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में गत दो वर्षों के दौरान बडी संख्या में रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि बिजलीकरण में बहुत अधिक पूंजी लगानी पड़ती है, अतः इसका औचित्य यातायात के भारी घनत्व वाले खण्डों पर ही है। इस विचार से, गुजरात में बम्बई-अहमदाबाद मार्ग के अहमदाबाद-धोलवड खंड का बिजलीकरण कर दिया गया है।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाए आयोग द्वारा ऊषा सेल प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

7963. श्री शंकर नारायण सिंह देव : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग द्वारा लगाये गये कथित आरोपों के आधार पर ऊषा सेल प्राइवेट लिमिटेड के कार्यों की की गई जांच के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : (क) तथा (ख) जैसा कि दिनांक 10-12-74 को सदन में अतारांकित प्रश्न संख्या 3947 के लिये दिये गये उत्तर में कहा गया था, आयोग द्वारा जांच अभी प्रवर्तमान है ।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग द्वारा बाटा इण्डिया लिमिटेड के विरुद्ध लगाए गये आरोप

7964. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग द्वारा लगाये गये कथित आरोपों के आधार पर बाटा इंडिया लिमिटेड के कार्यों की जांच पूरी हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : (क) तथा (ग) जैसा की सदन में दिनांक 26 नवम्बर, 1974 व 10 दिसम्बर, 1974 की क्रमश: अतारांकित प्रश्नसंख्या 2138 व 3947 के उत्तर में कहा गया था ; दि बाटा इन्डिया लिमिटेड के मामले में आयोग द्वारा जांच अभी तक प्रवर्तमान है ।

गुड इयर लिमिटेड के विरुद्ध आरोप

7965. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग ने गुड इयर लिमिटेड के विरूद्ध उसके पास अत्यधिक व्यापार होने, और पुर्नविक्रय चालू रखने और अत्यधिक सौदे करने के लिये किस प्रकार के आरोप लगाए हैं;

(ख) क्या सरकारने उक्त कम्पनी के विरूद्ध इन आरोपों तथा इस बारे में एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग की विभिन्न सिफारिशों के आधार पर कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : (क) से (ग) आल इन्डिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा आयोग को 14 नवम्बर, 1972 तथा पुन : 7 अगस्त 1973 को की गई शिकायत के आधार पर मैसर्स गुड इयर इण्डिया लिमिटेड और सात अन्य टायर विनिर्माता कंपनियों द्वारा निम्नलिखित निर्बन्धकारी व्यापार प्रथाओं में ग्रस्त होने के आरोपों में एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 10(क) (1) के साथ पठित धारा 37(1) के अन्तर्गत एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने जांच संस्थित की हैं ।

इन कम्पनियो द्वारा आटोमोटिव ट्रेड इण्डस्ट्रीज के सदस्यों हेतु आचारण को सामान्य संहिता कहा जाने वाला एक समान अनुबन्ध किया गया था जिसमें साथ साथ यह व्यवस्था

है कि ये कम्पनियां उन मूल्यों या शर्तों या स्थितियों में जो विक्रेता के रूप में उनके मध्य किया गया है केवल उन पर बेचने को संश्राव है आयोग के समक्ष कार्यवाही तार्किक स्तर पर हैं इसलिए सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

मिन्ट्री टी कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कालिमपोंग

7966. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिन्ट्री टी कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कालिमपोंग के शेयरहोल्डरों के नाम क्या हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक शेयरहोल्डर के पास कितने मूल्य के शेयर है;

(ग) क्या इस कम्पनी के खिलाफ उनके मंत्रालय को कोई शिकायत प्राप्त हुई है; यदि हां, तो किस प्रकार की; और

(घ) इस कम्पनी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) से (घ) सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

भारतीय तेल निगम द्वारा छोटे तथा मध्यम स्तर के समाचारपत्रों को विज्ञापन

7967. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम द्वारा जिला स्तर के छोटे तथा मध्यम स्तर के दैनिक और साप्ताहिक समाचारपत्रों को कोई विज्ञापन नहीं दिये जाते है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) यदि नहीं, तो पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में जिला स्तर के उन छोटे समाचारपत्रों के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों में विज्ञापन प्राप्त हुये है; और

(घ) प्रचार के बारे में जिला स्तर के समाचारपत्रों के बारे में क्या रवैया अपनाया गया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० मार्झी) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है एवं यथाशीघ्र सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

मंत्रालय के उपक्रमों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले प्रचार माध्यम

7968. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन उपक्रम प्रभार तथा विज्ञापनों के लिए बडे समाचार-पत्रों को ही प्रयोग में लाते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इन उपक्रमों द्वारा गत तीन वर्षों में उपक्रमवार कौन कौन से दैनिक समाचारपत्र प्रयोग में लाये गये हैं; और

(ग) क्या ये समाचारपत्र ग्रामीण क्षेत्र के विशाल जनसमूह में अभी तक नहीं पहुंच पाये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी ।

छोटे तथा मध्यम स्तर के समाचार पत्रों को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा दिय गये विज्ञापन

7969. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग प्रभारकार्य पर बहुत बडी धनराशि व्यय करता है;

(ख) यदि हां, तो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रचार साधनों की मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या छोटे तथा मध्यम स्तर के समाचारपत्रों को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विज्ञापन नहीं दिये जाते है; और

(घ) यदि नहीं, हां तो पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के पूर्वी राज्यों के उन दैनिक और साप्ताहिक समाचारपत्रों के नाम क्या है जिन्हें तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गत ती वर्षों में विज्ञापन दिये है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

"शा वैलेश एण्ड कम्पनी" के अध्यक्ष के विरूद्ध शिकायतें

7970. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "शा वैलेस एण्ड कम्पनी" के अध्यक्ष के रूप में श्री ए० डब्ल्यू० बी० हेवर्ड के विरुद्ध कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें किस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज कलकत्ता को निदेश दिया गया है कि वह इस कम्पनी निदेशकों के खिलाफ मुकदमा चलायें ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) श्री ए० डब्ल्यू० बी० हेवर्ड द्वारा प्राप्त किये गये वेतन और उपभोग की गई परिलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) हां, श्रीमानजी ।

(ख) मुख्य आरोप कम्पनी के कार्यकलापों के कुप्रबन्ध में उसके भाग से सम्बन्धित है। कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा अपनाई गई निम्नांकित कार्यवाहियों के परिणामस्वरुप कुप्रबन्ध पहले ही समाप्त हो चुके हैं :—

(1) कम्पनी विधि बोर्ड ने कम्पनी अधिनियम की धारा 250(4) के अन्तर्गत दिनांक 18-12-1972 का यह निर्देश देते हुये एक आदेश पारित किया कि मै० आर० जी० शा एण्ड कम्पनी लिमिटेड, मै० शा डर्बी एण्ड कम्पनी लि०, मै० शा स्काट एण्ड कम्पनी लि० एवं मै० थामस राइस मिलिंग कम्पनी लि० द्वारा इस कम्पनी में धारित साम्यक हिस्सों का कोई हस्तांतरण, 18-12-1972 से तीन वर्षों की अवधि के लिये, लागू नहीं होगा।

(2) कम्पनी विधि बोर्ड ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408(1) के अन्तर्गत कम्पनी के निदेशक मंडल में तीन वर्ष की विधि के लिये दो निदेशकों की नियुक्ति करते हुये 28-5-1973 को एक आदेश पारित किया।

(3) आयकर विभाग तथा प्रवर्तन निदेशालय को सूचना भेज दी गई है।

(ग) तथा (घ) कम्पनी रजिस्ट्रार, कलकत्ता को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 295 के उल्लंघन के लिये कम्पनी के निदेशकों के विरुद्ध मुकदमा दायर करने तथा ऋण संव्यवहारों की बाबत निदेशको द्वारा ब्याज के अप्रकटीकरण के लिये कथित अधिनियम की धारा 299 के अन्तर्गत "कारण बताओ" नोटिस प्रेषित करने के निदेश दिये गये हैं। उपरोक्त "कारण बताओ" नोटिस का उत्तर निदेशकों से प्राप्त हो चुका है, एवं इसकी परीक्षा की जा रही है।

(ङ) श्री ए० डब्ल्यू० बी० हेवर्ड को वर्तमान में प्रबन्धक तथा पूर्णकालिक निदेशकों को उनके वेतनो के अनुपात से दिये जाने वाले कम्पनी के शुद्ध वार्षिक लाभों पर, 5 प्रतिशत के कमीशन में हिस्सा सहित, 10,000 रु० प्रतिमास इस प्राविधान सहित दिये जा रहे हैं, कि वेतन तथा कमीशन सहित उनका पारिश्रमिक 1,75,000 रु० प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगा, साथ ही सामान्य परिलब्धियां भी होगी, जैसे भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि, उपदान, पेंशिन, स्वयं तथा परिवार के लिये चिकित्सा सुविधायें, छुट्टियां, मुफ्त सुसज्जित आवास गृह, कम्पनी की कार, सामूहिक दुर्घटना बीमा, टेलीफोन, तीन क्लबों का शुल्क, कम्पनी की सेवा से निवृत्ति पूर्व छः मास का आवधिक अवकाश, तथा कलकत्ता से उसके ब्रिटेन के गृह-नगर तक उसके सामान तथा घरेलू वस्तुओं के बंडल बांधने, बाहर भेजने, व उसके सामान के परिवहन के सभी व्ययों सहित, उसके स्वयं, स्त्री, तथा उस पर निर्भर बच्चों के लिये किराया सुविधायें।

औषध फर्मों के लिए अंशधारियों की पूंजी

7971 **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध-मूल्य निर्धारण के लिए अंशधारियों की पूंजी अर्थात इक्विटी के कुल जमा राशि के सिद्धान्त की मुख्य बातें क्या है; और इससे भारतीय फर्मों को क्या सहायता मिलती है;

(ख) निवेशितपूंजी सिद्धान्त की मुख्य बातें क्या हैं और यह भारतीय विदेशी फर्मों के लिए किस प्रकार सहायक होगा,

(ग) क्या "अंशधारियों की पूंजी" के सिद्धांत से 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी वाली फर्मों को भी लाभ होगा क्योंकि वे उधार ली गई पूंजी का बहुत अधिक प्रयोग नहीं करती है जैसा कि भारतीय फर्म करती है; और

(घ) इस बारे में हाथी समिति के निर्णय क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) प्रपुंज औषधों के मामले में टैरिफ आयोग ने वृद्ध्या निर्धारित परिसम्पतियों और चालू पूंजी को मिलाकर लगी हुई पूंजी पर 15% लाभ की सिफारिश की थी। इस सनय देश में उत्पादित प्रपुंज औषधों के मूल्य इसी आधार पर निर्धारित संशोधित किए जा रहे है ।

सरकार ने औषध और भेषज उद्योग पर एक समिति का गठन किया है जिसके विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित भी शामिल है;

"ग्राहकों के लिये औषधों के मूल्यों को कम करने के बारे में अब तक किये गये उपायों की जांच करना और ऐसे अन्य उपायों की सिफारिश करना जो मूल औषधों और सूत्रयोगों के मूल्यों को सुव्यवस्थित करने के लिये आवश्यक हो ।"

समिति की रिपोर्ट सरकार को 6 अप्रैल 1975 को प्राप्त हुई है और उस पर ध्यान दिय जा रहा है ।

वौन एसिड का मामला टैरिफ आयोग को भेजना

7972. श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वौन एसिड का मामला टैरिफ आयोग को भेजा गया था और सदन को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी तथा बाद में उत्तरदायित्व निर्धारित करने और दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में पिछले दो वर्षों में आश्वासन दिये गये थे;

(ख) सरकार ने क्या कार्यवाही की है और मामले की वर्तमान स्थिति क्या है, उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा दंड देने में इसका असाधारण विलम्ब करने के क्या कारण है; और

(ग) इस मामले में कौन कौन अधिकारी जांच कर रहे थे और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) वौन एसिड की मूल्य संरचना पर टेरिफ आयोग की रिपोर्ट सरकार को 31 मार्च, 1966 को प्रस्तुत की गई थी। जिन परिस्थितियों में टैरिफ आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कार्रवाई नहीं की जा सकी थी, 27 जुलाई, 1973 को लोक सभा पटल पर प्रस्तुत किये गये विवरण पत्र में बताई गई थी। जैसा कि उस विवरण पत्र में बताया गया था कि मामला टेरिफ आयोग को सितम्बर, 1973 में पुनः सौंपा गया था।

(ग) जिन परिस्थितियों में टैरिफ आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही नहीं की जा सकी थी पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय द्वारा उनकी जांच की गई थी और जो अधिकारी विलम्ब के उत्तरदायी थे उनको सरकार की असंतुष्टि से सूचित किया गया था।

मैसूर दक्षिण रेलवे वर्कशाप के श्रमिकों की सेवा में अन्तराल

7973. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1974 से 22 अप्रैल, 1974 तक की "बैठे रहो" हड़ताल के कारण मैसूर दक्षिण रेलवे वर्कशाप की सेवा में जो अन्तराल आया था उसे इस बीच माफ कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या माफी के आदेश जारी किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) दक्षिण रेलवे के मैसूर कारखाने के पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों द्वारा 1-4-74 से 22-4-74 तक की गयी बैठ-हड़ताल में 2,118 कर्मचारियों ने भाग लिया था। हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया गया था और उसमें भाग लेने वालों का सेवा-भंग हो गया था। नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार का सेवा-भंग राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना माफ नहीं किया जा सकता और इसलिए क्षमादान साधारण तौर पर नहीं किया जा सकता। फिर भी, संबंधित कर्मचारियों द्वारा की गयी अपीलों के आधार पर क्षमा-दान पर विचार किया जा रहा है।

दक्षिण तथा दक्षिण मध्य रेलवे में हड़ताल में भाग लेने वाले नैमित्तिक श्रमिक

7974. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन नैमत्तिक श्रमिकों को काम पर वापिस ले लिया गया है जिन्हें मई 1974 की हड़ताल के दौरान दक्षिण तथा दक्षिण-मध्य रेलवे द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया था;

(ख) क्या रेल मंत्रालय को आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले की जानकारी है जो उसने रिट अपील संख्या 7772,888,889 तथा 890 के बारे में 11 फरवरी, 1975 को दिया था;

(ग) यदि हां, तो उक्त फैसले के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ; और

(घ) क्या भारत में अन्य रेलवे द्वारा सेवामुक्त किये गए नैमत्तिक श्रमिकों के बारे में ऐसी ही कार्यवाही की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मई 1974 की हड़ताल के दौरान बर्खास्त किये गये 4,979 नैमित्तिक श्रमिकों और एवजियों में से 3,689 को 12-4-1975 तक काम पर वापस ले लिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) उक्त फैसले को लागू करने का विनिश्चय किया गया है।

(घ) इस बारे में अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि जब भी नये निर्माण कार्य सुलभ हों, नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में की गयी सेवा-अवधि के आधार पर उनकी पारी के अनुसार नैमित्तिक श्रमिकों को काम पर वापस ले लिया जाना चाहिए।

क्लर्क ग्रेड I स्नातकों की सीधी भर्ती

7975. श्री अरविंद एम० पटेल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 27 जून, 1957 के पत्र सं० 55ए०सी०एस०/आई० एन०एस०पी० 45 द्वारा वर्ष 1957 में क्लर्क ग्रेड I के वर्ग में स्नातकों की सीधी भर्ती के बारे में कोई आदेश जारी किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या उक्त आदेश को लागू किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं , तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) एक पत्र सं०53 ए०सी०एस० इन्सप०/45 पार्ट दिनांक 27 जून, 1957 जारी किया गया था जिसमें रेलवे बोर्ड का यह निर्णय सूचित किया गया था कि लेखा विभाग में किसी एक वर्ष में होनेवाली क्लर्क ग्रेड I (330–560 रुपये सं० वे०) की स्थायी और अस्थायी रिक्तियों का 20 प्रतिशत भाग सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना चाहिए। पत्र में यह भी बताया गया है कि सीधे भर्ती किये गय उम्मीदवारों के साथ-साथ पदोन्नत किये गये कर्मचारियों की वरिष्ठता किस प्रकार निश्चित की जानी चाहिए ।

(ग) जी नहीं।

(घ) भर्ती पर प्रतिबंध होने के कारण सीधी भर्ती वाला कोटा भरा नहीं गया था। 1968 में यह विनिश्चय किया गया था कि जबतक सीधी भर्ती फिर से शुरु नहीं की जाती तब तक रिक्तियों को ग्रड II के सेवा-रत क्लर्कों के पदोन्नत करके भर लिया जाया करे। 22-10-1971 को अंतिम आदेश जारी किये गये थे कि क्लर्क ग्रेड I की 10 प्रतिशत रिक्तयां स्नातकों की सीधी भर्ती करके भर ली जायें और शेष 10 प्रतिशत पदोन्नति करके भरी जायें ।

आवास संबंधी सुविधा का लाभ उठाने वाले रेलवे कर्मचारी

7976. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1974 को आवास संबंधी सुविधा का लाभ उठाने वाले रेलवे कर्मचारियों संख्या क्या है ;

(ख) क्या यह सुनिश्चित किया जाता है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों और सुविधाओं का कोई न्यूनतम स्वच्छता स्तर हो; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी रेलवे कालोनियों की संख्या क्या है जो ब्रिटिश काल में स्थापित किये जाने के बाद फिर से बनाई गई हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 5,39,641 (31–3–1974 की)। रेलोंपर ऐसे आंकड़े वित्तीय वर्ष के लिए एकत्रित किये जाते हैं। इसीलिए 31–3–1974 को आवास संबंधी सुविधा का लाभ उठाने वाले रेल कर्मचारियों की संख्या ऊपर दी गयी है।

(ख) जी हां।

(ग) चतुथ श्रेणी के कर्मचारीयों के लिए रेलवे क्वर्टरों के निर्माण का मानकीकरण 1953 में किया गया था जिसके अनुसार सब रेलों पर स्थान और सफाई संबन्धी मानकों के समान स्तर

निर्धारित किये गये थे। तब से विभिन्न रेलवे कालोनियों में निर्मित क्वार्टरों में इन मानकों का अनुसरण किया जाता रहा है।

1953 से पूर्व इन क्वार्टरों के लिए कोई मानक अभिकल्प नहीं था और विभिन्न रेलवे कालोनियों में बनाये गये कुछ क्वार्टर निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थे, अतः इन क्वाटरों में धीरे-धीरे सफाई व्यवस्था सहित अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। कालोनियों और क्वार्टरों को नया रूप देना एक सतत प्रक्रिया है और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार उसे क्रमिक रूप से अपनाया जा रहा है।

संस्थापन/इंधन/विकास और यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर किया गया व्यय

7977. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पृथक पृथक निम्नलिखित शीर्षों पर भारतीय रेलवे द्वारा किये गये कुल व्यय की प्रतिशतता क्या है;

(1) संस्थान;

(2) इंधन;

(3) वर्तमान रेलवे लाइनों के विस्तार और नई रेलवे लाइनों के बिछाने सहित रेलवे विकास;

(4) यात्रियों के लिये सुविधायें;

(ख) क्या उपरोक्त मद (तीन) और (चार) की ओर अधिक ध्यान देने का कोई प्रयास किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कारवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क)

	1971–72	1972–73	1973–74
(1) कर्मचारियों पर खर्च .	36.69%	35.68%	36.49%
(2) इंधन पर खर्च .	19.61%	18.95%	16.99%
(3) विकास-कार्यों पर खर्च .	17.76%	21.06%	21.50%
(4) यात्रियों के लिए सुविधाओं पर खर्च	1.24%	1.29%	0.95%

(ख) और (ग) इन शीषकों के अन्तर्गत आने वाले कार्यों को भिन्न-भिन्न स्थानों पर ऐसे कार्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं और तात्कालिकता तथा धन की उपलब्धि को ध्यान में रख कर किया जाता है।

चेकोस्लावेकिया के साथ कुछ वस्तुओं का आयात करने संबंधी करार

7978. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग द्वारा कुछ वस्तुओं का आयात करने के लिये चेकोस्लोवेकिया के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये है;

(ख) इस करार की मुख्य बातें क्या है और मंगायी जाने वाली आयातित वस्तुओं के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या इससे इन वस्तुओं का निर्माण करने के हमारे स्वदेशी प्रयास पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(घ) वित्तीय वर्ष 1975–76 में इस समझौते के अन्तर्गत अब तक आयात की गई अथवा आयात की जाने वाली इन वस्तुओं की संख्या और नाम क्या है और इन पर कितनी लागत आयेगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) भारत सरकार और चेकोस्लोवेकिया सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अन्तर्गत, चेकोस्लोवेकिया के मैसर्स स्कोडा-एक्सपोर्ट से भारी ड्यूटी वाले 25 डी० सी० और 36 ए० सी० बिजली इजनों की सप्लाई के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और अभी तक किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

(ग) आयात तभी किया जाता है जब अपेक्षित मद का निर्माण देश में नहीं हो सकता और आयात अपरिहार्य होता है। इन भारी ड्यूटी वाले ए० सी०/डी० सी० इंजनों के मामले में विभिन्न मदों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है जिसमें देशी विकल्प भी शामिल हैं। आयात का आश्रय उसी अवस्था में लिया जायेगा जब देशी विकल्पों से उद्देश्य पूरा होता प्रतीत नहीं होगा।

त्रिवेंद्रम-नागरकोइल सेक्शन में रेल कार्य निर्माण

7979. **श्री वयालार रवि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेंद्रम-नागरकोइल सेक्शन में रेलवे निर्माण कार्य की प्रगति धीमी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है तथा कार्य में तेजी लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) रेलों की वार्षिक योजना में बहुत सीमित धन उपलब्ध होने के कारण, चालू वित्त वर्ष में इस परियोजना के लिए 203 करोड़ रुपये का आवंटन सम्भव हो सका है। फलस्वरूप इस परियोजना को पूरा करने की निर्धारित तिथि बदलकर मार्च, 1978 कर दी गयी है।

समस्त भारत की यात्रा के लिये विशेष गाड़ियां चलाने का अनुरोध

7980. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भगवान महावीर की 2500 वीं निर्वाण वर्षगांठ के अवसर पर संस्थानों और व्यक्तियों ने समस्त भारत की यात्रा के लिये जिसमें प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी शामिल हैं; विशेष गाड़ियां चलाने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन के अनुरोध स्वीकार किये गये और किन-किन शर्तों पर; और

(ग) इस प्रकार का कोई अनुरोध अस्वीकार किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली और कलकत्ता के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस की हानि

7981. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और कलकत्ता के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रैस घाटे पर चल रही है और यदि हां, तो इसे कब से घाटा आरम्भ हुआ और इसका वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन वर्षों में यात्री दर क्या रही ; और

(ग) आय में किन-किन कारणों से कमी हुई और इस गाड़ी को लाभप्रद बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) किसी एक गाड़ी के परिचालान में कितना नफा-नुकसान हुआ, यह मालूम करना संभव नहीं है, क्योंकि खर्च के आंकड़े गाड़ीवार नहीं रखे जाते । लेकिन, नयी दिल्ली और हवड़ा के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रैस के सम्बन्ध में समय-समय पर किये गये विशेष अध्ययनों से पता चला है कि इस गाड़ी से अर्जित राजस्व से इस गाड़ी पर हुए सीधे खर्च (जिसमें डीजल तेल, इंजन कर्मीदल, गाड़ी कर्मचारी आदि पर होने वाला खर्च, ब्याज, सवारी डिब्बों और इंजनों के अनुरक्षण का खर्च तथा मूल्यह्रास शामिल है लेकिन जिसमें रेल पथ की व्यवस्था एवं अनुरक्षण, सिग्नल और दूरसंचार, ऊपरी उपस्कर, खान-पान व्यवस्था आदि पर होने वाला खर्च शामिल नहीं है) की पूर्णतः भरपाई हो गयी तथा निश्चित अथवा संयुक्त खर्चों में भी अंशदान मिल गया ।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान दोनों दिशाओं में गाड़ी में उपलब्ध स्थानों के उपयोग का औसत इस प्रकार रहा :—

वर्ष	वातानुकुल दर्जा	वातानुकुल कुर्सी यान
1970–71 . . .	96%	94%
1971–72 .	95%	96%
1972–73 .	95%	93%
1973–74 . .	95%	97%
1974–75	68%	90%

(ग) राजस्व में कोई गिरावट नहीं आयी है ।

समान संहिता के बारे में स्त्रियों की प्रास्थिति संबंधी समिति की रिपोर्ट

7983. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्त्रियों की प्रास्थिति संबंधी समिति ने सरकार को दी गई अपनी रिपोर्ट में एक समान संहिता बनाने का सुझाव दिया है जिससे समूचे देश में एक विवाह प्रथा सुनिश्चित की जा सके, एकपक्षीय विवाह विच्छेद पर प्रतिबन्ध लग सके तथा हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब व्यवस्था जिसकी परिभाषा के अन्तर्गत स्त्री को एक विधिक अस्तित्व के रूप में शामिल नहीं किया जाता है, समाप्त किया जा सके ; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) भारत में स्त्रियों की प्रास्थिति संबंधी समिति ने अन्य बातों के साथ यह सिफारिश की है कि :—

(i) इस बुनियादी नीति पर कि भारत में सभी जातियों के लिए एक विवाह का नियम होना चाहिए, कोई समझौता नहीं हो सकता है;

(ii) एकपक्षीय विवाहविच्छेद के अधिकार को समाप्त करने के लिए और विवाह के विघटन के आधारों की बाबत दोनो पक्षकारों को समान अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिए तुरन्त विधान बनाया जाय;

(iii) जन्मसिद्ध अधिकार समाप्त किया जाय और मिताक्षरा सहदायिकी को दयाभाग मे संपरिवर्तित किया जाय ।

(ख) सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

जनता साबुन बनाने के लिए साबुन उद्योगों को दी गई रियायतें

7984. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि जनता साबून बनाने के लिए उद्योग को यदि कोई रियायतें दी गयी है तो व क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : साबुन उद्योग को चावल भूसी तथा गोण तेलों का उपयोग करके विभिन्न किस्मों के साबुन निर्माण मे उत्पादन शुल्क के छूट के रूप में रियायत के अलावा जनता साबुन के उत्पादन को और कोई रियायत नहीं दी गई है ।

निर्वाचन संबंधी सुधारों के बारे में बैठक

7985. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या निर्वाचन संबंधी सुधारों के बारे में चर्चा के लिए प्रधान मंत्री के साथ बैठक में श्री जयप्रकाश नारायण तथा 'तारकुण्डे कमिटी' के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है ।

इस बैठक में आमंत्रित व्यक्ति संसद के राजनीतिक दलों के नेता और कुछ असंबद्ध सदस्य हैं, जिनमें श्री पी० जी० मावलंकर भी है, जो तारकुंडे समिति के सदस्य हैं।

विदेशी औषध कम्पनियों को लाइसेंस जारी किया जाना

7986. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में औषधियों के उत्पादन के लिये विदेशी कम्पनियों को नये लाइसेंस जारी करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूप रेखा क्या है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) विदेशी औषध कम्पनियों से औद्योगिक लाइसेंस के लिए सामान्य रुप से प्राप्त कुछ प्रार्थना पत्र जांच कार्य के विभिन्न स्तर पर है। उन पर निर्धारित नीति के अनुसार सरकारी निर्णय प्रत्येक मामले की जांच के पश्चात् लिया जायगा।

उर्वरक उद्योग के विकास के लिए उर्वरक आयोग

7987. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उर्वरक उद्योग के विकास के लिए एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने हेतु एक उच्च अधिकार प्राप्त उर्वरक आयोग नियुक्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या आयोग अवशिष्ट पदार्थ का पुनः उपयोग करने संबंधी परियोजनाओं का भी अध्ययन करेगी;

(ग) क्या आयोग को कोई अन्य काम भी सौंपा जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) तक इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

हाथी समिति की राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण बनाने की सिफारिश

7988. **श्री के० मालन्ना :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध संबंधी हाथी समिति ने राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की है जिसे औषधियों के बारे में योजना उत्पादन और वितरण तथा विदेशों से प्रौद्योगिकी के आयात का संपूर्ण दायित्व सौंपा जाये,

(ख) क्या समिति ने विदेशी औषध फर्मों के सरकारीकरण के बारे में कोई सिफारिश की है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) औषध एवं भेषक उद्योग पर समिति की रिपोर्ट सरकार को 6 अप्रैल 1975 को प्राप्त हुई थी और उस पर विचार किया जा रहा है। भारतीय औषध प्राधिकरण की स्थापना जैसे प्रश्नों पर अन्य सिफारिशों के साथ सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा छिद्रण उपकरणों का निर्माण

7989. **श्री के० मालन्ना** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अशोधित तेल की खोज तथा उत्पादन के लिये देश में छिद्रण उपकरणों का निर्माण करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी): (क) और (ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने बड़े तेल अन्वेषण और विकास कार्यक्रम के लिए अपेक्षित कुछ कच्चे तेल के निर्माण के लिए पता लगाने और देशी समर्थताओं को विकसित करने के कई उपाय उठाये हैं। उनके कार्यक्रम में निम्नलिखित रिगों का निर्माण शामिल है :—

(i) 50 मी० टन की क्षमता के वर्कओवर रिग्स;

(ii) क्रालर किस्म के 28 मी० टन की क्षमता के वर्क ओवर रिग्स।

इसके अतिरिक्त गहरा व्यधन करने वाली रिगों के देशी उत्पादन के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० द्वारा सहयोग करार किया गया है।

'क्लाज इन ला अगेन्स्ट मोनोपोलीज ग्रोथ' (एकाधिकार-ग्रहों के विरुद्ध कानून में कमियां) शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

7990. **श्री वसन्त साठे** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अप्रैल, 1975 के "प्रेट्रियट" में "क्लाज इन ला अगेन्स्ट मोनोपोलीज ग्रोथ" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस समाचार में की गई विभिन्न टिप्पणियों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) सरकार ने प्रकाशित समाचार को देखा है।

(ख) तथा (ग) प्रकाशित समाचार का विवरण है कि एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम को उसके कार्यकरण के दौरान सूचना में आए दोषों को दूर करने के लिए या आयोग ने पिछले एक साल से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इसके कर्तव्यों के निष्पादन में असमर्थ होने या आयोग और कम्पनी कार्य विभाग के मध्य जो मतभेद हैं, सत्य नहीं हैं, का संशोधन करने के लिए

कोई कार्यवाही नहीं की है। जैसा कि पहिले ही 18 दिसम्बर, 1974 को सदन के पटल पर प्रस्तुत तृतीय वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 11(1) (क) में उल्लेख किया गया था कि इन उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा जो असंगतियां प्रगट हो को दूर करने के लिए प्रशासनिक और कार्य विधि विषयक तथा मौखिक परिवर्तनों के सम्बन्ध में कतिपय आशोधन इस समय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं। इनमें यह सुझाव भी सम्मिलित है कि एकाधिकारिक व्यापार प्रथाओं तथा अधिनियम की धारा 31 के उपबन्धों के सम्बन्ध में आयोग द्वारा स्वयं के मत से जांच हेतु धारा 10 (ख) के अन्तर्गत उपबन्धों के मध्य उचित माध्यम स्थापित किया जाना आवश्यक है। वर्तमान अध्यक्ष के 23–7–1973 को कायभार ग्रहण करने के कारण आयोग बगैर अध्यक्ष की भी नहीं रहा है। आगे आयोग तथा विभाग निकट सम्पर्क रखे हुए है तथा समरूप कार्य कर रहे हैं।

"कोल लोडिंग आन ईस्टर्न रेलवे"

7991. **श्री वसन्त साठे :**

श्री भाऊसाहिब धामनकर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अप्रैल, 1975 के "इकानामिक टाइम्स" में "कोल लोडिंग आन ईस्टर्न रेलवे हिट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) रेलें उपयोगकर्त्ताओं से विशेषकर पूर्वी क्षेत्र के बिजली घरों और साफ्ट् कोक उपयोगकर्ताओं से आने वाली मांगों की प्रतीक्षा कर रही है।

(ग) इस मामलों को सम्बद्ध मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा कोयला उत्पादन एजेन्सियों के ध्यान में लाया गया है।

सुपर केरोसीन स्टोव के अविष्कार के लिए पुरस्कार

7992. **श्री वसन्त साठे :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सुपर केरोसीन स्टोव के अविष्कार के लिये पुरस्कार की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो पुरस्कार की मुख्य बातें क्या हैं तथा क्या सरकार को पुरस्कार के प्रस्ताव की कोई प्रतिक्रिया मिली है;

(ग) क्या पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की बचत के लिये आविष्कारों पर भी इसी प्रकार के पुरस्कार देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी, हां।

(ख) पंचाट की मुख्य बातें तथा उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(1) आम जनता के लिए अच्छे, अधिक देर तक काम करने वाला तथा सुरक्षित स्टोव का उत्पादन एवं सप्लाई करना ।

(2) बाजार में हाल में उपलब्ध स्टोवों की तुलना में अधिक ताप देने वाला तथा उच्चतर तापीय दक्षता के साथ मिट्टी के तेल के एक स्टोव का उत्पादन करना, जिसमें देश में मिट्टी के तेल की खपत कम होगी। कुछ प्रारम्भिक पुछताछ की गई है तथापि मिट्टी के तेल की कम से कम तापीय दक्षता एवं खपत दर की आवश्यकता सहित इस संदर्भ में विस्तृत प्रचार के लिए समाचार पत्रों में दिया जा रहा है। प्रविशिष्टियों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख 30 जून, 1975 है ।

(ग) और (घ) इस समय सरकार द्वारा ऐसे किसी प्रकार के पंचाट को देने का विचार नहीं है। तथापि दी फेडरेशन आफ इंडियन आटोमोबाइल एसोसिएशन ने एक प्रतियोगिता की व्यवस्था की है जिसमें पेट्रोल की बचत करने के लिए सुझाव मांगे गये है तथा अच्छी प्रविष्ठि के लिए इनामों की भी घोषणा की थी ।

ठेका श्रमिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव

7993. श्री वसन्त साठे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रेलवे की ठेका श्रमिक प्रणाली को समाप्त नियमिता निरूत्सहित करन का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या क्या परिणाम निकले ?

(ग) क्या ठेका श्रमिक सहकारी समितियों के माध्यम से रेलवे में कार्य निष्पादन को प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो ठेका श्रमिक सहकारी समितियों के प्रोत्साहन के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारतीय रेलों पर कुछ विशेष प्रकार के निर्माण कार्यों को करने के लिए ठेका श्रमिक प्रणाली विद्यमान है। इन निर्माण कार्यों में ठेका श्रमिक प्रणाली को समाप्त करने का कोई विचार नहीं है। भारतीय रेलों पर ठेका श्रमिकों की नियुक्त ठेका श्रमिक (नियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 और इनके अधीन बनाये गये नियमों की व्यवस्थाओं द्वारा नियमित होती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सहकारी श्रमिक ठेका समितियों के गठन को प्रोत्साहन देने के लिए वास्तविक श्रमिकों की बनी हुई पंजीकृत श्रमिक सहकारी समितियों को ठेका देने के मामले में रेल प्रशासन कई सुविधाएं देते हैं। इस नीति का अनुसरण करते हुए माल, पार्सल, कोयला, कोयला-राख, जले हुए कोयले चुनने और राख के गड्ढे की सफाई आदि की सप्लाई के ठेके बात-चीत द्वारा पंजीकृत सहकारी श्रमिक ठेका समितियों को दिये जाते हैं, चाहे उन ठेकों का मूल्य कितना ही हो।

10,000 रुपये के मूल्य के नीचे लिखे किस्म के सिविल इंजीनियरिंग निर्माणकार्य भी सहकारी श्रमिक ठेका समितियों को बात-चीत द्वारा दिये जाते हैं :—

(i) चुने की पुताई; और

(ii) गिट्टी लादना और उतारना और सामान चढ़ाना-उतारना। इस संबंध में इन कार्रवाइयों के परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं।

बिहार में 1975–76 के दौरान नई बड़ी रेलवे लाइनें

7994. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975–76 के दौरान बिहार में किन क्षेत्रों में नई बड़ी रेलवे लाइनें बिछाई जायेंगी;

(ख) क्या हजारीबाग को रांची और कोडरमा से रेल द्वारा जोडा जायेगा ;

(ग) क्या राजगीर को बोध गया से जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन बिछाई जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1975–76 में बिहार में बड़े आमान की किसी नयी लाइन के निर्माण का विचार नहीं है। लेकिन, 1975–76 में मीटर लाइन के निम्नलिखित खंडों का बड़ी लाइन में बदलने के लिए धन की व्यवस्था की गई है .—

(i) भटनी-मुजफ्फरपुर, जो बाराबंकी-समस्तीपूर आमान परिवर्तन का एक अंग है ।

(ii) समस्तीपुर-दरभंगा ।

(ख) रांची और कोडरमा पहले से ही रेल द्वारा जुड़े हुए हैं। हजारी-बाग टाउन, हजारीबाग रोड, मधुपुर और दुमका के रास्ते रांची रोड़ से रामपुरहाट तक के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

(ग) गया से राजगीर तक प्रस्तावित रेल सपर्क के लिए चालू वित्तीय वर्ष में सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ।

(घ) सर्वेक्षण पूरे होने और रिपोर्टों की जांच हो जाने के बाद, उपर्युक्त (ख) और (ग) के प्रस्तावों पर और आगे विचार किया जायेगा ।

यात्री गाड़ियों के लिए अग्रिम आरक्षण

7995. श्री सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों के लिये सभी गाडियों में, सभी श्रेणियों में अग्रिम आरक्षण उसकी सीमा 20 दिन की करके एक वर्ष के लिये लागू किया गया है ;

(ख) क्या ऐसा प्रयोग पहले भी किया गया था;

(ग) क्या इससे बुकिंग में, विशेषकर द्वितीय श्रेणी की सीटों के लिये, भ्रष्टाचार बढ़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजना से यात्रियों को क्या लाभ होगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद/सिकन्दराबाद (बडी लाइन) लखनऊ, अहमदाबाद और गुवाहाटी से चलने वाली सभी गाडियों और कुछ अन्य महत्वपूर्ण नामांकित गाडियों के सभी दर्जों में अग्रिम आरक्षण के लिए परीक्षण के तौर पर 15–4–75 से एक वर्ष के लिए एक प्रणाली शुरू की गयी है जिसमें समय की कोई पाबंदी नहीं होगी। मध्यवर्ती स्टेशनो पर भी बिना किसी समय-सीमा के उपर्युक्त गाडियों में अग्रिम आरक्षण उपलब्ध होगा। अन्य सभी स्टेशनों पर और अन्य गाडियों में सभी दर्जों के लिए 20 दिन की समान समय-सीमा लागू होगी।

(ख) आरक्षण एवं बुकिंग समिति की इच्छा के अनुसार 15–11–1972 से 14–12–1972 तक और फिर 15–4–1973 से 14–5–1973 तक सभी दर्जों के लिए अग्रिम आरक्षण की समय-सीमा को परीक्षण के तौर पर बढ़ाकर एक समान अर्थात् 30 दिन कर दिया गया था। 15–5–1973 से 14–7–1973 तक दो महीने के लिए परीक्षण के तौर पर बिना किसी समय-सीमा के अग्रिम आरक्षण किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस प्रणाली के अनेक लाभ हैं। उदाहरण के तौर पर, जो व्यक्ति अपनी यात्रा का कार्यक्रम पहले से बना सकते हैं, वे यात्रा की प्रस्तावित तारीख से दस दिन पूर्व (दूसरे दर्जे में) अथवा बीस दिन पूर्व (पहले दर्जे में) किसी विशेष तारीख को बुकींग कार्यालय में आये बिना किसी भी दिन आकर आरक्षण करवा सकते हैं। इसके अलावा, जब यात्री किसी दिन-विशेष के लिए शयिका का आरक्षण मांगते हैं और उस दिन के लिए शयिका उपलब्ध नहीं होती तो, यदि वे चाहें तो, अगले जिन दिन के लिए शयिका उपलब्ध हो, उसे आरक्षित करने के लिए कह सकते हैं। पुरानी व्यवस्था की भांति उन्हें फिर आने और बाद की तारीख के लिए आरक्षण का अनुरोध करने हेतु लाइन में खडे होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तीसरे, जब आरक्षण के लिए कोई समय-सीमा नहीं होगी और किसी दिन-विशेष अर्थात् दूसरे दर्जे में 10 दिन पूर्व और पहले दर्जे में 20 दिन पूर्व बुकिंग कार्यालय के खुलते ही लोगों को लाइन में नहीं लगना पडेगा तो आशा है, काउन्टर पर भीड कम हो जायेगी। यह भी आशा है कि असामाजिक तत्वों द्वारा शयिकाओं के रोके रखे जाने में भी काफी कमी होगी।

ओलावक्कोट स्थित कन्ट्रोल आफिस में सेक्शन कन्ट्रोलरों के पद पर रिलिविंग एसिसटेंट स्टेशन मास्टर का काम करना।

7996. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओलावक्कोट स्थित कंट्रोल आफिस में सेक्शन कंट्रोलरों के पदों पर 1962 से दो रिलीविंग एसिस्टेंट स्टेशन मास्टर कार्य करते आ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एक रिलीविंग सहायक स्टेशन मास्टर 1963 से और दूसरा 1970 से सेक्शन कंट्रोलर के काम पर लगा हुआ है।

(ख) ओलावक्कोट मंडल में समय-समय पर इस कोटि में कमचारियों की भारी कमी के कारण, रिलीविंग सहायक स्टेशन मास्टरों को इस काम पर लगाना आवश्यक हो गया। पिछले कुछ वर्षों से सेक्शन कंट्रोलरों का प्रवरण नहीं किया जा सका क्योंकि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमानों का संशोधन और नये वेतनमानों का प्रवरण और गैर-प्रवरण ग्रेडोंके रूप में वर्गीकरण नहीं हुआ था। वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप, 250–380 रु०

(अ० वे०) और 335–425 रु० (अ० वे०) के वेतनमानों में सेक्शन कट्रोलर के पदों को मिलाकर एक ग्रेड बना दिया गया है और इसके बाद उन्हें प्रवरण पदों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। ओलाक्कोट मंडल अब इस ग्रेड में प्रवरण कर रहा है और जब विधिवत चुने हुए उम्मीदवार उपलब्ध हो जायेंगे तो तदर्थ व्यवस्था समाप्त कर दी जायेगी।

बम्बई हाई में पांचवें कुएं के छिद्रण की तैयारी

7997. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री पुरूषोत्तम काकोडकर :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई में पांचवे कुएं का छिद्रण करने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कोई तैयारी आरम्भ कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(ग) क्या चौथे कुएं के संबंध में मिली सफलता से पांचवें कुएं के स्थान के बारे में अब तक कोई सहायता मिली है यदि हां, तो तत्संबधी मुख्य बातें क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) बम्बई हाई संरचना पर सागर सम्राट पहले ही लगा दिया गया है संरचना के दक्षिण भाग में अन्वेषण कार्य करने के लिए चौथे कुएं के दक्षिण में लगभग 40 कि० मी० दूर पांचवें कुएं में व्यधन कार्य किये जाने वाला है।

बम्बई हाई में सागर सम्राट का कार्य

7998. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री किशन मोदी :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब सागर में बम्बई हाई क्षेत्र में कार्य कर रहे सागर सम्राट के बारे में मिला नवीनतम समाचार उत्साहवर्धक है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी, हां।

(ख) बाम्बे हाई संरचना में हाल में खोदे गये चौथे कुएं के उत्पादन परीक्षण के परिणामों से तेल के वाणिज्यिक महत्व के जमाव का निश्चित संकेत मिला है।

तेल उत्पादन मे शीघ्रता लाने के लिए ड्रिलिंग प्लेटफार्म की स्थापना

7999. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री अनादि चरण दास :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यथा सम्भव शीघ्र तेल का उत्पादन करने के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एक ड्रिलिंग-कम-प्रोडक्शन प्लेटफार्म स्थापित करने का विचार है ;

(ख) क्या व्यापार के लिये उत्पादन के प्रथम चरण की 1975 के प्रारम्भ में स्थापना हो जायेगी ;

(ग) क्या प्रतिवर्ष 10 लाख टन तेल के उत्पादन की सम्भावना है ; और

(घ) क्या तेल उत्पादन की दर 5000 बैरल प्रति दिन होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (घ) 1976–77 मे बाम्बे हाई से प्रति वर्ष 10 लाख मीटरी टन, जो लगभग 20,000 बैरल प्रतिदिन होगा, तेल के उत्पादन के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग मध्यवर्ती स्तर की स्थापना के लिए कार्रवाई कर रहा है इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आयोग आवश्यक है। अचलप्लेटफार्म तथा अन्य उपकरणों को प्राप्त करने के लिए यथासमय कार्रवाई कर रहा है ।

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत पर रोक लगाने के लिए उपाय

8000. **श्री डी० के० पंडा :**

श्री के० एम० मधुकर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों की खपत पर रोक लगाने के लिए किए गये विभिन्न उपायों के परिणामों की समीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और;

(ग) सरकारी क्षेत्र द्वारा खपत में कमी करने में सरकार को कहां तक सफलता मिली है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) तेल उत्पादकों के उपभोग में कमी करने के लिए सरकार द्वारा किये गये विभिन्न वित्तीय एवं विनियमक उपायों के फलस्वरूप 1973 की तुलना मे 1974 में 3.1% की कुल कमी हुई है, जबकि भूतपूर्व में वृद्धि की औसतन दर 9% थी ।

(ग) इस संबंध में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते ।

गत वर्ष कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए दिल्ली म कम्पनियों पर मुकदमा चलाया जाना

8001. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के आरोप में गत वर्ष दिल्ली में कुल कितनी कम्पनियों पर मुकदमा चलाया गया ; और

(ख) किस प्रकार के मुकदमें चलाये गये तथा उनका क्या परिणाम निकला ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) 1-4-1974 से 31-3-1975 तक की अवधि के मध्य दिल्ली में 143 कम्पनियो पर मुकदमा चलाया गया था । इनमें चार वे कम्पनीयां भी सम्मिलित हैं, जिनके पंजीकृत कार्यालय हरियाणा राज्य मे स्थित हैं ।

(ख) ये मुकदमे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159/162, 220, 551, 614क(2) के अन्तर्गत वार्षिक विवरणियों/तुलन पत्र/लेखे विवरण न प्रस्तुत करने के लिये तथा धारा 150(2) के अन्तर्गत सदस्यों के रजिस्टर के अनुचित संधारण के लिये दायर किये गये थें । 52 कम्पनियों के विरुद्ध मामलों का परिणाम दोष सिद्धि में हुआ व न्यायालय द्वारा 11,225 रु० का जुर्माना किया गया । कम्पनियों के विरुद्ध शेष मामले अभी न्यायालय में अनिर्णित हैं ।

दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित मामले

8002. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली उच्च न्यायालय में 31 दिसम्बर, 1974 को कुल कितने मामले लम्बित थे ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में कुल कितने मामले निपटाए गए ; और

(ग) लम्बित मामलों को निपटाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) 20,495 ।

(ख) 18,870 ।

(ग) दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में 18 दिसम्बर, 1974 से दो की और वृद्धि की गई है । उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति लम्बित मामलों का नियमित रूप से पुनर्विलोकन कर रहे हैं तथा विशेष बैंचें गठित करके और ऐसे मामलो पर, जिनमे समान विधि-प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, एक साथ विचार करके मामलों का निपटारा शीघ्रता से किया जा रहा है ।

दिल्ली के सेशन न्यायाधीशों के न्यायालयों में लम्बित आपराधिक मामले

8003. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1974 को दिल्ली के सेशन न्यायाधीशों के न्यायालयों में कुल कितने आपराधिक मामले लम्बित थे ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान कितने मामले निपटाये गये ; और

(ग) मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) 2,484 ।

(ख) 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान दिल्ली के सेशन न्यायाधीशों द्वारा 2,511 आपराधिक मामले निपटाए गए ।

(ग) दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रस्थापना की है कि ऊपर जिला और सेशन न्यायाधीश के और पदों का सृजन किया जाए । इन प्रस्थापनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

कलकत्ता के लिए ट्यूब रेल के लिए अनुमान

8004. **श्री समर गुह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता के लिये प्रस्तावित ट्यूब रेल व्यवस्था के लिये पहले और अब के अनुमान क्या हैं ;

(ख) इस परियोजना को पूरा करने में लगभग कितना समय लगेगा ;

(ग) परियोजना पूरी होने तक लागत में कितनी वृद्धि हो जाने का अनुमान है ;

(घ) परियोजना के लिये अपेक्षित विदेशी विशेषज्ञान और सामग्री सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ङ) इस प्रकार की ट्यूब रेल व्यवस्था से कितने प्रतिशत यातायात होने का अनुमान है ;

(च) वार्षिक राजस्व, रखरखाव और कर्मचारियों आदि पर व्यय सम्बन्धी अनुमान क्या है ; और

(छ) क्या इस परियोजना पर कलकत्ता में अधिक संख्या में यात्रियों को लाने ले जाने और कलकत्ता की यातायात समस्याओं के साथ इतनी कम अवधि मे निपटने के लिये (एक) वृत्ताकार रेलवे और (दो) रेल मार्गों को हटा कर ट्राली बसें चलाने के लिये पुनर्विचार किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कलकत्ता के लिए प्रस्तावित द्रुत परिवहन रेलवे के पूर्ववर्ती और वर्तमान अनुमान क्रमश: 140 करोड़ रुपये और 250 करोड़ रुपये के हैं ।

(ख) प्रगति रिपोर्ट के अनुसार काम के पूरा होने की जो अवधि सात वर्ष थी, उसकी साधनों पर दबाव के कारण पुनरीक्षा की जा रही है ।

(ग) यह पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं है कि परियोजना के पूरा होने तक मूल्यों में कितनी वृद्धि होगी ।

(घ) चल-स्टाक, सिगनल व्यवस्था एवं सिविल इंजीनियरी भुगत निर्माण के लिए सीमित मात्रा में प्रौद्योगिकी और सामग्री के लिए विदेशी विशेषज्ञों की सहायता ली गयी है ।

(ङ) लगभग 30 प्रतिशत यातायात द्रुत परिवहन लाइन द्वारा ढोया जायेगा ।

(च) अनुमानित वार्षिक राजस्व 20.00 करोड़ रुपये हैं ; अनुरक्षण और स्थापना की अनुमानित लागत 10.00 करोड़ रुपये है ।

(छ) जी नहीं ।

मंगलौर-बम्बई लाइन पर नये स्टेशनों के लिये सर्वेक्षण

8005. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलोर-बम्बई रेलवे लाइन के लिये किये गये प्रारम्भिक सर्वेक्षण में कुल कितने स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है : और

(ख) इन स्टेशनों के नाम क्या है और प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार उनकी निर्माण लागत का अनुमान क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 66 ।

(ख) एक विवरण संलग्न है [**ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 9564/75**] जिसमें स्टेशनों के नाम दिये गय है । सर्वक्षण के अनुसार सभी 66 स्टेशनों के निर्माण (रेलवे लाइनों को छोड़कर) की कुल अनुमानित लागत 1.91 करोड़ रुपये है । इसके अलावा स्टेशन की मशीनो और विद्युत उपस्करों पर लागत 2.64 करोड़ रुपये है ।

तटदूर तेल की खोज के लिए विदेशी फर्मो को ठेके देना

8006. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) देश के विभिन्न तटदूर क्षेत्रों में तेल की खोज करने और (दो) पहले से पता लगाये गये तट-दूर तेल को निकालने के लिये जिन बड़े विदेशी विशेषज्ञों और फर्मों के साथ सम्पर्क स्थापित किया गया है या ठेके दिये गये है उन से सम्बन्धित तथ्य क्या है ; और

(ख) इस प्रकार के ठेकों की शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) अपतटीय अन्वेषण के लिए बंगाल, उड़ीसा की खाड़ी के लिए अमेरिका की कास्से वर्ग इण्डिया ग्रुप तथा कच्छ की खाड़ी के लिए अमेरिका की रिड़ींग एवं वेटस ग्रुप के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये है । ठेके पर दिये गये दोनों क्षेत्रों के भूभौतिकीय व सर्वेक्षण पूरा हो गया है । प्राप्त सूचना का अध्ययन जारी है । तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग बाम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र में कार्य कर रहा है वहां पर तेल का पता चला है ।

(ख) बंगाल, उड़ीसा तथा खम्पात खाड़ियों के लिए समझौते की मुख्य शर्तें 23 जुलाई, 1974 को तारांकित प्रश्न सं० 30 के उत्तर में सभा पटल पर प्रस्तुत किये गये विवरण पत्र में दी गई है ।

बर्मा शेल के विक्रेताओं को पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध

8007. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार कुछ अन्य तेल कम्पनियों को यह निदेश देने का है कि वे विशिष्ट अवधि के लिये बर्मा शैल के विक्रेताओं को ऐसे पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई करें जिनकी उनके यहां कमी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : सरकार ने आम जनता की मांग पूरी करने के लिए फुटकर पेट्रोल पम्पो पर पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार मे उन शक्तियों को निहित कर आवश्यक वस्तु अधिनियम

के अधीन पेट्रोलियम उत्पाद (फुटकर बिक्री के लिए सप्लाई विनियमन) आदेश, 1974 पहले ही जारी कर दिया है । यदि इस स्थिति की मांग होती है तो सरकार बर्मा शैल का अन्य किसी तेल कंपनी से संबंधित फुटकर बिक्री केन्द्रों से आम जनता की मांग पूरा करने के लिए विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उस आदेश के अधीन कार्रवाई करने का विचार करेगी ।

नंगनाल्लूर में निरामिष अल्पाहार स्टाल

8008. श्री जगदीश भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास बीच ताम्बरम सेक्शन पर नंगनाल्लूर में कोई निरामिष अल्पाहार स्टाल खोला गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) मद्रास बीच-ताम्बरम खण्ड पर नगनल्लूर नाम का कोई स्टेशन नहीं है । पालवंथागल नाम का एक स्टेशन अवश्य है जो निकटवर्ती नंगनल्लूर टाउनशिप की आवश्यकताएं पूरी करता है । यह स्टेशन सितम्बर, 1974 में ही यातायात के लिए खोला गया था । इस स्टेशन पर शीघ्र ही एक शाकाहारी अल्पाहार स्टाल खोलने का विनिश्चय पहले से ही किया जा चुका है ।

राजकोट डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में टिकट कलक्टरों/चल टिकट परीक्षकों की पदोन्नति

8009. श्री ईश्वर चौधरी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल मैनेजर (वैस्टर्न रेलवे) ने डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट राजकोट को लिखे 11 अप्रैल, 1974 के पत्र में कहा था कि रेलवे बोर्ड के निर्णय के अनुसार 21 टिकट कलेक्टरों/चल-टिकट परीक्षकों की पदोन्नति कर दी जाये ;

(ख) अब तक कितने व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया है ;

(ग) रेलवे प्रशासन के निर्णय को क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) पदोन्नतियां कब तक की जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं । उस पत्र में चल टिकट परीक्षकों के 21 अतिरिक्त पदों की मंजूरी-भर दी गयी है ।

(ख) अब तक 12 व्यक्तियों को पदोन्नत कर दिया गया है ।

(ग) गाड़ियों के रद्द हो जाने के कारण कुछ चल टिकट परीक्षक फालतू हो गये हैं । उन्हें नये पदों पर समायोजित कर दिया गया है ।

(घ) जब रद्द हुई गाड़ियां फिर से चलने लगेंगी, तब शेष पदों पर पदोन्नति कर दी जायेगी ।

किसी एक डिवीजन में दूसरे डिवीजन के टिकट कलक्टरों/चल टिकट परीक्षकों/कन्डक्टरों की शयन-यानों में लगाया जाना

8010. **श्री ईश्वर चौधरी :**

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल मैनेजर (वैस्टर्न रेलवे) ने विभिन्न डिवीजनल सुपरिटेंडेंट्स को जारी किये गये 11 अप्रैल, 1974 के परिपत्र में यह कहा था कि यथासम्भव किसी एक डिवीजन में दूसरे डिवीजन के टिकट कलेक्टरों/चल-टिकट परीक्षकों कंडक्टरों को शयन-यानों में नहीं लगाया जाना चाहिये ;

(ख) उन रेलगाडियों के नाम क्या हैं जिनमें राजकोट डिवीजन में अजमेर डिवीजन के कर्मचारियों को उल्लंघन करने की अभी भी अनुमति है ;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) पश्चिम रेलवे में इस प्रकार के और कौन से उल्लंघन किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं । लेकिन, पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक ने अपने 11-4-1974 के पत्र में सभी मंडल अधीक्षकों को इस आशय की हिदायतें जारी की थीं कि शयनयानों में तैनात करने के लिए चल-टिकट परीक्षकों के अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाये और जहां तक सम्भव हो चल-टिकट परीक्षकों से उनके अपने ही मंडल में काम कराने की व्यवस्था की जाये ।

(ख) 1 अप/2 डाउन दिल्ली मेल, 3 अप/4 डाउन दिल्ली एक्सप्रेस, 31 अप/32 डाउन जयन्ती जनता एक्प्रेस और 5 अप/6 डाउन तेज़ सवारी गाड़ियों के शयनयानों में काम करने के लिए राजकोट मंडल के, पालनपूर-अहमदाबाद खंड पर अजमेर मंडल के चल-टिकट परीक्षक तैनात किये जाते हैं ।

(ग) चल टिकट परीक्षक कार्य घंटा विनियमों द्वारा शासित होते हैं । उनकी ड्यूटी का नक्शा इस प्रकार तैयार किया जाता है कि मितव्ययता का ध्यान रखते हुए जनशक्ति का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके । इसलिए, कार्य कुशलता और मितव्ययता के विचार से एक मंडल में गाड़ी पर काम करने के लिये दूसरे मंडल के चल टिकट परीक्षकों का उपयुक्त समायोजन करना होता है ।

(घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है ।

विवरण

पश्चिम रेलवे की जिन गाड़ियों के शयनयानों में एक मंडल के चल टिकट परीक्षक दूसरे मंडल में जाते हैं, वे इस प्रकार हैं :—

सूरत-वडोदरा खंड पर 15 डाउन/16 अप सौराष्ट्र एक्सप्रेस, 23 डाउन/24 अप दिल्ली जनता एक्सप्रेस, 19 डाउन/20 अप देहरादून एक्सप्रेस गाड़ियां, सूरत, रतलाम खंड पर 25 डाउन/26 अप वातानुकूल एक्सप्रेस, 3 डाउन/4 अप फ्रंटियर मेल ; सूरत-वीरमग्राम खंड पर 17 डाउन/18 अप सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस, सूरत-अहमदाबाद खंड पर 7 डाउन/8 अप अहमदाबाद जनता एक्सप्रेस, 1 डाउन/2

अप गुजरात मेल, जिन पर **बम्बई मंडल के चल टिकट परीक्षक तैनात किये जाते है।** सूरत-बम्बई सेंट्रल खंड पर 5 डाउन/6 अप सौराष्ट्र मेल, 7 डाउन/8 अप अहमदाबाद जनता एक्सप्रेस, 17 डाउन/18 अप सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस, जिन पर **बडोदरा मंडल के चल-टिकट परीक्षक तैनात किये जाते हैं।** । वडोदरा-गोधरा खंड पर 19 डाउन/20 अप देहरादून एक्सप्रस और नागदा-नयी दिल्ली और गोधरा-**बम्बई** सेन्ट्रल खंडों पर 25 उन/26 अप वातानुकूल पश्चिम एक्सप्रेस पर **रतलाम मंडल के चल-टिकट परीक्षक तैनात किये जाते हैं।** नागदा-रतलाम खंड पर 19 डाउन/20 अप देहरादून एक्सप्रेस, 3 डाउन/4अप फ्रंटियर मेल, 23 डाउन/24 अप दिल्ली, दिल्ली जनता एक्सप्रेस, 25 डाउन/26 अप वातानुकूल पश्चिम एक्सप्रस गाड़ियां जिन पर कोटा मंडल के चल टिकट परीक्षक तैनात किये जाते हैं । पालनपूर-आबू रोड खंड पर 5 अप/6 डाउन तेज सवारी गाड़ियां जिन पर **राजकोट मंडल के चल-टिकट परीक्षक तैनात किये जाते हैं।**

नियुक्ति के लिए रिश्वत

8011. श्री भोला मांझी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "कोल फील्ड गजट" दिनांक 23 फरवरी, 1975 में पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस में अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करके श्री बी० आर० तेवर, गार्ड धनबाद द्वारा नियुक्तियों के लिये रिशवत लेने, अवैध आय, फ्री रेलवे भूमि से लाभ कमाने के बारे में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनके विरूद्ध प्रत्येक आरोप के बारे में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) गत एक वर्ष में 'बी' ग्रेड गार्ड के रूप में वह कितनी गाड़ियों के साथ गये और उपरोक्त अवधि में उसने वेतन तथा 'रनिंग' भत्ते के रुप में प्रतिमास कितनी धनराशि प्राप्त की ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) 'बी०आर० तेवर' नाम का कोई गार्ड धनबाद मंडल में काम नहीं करता । लेकिन धनबाद मण्डल में बी० आर० तिवारी नाम का एक गार्ड है जो ईस्टर्न रेलवेमेन्स कांग्रेस का एक पदाधिकारी है । इस गार्ड को अधिक अन्न उगाओ योजना के अधीन रेलवे की भूमि आबंटित की गयी है जिसके लिए उसने 30-6-1975 तक का अपेक्षित लाइसेंस शुल्क दे दिया है । लेकिन नियुक्तियों के लिए इस गार्ड द्वारा रिश्वत लिये जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान श्री तिवारी के कार्य-कलाप और उनके द्वारा अर्जित वेतन और रनिंग भत्तों की राशि के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मथुरा तेल शोधक कारखाने में इराक के अशोधित तेल का प्रयोग

8012. श्री प्रबोध चन्द्र :

श्री हरी सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार ने मथुरा तेलशोधक कारखाने में इराक के अशोधित तेल का प्रयोग न करने का निर्णय किया है जैसा कि पहले परिकल्पना की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) डिजाइन के अनुसार मथुरा शोधनशाला इराकी तेल सहित आयातित कच्चे तेल का 6 मिलीयन टन प्रतिवर्ष शोधन करेगा । बाम्बे हाई तेल क्षेत्र तथा अन्य स्वदेशी स्त्रोतों से उपलब्ध कच्चे तेल के आधार पर शोधनशाला स्वदेशी कच्चे तेल की कुछ मात्राओं का भी शोधन कर सकती है ।

पेट्रोलियम निर्यातकर्ता देशों के संगठन का तेल का डालर के साथ सम्बन्ध समाप्त करने का निर्णय

8013. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **पेट्रोलियम और** रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचार की ओर दिलाया गया है कि पेट्रोलियम निर्यातकर्ता देशों का संगठन उत्पादकों के हित की रक्षा करने के लिए तेल का अमरीकी डालर के साथ परम्परागत सम्बन्ध समाप्त करने पर विचार कर रहा हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका हमारे आयात पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) तथा (ख) जी हां, किंतु अभी तक कोई निर्णय लिये जाने की सूचना नहीं मिली है ।

Proposal to Reduce the Railway Fare

8014. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the number of passengers travelling in air conditioned and first class compartments has decreased due to considerable increase in Railway fare last year;

(b) if so, the number of tickets sold for journey from Delhi to Bombay, Madras, Calcutta, Hyderabad, Anmedabad and Jammu before and after three months of the Railway fare was increased and the number of passengers who travelled to aforesaid places on on Railway passes during these months; and

(c) whether Government propose to reduce the Railway fare keeping in view the decrease in the number of passengers travelling on airconditioned compartments?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) (a) The passenger fares were revised w.e.f. 15-9-1974 and during the five months from September, 1974 to January, 1975 there was some decrease in the approximate number of passengers travelling by air-conditioned class as compared to the previous five months i.e. from April to August, 1974. In the case of first class, however, there has been an increase in the approximate number of passengers travelling during the five months from Sept. 1974 to January 1975 as compared to the previous five months. Though increase in fares may have been a contributory factor, it cannot be said that this was the only reason for the drop in the number of passengers travelling by A. C. Class.

(b) The number of tickets sold for travel by A. C. Class and First Class during the three months prior to and after revision of fares and the number of persons who

travelled on Railway passes from Delhi to Bombay, Madras, Howrah, Hyderabad, Ahmedabad and Jammu were as under :—

Ex. Delhi to Stations	15-6-74 to 14-9-74				15-9-74 to 14-12-74			
	Tickets Sold		Pass holders		Tickets Sold		Pass holders	
	A.C.C.	Ist Class	A.C.C.	Ist Class	A.C.C.	Ist Class	A.C.C.	Ist Clsss
1. Bombay	376	6,395	186	2,123	223	6,567	177	2,285
2. Madras .	43	1,425	16	1,032	35	1,474	13	997
3. Howrah	347	3,435	90	811	217	3,559	87	1,032
4. Hyderabad	Nil	897	Nil	Nil	1	1,017	Nil	Nil
5. Ahmedabad .	25	1,078	15	411	14	1,517	12	519
6. Jammu Tawi .	153	3,151	Nil	970	119	2,935	Nil	1,135

(c) Not at present.

Proposal to Introduce New Trains from Places of Religious and Cultural Importance

8015. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the proceeds from the sale of tickets for various places from Varanasi on the first day of introduction of the Vishwanath Express;

(b) whether Government propose to introduce new trains like the Vishwanath Express from places of religious and cultural importance; and

(c) if so, the particulars thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) The proceeds from the sale of tickets for various places from Varanasi on the first day of the introduction of the Vishwanath Express were Rs. 6,326.65.

(b) No. New trains are introduced having regard to traffic demands and the avialability of requisite resources.

(c) Does not arise.

पेट्रोल और डीजल की खपत को सीमित करने के लिए उपाय

8016. श्री के० लकप्पा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अत्यावश्यक विदेशी मुद्रा की बचत करने के विचार से, देश में पेट्रोल और डिजल तेल, 'हाई स्पीड' एवम् 'लो स्पीड' दोनों की खपत को सीमित करने के लिए कोई ठोस उपाय किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप गत एक वर्ष में कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में लोक सभा के 22 अप्रैल, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7147 के उत्तर को कृपया देखें ।

(ग) 1974 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को कम करने के विभिन्न उपायों के फल स्वरूप आयात की कमी के कारण लगभग 200.00 करोड़ रुपये की विदेशी मद्रा की बचत का अनुमान है ।

साबुन बनाने वाली फर्म

8017. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पेट्रोलियम** और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय साबुन बनाने वाली विभिन्न फर्मों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में उनम से प्रत्येक फर्म ने कुल कितना लाभ अर्जित किया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) संगठित क्षेत्र में साबुन उत्पादन करने वाली फर्मों के नाम और वर्ष 1973 और 1974 (अनुमानित) के लिए उनका उत्पादन देने वाला एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9565/75**] लघु उद्योग क्षेत्र में संयंत्रों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) संगठित क्षेत्र में संयंत्रों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से आय

8018. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से कुल 91 करोड़ रुपयों की आय हुई ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973 मे पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से कितनी आय हुई ;

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों से आय में हुई वृद्धि के मुख्य कारण क्या थे और मुख्य खरीद्दार कौन थे ; और

(घ) क्या सरकार 1975 में इसमें वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) 1974 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों से कुल निर्यात से आय (रुस्तम क्रूड से निर्यात से आय के अलावा जो लगभग 3.15 करोड़ रुपये की थी) 88 करोड़ रुपये थी ।

(ख) 1973 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों से कुल निर्यात आय 36 करोड़ रुपये थी।

(ग) निर्यात कमाई में वृद्धि मुख्यत: अन्तर्राष्ट्रीय मार्किट में पी ओ एल के मूल्य में तीव्र वृद्धि और कुछ अतिरिक्त उत्पाद जैसे नेफ्था, ल्यूब और बिटूमैन जो पहले निर्यात नहीं किये गये थे, 1974 में निर्यात किये थे, के कारण हुई थी । इन आमदनियों की पर्याप्त राशि अन्तर्राष्ट्रीय एअरलाइन्स को ए टी एफ और भारत में अन्तर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइन्स को बंकर्स की बिक्री के कारण थी । अन्य उत्पादों का निर्यात वाणिज्यिक आधार पर अधिक बोली देने वालों को किया गया था ।

(घ) जहां अधिशेष उत्पाद उपलब्ध हैं के निर्यात के लिए प्रयास जारी रहेंगे ।

अशोधित तेल के उत्पादन और खुदाई का लक्ष्य

8019. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अशोधित तेल के अपने उत्पादन लक्ष्य से आगे बढ़ कर रिकार्ड कायम किया है ;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस लक्ष्य को कहां तक प्राप्त किया गया,

(ग) इसी अवधि में खुदाई के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ, और

(घ) क्या वर्ष 1975-76 के लिये भी कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) व (ख) 4.51 मिलियन मीटरी टन के संशोधित लक्ष्य की तूलना में, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने वर्ष 1974-75 के दौरान 4.528 मिलीयन मीटरी टन का उत्पादन किया ।

(ग) 1.91 लाख मीटर के संशोधित लक्ष्य की तूलना में, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने वर्ष 1974-75 के अन्तर्गत 1.76 लाख मीटर तक व्यधन किया ।

(घ) वर्ष 1975-76 के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 5.36 मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल का उत्पादन तथा 2·65 लाख मीटर तक व्यधन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है ।

गया कियूल यात्री गाडी में डाकैती

8020. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन् :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 5 अप्रैल, 1975 को बारिस अलीगंज और शेखपुरा स्टेशनों के बीच 2 डाउन गया-कियूल यात्री गाड़ी में सशस्त्र डाकुओं के एक गिरोह ने चार व्यक्तियों के घायल कर दिया तथा एक लाख रुपये की सम्पत्ति लूट ली ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना के तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) :(क) सरकारी रेलवे पुलिस या रेल प्राधिकारियों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन दक्षिण पूर्व रेलवे के सदस्यों को दिये गये आरोप पत्र

8021. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सरकार की घोषित नीति है कि हड़ताल अवधि में केवल अनुपस्थित रहे कर्मचारियों के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही न की जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस नीति को सही अर्थों में क्रियान्वित नहीं किया गया ;

(ग) गत हड़ताल अवधि में ड्यूटी पर न आने के लिये आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के कितने सदस्य को आरोप-पत्र दिये गये हैं ;

(घ) उनमें से कितने कर्मचारियों को किसी न किसी रूप में परेशान किया गया है ; और

(ङ) जिन कर्मचारियों को आरोप-पत्र दिये गये हैं उनके विरुद्ध क्या विशिष्ट आरोप हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) से (ङ) रेलवे द्वारा इस प्रकार की सूचना नहीं रखी जाती है ।

पांचवी योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में नई लाईनों वर्तमान लाइनों के विस्तार संबंधी योजनाएं

8022. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी योजना की अवधि में पश्चिम बंगाल में नई रेलवे लाइनें बिछाने और वर्तमान लाइनों के विस्तार के लिये कोई योजनायें बनाई गई हैं ।

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) पश्चिम बंगाल में उत्तर बंगाल तथा साउथ 24 परगाना में रेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9566/75]**

(ग) निम्नलिखित नयी लाइनों के लिए सर्वेक्षण किये जा रहे हैं / हाल ही में पूरे हुए हैं । अभी इन रेलवे लाइनों के निर्माण के बारे में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

जिनका सर्वेक्षण पूरा हो चुका है

(1) उत्तरी बंगाल में एकलाखी से बलूरघाट तक एक नयी बड़ी लाइन । 90 कि० मी० लम्बी इस लाइन की लागत 11.18 करोड़ रुपये होगी ।

(2) केनिंग-गोलाबारी (लम्बाई 20 कि० मी० लागत 2.95 करोड़ रुपये), काल्पी, होकर लक्ष्मी कान्तपुर से काकद्वीप (लम्बाई 30 कि० मी०, लागत 3.77 करोड़ रुपये) हसनाबाद से प्रतापादित्य नगर/हठगाछा (लम्बाई 29 कि० मी० लागत 5·10 करोड़ रुपये), केनिंग-हटगाछा/प्रतापादित्यनगर (लम्बाई 30 कि०मी० लागत 4.13 करोड़ रुपये), और सोनारपुर से धमखली (लम्बाई 50 कि०मी० लागत 2.73 करोड़ रुपये)—ये सभी दक्षिणी 24-परगाना में हैं ।

(3) बज-बज से नामखाना तक 86 कि०मी० लम्बी एक नयी लाइन के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

हल्दिया तेल शोधक कारखाने के चालू होने में विलम्ब होने से हुआ घाटा

8023. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री हल्दिया तेल शोधक कारखाने के चालू होने में विलम्ब होने से हुए घाटे के बारे में 25 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4698 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक कुल कितनी हानि हुई है ;

(ख) तेल शोधक कारखाने को पूरी तरह चालू करने में यह असामान्य विलम्ब क्यों हो रहा है; और

(ग) इसे शीघ्र चालू करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) हल्दिया शोधनशाला का इंधन क्षेत्र जनवरी, 1975 में वाणिज्य उत्पादन करने लगा था 1974-75 के लिए निगम के लेखों को अब तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । अतः कम राशि को बताना संभव नहीं है ।

(ख) और (ग) विश्ब्रेकर संयंत्र की जून 1975 तक और लूब क्षेत्र की 1975 के अन्त तक पूरे होने की संभावना है । विदेशी सप्लायरों से उपस्कर की प्राप्ति में विलंब निर्माण सामग्री आदि में कमी के कारण प्रायोजना को पूरा करने में विलंब हुआ है । प्रायोजन को 1975 तक पूर्ण रूप में आरंभ करने को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय तेल निगम द्वारा सभी अपेक्षित कदम उठाए जा रहे है ।

बिड़ला ग्रुप की कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन

8024. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिड़ला ग्रुप की उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन पर गत दो वर्षों में कम्पनी अधिनियम के उलंघनों का आरोप लगाया गया है ;

(ख) प्रत्येक कम्पनी द्वारा किये गये उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन आरोपों के बारे में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) (ग) सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत करदी जायेगी ।

केवल विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा ही उत्पादित औषधियां और मूल कच्चा माल

8025. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं विशिष्ट औषधियों अथवा मूल कच्चे माल का उत्पादन पूर्णत: भारतीय स्वामित्व वाली कम्पनियों के अतिरिक्त देश में कार्य कर रही विदेशी औषध और भेषज कम्पनियों द्वारा ही किया जाता है ,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस कार्य के लिये उन्हें क्या विशेष रियायतें दी गई है; और

(ग) इन विशिष्ट वस्तुओं के लिये तकनीकी जानकारी का विकास करने के लिये भारतीय कम्पनियों द्वारा क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारियों को नियुक्ति करना

8026. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी बहुराष्ट्रीय औषध निर्माता कम्पनियों ने वरिष्ठ सेवा नियुक्त निवृत्त सरकारी अधिकारियों को अपने यहां कार्यकार पदों पर नियुक्त किया है जो इन कम्पनियों का अधिकृत क्षमता से अधिक उत्पादन एसी छोटी कम्पनियों से करा रहे जिसके पास अर्हता प्राप्त कैमिस्ट अथवा किस्म नियंत्रण सुविधाएं नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समय कुल कितने सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारी विदेशी औषध कम्पनियों में सेवा कर रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनके कार्य जांच करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) गैर सरकारी कम्पनियों में सेवा निवृत्त सिविल कर्मचारियों को रोजगार उन विनियमों के अन्तर्गत किया जाता है जिसके अन्तर्गत यदि वे ऐसे रोजगारो को सेवा निवृत्त की तिथी से दो महीनों के अन्तर्गत स्वीकार करते है, ऐसी दिशा में सिविल कर्मचारियों को सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है । इन मामलों पर उपयुक्त कैडर अधिकारियों द्वारा विचार किया जाता है । विभिन्न कम्पनियों में कार्य कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

उन औषध उत्पादक कम्पनियों के प्रश्न पर जिन्होंने लाइसेंसकृत क्षमताओं से अधिक क्षमताओं का उपयोग किया है अथवा जो छोटे कम्पनियों द्वारा उत्पादित पदार्थों को प्राप्त करते है के प्रश्न पर हाथी समिति ने विस्तार से जांच किया है तथा उसकी सिफारिशें इस समय सरकार के विचाराधीन हैं ।

लागत मूल्य पर औषधियां सप्लाई करने के बारे में औषध कम्पनियों की ओर से पेशकश

8028. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औषध निर्माता कम्पनियों ने सरकार को लागत मूल्य पर औषधियां सप्लाई करने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या है तथा उन्होंने कौन सी औषधियां देने की पेशकश की है ; और

(ग) क्या ये कम्पनियों इन औषधियों का स्वयं उत्पादन कर रही हैं अथवा अन्य एककों से उक्त उत्पादन करा रही हैं तथा सरकार ने इस पेशकश को स्वीकार कर लिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) भेषज उद्योग के राष्ट्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्था द्वारा प्रस्तावित संबंधित अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं के लिए गय वज्ञानिकों और तकनीशियनों की स्थाई समिति की नई दिल्ली में 16 और 17 मार्च 1975 को हुई बैठक में, इस समिति ने अन्य बातों के साथ साथ सरकार को यह आश्वासन दिया था कि राष्ट्रीय क्षेत्र आवश्यक औषधों को व्यापक खपत के लिए उचित मूल्यों पर निर्माण करना अपना सामाजिक दायित्व मानता है । यह कहा गया है कि राष्ट्रीय क्षेत्र (i) अपनी सूत्रयोग क्षमता का 20% भाग सरकार को मानकीकृत सूत्रयोगों के उत्पादनों तथा उनका सरकार द्वारा कम से कम संभावित मल्यों पर वितरण, जिसे औषध उत्पादकों और सरकार द्वारा इस बारे में नियुक्त केन्द्रीय ऐजन्सियों के बीच-विचार-विमर्श द्वारा निश्चय किया जाएगा । और (ii) ऐसे सूत्रयोगों के लिए अपनी प्रपुंज औषधों के उत्पादन का 25% अलग से रखे हुए भाग की सप्लाई करने के लिए सहमत है ।

(ख) प्रथम कदम के रुप में, निम्नलिखित एककों ने इस योजना में स्वेच्छा से भाग लेना स्वीकार कर लिया है ।

1 बंगाल कैमिकल्स

2 इम्ट इण्डिया फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

3 डाइज एण्ड मेडिकल स्टोर्स

4 सिपाला लेबोरेटोरीज

5 रैनवैक्स लेबोरेटोरिज

6 केडिला लैबोरेटोरीज

7 यूनीक फार्मास्युटिकल्स

8 गुजरात फार्मास्युटिकल्स

9 इण्डो जरमन अल्कलाइड्स

10 इस्टर्न एजेन्सीज

11 यूनीचैल लैबोरेटोरीज

12 थेमिस फार्माम्युटिकल्स

13 एसीटों कैमिकल्स (प्राइवेट) लि०

14 सुनीता लबोरेटोरीज लिमिटेड

15 एमसौन्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

16 एलाइड कैमिकल्स एण्ड फार्मा कं० लि०

यह कहा गया है कि राष्ट्रीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के संदर्भ में राष्ट्रीय क्षेत्र के प्रपुंज औषधों और उनके मध्यवर्तिओं तथा सूत्रयोगों के उत्पादन साझेदारी संबंधी ब्यौरे तैयार किए जा रहे है लेकिन प्रारंभिक सूची में 27 औषधें जिसमें एन्टीबायोटिक्स एण्टी-मलेरियल, एण्टी डाईबिटिक्स आदि सम्मिलित है ।

(ग) साझेदारी करने वाली फार्मों, निहित औषधें आदि के समस्त ब्यौरे उद्योग के साथ विचार विमर्श द्वारा तैयार किये जा रहे है ।

Scheme for testing the quality of etables at stations on Western Railway

†8029 **Shri Lalji Bhai** : Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a scheme for testing the quality of eatables available at the stations in Western Railway;

(b) if so, when the samples are taken for the test; and

(c) the number of licences cancelled for keeping bad quality articles during the last two years?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) Samples are collected during the course of inspection and also on receipt of complaints.

(c) One licence was suspended and 4 contracts were terminated during the last two years.

नई रेलवे लाईनों के लिये तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण

8030. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई रेलवे लाईनों के बिछाने के बारे में तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण कराने के लिए किन कारणों को ध्यान में रखा जाता है ; और

(ख) उपरोक्त उल्लिखित पिछड़े क्षेत्रों की आधारभूत ढ़ांचे सम्बन्धी आवश्यकताओं का निर्धारण करने के मानदंड क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जिन तत्वों को ध्यान में रखा जाता है, वे हैं :—

(i) उस क्षेत्र का मौजूदा यातायात, जिसमें ढोयी जाने वाली वस्तुओं और उनके गन्तव्य स्थानों का विश्लेषण शामिल है ;

(ii) यातायात में वृद्धि की संभावनाएं ;

(iii) नये उद्योगों, खान और कृषि तथा व्यापार आदि के विकास के प्रस्ताव और उनसे पदा होने वाला संभावित यातायात ;

(iv) संचार के मौजूदा साधन और यह कि वे किस प्रकार वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं ;

(v) वैकल्पिक मार्गों की जांच और उस क्षेत्र में रेलवे लाईन के लिए सर्वाधिक लाभप्रद मार्ग का निर्धारण तथा निर्माण के ऐसे मानक का विनिश्चय करना जो प्रत्याशित यातायात के लिए उपयुक्त हो सके ;

(vi) परियोजना व्यय का निर्धारण ; और

(vii) आमदनी और वित्तीय प्रतिफल का निर्धारण ।

(ख) उपर्यक्त (i) से (iv) तक की मदें अब संरचना की आवश्यकताओं से सम्बन्धित है ।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत जांच करने के लिए निर्धारित अवधि

8031. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जांच के लिये 90 दिन की निर्धारित अवधि मामला भेजने की तिथी से आरम्भ समझी जाती है अथवा वास्तविक जांच आरम्भ होने से ; और

(ख) क्या यह अवधि सभी प्रकार के मामलों के लिये पर्याप्त समझी जाती है और यदि नहीं तो क्या मामले को देखकर 90 दिन से कम तथा अधिक की अवधि निर्धारित की जायेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : (क) एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (2) के अनुसार, एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग को निर्देश के इसके द्वारा प्राप्त करने की तारीख से नब्बे दिन के अन्दर इसको निर्देशित किये गये मामले पर अपनी रिपोर्ट देनी होती है ।

(ख) हां, श्रीमान् जी । उन मामलों में जहां आयोग की लिखित रुप से उसके द्वारा अभिलेखित विशिष्ट कारण युक्त यह राय हो कि यह रिपोर्ट नब्बे दिन की कथित अवधि के अन्दर नहीं दी जा सकती, वहां यह प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करते हुये रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के लिये अवधि का विस्तार कर सकता है ।

सहायक अधिकारीयों के लिए प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का दर्जा

8032. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीधे भर्ती किए गए सहायक अधिकारी और पदोन्नत सहायक अधिकारी क्रमश: प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी में श्रेणीबद्ध किए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा श्रेणीबद्ध करने के क्या कारण हैं जबकि सभी सहायक अधिकारियों के लिए कर्तव्य, जिम्मेदारियां तथा पदों के लिए पात्रता शर्तें समान हैं ; और

(ग) क्या इस समय पदोन्नत सहायक अधिकारियों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन मान सीधी भर्ती किए गए सहायक अधिकारियों के वेतनमान के बराबर लाये जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सुस्थापित श्रेणी I की सेवाओं के कनिष्ठ वेतनमान में सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों को श्रणी I की कोटी में रखा जाता है । श्रेणी III से पदोन्नत अधिकारियों को श्रेणी II की कोटि में रखा जाता है ।

(ख) और (ग) तीसरे वेतन आयोग ने यह विचार प्रकट किया हैं कि श्रेणी II और श्रेणी i के ग्रेडों में विद्यमान अन्तर औचित्यपूर्ण है, क्योंकि (I) श्रेणी। सीधे भर्ती किय गये व्यक्तियों को उच्च उत्तरदायित्वों के लिए तैयार करने के लिए है, जबकि श्रेणी II आमतौर पर श्रेणी III के कुशल कर्मचारियों की उन्नति का शिखर होती है । (II) श्रेणी II की सेवा में पदोन्नति के लिए प्रवरण का स्तर निम्न कोटि का रहता है, और (III) श्रेणी II की सेवा समाप्त करने से न केवल श्रेणी III के कर्मचारियों की पदोन्नति के उपलब्ध मार्ग कम हो जायेंगे बल्कि श्रेणी I की सेवा भी बड़ी अनाकर्षक हो जायगी । तदनुसार आयोग ने सिफारिश की है कि श्रणी II की सेवा को बना रहने दिया जाये और सरकार ने यह सिफारिश मान ली है ।

कलकत्ता के निकट भारतीय तेल निगम के संस्थानोंसे तल के बैलों की चोरी

8033. **श्री इन्द्रजित गुप्त** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के निकट पहाड़पुर स्थित भारतीय तेल निगम के संस्थापन से हाल ही में लगभग 2 1/2 लाख रुपये के मूल्य के तेल के 85 बैरल चुरा लिये गये है ;

(ख) क्या बज बज स्थित भारतीय तेल निगम, बर्माशेल, कालटैक्स और हिन्दस्तान पेट्रोलियम संस्थापन समूह से बड़े पैमाने पर उठाईगिरी के कारण प्रतिवर्ष कम से कम 10 लाख रुपये कि हानि होती है ; और

(ग) यदि हां, तो अपराधियों का पता लगाने, चोरी हुए तेल को प्राप्त करने और आगे से चोरियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी, हां, पिछले पांच महीनों इण्डियन आयल कारपोरेशन के पहारपुर प्रतिष्ठान से लगभग 85 बैरल स्नेहक तेल चुराया गया था । इन मदों के मूल्य का अनुमान लगभग 1.5 लाख रुपये लगाया गया था ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कुकिंग गैस एजेंसियों के पास पंजीकृत व्यक्ति

8034. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री वीरेंद्रसिंह राव :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो मार्च 1975 के अन्त तक विभिन्न कुकिंग गैस एजेंसियों के पास कितने व्यक्ति पंजीकृत थे ; और

(ग) उनको गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) वर्तमान ग्राहकों को रिफिल्स की सप्लाई करने के लिये राजधानी में तरलीकृत गस की कोई कमी नहीं है । तथापि नये गस कनेक्शनों की वर्तमान मांग, उत्पाद उपलब्धता से बहुत अधिक है ।

(ख) इस समय आई०ओ०सी० के अतिरिक्त और कोई कंपनी दिल्ली में नये ग्राहकों का नामांकन नहीं कर रही है । मार्च 1975 के अंत तक विभिन्न इंडेन वितरकों के पास पंजीकृत किए गए व्यक्तियों की संख्या 81,000 थी ।

(ग) इस समय एल पी जी का उत्पादन केवल शोधनशाला के लिये किये गये अशोधित तेल से किया जाता है । अत: इसकी उपलब्धता देश में साफ किए गये सम्पूर्ण अशोधित तेल तक सीमित है । उच्चतम सीमा तक जहां तक प्रौद्योगिकी दृष्टि से संभव हो, प्रत्येक शोधनशाला से उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे है ।

तथापि उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद अन्य विशिष्ट विपणन व्यवस्थाएं जैसे पर्याप्त भंडार की व्यवस्था, अधिक परिवहन हेतु विशेष टंक वैगनों तथा टैंक ट्रकों तोतल सयंत्र, सिलैण्डर एवं बल्ब, उपयोग केन्द्रों पर गोदाम तथा विशिष्टीकृत वितरित व्यवस्थाओं आदि, एल पी जी की सप्लाई में वृद्धि करना भी आवश्यक है । हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन सैल तथा कालटैक्स के पास अपने शोधनशालाओं से उत्पादन के स्तर के लिए पर्याप्त विपणन सुविधाएं इस समय उपलब्ध हैं । आई ओ सी द्वारा अपनी एल पी जी उपलब्धता तथा विपणन सुविधाओं के विस्तार के लिए विस्तृत प्रायोजन रिपोर्ट तैयार किया गया है । उपरोक्त योजनाओं के अनुसरण में निम्नलिखित कदम पहले ही उठाये गये है :—

एल पी जी सिलेण्डरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आई ओ सी ने 5000 मी० टन विशेष किस्म के इस्पात के 5000 मी० टन का पहले ही आयात किया है तथा 1975-76 के अंत तक अपने गैस सिलेण्डरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एल पी जी इस्पात के 5,000 मी० टन का एक नया आयात लाइसेंस भी प्राप्त किया है ।

2. कोयाली शोधनशाला से शकुरबस्ती तक प्रपुंज एल पी जी के परिवहन को आसान बनाने के लिए संयुक्त स्वामित्व के आधार पर 60 टैंक वैगनों के निर्माण के लिए आई ओ सी न व्यवस्थाओं को अन्तिम रुप दिया है ।

3. 16 टैंक ट्रकों का निर्माण करने के लिये भी आर्डर दिए गये है ।

4. कानपुर में एक नया बोतल भरने के संयंत्र की योजना है तथा 1975 के मध्य तक इसके कार्य करने की संभावना है ।

5. शकुरबस्ती पर एल पी जी बोतल भरने के संयंत्र की सुविधाओं का विस्तार करने का कार्य भी प्रगति पर है ।

6. कोयाली एवं सकुरबस्ती पर टैंक वैगनों के लिए अतिरिक्त लादान एवं उतारने की सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है ।

पश्चिम बंगाल में निर्धनों को कानूनी सहायता प्रदान करने की व्यवस्था

8035. **श्री रानेन सेन :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में निर्धनों को कानूनी सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाये गये है ?

विधी, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजनी महिषी) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में निर्धनों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई मशीनरी स्थापित करने का विनिश्चय नहीं किया है । तथापि राज्य सरकार से यह बात पता चली है कि उसने "निर्धनों को कानूनी सहायता संबंधी पश्चिम बंगाल सरकार के नियम" शीर्षक से नियम बनाए हैं जिनका ब्यौरा संलग्न है ।

विवरण

पंश्चिम बंगाल में निर्धनों को कानूनी सहायता

जिन व्यक्तियों की औसत वार्षिक आय कुल मिलाकर 2,400 रुपए से अधिक नहीं है उनको कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने निर्धनों को कानूनी सहायता संबंधी पश्चिम बंगाल नियम बनाए हैं । पश्चिम बंगाल में अधिवसित सेवारत या सेवा निवृत्त प्रतिरक्षा कार्मिकों के मामलों में आय के साधनों के बारे में कोई जांच नहीं की जाएगी । आय के साधनों की जांच की शर्त के साथ कानूनी सहायता, निर्वाचनों तथा मृत्यु अथवा पांच वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध से आरोपित व्यक्तियों अथवा मृत्यु या पांच वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडित व्यक्तियों से सबंधित वादों, आवेदनों और मामलों को छोड़कर, सभी वादों, आवेदनों और मामलों में अनुज्ञेय है चाहे वे किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय, अधिकरण, सेशन न्यायालय या अपील न्यायालय में हों । कानूनी सहायता सिविल और दांडिक न्यायालय, दोनों ही में, भरण पोषण के मामलों में भी अनुज्ञेय, है ।

चाहे कोई व्यक्ति वादी, प्रतिवादी, अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आवेदक या विरोधी पक्षकार हो उसे कानूनी सहायता मिल सकती है परन्तु शर्त यह है कि जब किसी व्यक्ति को कानूनी सहायता दी जाती है तो ऐसी कोई सहायता उसी मामले में विरोधी पक्षकार को साधारणत: अनुज्ञेय नहीं होगी ।

जिन रूपों में कानूनी सहायता दी जा सकती है उनमें न्यायालय फीस, आदेशिका फीस, साक्षियों के खर्चे का तथा किसी न्यायालय में कार्यवाही के संबंध में सदेय या उपगत सभी अन्य प्रभारों का संदाय अथवा विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व या निर्णय और आदेशों की मुफ्त प्रमाणित प्रतियां या अपील पेपर-बुक की मुफत तैयारी जिसके अन्तर्गत आवश्यकतानुसार दस्तावेजों का मुद्रत मुद्रण और अनुवाद भी है, शामिल हैं ।

जिलों में कानूनी सहायता प्रदान करने का कार्य जिला कानूनी सहायता समितियों को सौंपा गया है, जिसका अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला कोई उपयुक्त अधिकारी होता है और जिसके सदस्य सरकारी प्लीडर, लोक अभियोजक, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, राज्य सरकार के दो नाम निर्देशिती और एक वैतनिक वकील होते हैं । यह वैतनिक वकील उस समिति के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा ।

कानूनी सहायता के लिए अर्जियां, ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारी और नगर पालिका क्षेत्रों में उप खण्ड अधिकारी की मार्फत जिला कानूनी सहायता समिति के सचिव को भेजनी होंगी । अर्जी देने वाले व्यक्तियों की आय के साधनों के बारे में जांच पड़ताल करने के पश्चात् खण्ड विकास अधिकारी या उप-खण्ड अधिकारी उन अर्जियों को उस समिति के सचिव के पास भेज देंगे । तब सचिव प्रत्येक मामले के गुण-दोष पर विचार करने के पश्चात्, उन अर्जियों को समिति के विचार के लिए प्रस्तुत करेगा ।

कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा कलकत्ता के महानगरीय क्षेत्र के अन्य न्यायालयों के लिए कानूनी सहायता सोसाइटी, कलकत्ता को, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक स्वैच्छिक संगठन है, सिविल या आपराधिक, सभी प्रकार के मामलों की बाबत कानूनी सहायता प्रदान करने से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चिय करने का कार्य सौंपा गया है।

राज्य सरकार, कानूनी सहायता सोसाइटी, कलकत्ता को और जिलों में कानूनी सहायता समितियों को ऐसे आवर्ती और अनावर्ती अनुदान देगी जो वह कानूनी सहायता के तथा उक्त सोसाइटी और समितियों के स्थापन और आकस्मिक व्ययों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे ।

जिला कानूनी सहायता समितियों के सदस्य-सचिव, और सरकारी नाम-निर्देशिती, बर्दवान, बांकुरा और कूच बिहार जिलों को छोड़कर सभी जिलों के लिए चुने जा चुके हैं । बाकी तीन जिलों के लिए सदस्य सचिवों और सरकारी नामनिर्देशितियों के चयन के लिए कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र ही उसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा । गत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के निकट कुछ जिला कानूनी सहायता समितियों को अनुदान दिए गए थे । राज्य में नए कानूनी सहायता नियमों के बनाए जाने के पूर्व से ही प्रत्येक वर्ष कानूनी सहायता सोसाइटी कलकत्ता को अनुदान दिए जाते हैं । आशा की जाती है कि इस वर्ष से सभी जिला कानूनी सहायता समितियां पूरी तौर से काम करने लगेंगी ।

विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों के निदेशक पद की परस्पर सम्बद्धता

8036. श्री नानू भाई एन० पटेल : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली से प्रकाशित होने वाले दिनांक 20 और 21 जनवरी, 1975 के 'इकनामिक टाइम्स' में हमारे देश में विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों में निदेशक पद की सम्बद्धता के बारे में प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है ;

(ख) ऐसी फर्मों के नाम क्या है, निदेशक पद की सम्बद्धता सम्बन्धी विवरण क्या हैं, उनकी इक्वीटी पूंजी कितनी हैं और गत तीन वर्षों में उन्होंने कितनी विदेशी मुद्रा स्वदेश भेजी है और जिन लाइसंसों के आधार पर विदेशी मुद्रा बाहर भेजी गई है उसका विवरण क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार निदेशक पद की परस्पर सम्बद्धता को देश में उत्पादक संघ की स्थापना मानने तथा लाईसेंस और अन्य स्वीकृतियों के लिये उनकी इक्वीटी को संयुक्त इक्वीटी मानने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) सरकार ने प्रेस रिपोर्ट का अवलोकन किया है ।

(ख) तथा (ग) 31 मार्च 1973 तक औषधियों के निर्माण में संलग्न विदेशी कम्पनियों की कुछ सहायकों को सूची तथा इन कम्पनियों के निदेशकों के नाम युक्त एक ब्यौरेवार विवरण पत्र, दिनांक 25 फरवरी 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1147 के उत्तर में सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया था । एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की सीमान्तर्गत आने वाले उपक्रमों को औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने की नीति, दिनांक 18 दिसम्बर, 1974 को सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई, एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के कार्यकरण से सम्बन्धित तृतीय वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 1 में वर्णित है । तथापि, उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस प्रेषण का उत्तरदायित्व उद्योग एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय का है । विदेशी कम्पनियों द्वारा कमाये गये लाभ को बाहर भेजने का सम्बन्ध वित्त मंत्रालय से है, जो विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, का प्रशासन करते है ।

मुख्य निर्वाचित आयुक्त द्वारा निर्वाचन के बारे में दिये गये सुझाव

8037. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या विधी, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अपनी हाल ही की रिपोर्ट में निर्वाचनों को और अधिक पवित्र बनाने के संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लेगी ?

विधी, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) निर्वाचन आयोग साधारण निर्वाचनों पर अपनी रिपोटो में निर्वाचन विधी और प्रक्रिया के संशोधन के लिए समय-समय पर सुझाव देता रहा है । वर्ष 1970 में निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन विधि के संशोधन के लिए व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे । इन प्रस्तावों पर संसद् के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति द्वारा विचार किया गया था जो इस प्रयोजन के लिए ही नियुक्त की गई थी । समिति ने केवल निर्वाचन आयोग की सिफारिशों का ही नहीं बल्कि निर्वाचन विधि के सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था । समिति ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उससे पूर्व देश में पांचवा साधारण निर्वाचन सम्पन्न हो चुका था । समिति की रिपोर्ट संसद् के दोनों सदनों के पटल पर 13 मार्च, 1972 को रखी गई थी ।

समिति की सिफारिशों पर आधारित एक विधेयक अर्थात लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1973, 20 दिसम्बर, 1973 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया और वह सदन के समक्ष लम्बित है ।

इस समय राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श भी किया जा रहा है । अतः अन्तिम निर्णय इन विचार-विमर्शों के परिणाम पर ही निर्भर करेगा ।

कोयला लदान के लिये वैगनों का आबंटन करने में अनुचित पक्षपात

8038. श्री एन० ई० होरो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला लदान के लिये वैगनों का आबंटन करने में कुछ व्यक्तियों के साथ अनुचित पक्षपात सम्बन्धी समाचार सरकार को प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या रेल द्वारा कोयले के परिवहन के अनुपूरक रूप में कोयले का ट्रकों तथा अन्य तरीकों से भी परिवहन हो रहा है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) गत दो वर्षों से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) कोयला खानों से कुछ कोयला-क्षेत्रों के निकट के उद्योगों और बिजलीघरों को सदैव ट्रकों, रज्जुमार्गों आदि से ले जाया जाता है । जलयानों से भेजा जाने वाला कोयला कोयला-क्षेत्रों से पत्तनों तक रेल द्वारा ढोया जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

औषध फर्मों को विदेशी ईक्विटी पूंजी कम करने के बारे में हाथी समिति की सिफारिशें

8039. श्री एल० ई० होरो : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी समिति ने यह सिफारिश की है कि देश में कार्य कर रहे विदेशी उपक्रमों को अपने ईक्विटी शेयर तुरन्त 40 प्रतिशत करने और उत्तरोत्तर इसे कम करके 26 प्रतिशत तक लाने को कहा जाये ; और

(ख) क्या समिति ने यह भी सिफारिश की है कि ब्राड नामों का लाभ उठाने तथा भारतीय क्षेत्र के उद्योग के विकास को अवरुद्ध करने को विदेशी कम्पनियों की क्षमता पर रोक लगानी चाहिए तथा भारतीय क्षेत्र पर रोक लगानी चाहिए तथा भारतीय क्षेत्र के उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए और अधिक उद्देश्यपूर्ण तथा ठोस नीति साथ ही साथ लागू की जानी चाहिए ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) औषध एवं भेषज उद्योग पर समिति की रिपोर्ट सरकार को 6 अप्रैल, 1975 को प्राप्त हुई थी । और इस पर विचार किया जा रहा है ।

रेल प्राधिकरण, धनबाद के खिलाफ धनराशि का दुरुपयोग करने संबंधी लेखापरीक्षा की आपत्तियां

8040. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1971 में रेलवे मैदान (ग्राउण्ड) का प्रयोग करने के लिये रेल प्राधिकरण द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से किये गये अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार औलम्पिक सर्कस द्वारा दी गई राशि को जमा न कराने के लिये, रेल प्राधिकरण, धनबाद के खिलाफ 6,000 रुपये की राशि का दुरुपयोग करने की गम्भीर लेखा परीक्षा आपत्तियां की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में तथ्य क्या हैं और दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बुटा सिंह) : (क) जी नहीं । तथापि लेखा-परीक्षा विभाग ने इस बात पर आपत्ति की है कि इस प्रकार एकत्रित 7,000 रुपये की राशि को रेलवे के लेखे में जमा करने की बजाये पूर्व रेलवे खेल-कूद संघ के लेखे में जमा किया गया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

धनबाद में उधार देने संबंधी व्यापार में लगे हुए रेलवे कर्मचारी

8041. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप-आयुक्त, धनबाद ने एक परिपत्र के जरिए धनबाद के रेलवे अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में धनराशि उधार देने वाले कर्मचारियों के नाम भेजने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस समाज विरोधी व्यापार को रोकने के लिए, सिविल प्राधिकरण धनबाद के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु धनबाद रेल प्रशासन द्वारा क्या विशेष, कार्यवाही की गई है;

(ग) रेलवे के स्वयं के सतकुंता संगठनों के जरिये पता लगाये गये धनबाद, कुसुन्दा, पत्थरडी कटरागढ़ और गोमोह में उधार देने संबंधी व्यापार में लगे हुए रेलवे कर्मचारियों के नाम क्या हैं;

(घ) ऐसे कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिनके खिलाफ उप आयुक्त, धनबाद द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं; और

(ङ) रेलवे कर्मचारी सेवा आचरण नियमों के अन्तर्गत इन कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) धनबाद सिविल जिले के अधिकार-क्षेत्र में रहने वाले रेल कर्मचारियों से एक घोषणा-पत्र प्राप्त किया गया था जिस में इस बात की सूचना दी गयी कि क्या वे रुपया उधार देने का धंदा करते हैं । सभी कर्मचारियों की घोषणा "नकारात्मक" थी और यह सूचना धनबाद के उपायुक्त को भेज दी गयी थी ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) कोई नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

पतरातु (धनबाद डिविजन) के निकट दुर्घटना

8042. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या 21 मार्च, 1975 को सायंकाल लगभग 7 बजे धनबाद डिवीजन पूर्व रेलवे) में पतरातु के निकट एक जबरदस्त रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें राष्ट्रीय सम्पत्ति की क्षति के साथ फायरमैन, सैकन्ड फायर-मैन, गार्ड की मृत्यु हो गई और ड्राइवर गम्भीर रूप से घायल हो गया;

(ख) यदि हां, तो क्या दुर्घटना-ग्रस्त होने वाली गाड़ी में ब्रेक-वेन था जैसा कि नियमों तथा सुरक्षा उपायों के अन्तर्गत अपेक्षित है;

(ग) क्या रात्रि में चलने वाले इंजन के आगे बिजली का बल्ब लगा हुआ था;

(घ) क्या इंजन के साथ चलने वाले गार्ड ने जोनल ट्रेनिंग स्कूल, बुली में गार्ड के प्रशिक्षण का निर्धारित पाठ्यक्रम पास कर रखा था; और

(ङ) यदि नहीं, तो बचाव नियमों का उल्लंघन करके गाड़ी चलाने वाले सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिससे जान तथा माल की हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, सिवाय इसके कि ड्राइवर को मामूली-सी चोट लगी थी ।

(ख) जी नहीं । गाडियां विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत ब्रेकयानों के बिना चलायी जा सकती है । वर्तमान नियमों के अन्तर्गत इसकी अनुमति है ।

(ग) जी नहीं । इंजन के टेंडर में बफर बत्तियां लगी हुई थी जो ठीक प्रकार से जल रही थी ।

(घ) जी नहीं । गार्ड की परीक्षा ली गयी थी और उसे सक्षमता का प्रमाणपत्र दिया गया था ।

(ङ) वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति इस मामले में जांच कर रही है । जांच पूरी हो जाने पर यदि कोई कर्मचारी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी ।

सरकारी कम्पनियों की लेखा परीक्षा

8043. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कम्पनियों की लेखा परीक्षा के लिये सरकार द्वारा नियुक्त किये गये सांविधिक लेखा परीक्षकों के नाम क्या हैं;

(ख) ऐसे लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिये क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है;

(ग) क्या बहुत सी सरकारी कम्पनियों की लेखा परीक्षा के लिये लेखा परीक्षकों की कुछ फर्मों को ही आदेश दिये जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार, सरकारी कम्पनियों की लेखा परीक्षा का कार्य आबंटित करने में युवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस की फर्मों को प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो कब तक ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(ख) सरकारी कम्पनियों के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिये प्रक्रिया, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत दी गई है । नियुक्तियां/पुनर्नियुक्तियां भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के परामर्श से की जाती है ।

(ग) तथा (घ) उड़ीसा, आसाम एवं केरल जैसे कुछ थोड़े से राज्यों को छोड़ कर शास प्राप्त लेखा पालों की किसी फर्म के पास सरकारी कम्पनियों की अधिक संख्या लेखा-परीक्षा के लिए नहीं है । उपरोक्त राज्यों में, लघु लेखा परीक्षक शुल्क सहित, लघु सरकारी कम्पनियों की अधिकांश संख्या होने की दृष्टि से, तथा शास-प्राप्त लेखापाल फर्मों की सीमित संख्या उपलब्ध होने से, कुछ फर्मों के पास तीन से अधिक सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा का कार्य है ।

(ङ) अपना परामर्श देते समय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सरकारी कम्पनियों के लेखा परीक्षकों के पदो पर नियुक्त करने के लिये, प्रत्येक एकाकी विषय की परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए, सभी श्रेणियों की शास-प्राप्त लेखा पाल फर्मों का ध्यान रखते हैं, एवं शास प्राप्त लेखापालों की किसी विशिष्ट फर्म को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है ।

श्रम न्यायालय, बोकारो में गोमोह के गार्डों का मामला

8044. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोमोह के कुछ गार्डों ने श्रम न्यायालय, बोकारों में एक मामला दायर किया है जिसमें उन्होंने डी० ओ० एस० (टी०) धनबाद, पूर्व रेलवे द्वारा अवैध आदेश जारी करने के फलस्वरूप उनके वेतन का भुगतान न करने के कारण मुआवजे के रूप में 1 लाख 86 हजार रुपयों का दावा किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध ऐसे अवैध-आदेश जारी करने तथा सार्वजनिक धन को हानि पहुंचाने के कारण उससे पूरी राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धान्त रेल प्रशासन द्वारा पूर्व रेलवे के कुछ गार्डों के मामलों में लागू किया गया था जिन्होंने मार्च 1974 में 'नियमानुसार काम' आन्दोलन चलाया था । लेकिन सम्बन्धित गार्डों ने श्रम न्यायालय, बोकारों में मुकदमा दायर किया है कि इस अवधि के लिए मजदूरी न दिये जाने के कारण उन्हें क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाय । मामला न्यायाधीन है ।

पेबिल सैक्शन, डी० एस० आफिस धनबाद के क्लर्क द्वारा घोखा धडी

8045. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़वाडीह और चौपान के डीजल ड्राइवरों और सहायकों (एसिस्टैंट्स) के प्रति किलोमीटर यात्रा संबंधी भत्ते के आंकड़ों को धोखबाजी से जोड़-तोड़ कर श्री एन० के० गांगुली डी०पी०ओ०, धनबाद ईस्टर्न रेलवे की सांठ-गांठ से श्री सन्तोष बनर्जी, क्लर्क, पे बिल सेक्शन ने लगभग 6 लाख रुपयों की राशी की धोंखाघडी तथा गबन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत रेल हड़ताल के दौरान वह तथाकथित निष्ठावान श्रमिक मान गया था और उसे पुरस्कार तथा अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान की गई थी;

(ग) क्या उसकी इन निष्ठावान सेवाओं के लिये ऐसे गम्भीर अपराध के बाद भी उसके खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(घ) इस मामले के तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस विषय की जांच की जा रही है ।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पूरी हो जाने पर उपयुक्त कारवाई की जायेगी ।

गुजरात राज्य को अशोधित तेल पर दी गई रायल्टी

8046. श्री डी० पी० जदेजा :

श्री एन० आर० वेकारिया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने तेल की रायल्टी दरों का पुनरीक्षण करने के लिये अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात राज्य को दी जा रही रायल्टी की दर क्या है;

(ग) उनके द्वारा मांगी गयी रायल्टी की दर क्या है; और

(घ) उन पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी, हां ।

(ख) 15 रुपये प्रति मीटरी टन ।

(ग) गुजरात सरकार ने रायल्टी दरों का संशोधन पूर्ण दर्ज शुदा मूल्यों से सम्बद्ध मूल्यानुसार आधार पर करने का प्रस्ताव दिया है ।

(घ) मामला विचाराधीन है ।

गांधी नगर-अहमदाबाद रेलवे लाइन के निर्माण में हुई प्रगति

8047. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच रेलवे लाइन के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह रेलवे लाइन कब तक पूरी हो जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अब तक इस लाइन के निर्माण में कुल वास्तविक प्रगति 68 प्रतिशत हुई है ।

(ख) इस लाइन के 31-12-1975 तक पूरा कर लिये जाने की आशा है ।

Cases Filed by Globe Motors in Delhi High Court

†8048. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of cases filed in Delhi High Court by Globe Motors since 1st January, 1970 and the number of cases out of them disposed of; and

(b) the number of cases pending disposal and the reasons why they have not yet been disposed of?

The Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua) : (a) As per the information given by the company to the Registrar of Companies Delhi, the number of cases filed since February 1970 are 41. Out of these cases, 30 cases have been disposed of.

(b) Out of 41 cases, eleven are pending disposal on account of different reasons as per the statement annexed. [Placed in Library. See No. LT-9567/75]

Appointment of Internal Auditor of Globe Motors as member of its Managing Committee

†8049. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Internal Auditor has been taken as the Member of the Managing Committee of Globe Motors, Delhi;

(b) if so, whether the bye-laws of the company have thus been infringed; and

(c) if so, who is responsible for this and the action taken by Government against the firm?

The Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua): (a) The company has informed that Globe Motors Ltd. is functioning under a scheme of arrangement sanctioned by the Delhi High Court under section 391 of the Companies Act, 1956 by its orders dated May 31, 1969 and February 3, 1970; and that the internal auditor appointed earlier by the Delhi High Court was also appointed by the Court as member of the Managing Committee.

(b) & (c) Since appointment is stated to have been made by the Delhi High Court, the question of infringement of the bye-laws and action by the Government thereon does not arise.

गैर-सरकारी क्षेत्र में मंजूर किए गए नए उर्वरक एकक

8050. **श्री शरद यादव :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 18 महीनों में गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ नये उर्वरक एकक मंजूर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन नये एककों के स्वामित्व, लागत और उत्पादन क्षमताओं का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे निम्नलिखित है।[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-9568/75]

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों की पूरी क्षमता का उपयोग

8051. **श्री शरद यादव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के जिन उर्वरक कारखानों में क्षमता का कम उपयोग होता है वहां पूरा उपयोग करने के संबंध में गत 18 महीनों में कोई उल्लेखनीय प्रगति नही हुई ;

(ख) यदि हां, तो इन कारखानों में से प्रत्येक का वास्तविक उत्पादन और क्षमता कितनी है; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने तथा क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) वर्ष 1973-74 और 1974-75 के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों की क्षमता, उत्पादन और क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता निम्नलिखित है :

(नाइट्रोजन के 000 मी० टन)

एकक का नाम	स्थापित क्षमता	नाइट्रोजन का उत्पादन		क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता	
		1973-74	1974-75	1973-74	1974-75
सिन्दरी	90	59.2	52.8	65.6	58.9
नंगल	80	61.7	40.2	77.5	50.0
ट्राम्बे	81	58.1	59.6	71.6	74.1
गोरखपूर . .	80	64.0	72.8	80.0	91.3
नामरूप	45	36.3	40.0	80.0	88.9
दुर्गापुर .	152	6.5	15.0	3.9	9.9
उद्योग मंडल	82	38.6	37.0	47.6	46.3
कोचीन	152	44.5	39.9	9.2	26.3
रूरकेला .	120	46.1	61.3	38.3	50.8
नेवेली .	70	14.6	17.4	21.4	24.3
मद्रास	164	124.1	83.3	75.6	50.6
उपोत्पाद . .	12	9.8	14.0	83.3	116.7

(ग) संयंत्रों के पूराने होने और उनकी लगातार मरम्मत की समस्याओं के कारण और सिन्दरी में कच्चे माल की उचित कोटि की पर्याप्त मात्राएं प्राप्त करने में कठिनाइयों के कारण सिन्द्री और अलवाय में उत्पादन कम हुआ है । जबकि रूरकेला संयंत्र भी

कोक-ओवन गैस की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण ठीक ढंग से कार्य नहीं कर सका और निवेली में उत्पादन जन्मजात प्रौद्योगिकी समस्याओं के कारण और कठिन संभरण सामग्री की स्थिति सीमित रही ।

उपायों के अतिरिक्त जैसे कि नवीकरण, कठिनाइयां दूर करने आदि , जो इन संयंत्रों में कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए गए हैं/लिये जा रहे हैं, से संबंधित सिन्दरी पर बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण कार्यक्रम हाथ में ले लिए गए हैं ताकि पुराने संयंत्र और प्रौद्योगिकी प्रक्रिया को बदला जाए और संभरण सामग्री को कोक-ओवन गैस से इंधन तल में परिवर्तित किया जाए । सके अलावा, फास्फेट के उत्पादन के लिए और साथ-साथ घटिया कोटि के जिप्सम, जो अब राजस्थान से प्राप्त किया गया है, को उप-उत्पाद जिप्सम में परिवर्तित करने के लिये सिन्दरी पर युक्तिसात कार्यक्रम का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है । निवेली पर संभरण सामग्री को लिगनाइट से ईंधन तेल और रूरकेला में कोक-ओवन गैस को उचित वैकल्पिक में परिवर्तन करने की संभावना भी विचाराधीन है ।

एफ० सी० आई० का नंगल संयंत्र निकट निर्धारित क्षमता तक कार्य करने में समर्थ है बशर्ते कि उनकी बिजली की पूरी आवश्यकताएं, जो 164 एम०डब्ल्यू० हैं, पूरी की जाति हैं, वह बिजली की अपर्याप्त सप्लाई के कारण 1974-75 के दौरान केवल लगभग 50 प्रतिशत की क्षमता तक कार्य करने में समर्थ हुआ है ।

दुर्गापूर और कोचीन संयंत्र प्रौद्योगिकी समस्याओं और उपस्कर न मिलने के कारण निकट निर्धारित क्षमता पर स्थायी उत्पादन प्राप्त करने वाले हैं । इन संयंत्रों पर सीमित उत्पादन समस्याओं का पता लग चुका है और अपेक्षित संशोधन/वृद्धि का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

मद्रास में उर्वरक जो सरकारी क्षेत्र में एक अधिक आधुनिक और निपुण संयंत्र है, बिजली की रुकावट के कारण कुछ नाजुक उपस्करों में क्षति के कारण और अमोनिया संयंत्र में विस्फोट के कारण लगभग तीन सप्ताहों के लिये उनके बन्द होने से उसके उत्पादन में 1974-75 के दौरान प्रभाव पड़ा । वार्षिक मरम्मत के पश्चात् संयंत्र के पुन: आरम्भ होने पर रिफार्मर ट्यूबों में भी रुकावट हुई थी। इन खामियों को अब दूर किया गया है और अब संयंत्र लगभग 85-90% की क्षमता पर कार्य कर रहा है ।

शा वालेस एंड कम्पनी के निदेशक मंडल में कर्मचारियों के प्रतिनिधि की नियुक्ति का प्रस्ताव

8052. श्री शरद यादव : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें कम्पनी अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत शा वालेस एण्ड कम्पनी के निदेशक मंडल में कर्मचारियों के प्रतिनिधि की नियुक्ति के बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या प्रबन्ध में कर्मचारियों के भाग लेने के बारे में सुझाव को जानकारी हतु श्रम मंत्रालय को भेजा गया है; और

(ग) क्या कम्पनी कार्य मंत्री ने श्रम मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करके, इस मामले में अन्तिम निर्णय ले लिया है ?

विधी, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) हां, श्रीमान् जी ।

(ग) श्रम मंत्रालय से प्राप्त पत्र व्यवहार पर आवश्यक विचार किया गया है। प्रत्येक मामले का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जायेगा। धारा 408 (1) के अन्तर्गत सरकारी निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिये कार्य-कारियों का चयन, उत्तम प्रबन्ध का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक अनुभव एवं योग्यता के साथ साथ, आरोपित अत्याचार अथवा कुप्रबन्ध पर, निर्भर होता है।

सोवियत संघ के तेल तकनीशिनों के दल का दौरा

8053. **श्री शरद यादव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के तेल तकनीशनों का प्रस्तावित दल भारत में पहुंच गया है;

(ख) क्या इस दल ने "तेल शोधक कारखानों की हानियों" के प्रश्न पर गहराई से विचार किया है;

(ग) उक्त दल किन निष्कर्षों पर पहुंचा है; और

(घ) क्या तेल शोधक कारखानों की हानियों का कुछ भाग तेलशोधक कारखानों के प्रबन्धकों की सांठ-गांठ से चोरी और छूटपुट चोरी मात्र है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) से (ग) सोवियत विशेषज्ञों का एक दल सितम्बर-अक्तूबर, 1974 में कोयाली, बरौनी और गोहाटी स्थित तीन चालू शोधनशालाओं में गया और उन्होंने आइ० ओ० सी० के प्रबन्धकों के साथ नई दिल्ली में विचार विमर्श भी किया। विचार विमर्श अपने ईंधन और उपयोगिताओं की खपत में कमी करने, उत्पादन-पद्धति को इष्टतम बनाने, संयंत्रों को चालू करने के समय में सुधार करना और बरौनी और गोहाटी स्थित कोकिंग एककों की क्षमता में वृद्धि करने से संबंधित थी। पम्प, लोडिंग वाले, नमूने बनाने केन्द्रों आदि जैसे उपकरणों से होने वाली उत्पाद हानियों पर भी विचार विमर्श किया गया था। रूसी विशेषज्ञों और शोधनशाला अधिकारियों द्वारा दी गई सिफारिशों और प्रस्तावों पर भी विचार विमर्श किया गया और संबंधित शोधनशालाओं द्वारा किये जाने वाले उपायों पर सहमति दी गई।

(घ) सभी पैट्रोलियम शोधनशालाओं में शोधनशाला हानि की कुछ मात्रा अपरिहार्य है। हानि की सीमा विभिन्न कारणों पर निर्भर करती है, जैसे शोधनशाला का रुपांकन, साफ करने वाले एककों के प्रकार आदि सभी शोधनशालाओं के तकनीकी सैल्स निरन्तर ईंधन की खपत और हानियों को कम करने के तरीकों पर अध्ययन कर रहे हैं।

वर्ष 1974-75 में कच्चे तेल के आयात में की गई कटौती

8054. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1974-75 के दौरान कच्च तेल के आयात में काफी कटौती की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है ।

मात्रा=मिलियन मीटरी टन

मूल्य=सी आई एफ वैल्यू करोड़ रुपयों में

आयात कच्चा तेल

अवधि	मात्रा	मूल्य
1973-74	13.9	416.39
1974-75 . (अस्थायी)	13.9	907.00

तमिलनाडू में मांडापम के स्थान पर तेल की खोज

8055. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तमिलनाडू में मान्डापम के स्थान पर तेल की खोज करना आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो वहां कितनी मात्रा में तेल के भण्डार मिलने की आशा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) तमिलनाडू में मण्डपम स्थान पर हाड्रोकारबन्स के लिये अवेन्षीकूपों की खुदाई हाल ही में आरम्भ हो चुकी है ।

(ख) इस चरण पर इसके सम्बन्ध में कुछ बताना असमायिक है ।

अहमदाबाद-बम्बई रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

8056. श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री एन० आर० वेकारिया :

क्या **रेल** मत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या अहमदाबाद-बम्बई रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस लाइन पर यातायात चल रहा है; और

(ग) यदि नही तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इन लाइनों पर बिजली लग चुकी है । लेकिन दो सब स्टेशनों पर निर्माण कार्य अभी पूरा होना है ।

(ख) जी हां, बलसाड-विरार खण्ड को छोड़कर यातायात बिजली कर्षण से हो रहा है ।

(ग) इस वर्ष के अन्त तक दुहरी वोल्टता वाले और अधिक बिजली ईंजन उपलब्ध हो जायेंगे और तब बलसाड-विरार खण्ड पर भी बिजलीकर्षण प्रारम्भ हो जायेगा ।

अपमिश्रित औषधियों के निर्माण के बारे में हाथी समिति की शिफारिश

8057. श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री आर० पी० स्वामीनाथन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध और भेषज विषयक हाथी समिति ने अपने अन्तरीय प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि अपमिश्रित और बिना लाइसेंस बनाई गई किसी औषध के निर्माण, विक्रय, स्टाक रखने व उसे प्रदर्शित करने पर आजीवन कारावास का दंड दिया जाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ग) इस बारे में क्या निर्णय किया गया है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) नकली औषधो के उत्पादन तथा बिक्री के सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के लिये कठोर दंड की व्यवस्थाहेतु औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम में संशोधन किये जाने पर विचार हो रहा है।

पेथेलिक एनहाईड्राईड की क्षमता और मांग

8058. श्री गजाधर मांझी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेथेलिक एनहाईड्राईड की अधिष्ठापित क्षमता, प्रयुक्त क्षमता तथा मांग कितनी है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस उत्पाद को बनाने के लिये अतिरिक्त क्षमता हेतु लाइसेंस देने का है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मुख्य बातें क्या हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है।

मद	वर्ष	निर्धारित क्षमता (मी० टनों में)	उपयोग की गई क्षमता (मी० टनों में)	मांग (मी० टनों में)
फिथौलिक एण्टी ड्राईड	1974	12,300	8,500	20,000

वर्ष 1975 के लिए उत्पादन तथा मांग का अनुमान क्रमशः 12,000 और 16,000 मीटरी टन लगाया गया है।

(ख) वर्ष 1978-79 के लिए थेलिक एण्टी ड्राईड की 45,000 मीटरी टन/प्रतिवर्ष की मांग की तुलना में, लाइसेंसीकृत या आशय पत्र के अन्तर्गत आने वाली क्षमता 53,800 मीटरी टन प्रति वर्ष थी। वर्तमान में इस मद के लिये किसी अतिरिक्त लाइसेंस क्षमता संबंधी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भूकम्पीय जहाज 'वानवेशकअन' का खरीदा जाना

8059. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने भूकम्पीय सर्वेक्षण करनेहेतु भूकम्पी: उपकरण से पूर्ण रूप से सुसज्जीत एक भूकम्पीय जहाज अवानवेशक खरीदा है;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का यह अपने किस्म का पहला जहाज होगा; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) जी, हां। पोत का नाम एम वी अनवेषक है ।

(ख) जी हां ।

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस सर्वेक्षण पोत को मैसर्स सीस्मिक एक्स-प्लोरेशन इन्टरनेशनल, एस० ए०, से लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से खरीदा गया है। इसकी भारत में जून 1975 तक पहुंचने की आशा है और यह जुलाई 1975 तक भारतीय जल में भूभौतकीय काय आरम्भ कर देगा । यह पोत गुरुत्व, चुम्बकीय और आंगलिक भू-कम्पीय उपकरणों से सुसज्जीत है और यह साथ साथ गुरुत्व, चुम्बकीय और भूकम्पीय सर्वेक्षणों का कार्य भी करेगा । यह पोत उपग्रही जहाजरानी प्रणाली से भी सुसज्जित है ।

गोरखपूर उर्वरक कारखाने में उत्पादन

8060. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर उर्वरक कारखाने ने अपने सात वर्ष के कार्यकाल में जनवरी, 1975 के दौरान, 17.258 मीटरी टन यूरिया का उत्पादन कर सर्वाधिक मासिक उत्पादन रिकार्ड कायम किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बढे हुये उत्पादन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आगामी माह में एक बेहतर उत्पादन स्तर प्राप्त होने की सम्भावना है;

(घ) क्या यूरिया के बढे हुए उत्पादन के साथ-साथ नाइट्रोजन का उत्पादन भी बढा है; और

(ङ) क्या 1975 के अन्त तक विस्तार परियोजना के पूर्ण होने के बाद नाइट्रोजन का उत्पादन लक्ष्य दुगुना हो जायगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) जनवरी, 1975 के दौरान यूरिया उत्पादन में वृद्धि मास के दौरान मुख्यत: संयंत्र को पर्याप्त और स्थायी बिजली की सप्लाई के कारण थी तथापि राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा लगाई गई 50 प्रतिशत पावर कट और बिजली में रुकावट के कारण यह कार्य निष्पादन फरवरी और मार्च, 1975 में नहीं रखा गया था । संयंत्र को पर्याप्त और स्थायी पावर सप्लाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करने से संयंत्र निर्धारित क्षमता पर या निकट कार्य करने में समर्थ है ।

(घ) यूरिया के प्रत्येक मी० टन में नाइट्रोजन का 46% है। अतः युरिया उत्पादन में वृद्धि के साथ नाइट्रोजन उत्पादन में तदनुरूप वृद्धि भी हुई थी।

(ङ) विस्तार योजना के कार्यन्वयन के बाद संयत्र की क्षमता नाइट्रोजन के 80000 मी० टन के वर्तमान स्तर से नाइट्रोजन के 131,000 मी० टन तक बढ जाएगी।

रेलवे में अराजपत्रित कर्मचारियों का (अपग्रेडिंग) दर्जा बढ़ाया जाना

8061. श्री राजदेव सिंह : क्या रेल मंत्री अधिकारियों के पदों का तथा तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के पदों का दर्जा बढाने के सम्बन्ध में 19 नवम्बर, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 101 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवें में अराजपत्रित कर्मचारियों के पदों का दर्जा बढाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय की स्वीकृती प्राप्त कर ली गई है;

(ग) क्या राजपत्रित कर्मचारियों का दर्जा बढाने का कार्य इस बीच पूरा हो चुका है; और

(घ) यदि हां, तो दर्जा बढाने के आदेश जारी करने के लिये क्या समय सीमा रखी गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बुटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) ग्रेड ऊंचा करने के लिये मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 968 पदों में से अब तक 918 पदों के लिये आदेश जारी कर दिये गए हैं।

(घ) अराजपत्रित कर्मचारियों का ग्रेड ऊंचा करने की एक योजना बनायी गयी है जिस पर सरकार द्वारा सक्रीय रूप से विचार किया जा रहा है। लेकिन, इस समय यह बता पाना संभव नहीं है कि सरकार द्वारा कब इस योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित कर दिया जायेगा।

स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों को गार्ड के पद पर काम करने के कारण देय राशि

8062. श्री राजदेव सिंह : क्या रेल मंत्री स्टेंशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों को स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों पर काम करने के लिये स्थानापन्न भत्ता देने के बारे में 25 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1117 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली डिवीजन में स्टेशन मास्टर, सब्जी मंडी, ग्रेड 455-700 रुपए, सहायक स्टेशन मास्टर, दिल्ली ग्रेड 425–640 रुपए तथा अन्य स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों, ग्रेड 425–640 रुपए को आकस्मिक अवसरों पर, जब गार्ड उपलब्ध न हों, रेलगाडियों में काम करने का आदेश दिया गया था;

(ख) क्या सहायक स्टेशन मास्टर ग्रेड 330-560 गार्ड के पद पर कार्य करने के लिये प्रतिदिन 8/40 रुपए प्रतिदिन स्थानापन्न भत्ते के अधिकारी हैं; और

(ग) यदि हां, तो स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर ग्रेड क्रमशः 425–640 रुपए तथा 455–700 रुपए गार्ड के पद पर कार्य करने के लिय कितना भत्ता पाने के अधिकार हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) पिछले छः महीनों में सब्जी मण्डी के 455–700 रुपए (स० वे०) के ग्रेड के एक स्टेशन मास्टर और 425–640 रुपए (सं० वे०) के ग्रेड के दो सहायक स्टेशन मास्टरों को ग्रेड 'सी' के गार्ड के रूप में काम करने के लिये लगाया गया था। सब्जी मण्डी और दिल्ली मंडल के अन्य स्टेशनों के बारे में आगे जांच की जा रही है ताकि इस प्रकार के जो मामले हुए हैं उनका मूल्यांकन किया जाये।

(ख) जी हां।

(ग) चूंकि ऊंचे ग्रेड वाले स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों को ग्रेड 'सी' के गार्डों के रूप में काम पर लगाने के बारे में नियमों में व्यवस्था नहीं गई है, इसलिए उनके लिए कोई दैनिक दरें निर्धारित नहीं की गई हैं। तथापि उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित मामलों में 8.40 रुपए प्रतिदिन का कार्यकारी भत्ता दिया गया है।

योजना आयोग द्वारा रेलवे मंत्रालय को माल डिब्बे लेने के लिए धनराशि प्रदान करना

8063. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने रेलवे मंत्रालय को आवश्यक धनराशि प्रदान करने का निर्णय किया है जिससे वह चालू वर्ष और आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान माल डिब्बों के लिये क्रयादेश दे सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) रेलों की 1975-76 की वार्षिक योजना के लिये योजना आयोग द्वारा आबंटित धन से रेल लगभग, 6,000 माल डिब्बे (चौपहिये के हिसाब से) खरीद सकेगी। इन में से 5,000 माल डिब्बे व्यापारियों से तथा 1,000 रेलवे कारखानों से होंगे। आगामी वर्षों के दौरान खरीदे जाने वाले माल डिब्बों की संख्या अतिरिक्त राशि पर निर्भर करेगी।

सरकारी क्षेत्रों में उर्वरक कारखानों के विस्तार के लिये कार्यक्रम

8064. **श्री मधु लिमये** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखानों के विस्तार के लिए और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो किन एककों का विस्तार किया जाएगा ?

(ग) क्या विस्तार कार्यक्रम के लिए कोई विदेशी सहायता मांगी गई है या इसकी पेशकश की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (ख) और (ग) का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र में उर्वरक की क्षमता को बढाने की दृष्टी से अनेक विस्तार योजनाओं, जिनका नीचे ब्यौरा दिया गया है, को कार्यान्वयन के लिये स्वीकृति दे दी गई है।

(000' मी० टनों में)

प्रायोजना का नाम	वर्तमान क्षमता		विस्तार के बाद क्षमता		प्रायोजना की पूंजीगत लागत (रुपये करोडों में)		चालू होने की तिथि
	एनपी$_2$ ओ$_5$		एनपी$_2$ ओ$_5$		कुल लागत	विदेशी मुद्रा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 नामरूप	45	..	197		58.62	22.31	अक्तूबर, 1975
2 ट्रोम्बे	81	36	304	129	158.09	47.27	ट्रोम्बे की बाधाएं दूर करना जून '75 ट्रोम्बे 11 जून, 1977 ट्रोम्बे ट्रोम्बे 12 अप्रैल, 78
3 गोरखपुर	80	..	131		18.05	8.55	अक्तूबर, 1975
4 नंगल	80	..	232	..	103.77	58.62	अक्तूबर 1976
5 सिन्दरी	90	..	219	156	149.10	54.64	सिन्दरी सुव्यवस्थीकरण अक्तूबर 1975 सिन्दरी आधुनिकिकरण अप्रैल, 1978
6 कोचीन	152	..	192	114	45.00	10.43	1975 के अन्त तक
7. एम एफ एल	164	85	176	112	8.75	1.01	सितम्बर 1976

विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं, देश में अनुपलब्ध सेवाओं और पूर्तियों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए अभिप्रेत है । मुफ्त विदेशी मुद्रा के अतिरिक्त, इन प्रयोजनाओं के लिए अपेक्षित सीमा तक विदेशी ऋण सहायता भी ली जाती है ।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग और कम्पनी विधि विभाग की भ्रामक गतिविधियां

8065. **श्री वयालार रवि** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग और कम्पनी विधि विभाग की परस्पर भ्रामक गतिविधियों सम्बन्धी समाचार देखे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) हां, श्रीमान जी । सरकार को यथा निर्दिष्ट परस्पर भ्रामक गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं है । जैसा कि दिनांक 18-2-75 को सदन में उत्तरित अतारान्कित प्रश्न संख्या 59 के उत्तर में कहा गया था, एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने पुष्टि कर दी है कि इसने इस प्रकार के निष्कर्ष को प्रमाणित ठहराने वाली न तो कोई राय व्यक्त की है और ना ही कोई प्रेस वक्तव्य दिया है ।

उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिवर्ष निपटाये गये मामल

3066. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतम न्यायालय प्रति वर्ष औसतन कितने मामलों का निपटारा करता है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजनी महिषी) : उच्चतम न्यायालय में 1972, 1973 और 1974 के दौरान एक वर्ष में औसत 7,230 मामले निपटाये गए ।

"मैसर्स सैंडोज" द्वारा कुछ वस्तुओं का उत्पादन

8067. **श्री के० एस० चावडा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "मैसर्स सैंडोज" ने लाइसेन्स संख्या एल/22/166/63-सी० एच० iii, दिनांक 31 अगस्त, 1963 के अन्तर्गत आने वाली कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया था तथा गत तीन वर्षों के दौरान उनका उत्पादन कितना रहा है;

(ख) विदेशी, भारतीय तथा लघु पैमाने पर उत्पादन करने वाली ऐसी अन्य कम्पनियों के नाम क्या है जो इन वस्तुओं का उत्पादन कर रही है तथा गत तीन वर्षों में उनका कितना उत्पादन रहा है ; और

(ग) क्या इनमें से किसी कम्पनी को इन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए रायल्टी तथा जानकारी सम्बन्धी शुल्क का भुगतान करने की अनुमति दी गई थी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) लाइसन्स सं० एल/22/166/63-कैमि० iii दि० 21-8-1963; दि० 16-5-1967 के पत्र द्वारा संशोधित

होने पर पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके अन्तर्गत आने वाली मदों का वास्तविक उत्पादन इस प्रकार है :—

क्रम सं०	मद का नाम	आंकड़े कि० ग्रा० में के दौरान उत्पादन		
		1972	1973	1974
1	सरमा के सक्रिय सिद्धान्त .	2852	689	587
2	बिलोडोना के सक्रिय सिद्धान्त	120	8015	7463
3	ओन्नाईट्रोफिनोल के सिंथोसिस	525	2638	4170
4	औ-एमीनोफिनोल के सिंथोसिस	254	2327	1837
5	हाईट्रोक्सोक्वलाईन के सिंथोंसिस .	661	2857	3043

दूसरी मदों का कोई उत्पादन नहीं हुआ अर्थात्

(i) 8 हाईड्रोक्सिक्विनोलाईन के सिथसिस और (ii) पोडो फाईलम के सक्रिय सिद्धांतों (ग्लाइकोसाईड फैक्शन तथा एम्लीकोन फैक्शन)

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी ।

पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में इण्डेन गैस की एजेंसियों का आबंटन

8068. श्री दुना उराव : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में इण्डेन गैस की एजेंसियों के आबन्टन के लिए बहुत से आवदन पत्र विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो ये एजेंसिया संभवतः कब तक आबंटित कर दी जाएगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) भारतीय तेल निगम के पास कोई आवेदन-पत्र निलंबित नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1972 से सिगनल और दूरसंचार विभाग में विभिन्न वर्गों में मंजूर किये गये पद

8069. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 से रेलवे में जोनवार सिगनल और दूर संचार विभाग में, अनुरक्षकों और निरीक्षकों के वर्ग में विभिन्न ग्रेडों के मंजूर किए गए पदों की संख्या क्या है ;

(ख) भारतीय रेलवे में वर्गवार और जोनवार, इनमें से कितने पद भरे गये और कितने पद खाली पड़े हुए है ;

(ग) क्या इन में से कुछ पदों का संचालन लोअर ग्रेड अथवा नैमित्तिक दर पर रखे गये कर्मचारियों द्वारा होता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण और तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

रेलवे के प्रबंध में कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाना

8070. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के प्रबन्ध में कर्मचारियों द्वारा भाग लेने के सम्बन्ध में हुई प्रगति की मुख्य बातें क्या है ; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) रेलों में कर्मचारी कल्याण के लिए विभिन्न समितियां गठित है जैसे कैंटीन प्रबध समिति, कर्मचारी कल्याण कार्यो के लिए सलाहकार समिति, क्वार्टरों के आबन्टन के लिए आवास समिति, अस्पताल निरीक्षण समिति रेल संस्थानों की कार्यकारी समिति, कर्मचारी हित निधि समिति, उपभोक्ता सहकारी एवं ऋण समिति आदि । कर्मचारी इन समितियों में भाग लेते हैं और समय-समय पर कर्मचारियों के काम और उनके कल्याण कार्यों से सम्बन्धित मुद्दों पर उनके प्रतिनिधियों से परामर्श लिया जाता है । इन सबके अतिरिक्त निगमित उद्यम समुदाय नाम स एक नया तंत्र बनाया गया है जिसमें दोनों फेडरेशनों के प्रतिनिधि और बोर्ड के सदस्य मुख्यत: रेलों के कार्य-संचालन का मूल्यांकन करने और इसकी कार्य-क्षमता में सुधार के उपाय सुझाने की दृष्टि से कुछ मामलों पर विचार विमर्श करते हैं ।

Cases pending in Madhya Pradesh High Court

†8071. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister **of Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of cases pending decision in the Madhya Pradesh High Court;

(b) the number of cases pending for more than five years; and

(c) whether Government propose to appoint additional judge to expedite the disposal thereof?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) As on 31-12-1974, 35, 268 cases were pending in Madhya Pradesh High Court.

(b) Excluding miscellaneous cases, 3,199 cases were pending for more than five years in Madhya Pradesh High Court as on 31-12-1974.

(c) Proposal for the appointment of an additional Judge is under consideration.

Loss of Property as a result of Railway Accident on Western Railway during 1974

†8072. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the loss of property as a result of Railway accidents in the Western Railway Zone during 1974?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : The cost of damage to railway property involved in train accidents in the categories of collisions, derailments, level crossing accidents and fires in trains which occurred on the Western Railway during the calendar year 1974, was estimated at approximately Rs. 22,93,800/.

Demand for attaching a Bogey to Dehradun Express from Ratlam Station

†**8073. Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether previously a bogey for Dehli from Ratlam used to be attached to Dehradun Express starting from Ratlam Station of Western Railway;

(b) whether a large number of passengers travel to and from by this train from Ratlam to Dehli; and

(c) whether a demand for attaching the said bogey has again been made?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes. One slip coach used to run between Ratlam and Delhi by 19/20 Dehradun Express which had to be discontinued from 10-11-63, in view of operational difficulties in attaching/detaching at Ratlam.

(b) Yes.

(c) Yes, but at present there is no room on these trains to haul an extra coach on a regular basis having regard to the hauling capacity of the locomotive.

Procedure for giving Indane Gas Agencies

8074. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the procedure or policy adopted in giving agencies for 'Indane gas';

(b) the number of such agencies given in Madhya Pradesh together with names and addresses of the persons given agencies ; and

(c) the area of operation of such agencies ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri C. P. Majhi) : (a) Prior to November 1969 IOC's agencies were being awarded purely on commercial considerations. From November, 1969, IOC introduced a scheme whereby its agencies were awarded to unemployed graduates/engineers coming from low income group families on a preferential basis. In December, 1971, this scheme was kept in abeyance and IOC introduced a scheme whereby its agencies were awarded on a preferential basis to disabled defence personnel, widows/dependants of those killed or missing on war and ex-servicemen on the specific recommendation of DGR, Ministry of Defence.

Effective from 1-1-74, 25% of all IOC's agencies are earmarked for persons belonging to Scheduled Castes/Tribes. The locations so earmarked are advertised in the newspapers and the interested eligible candidates have to apply in response to these advertisements.

(b) & (c) The information is given in the enclosed statement. [**Placed in Library.** *See* **No. L.T. 9569/75**]

Non-wage Benefits for Railway Staff in 1974-75

†**8075. Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred towards the non-wage benefits for the railway staff in 1974-75 and what are these benefits; and

(b) how does it compare with the total expenditure incurred towards non-wage benefits in 1964?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) (a) & (b) The non-wage benefits provided by the Railways mainly consists of—

(i) Educational facilities,

(ii) Subsidized Housing, and

(iii) Medicare.

As information regarding expenditure incurred on these facilities during 1974-75 has not so far been compiled and will be available only by the end of the year, figures for the year 1973-74 have been given:—

Expenditure during 1973-74	Rs. 38.40 crores
Expenditure during 1964-65	Rs. 20.38 crores

सल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम का उत्पादन करने वाले एकक

8076. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कितने एककों में सल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम का उत्पादन हो रहा है, प्रत्येक संयंत्र की लाईसेंस शुदा क्षमता कितनी है तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक एकक में सल्फ्यूरिक एसिड की कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, समुचे देश में राज्यवार सल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम का कुल उत्पादन कितना रहा है; और

(ग) सुपर फास्फेट, फेरिक एल्यूमीना जैसे रक्षित वस्तुओं के उत्पादन में प्रत्येक एकक द्वारा कितनी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है और उपभोक्ताओं तथा व्यापारिओं/वितरकों को कितनी मात्रा बेची जाती है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायगी ।

महिलाओं को समान-अधिकार देने के लिये विधान

8077. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **विधी, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्तरराष्ट्रीय महिला वर्ष को उचित रूप से मनाने के लिए विवाह तथा विवाह विच्छेद के मामले में सभी वर्गों की महिलाओं को समान अधिकार देने वाला विधेयक पुर:स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी मुख्य बातें क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डॉ० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) जी नहीं । किन्तु इस बारे में भारत में स्त्रियों की प्रास्थिति सम्बन्धी समिती की रिपोर्ट में दी हुई कतिपय सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री श्यामनन्द मिश्र, श्री मधु लिमये और श्री ज्योतिर्मय बसु की ओर से विशेषाधिकार के प्रस्तावों की सूचनाएं मिली है । ये लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पेश किये जाने के बारे में राज्य सभा में उठायी गई आपत्तियों के सम्बन्ध में है ।

श्री वसंत साठे (अकोला) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 222 में उल्लेख है कि कोई सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति से किसी सदस्य अथवा सभा के अथवा उसकी समिति के विशेषाधिकारों के उल्लंघन का मामला उठा सकता है । क्या आपने अपनी अनुमति दे दी है ? क्योंकि उसके बाद सदस्य को नियम 223 के अधीन लिखित सूचना देनी होती है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को पता है कि अनुमति देने से पूर्व मैं सम्बन्धित माननीय सदस्य को संक्षेप में सुनता रहा हूं । आप तो अध्यक्षपीठ तालिका के सदस्य है । अध्यक्ष के पास बहुत-सी निहित शक्तियां होती है ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : When the report of P.A.C. was being laid in Rajya Sabha by the Chairman of P.A.C., Shri T. N. Singh, the Deputy Leader of the Congress Party in Rajya Sabha not only raised objection to it, but also cast as persion on the Chairman.

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 354 में कहा गया है कि सभा में दूसरे सदन की कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया जायेगा ।

श्री सोमनाथ चतर्जी (बर्दवान) : यह आपके निर्णय को चुनौती दी जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको श्री मधु लिमये को तथा अन्य सदस्यों को अनुमती दी है । कल आपको भी दी जा सकती है ।

Shri Madhu Limaye : It should be borne in mind that in financial matters this House is supreme. Demands for Grants are voted only in this House and financial and appropriation Bills are passed by this House only as a matter of convention the members of Rajya Sabha are represented on the Estimates Committee. Even the Chairman of Rajya Sabha cannot give any directions to the working of P.A.C. There is no practice of minutes of dissent in P.A.C. Shri Raju has started this system of minutes of dissent for the first time.

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : प्रतिवेदन को समिति ने स्वीकार नहीं किया था ।

Shri Madhu Limaye : If it was not adopted the produre was to have written to the Hon. Speaker in this regard. If you think that there is a *prima facie* case then also we cannot take any action against Shri V. P. Raju here. You may write to the Chairman of Rajya Sabha and the latter can proceed on the basis that the privilege of that House has been affected. We do not know whether there was any dispute and whether it was referred to you and you gave your decision. So far as we are concerned we have to proceed on the assumption that the report presented by the Chairman had been adopted by the Committee. The Lok Sabha Secretriat has cyclostyled and printed the report and as such its responsibility is also there. The breach of privilege of the Chairman of P.A.C. is a breach of privilege of this House. I therefore, request you to take up this matter as a breach of privilege.

श्री वाई० एस० महाजन : उस समय समिति में केवल 6 सदस्य मौजूद थ ।

श्री पिलू मोदी : उन्हे समिति की कार्यवाही को प्रकट करने का अधिकार नहीं है ।

श्री वाई० एस० महाजन : मेरा मन्तव्य है कि प्रतिवेदन समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नियम 275(2) के अनुसार समिति का कोई सदस्य आप की अनुमति के बिना समिति की कार्यवाही प्रकट नहीं कर सकता ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । लोक लेखा समिति के सेवानिवृत्त होने वाले चेयरमन की अध्यक्षता में बहुत से प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं जिन्हें शासक दल ने पसन्द नहीं किया है । प्रतिवेदन के सभा में रखे जाते समय माननीय सदस्य ने कोई आपत्ति नहीं की थी । अब यह मामला उठाना ठीक नहीं है ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : The meeting of the Committee was held on a Gazetted holiday. I objected to it, but the Chairman did not give head to my request. The meeting held on a Gazetted holiday was irregular.

श्री सेझीयान (कुम्बकोणम) : लोक लेखा समिति से मेरा भी सम्बन्ध रहा है । यदि सभा में इस प्रकार की टिप्पणियां की जाती रहीं तो समितियों का कार्य सूचारु रूप से नहीं चल सकेगा । यह कहना ठीक नहीं कि बैठक छुटी के दिन हुई थी, अतएव उस दिन की कार्यवाही अवैध थी । संसद में इन सभी मामलों पर विस्तार से चर्चा नहीं की जा सकती । इससे समितियों की उपादेयता समाप्त हो जायेगी और उनकी गरिमा को क्षति पहुँचेगी ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : सदन को अपनी कार्यवाही इस तथ्य से शुरू करनी चाहिए कि प्रतिवदन सदन में पेश किया गया तथा किसी ओर से कोई आपत्ति नहीं उठायी गई । हमें इस बुनियादी बात पर विचार करना है कि क्या किसी बाहरी व्यक्ति को इस सदन में पेश किए गये किसी प्रतिवेदन पर आपत्ति उठाने का अधिकार है ?

सीधी सी बात यह है कि वित्तीय मामलों में हमें स्पष्ट अधिकार प्राप्त हैं । उस अधिकार पर कोई बाहरी एजेंसी हस्तक्षेप नहीं कर सकती । दूसरे सदन के सदस्य लोक लेखा समिति के सदस्य ह, परन्तु उनकी यह सदस्यता का स्वरूप सहयोगी मात्र है ।

यदि इस समिति से सम्बद्ध माननीय सदस्य अपनी आपत्ति उठाते हैं तो वे इस सदन के अधिकारों को घटाते हैं । जो प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत हो चुका है, उस पर कोई आपत्ति नहीं उठायी जा सकती । इस सदन में पेश किये गये प्रतिवेदन को दूसरा सदन स्वीकार नहीं कर सकता । उस सदन की राय का कोई मूल्य नहीं है ।

एक सदस्य ने यह अभी कहा कि प्रातवदन तथ्यों और सत्य से परे है । यदि ऐसी बात है तो उन्होंने समिति पर आक्षेप किया है और उनका यह आक्षेप समिति पर ही नहीं वरन् इस सदन पर है क्योंकि समिति सदन के रूप में ही कार्य करती है ।

इसके अतिरिक्त यह अध्यक्ष महोदय पर आक्षेप है क्योंकि उन्होंने प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने की अनुमति दी थी । लगता है यह विवाद अध्यक्ष महोदय के उस एक वाक्य को शामिल करने की अनुमति देने के कारण उठ खड़ा हुआ है जिसमें कहा गया है कि सरकार ने यह जानकारी देने से मना कर दिया जिसे समिति ने आवश्यक समझा था । अतः यह विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला है ।

यह उस सदन के केवल दो सदस्यों द्वारा विशेषाधिकार के उल्लंघन का ही प्रश्न नहीं है, अपितु उस समस्त सदन द्वारा विशेषाधिकार का उल्लंघन किए जाने का प्रश्न है । उस सदन के सभापति को इस मामले को उठाने की अनुमति ही नहीं देनी चाहिए थी ।

विशेषाधिकार उल्लंघन का यह मामला इस प्रकार उन दोनों सदस्यों के विरुद्ध, उस सदन के विरुद्ध और वहाँ के उन पीठासन अधिकारी के विरुद्ध जिन्होंने यह मामला आपको भेजा है, इस सदन के विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला बनता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस मामले के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा है । अभी-अभी मुझे राज्य सभा से कार्यवाही का ब्यौरा मिला है । मैं उसे पूरी तरह से देखना चाहता हूं । इसलिए मामले को अभी इसी स्थिति पर रहने देना चाहिए ।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मेरा निवेदन है कि श्री पीलू मोदी द्वारा उस सदन के सदस्यों पर की गयी टिप्पणी की कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि ये शब्द स्वाभाविक रूप से कहे गये हैं तब कोई हर्ज नहीं ।

श्री पिलू मोदी : मेरे कथन पर विशेष ध्यान दिलाया गया है । राज्य सभा के सदस्यों का इस समिति का सदस्य बनने का कोई औचित्य नहीं है । इन प्रतिवेदनों को लोक सभा द्वारा ही स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाना होता है राज्य सभा द्वारा नहीं । मेरा कथन इसी सन्दर्भ में था ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमें समितियों में उठाये गये मतभेदों और विवादग्रस्त प्रश्नों को तूल नहीं देना चाहिये । इन समितियों में विमति टिप्पण भी दर्ज नहीं किये जाते । हमें इस परम्परा का पालन करना चाहिये ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : यह कहना उचित नहीं है कि इस समिति में राज्य सभा के सदस्यों का कोई काम नहीं है । वे नियमानुसार समिति के सदस्य हैं ।

अध्यक्ष महोदय : राज्य सभा के सदस्यों के विरुद्ध इस प्रकार की टिप्पणियों को मैं पसन्द नहीं करता । इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वे इस समिति के सदस्य ह ।

प्रश्न आन्तरिक मतभदों या विमति टिप्पण का नहीं है । प्रश्न यह है कि यह प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि इसे माना नहीं गया । दूसरी बात यह है कि इन समितियों के कार्यकरण में हम जनमत से काम करते हैं न कि विमति टिप्पण से । मैंने आपको बताया है कि मुझे राज्य सभा से अभी अभी सूचना मिली है । मैं इसपर विचार करूंगा । म सारी कार्यवाही देखूंगा और तब अपने विचार व्यक्त करूंगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

उर्वरक (ट्राम्बे विस्तार, भटिंडा और पानीपत परियोजना) सम्बंधी श्वेत पत्र

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

उर्वरक (ट्राम्बे विस्तार, भटिंडा और पानीपत परियोजनाएं) सम्बन्धी श्वेत पत्र की एक प्रति । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–9552/75]**

लुब्रीजोल इण्डिया लिमिटेड की वर्ष 1973–74 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

कम्पनी अधिनियम, 1956 का धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) लुब्रीजोल इण्डिया लिमिटेड के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) लुब्रीजोल इण्डिया लिमिटेड का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–9553/75]

खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत अधिसूचना

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तगत अधिसूचना संख्या सां० आ० 1038 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 5 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 9554/75]**

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDER TAKINGS

68 वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री नवलकिशोर शर्मा (दौसा) : मैं भारतीय कपास निगम लिमिटेड पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 68 वां प्रतिवेदन तथा प्रतिवेदन से सम्बन्धित समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं ।

प्राक्कलन समिति

COMMITTEE ON ESTIMATES

प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री धामनकर (भिवंडी) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं :—

(1) (क) कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग)–खाद्यान्न उत्पादन के सम्बन्ध में 76 वां प्रतिवेदन ।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन के बारे में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

(2) (क) रेल मंत्रालय–रेल विद्युतीकरण परियोजनाएं–के संबंध में 77 वां प्रतिवेदन ।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन के बारे में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(1) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971-72 के प्रतिवेदन–संघ सरकार (रेल) में सम्मिलित रेल संचालन तथा व्यय सम्बन्धी पैराग्राफों पर समिति के 126 वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 154 वां प्रतिवेदन ।

(2) नौवहन और परिवहन, पुनर्वास और पूर्ति विभागों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971-72 के प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) पर समिति के 117 वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 156 वां प्रतिवेदन ।

(3) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971-72 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) पर समिति के 129 वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 157 वां प्रतिवेदन ।

(4) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971-72 के प्रतिवेदन–संघ सरकार (सिविल) के पैराग्राफ 44 और 45 पर समिति के 123 वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 161 वां प्रतिवेदन ।

(5) वित्त और गृह मंत्रालयों तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय (कार्मिक विभाग) के सम्बन्ध में समिति के 133 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 162 वां प्रतिवेदन ।

(6) विदेश संचार सेवा के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1970–71 के प्रतिवेदन–संघ सरकार (सिविल) के पैराग्राफ 51, पर समिति के 81 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 163 वां प्रतिवेदन ।

(7) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971–72 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) में सम्मिलित विदेश व्यापार मंत्रालय से सम्बन्धित पैराग्राफ 28–31 पर समिति के 131 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 164 वां प्रतिवेदन ।

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

(8) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन–संघ सरकार (सिविल)–राजस्व प्राप्तियां, खंड 1 (फट पुराने कपड़ों के रूप में गलत घोषणा करके ऊनी कपड़ों की अनियमित छुड़ाई) के पैराग्राफ 16 पर 158 वां प्रतिवेदन ।

(9) निर्माण और आवास मंत्रालय (सम्पदा निदेशालय) के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1972–73 के प्रतिवेदन–संघ सरकार (सिविल)–के पैराग्राफ 38 पर 168 वां प्रतिवेदन ।

(10) शेष लेखापरीक्षा टिप्पणियों तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1972–73 के प्रतिवेदन–संघ सरकार (सिविल) –के अध्याय 7 पर 169 वां प्रतिवेदन ।

(11) ग्रामीण रोजगार द्रुत योजना के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1972–73 के अनुपूरक प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के अध्याय 2 पर 170 वां प्रतिवेदन ।

हेसालोंग कोयला खान, जिला हजारीबाग (बिहार) के श्रमिकों की शिकायतों के बारे में याचिका

PETITION RE GRIEVANCES OF WORKERS OF HESALONG COLLIERY, HAZARIBAGH (BIHAR)

श्री ज्योतिर्मय बसू (डायमंड हार्बर) : मैं हेसालोंग कोयला खान, जिला हजारी बाग (बिहार) के श्रमिकों की शिकायतों के बारे में श्रीमती रीटा देवी तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

सदस्यों की गिरफ्तारी और रिहाई

ARREST AND RELEASE OF MEMBERS

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि मुझे जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ से दिनांक 28 अप्रैल, 1975 का निम्नलिखित बेतार सदेश मिला है :

"दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116/151 के अधीन सर्वश्री महादीपक सिंह शाक्य और अटल बिहारी वाजपेयी, संसद सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में इस मास की 14 तथा 23 तारीख के रेडियोग्राम के सन्दर्भ में सर्वश्री महादीपक सिंह शाक्य और अटल बिहारी वाजपेयी, संसद सदस्यों को आज रिहा कर दिया गया है ।"

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(i) बजट (सामान्य) सम्बन्धी शेष मांगों को गिलोटीन की प्रक्रिया का मामला

Shri Madhu Limaye (Banka) : Today at 6 p. m. outstanding demands are going to be guillotined. The demands for grants are of two types——Votable and non-Votable. Members have got two rights under Article 113 of the Constitution

to vote the demands and to table cut Motions for reducing the demands for grant. I admit that it is not possible for the House to discuss all the demands. One of the difficulties is that vote on account is for a certain limited period. Generally it is for 3 months but this time it is for two months only. So, we have to complete the entire financial business within this period. We must be given the right to table cut motions on the demands for grants of the Ministries, whose demands are not discussed. Before the guillotine, there must be voting on the cut motions and hence it will form part of the proceedings. Members must be given an opportunity to discuss the annual reports of those Ministries, whose demands are not discussed.

The procedure should be such that cut motions be invited for demands of all the Ministries and there must be voting on cut motions before the guillotine. This is our constitutional right.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : वित्तीय मामलों पर चर्चा सम्बन्धी स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। हमें बजट इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिये कि सभी सम्भव मांगों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इस बार इस कार्य के लिए मेरे विचार में 29 दिन नहीं दिये गये।

श्री मधु लिमये द्वारा उठाये गये प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। संविधान के अनुच्छेद 113 के अधीन सदस्यों को कटौती प्रस्ताव पेश करने का अधिकार है और गिलोटीन के समय इस अधिकार से हमें वंचित किया जा रहा है। हम हाउस आफ कामन्स में प्रचलित प्रथाओं परम्पराओं और विशेषाधिकारों का पालन करते हैं। चूंकि हाउस आफ कामन्स में यह प्रक्रिया है, अत: यहां भी यह ठीक है। जिन मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा नहीं होती उनके वार्षिक प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसू (डायमंड हार्बर) : यह सभा भारत सरकार के व्यय तथा राजस्व पर चर्चा कर सकती है। मेरा अनुरोध है कि सभा की अवधि एक सप्ताह बढ़ाई जाये और गृह, सूचना और प्रसारण आदि जैसे मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर चर्चा की जाये ताकि उनके कार्यकरण की समीक्षा की जा सके।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : हमारे नियम ऐसे हैं कि कटौती प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किये जा सकते जब तक अनुदानों पर चर्चा नहीं की जाती। अत: हमें नियमों में परिवर्तन करना होगा ताकि कटौती प्रस्ताव अनुदानों पर चर्चा से पूर्व पेश किये समझे जाने चाहिए। अन्यथा कटौती प्रस्तावों का कोई उपयोग नहीं। प्रश्न निर्धारित राशि को कम करने का है। संविधान ऐसी शक्ति प्रदान करता है। संवैधानिक उपबन्धों को लागू नहीं किया जायेगा। अत: इस मामले के सम्बन्ध में कोई प्रक्रिया निकालनी होगी।

श्री सेज़ियान (कुम्बकोणम) : मैं श्री मिश्र की इस बात से सहमत नहीं हूं कि हम संवैधानिक उपबन्ध के विरुद्ध कोई नियम बना सकते हैं। अनुच्छेद 119 में इसे विनियमित करने हेतु कानून बनाने का उपबन्ध है। जब मांगें सभा के समक्ष रखी जाती हैं तो हम उन पर अनुमति दे सकते हैं अथवा अनुमति देने से इनकार कर सकते हैं।

कटौती प्रस्ताव पेश किए बिना कटौती का अधिकार नहीं मिलता। अत: मेरा सुझाव है कि नियम समिति को नियमों में संशोधन करने हेतु सौंपा जाये और कटौती प्रस्तावों की जितनी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उन्हें 6 बजे आप पेश करने दें।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपूर) : इसका एक मात्र हल एक स्थायी समिति का गठन है क्योंकि इस प्रकार तो छ: मास में भी हम सभी मांगें नहीं निपटा सकते क्योंकि बीच में अन्य विषयों पर भी चर्चा होती रहती है। इस बार तो सबसे अधिक मांगें बिना चर्चा के ही पास हो जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय : आपके सुझावों से मूल बात यह उभरी है कि निर्धारित समय में इन मांगों पर चर्चा नहीं की जा सकी परन्तु वर्तमान प्रक्रिया में कोई विकल्प नहीं है ।

हम ब्रिटिश लोक सभा के मार्ग पर चलते आए हैं परन्तु उन्होंने भी एक तरीका निकाल लिया है, मेरा अपना विचार यह है कि अनेक वर्षों से जिन मंत्रालयों की मांगों पर यहां चर्चा नहीं होती रही है, वे गैर-जिम्मेदारी बरत सकते हैं । अतः मैं समझता हूं, कि हमारा तरीका भी बदलना चाहिए । ब्रिटेन में 3–4 मास के लिए लेखानुदान ले लिया जाता है और नया वित्तीय वर्ष आरंभ होने के बाद तक सभी मांगो पर चर्चा की जाती है । यह तरीका वहां काफी सफल है ।

कुछ देश संसद् के सालभर तक चलने के विरुद्ध हैं क्योंकि वे समझते हैं कि वह प्रत्येक मांग पर बारीकी से और पूरे ध्यान से विचार नहीं कर सकती । अतः उन्होंने समितियां और आयोग बना कर बिना प्रचार आदि के चुपचाप काम करने का तरीका अपनाया है । मैं किसी तरीके पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें संविधान के अधीन रह कर ऐसे तरीके निकालने होंगे जिनसे जनता की आकांक्षाएं पूरी की जा सकें ।

अभी तो मैं नहीं समझता कि हम वर्तमान प्रक्रिया छोड़ सकते हैं (**व्यवधान**) । हमें परिवर्तनों के लिए प्रतीक्षा करनी होगी ।

(ii) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किश्तों के भुगतान का मामला

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपूर) : मैं आपकी अनुमति से सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्तों की अदायगी सम्बंधी मामला उठाता हूं । हम सभी यही समझते थे कि बजट पर चर्चा के समय सरकार यह घोषणा करेगी क्योंकि उन्होंने तीसरे वेतन आयोग के अनुसार अपना दायित्व स्वीकार किया था और हमें आशा थी कि बजट में इसका उपबन्ध रखा जाएगा किन्तु न तो उपबन्ध किया गया और न ही कोई आश्वासन दिया गया है । आज के समाचारों के अनुसार वित्त मंत्रालय और योजना आयोग में इस संबंध में चर्चा चल रही है परन्तु आयोग के उपाध्यक्ष इसके विरुद्ध हैं । उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये । मैं वित्त मंत्री से कहूंगा कि वह आज सायं 6 बजे तक इसकी घोषणा कर दें, वरना हम मांगों के पारित किए जाने का विरोध करेंगे और सरकार द्वारा वचन-भंग और कर्मचारियों के प्रति घोर अन्याय समझेंगे । सरकारी कर्मचारी चुप नहीं बैठेंगे, वे पूरे देश में आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह मामला अनेक बार उठाया जा चुका है । पता नहीं आप सरकार से स्पष्ट वक्तव्य देने को क्यों नहीं कहते । सरकार को आज तो घोषणा करनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुरामैया इस मामले को नोट कर लें जो नियम 377 के अधीन उठाया गया है । श्री पाई इसका उत्तर शायद 3-15 बजे देंगे ।

अनुदानों की मांगें, 1975-76––जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1975-76—*Contd.*

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय––जारी

Shri Ramdeo Singh (Jaunpur) : Sir, as I was saying yesterday, if the Industrial Policy Resolution had been effectively implemented, most of the problems would not have arisen today. In this context I may add that industries have been concentrated in certain parts of the country instead of their dispersal throughout the

country. Moreover, adequate attention towards the production and distribution of articles of mass consumption such as cement, coarse cloth, baby food and vanaspati has not been given.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

Regarding backward areas it is said that no uniform schemes can be chalked out for them as they are scattered. Regarding the backward areas of U. P., I may submit that 15 districts of Eastern U.P. are most backward. They have a population of 3 crores which is more than many States in India. They remained neglected at the hands of the British because the people of this region were in the forefront of freedom struggle. But I am sorry to say that even after 27 years since Independence their condition remains unchanged. Patel Study Team was sent in 1963, for a sample survey of four districts. But I do not know what is the fate of its report?.

I think the backwardness of this region is due to over population there. This makes the landholding uneconomic and therefore the entire able bodied male population of the region has migrated to all major cities and industrial towns. The planners here enjoy air-conditioned luxury and therefore frame faulty schemes.

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं । मैं मंत्री महोदय और उनके सहयोगियों को बधाई देता हूं क्योंकि 1973–74 में शून्य प्रतिशत वृद्धि से गत वर्ष 3.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है जिसे संतोषजनक माना जाना चाहिये ।

इस मंत्रालय के संबंध में सदस्यों की शिकायत मुख्यत: यह होती है कि (1) लाइसेंसों की मंजूरी में विलम्ब होता है ; (2) नए कारखाने लगाने में विलम्ब होता है ; (3) बड़े सरकारी कारखानों में क्षमता बेकार पड़ी है ; और (4) अल्पविकसित क्षेत्रों की उपेक्षा की जाती है । इस संबंध में मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने कार्यवाही करके (1) लाइसेंस के लिए आवेदन अब शीघ्र निपटाये जा रहे हैं ; (2) एक करोड़ रुपये से कम पूंजी वाले कारखानों की सूची में 26 मदें और जोड़ दी गई हैं ; (3) स्थापित क्षमता से 25 प्रतिशत अधिक को स्वत: विस्तार की अनुमति दे दी गई है ; और (4) वर्तमान क्षमता का बेहत्तर उपयोग हो रहा है ।

उद्योग मंत्रालय होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार के 6280 करोड़ के कुल निवेश में से केवल 920 करोड़ रुपये की पूंजी ही मंत्रालयाधीन कारखानों में लगी हुई है । ये कारखाने हैं—भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, एच० एम० टी०, मशीन एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, सीमेंट निगम और राष्ट्रीय कपड़ा निगम । हर्ष की बात है कि इनमें से अधिकांश कारखानों ने पहली बार लाभ कमाया है और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स में स्थापित क्षमता से 30 प्रतिशत अधिक 230 करोड़ रुपये मूल्य का उत्पादन किया है । आशा है इनकी कार्यकुशलता और बढ़ेगी । यहां मैं मंत्री महोदय को सावधान करना चाहूंगा क्योंकि देश में पूंजीगत और उपभोक्ता वस्तुओं की मांग कम है अत: निर्यात की ओर अधिक ध्यान देना होगा ताकि स्टाक जमा न होने पाये ।

निर्यात के मामले में क्योंकि हमारा मुकाबला अमरीका और जापान जैसे देशों से होगा, अत अरब देशों की मंडियों में निर्यात के लिए हम और अधिक प्रयास करने होंगे । दिए गए लाइसेंसों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है परन्तु हमें बताया जाए कि इन लाइसेंसों से कितने नए उद्योग लगाए गए, कितनों में उत्पादन आरंभ हुआ और कितने क्यों नहीं लगाए जा सके ? यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम नए उद्यमियों, तकनीकी ज्ञानियों और मध्यम आकार के उद्योग स्थापित करने वालों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, फिर लाइसेंस मिलने पर ही उद्योग क्यों न लगाए जाएं ?

[श्री एस० आर० दामाणी]

मैं जानता हूं कि वित्तीय संस्थाओं ने इस संबंध में काफी पुराना रवैया अपना रखा है जिससे वे केवल 40 प्रतिशत नए उद्यमियों को ही ऋण देते हैं और अब जबकि पूंजी बाजार में धन कठिनाई से मिल पाता है, इस रवैये को बदलने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि नए उद्योग लगेंगे तो लोगों को काम मिलेगा और उत्पादन बढ़ेगा। अतः मंत्री महोदय को इस ओर समुचित ध्यान देना चाहिये ।

नियंत्रित कपड़े के बारे में मंत्री महोदय को सुनिश्चित करना होगा कि कपड़ा मिलें उपयोगी कपड़ा बनाएं क्योंकि उनके पहले आदेशानुसार अब सभी मिलें नियंत्रित कपड़ा ही बना रही हैं और उनके पास एक लाख गांठें जमा पड़ी हैं ।

श्री बसंत साठे (अकोला) : महोदय, मैं इन मांगों का समर्थन करते हुए मंत्री महोदय को इतने अच्छे काम के लिए बधाई देता हूं । सरकारी क्षेत्र के कारखानों ने पहली बार लाभ कमाया है, बचत की है और पुनर्निवेश के लिए पूंजी भी बना ली है । इसके लिए मंत्री महोदय के साथ उक्त उपक्रमों के प्रबन्धक भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने सरकारी क्षेत्र का नाम रोशन किया है ।

हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि सरकारी अधिकारी भले ही शान्ति-व्यवस्था, प्रशासन राजस्व आदि मामलों के विशेषज्ञ हो, कारखानों के सफल प्रबन्धक कभी नहीं हो सकते, परन्तु हमारा यह अनुरोध देर बाद पूरा हुआ । अब विशेषज्ञ लगाते ही परिणाम सामने आने लगे हैं । दूसरा कारण श्रमिकों को प्रबन्ध में शामिल करना है और तीसरा है जिम्मेदारी सौंपने की नीति— इन सभी से सरकारी क्षेत्र को लाभ हुआ है ।

अब मैं राष्ट्रीय क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं । दूसरे स्वरूप के बारे में कुछ तो सरकार में भ्रान्ति है और कुछ देश के विख्यात उद्योगपति भ्रान्ति फैला रहे हैं । मैं चाहता हूं कि देश के सभी उद्योग राष्ट्रीय क्षेत्र में आ जाएं । प्रत्येक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय निगम हो जैसे राष्ट्रीय इस्पात निगम, राष्ट्रीय सीमेंट निगम, आदि । इन निगमों में राष्ट्रीय संसाधनों का सबसे लाभप्रद उपयोग किया जाये, अर्थात् पूंजी, श्रम और प्रबन्ध । इस प्रकार राष्ट्रीय क्षेत्र के प्रबन्ध में प्रबन्धकों, श्रमिकों और वित्तीय संस्थाओं अर्थात् सरकार का समान प्रतिनिधित्व हो । श्रमिकों के प्रतिनिधि उनके द्वारा सीध चुने जाएं क्योंकि अब श्रमिक संघों में भी निहित स्वार्थ घुस गए हैं । इस प्रकार बनाए गए राष्ट्रीय क्षेत्र में जम कर उत्पादन होगा और देश के सभी संसाधनों का सदुपयोग होगा ।

अब समय आ गया है जब हमें अपने निर्णयों और कार्यों में शीघ्रता की भावना लानी होगी । आशा है मंत्री महोदय मेरे सुझाव पर गंभीरता से विचार करेंगे और ठोस कदम उठाएंगे ।

श्री एन० ई० होरो (खुन्टी) : पता नहीं सरकार ने किसी जिले को पिछड़ा जिला घोषित करने के लिये कौनसा मानदण्ड अपनाया है । छोटा नागपुर में पालामाऊ और संथाल परगना केवल दो जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले घोषित किया गया है । लेकिन रांची, हजारीबाग, धनबाद और सिंहभूम सम्भवतः इसलिए पिछड़े जिले घोषित नहीं किये गये क्योंकि वहां सरकारी क्षेत्र के कुछेक उद्योग हैं । जब हम औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के बारे में बोलते हैं तो समूचे जिले पर विचार करना चाहिए । सरकार को स्वयं इसकी पुनः परिभाषा देनी चाहिए और मार्गदर्शक सिद्धान्त तथा मानदण्ड स्थापित करने चाहिए तथा पिछड़े जिलों की समूची सूची को फिर से देखना चाहिए तथा जिन जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले घोषित नहीं किया गया है उनकी नई सूची तैयार की जानी चाहिए ।

देखा गया है कि सरकार कई वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से इन उद्योगों को वित्तीय सहायता देने की चेष्टा करती है। वित्तीय सहायता तथा राज सहायता देने सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाया जाये तथा पिछड़े क्षेत्रों में इन उद्योगों को राजसहायता या वित्तीय सहायता देने हेतु केवल एक ही वित्तीय संस्थान बनाया जाना चाहिए।

पूर्वी क्षेत्र, जिसमें सभी प्रकार के खनिज तथा वनसम्पदा है, का औद्योगीकरण नहीं हुआ है। सम्भवतः वहां कुछ निहित स्वार्थ कार्य कर रहे हैं जिनके कारण सभी प्रकार का कच्चा माल होते हुए भी पूर्वी क्षेत्र में उद्योग स्थापित नहीं किये गये हैं तथा पश्चिमी क्षेत्र को सभी प्रकार की वित्तीय सहायता और अन्य लाभ मिल रहे हैं। इन क्षेत्रों में लघु उद्योग लगाने, ग्रामीण उद्योग तथा कुटीर उद्योग न होने का कोई कारण ही नहीं है। वहां पर सभी प्रकार का कच्चा माल उपलब्ध है। सरकार के सभी तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण तथा सभी प्रकार के आंकड़े पुराने और घिसे-पिटे हैं। मंत्रालय को इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए।

उद्योगों की सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रतिष्ठापना बहुत खर्चीली है। कर्मचारियों पर कितना धन व्यय हो रहा है तथा उससे कितना लाभ हो रहा है? इन तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षणों से लोगों को क्या लाभ हो रहा है?

उद्योग मंत्रालय को अपने कर्मचारियों से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जनता के सहायक बनें। आज तक सरकार बातें ही बनाती रही है, किया कुछ भी नहीं है। इसलिए कथनी और करनी में अन्तर है।

मंत्रालय को इन बातों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए ताकि लोगों को लाभ पहुंच सके।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडागा) : मैं उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। भारी उद्योगों की स्थापना के समय हमने बड़ी उम्मीदें लगाई थीं कि इससे अपेक्षित सामाजिक परिवर्तन आयेगा। परन्तु हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

अधिकांश सरकारी उपक्रम या उद्योग आदिवासी क्षेत्रों में खोले गये क्योंकि वहां उन्हें कच्चा माल तथा स्थान मिल जाता है। परन्तु कई स्थानों पर आदिवासियों को इसका मुआवजा नहीं दिया गया। सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि आदिवासी कैसी परिस्थितियों तथा कठिनाइयों में अपना जीवन बिताते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम संतोषजनक कार्य कर रहे हैं। मंत्री महोदय को इस ओर गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि हमारे सरकारी उपक्रमों में घाटा क्यों हो रहा है? यदि गैर-सरकारी क्षेत्र को 20 से 22 प्रतिशत तक लाभ हो सकता है तो सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों को घाटा क्यों हो रहा है? विदेशी सहयोग के बिना तो घाटे की सम्भावना थी पर विदेशी सहयोग के बाद घाटे का कोई अर्थ ही नहीं है। हमारा सरकारी क्षेत्रके उद्योगों पर पांचवीं योजना के दौरान 7829 करोड़ रुपए व्यय करने का विचार है। धन सामग्री की अपेक्षा मनुष्यों का कहीं अधिक महत्व है। हमें भर्ती, पदोन्नति और मशीनों की अपेक्षा मनुष्यों को कहीं अधिक महत्व देना चाहिए और उन्हें सब व्यक्तियों पर समान रूप से लागू करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ठीक कार्य नहीं कर सकता तो उसे निकाल दिया जाना चाहिए।

हमें सदा विदेशी सहयोग पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमने अपने इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना चाहिए। देश में ज्ञान और प्रतिभा का अभाव नहीं है। लेकिन हमें अपना रवैया बदलना चाहिए।

[श्री कार्तिक उरांव]

विश्व का किसी देश में यह व्यवस्था नहीं है कि घाटा होनेपर भी श्रमिकों को बोनस दिया जाय। बोनस तो कार्यकुशलता के लिये प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि घाटा होने की स्थिति में भी 8 1/3 प्रतिशत बोनस दिया जाना चाहिए। लाभ की हमारी कल्पना में परिवर्तन होना चाहिए।

मंत्री महोदय संयुक्त क्षेत्र की कल्पना के लिये बधाई के पात्र हैं। हमें संयुक्त क्षेत्र की इस नई नीति का प्रयोग करना चाहिए।

हमें बड़े उद्योगों के साथ सहायक उद्योगों का भी विकास करना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिये प्रति व्यक्ति आय को मानदण्ड बनाया जाना चाहिए।

जहां तक श्रमिकों के प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है, प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों के प्रतिनिधि को शामिल करना बहुत श्रेयस्कर बात है। लेकिन बहुत से संगठन और दल श्रमिकों के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक उद्योग में एक ही श्रमिक संघ होना चाहिये।

उद्योग ऐसे क्षेत्रों में लगाये जाने चाहिए जहां कच्चा माल उपलब्ध होता है। कुछ कच्चा माल उन क्षेत्रों से बाहर ले जाया जा रहा है। इससे आदिवासियों के विकास में बाधा पड़ेगी। रांची में सिल्क बोर्ड का एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना की जानी है। लेकिन अब पता चला है कि राजनीतिक आधारों पर इसे अन्यत्र ले जाया जायगा। ऐसा नहीं करने दिया जाना चाहिए। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी एक त्रितीय समिति है; लेकिन समिति मात्र से कोई कार्यसिद्ध नहीं होगी। एक मूल्यांकन समिति बनाई जानी चाहिए जो उद्योगों में होने वाले घाटों का पता लगाये।

डा० कैलास (बम्बई-दक्षिण) : मैं राष्ट्रीय क्षेत्र की कल्पना की प्रशंसा करता हूं। जब गैर-सरकारी क्षेत्र ने सरकारी संस्थाओं से 75 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक ऋण लिया है तो गैर-सरकारी क्षेत्र के पास धन बेकार क्यों पड़ा है और वे उसको आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने में उपयोग कर रहे हैं। उन्हें सरकारी क्षेत्र जिसे राष्ट्रीय क्षेत्र कहा जाता है, की ओर अग्रसर क्यों नहीं किया जाता है। हमें उन्हें उनके शेयरों पर लाभांश देना चाहिये। वे नमक और कागज तक की जमाखोरी कर रहे हैं। इसे तुरन्त रोका जाना चाहिये। उद्योग नदियों, समुद्र और वायु को दूषित कर रहे हैं। जब सरकार उद्योगीकरण करना चाहती है तो प्रथम कदम प्रदूषण को रोकना है। जब तक कोई व्यक्ति दूषित जल, धुएं और गैस को साफ करने के लिए सावधानी नहीं बरतता उसे लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिये। जब तक नगरपालिकाएं और स्थानीय निकाय इन बातों की ओर ध्यान नहीं देते और इनको लागू नहीं करते तब तक कोई सुधार नहीं होगा। अतः मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये। उनके मंत्रालय में एक सेल बनाया जाना चाहिये जो इस प्रश्न की जांच करेगा। आप को यह बात सुनिश्चित करनी होती कि प्रत्येक कारखाना एक बोर्ड लगाये जिस पर 'करने योग्य' तथा 'न करने योग्य' बातें लिखी हों।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले 15 सरकारी उपक्रमोंने ने केवल लाभ कमाना शुरू कर दिया है, अपितु या तो उन्होंने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है या लक्ष्य को भी पार कर गये हैं। इससे देश में ऐसा वातावरण पदा हो गया है जिससे कि सरकारी क्षेत्र भी लाभ दिखाये।

गैर-सरकारी क्षेत्र के बारे में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाय गये कदमों का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन कुछ उद्योग इससे संकट अनुभव कर रहे हैं। वे अत्यन्त अनिवार्य

क्षेत्र में है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक मामले की जांच की जानी चाहिये । आवश्यकता-पूर्ति के लिए सीमा बढ़ाई जानी चाहिए । यदि आवश्यक समझा जाय तो देश और जनता के हित में भी यह कार्य करना चाहिए ।

लघु उद्योग में राशि-निवेश की सीमा बढ़ाई जानी चाहिये । युवा उद्यमियों को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । इस उद्देश्य के लिए एक विभाग खोला जाना चाहिय । लघु उद्योग बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार सहायक उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिये । अब मथुरा तेल शोधक कारखाना बन रहा है । लेकिन इस बात का पता नहीं कि कौन कौन से सहायक उद्योग स्थापित किये जायेंगे । इसका विज्ञापन समाचार-पत्रों में दिया जाना चाहिये कि अमुक अमुक आनुषंगिक उद्योग आरम्भ किये जा सकते हैं । लघु उद्योग को सदृढ़ करने के लिए निर्यात बढाने के लिए प्रोत्साहन देना अनिवार्य है । यह कार्यवाही यथाशीघ्र की जानी चाहिये ।

कुछ अधिकारी प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं लेकिन पदोन्नतियों के मामले में उनकी उपेक्षा की जाती है । मंत्री महोदय को अच्छा कार्य करनेवाले अधिकारियों के मामलों पर विचार करना चाहिए ।

कुछ युवा उद्यमी हतोत्साहित हो गये हैं क्योंकि इनको प्रशिक्षण, ऋण और तकनीक सेवाओं के मामले में समेकित सहायता नहीं दी जाती है । देश के भीतर और विदेशों में विपणन व्यवस्था न होने के कारण वे सफल नहीं होते हैं । मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रत्येक युवा उद्यमी को उद्योग के लाइसेंस देने से पूर्व उसे प्रशिक्षण दिया जाये ।

हम सदैव ग्रामीण विकास और पिछड़े क्षेत्रों के विकास की बात करते हैं । राज्य मंत्री ने कहा है कि पांचवी योजना अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में 1.6 लाख उद्योग लगाये जायेंगे और इस के लिये अर्थ-व्यवस्था का भी प्रबन्ध किया जायेगा । यह प्रचार किया जाना चाहिये कि किस प्रकार के उद्योग लगाये जा सकते हैं ताकि इस लक्ष्य को पूरा किया जा सके और पांचवी योजना में निर्धारित 287 करोड़ रुपये की धन राशि का समुचित उपयोग किया जा सके । सदन को यह भी बताया जाना चाहिये कि वे 57 अतिरिक्त जिले कौन से हैं जहां ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम आरम्भ हो गया है ।

मंत्रालय को तकनीकी विकास महानिदेशालय पर निगरानी रखनी चाहिये क्योंकि यह अड़चनें पैदा कर रहा है । जहां गलतियां हुई हैं और लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं उनके लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय उत्तरदायी है ।

लघु उद्योग बोर्ड में अनुभवी तथा लक्ष्यपूर्ति की भावना वाले व्यक्ति को नियुक्त ही नहीं किया गया है । इस बोर्ड को पुनर्जीवित किया जाना चाहिये ताकि मंत्री महोदय की कल्पना यथार्थ में परिवर्तित की जा सके ।

बम्बई की क्षेत्रिय नमक आयुक्त लघु लवणपटल धारियों जो नमक का उत्पादन करते है, के प्रति बहूत क्रूर है । जो लोग इस कार्य को परम्परा से करते चले आ रहे हैं उनको इस कार्य की अनुमति नहीं दी जा रही है और नमक उपलब्ध नहीं है और वे परिवार हानि उठा रहे है ।

श्री एम० एस० संजीवी राव (काकीनाडा) : उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्री अपने उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण और देश का द्रुतगति से उद्योगीकरण करने के अपने प्रयासों के लिये बधाई के पात्र हैं । लकिन खेद है कि औद्योगिक प्रगति बहुत धीमी गति से हो रही है ।

[श्री एम० एस० संजीवी राव]

उद्योगो में आये दिन का गतिरोध और संकट हमारी अर्थ-व्यवस्था का नियमित अंग बन गया है । नौकरशाही प्रक्रियाओं और फार्मुलों के कारण सरकार की नीति उद्यमियों को अपने लक्ष्य से हटाने कीहै ताकि उद्योगों में आशातीत प्रगति न हो । इन नीतियों की पुनः जांच की जानी चाहिये ताकि जनता और लोगों को दिये गय बचनों को पूरा किया जा सके । आज सरकार और उद्योगों में मतभेद और तनाव के बजाय समन्वय,और सहयोग होना चाहिये । हम निष्ठावान और कार्य में लगन रखने वाले अधिकारी चाहते हैं जो मुख्य उद्योगों के संरक्षण के लिए तुरन्त निर्णय ले सके । यदि आय में तेजी से वृद्धि नहीं हुई तो औद्योगिक विकास दर बहुत धीमी हो जायेगी क्योंकि वर्तमान सयत्र और मशीनरी का उपयोग कम हो पायेगा ।

वर्तमान अन्धकार में भारी उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत 15 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का सफल कार्य सम्पादन ही केवल मात्र प्रकाश की किरण है जिससे वर्षों पुराने इस भ्रम का निवारण हो गया है कि सरकारी क्षेत्र सफल कार्य नहीं कर सकता और न ही लाभ कमा सकता है । भारी उद्योग मंत्रालय ने, रिचार्डसन एन्ड क्रूडास और ब्रैथन्ट जैसी रुग्ण पोत विनिर्माता कम्पनियों को अपने अधिकार में ले लिया है और उनका उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया है । भारत हेवी इलैक्ट्रीकल्स ने भी प्रशंसनीय कार्य किया है ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र के लिए प्रथम बार अत्यन्त परिष्कृत 262 टन भार के साइक्लोट्रोन मैगनेट का निर्माण किया है । इन्होंने पहली बार देश में 450 टन भार का 'कोन क्रशर' बनाया है । यह दुर्भाग्य की बात है कि हैवी इंजीनियरिंग । कारपोरेशन इतना अच्छा कार्य कर रहा है फिर भी इसमें 5.1 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है । हमें याद रखना है कि यह अत्यन्त कृत्रिम औद्योगिक संशलिष्ट जिसके लिए अत्यधिक निर्माण अवस्था की आवश्यकता है । यदि सरकार हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को क्रयादेश देकर अवसर दें तो यह आगामी वर्षों में प्रगति कर सकता है ।

हैवी इंजीनियरिंग और मशीन निर्माता संयंत्रों का राष्ट्र की आवश्यकताओ के अनुसार विकास किया गया है । अब केवल डिजाइन और परामर्शदाता सेवाओं की ही आवश्यकता है । जब तक भारतीय परामर्शदाता सभी परियोजनाओं में डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और पर्यवेक्षण के क्षेत्रो में शीर्षस्थ स्थान ग्रहण नहीं करेंगे हम दीर्घकालीन द्रुत राष्ट्रीय विकास के लिए अपने हैवी इंजीनियरिंग का अधिकतम उपयोग नहीं कर सकेंगे ।

मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वह हैवी इंजीनियरिंग मंत्रालय, विशेष कर हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन, जिसमे प्रतिभाशाली और सक्षम तकनीशियन और टैकनोक्रेट काम करते हैं और जो चीनी, सीमेंट अथवा इस्पात आदि उद्योगों के लिए हर प्रकार की मशीनों का नक्शा और उनका डिजाइन तैयार करते हैं और उनका निर्माण करते हैं, की ओर अधिकाधिक ध्यान दें ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यदि औद्योगिक विकास और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के कार्यकरण पर नजर डाली जाये तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के बीच उचित समन्वय होना चाहिये । हमारे औद्योगिक विकास के सिलसिले में सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि हमने जो प्राथमिकताएं निर्धारित की थीं, वे गलत थीं । हमें इस बारे में यह निश्चित करना ही होगा कि हमें क्षमता निर्माण को सबसे अधिक प्राथमिकता देनी होगी, परन्तु निराशाजनक बात यह है कि हम उस क्षमता का प्रयोग ही नहीं कर पा रहे और इसका मुख्य कारण यह है कि कच्चे माल के वितरण की पद्धति दोषप्रद है । इसी कच्चे माल के दोषी वितरण के साथ ही अन्य समस्यायें जुड़ जाती हैं ।

हमारे सरकारी उपक्रमो की असफलता का एक कारण यह है कि सभी कानूनी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी परिणाम का स्तर बहुत ही नीचा है । अत: इसे बढ़ाना होगा । प्रबन्ध व्यवस्था को ठीक करना होगा । कर्मचारियों सम्बधी नीति की उचित रूप देना होगा । प्रशासनिक सुधार आयोग का कहना है कि इस दिशा में पुन: विचार करके नई नीति का निर्माण करना होगा । उचित व्यक्तियों को उचित स्थानो पर लगाना होगा । इस बात की लगभग बहुत से सरकारी उपक्रमो में नितान्त उपेक्षा की गई है । सभी सरकारी उपक्रमो मे हमें लक्ष्य निर्धारित करने होंगे । जो भी उपक्रम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने मे असफल रहे उन्हें कड़ी चेतावनी दी जाये और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये ।

कर्मचारियों की यह मांग निरन्तर रही है कि सरकारी उपक्रमों में समानता का सिद्धान्त लागू नहीं किया जाता । सभी जगह एक जैसा ही सिद्धान्त लागू किया जाना चाहिये । इससे केवल कर्मचारी ही प्रसन्न नहीं होंगे, प्रत्युत उनकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी । सभी सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों सम्बन्धी श्रमिक कानून भी एक जैसे नहीं हैं । अत: यह जरूरी है कि इस दिशा में कोई केन्द्रीय विधान होना चाहिये जो विभिन्न सरकारी उपक्रमों पर लागू हों । यदि यह हो जाये तो बहुत सी समस्याएं अपने आप हल हो जायेंगी ।

कई बार क्षेत्रीय असंतुलन की बात कही जाती है । परन्तु बहुत से क्षेत्र पिछड़े हुए हैं उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है । इसके लिए न तो कोई ढांचा ही तैयार हो रहा है नही विभिन्न मंत्रालयों के स्तर पर कोई समन्वय ही हो पा रहा है । सभी ने इस बात को स्वीकार किया है कि पिछड़े क्षेत्रो में कुछ उद्योग स्थापित किय जायें । सरकार ने यह निर्णय किया है कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में एक एल्यूमीनियम परियोजना स्थापित की जायेगी । आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस परियोजना पर अनुमानित व्यय 75 करोड़ रुपये है । पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी परन्तु निर्माण कार्य ठप्प पड़ा है । यद्यपि इस परियोजना की स्वीकृति हो चुकी है तथापि कोंकण के इस पिछड़े क्षेत्र में यह एल्यूमीनियम परियोजना चालू नहीं हुई है । निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ है । यह कोई पृथक समस्या नहीं है क्योंकि यदि पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे सरकारी उपक्रम असफल हो जाते हैं तो अन्य क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा । उदाहरण के लिए प्राय: हमें बताया गया कि यदि कोंकण जैसे पिछड़े क्षेत्र में रेल लाइनें बिछायी जानी हैं एक और हम सर्व-ऋतु पत्तन की स्थापना होनी है तो वहां प्रभावी ढंग से औद्योगिक विकास करना होगा । यदि वहां एल्युमिनियम परियोजना सफल नहीं होती और कास्टिक सोडा संयत्र स्थापित नहीं होता तो वहां रेल लाइनों को बिछाने ओर सर्व ऋतु पतन की स्थापना करने की सम्भाव्यता रिपोर्ट का कार्य नहीं लिया जा सकता । किन्तु जब तक यह कार्य नहीं होगा तो औद्योगिक विकास भी असफल हो जायेगा । अत: इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

पिछड़े क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण सुविधाएं तथा राज-सहायता उपलब्ध करने की समस्या बड़ी महत्वपूर्ण है । इस सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से काजू परिष्करण उद्योग की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो एक लघु उद्योग है और पिछड़े हुये समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित है ।

वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था कि ऋण रियायतो के सम्बन्ध में बैंकों द्वारा सुविधाएं दी जायेंगी । किन्तु देश में तटीय क्षेत्रों से निरंतर शिकायतें आ रही हैं कि उन्हें इस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल रही जिसके फलस्वरूप छोटे पैमाने के उद्योग वहां नहीं पनप पा रहे हैं । इस पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

जब कभी किसी मंत्रालय की कोई त्रुटि निकाली जाती है तो यही कह दिया जाता है कि इस का हमारे मंत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं है । सभी मंत्रालय केन्द्रीय सरकार के अधीन है, और

[प्रो० मधु दंडवत]

उनमें समुचित समन्वय होना नितान्त आवश्यक है । मुझे आशा है कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच समुचित समन्वय किया जायेगा और पिछडे क्षेत्रों में विशष रूप से औद्योगिक विकास किया जायेगा

श्री के० मालन्ना (मधुगिरी) : हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए वचनबद्ध हैं । मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र दोनो का सह-अस्तित्व होता है । इन दोनों क्षेत्रों का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन देना ही होना चाहिए । लोकतंत्रीय समाजवाद में सरकारी क्षेत्र को महत्वपूर्ण कार्य करना होता है । सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता की दिशा में उसे अपना महत्वपूर्ण योगदान देना होता है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अब न केवल अधिक लाभ ही कमा रहे हैं अपितु उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं । मुद्रा स्फीति को रोकने का एक उपाय उत्पादन वृद्धि भी है । इससे न केवल मुद्रा स्फीति हो सकती है अपितु जनसाधारण को समुचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध होती हैं । 1972 की तुलना में 1973 में उत्पादन लगभग दुगना हो गया । लगभग सभी सरकारी उपक्रम अपने लक्ष्यों तक पहुंच गए हैं । कुछ एकको मे उत्पादन में गिरावट हो सकती है, किन्तु समग्र रूप से उत्पादन में वृद्धि हुई है । गत तीन वर्षों से सरकारी उपक्रम लाभ में चल रहे हैं । चालू वर्ष में 200 करोड़ रुपये का लाभ होने की आशा है । बिजली की कमी, असंतोषजनक प्रबन्ध तथा श्रम आन्दोलन के बावजूद भी, क्षमता के बेहतर उपयोग के कारण ऐसा संभव हो पाया है । यदि प्रबन्ध तथा श्रमिकों के सम्बन्धों में सुधार हो जाये तो उत्पादन तथा लाभ में और वृद्धि हो जायेगी और इससे आंतरिक तथा बाहरी खपत को पूरा किया जा सकेगा ।

यदि सरकारी उपक्रम पूरी क्षमता से कार्य करें तो इससे सामाजिक-आर्थिक न्याय मिलने में सहायता मिलेगी । इससे लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे । इसके अतिरिक्त मिलावट , काला धन और निम्न कोटि की वस्तुएं बनाने की गुंजाइश भी नहीं होगी । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अधिक निवेश तथा प्रोत्साहन की आवश्यकता है । दोनों ही क्षेत्रों में वित्तीय निवेश करने, नीतियाँ तैयार करने प्रबन्ध आदि करने में सरकार का प्रभूत्व रहना चाहिए । इस तरह दोनों ही क्षेत्रों का विस्तार होगा । साथ ही सामाजिक न्याय, मूल्य तथा रोजगार की सुरक्षा होगी । श्रमिकों, मध्यम वर्ग के लोगों, कम आय वाले लोगों द्वारा किए गए निवेश पर उन्हें लाभ मिलेगा जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए । इसके मार्ग में जो बाधाएँ हैं वे दूर की जानी चाहिएं । गैर-सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम अपनी क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं । वे लाभ कमाने के लिए विलासिता की वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं । वे लाइसेंस क्षमता से भी अधिक उत्पादन कर बहुत मुनाफा कमा रहे हैं । विदेशी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विलासिता की वस्तुओं के अधिकाधिक उत्पादन से स्वाभाविक है कि अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन कम हो जायगा । इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये । पिछड़े क्षेत्रों में लघू तथा मध्यम पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । इनके विकास हेतु सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिएं ।

श्री निम्बालकर (कोल्हापूर) : जब श्री पाई ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला तो उन्होंने यह महसूस किया कि यदि महत्वपूर्ण उद्योगों की ओर ध्यान न दिया गया तो यह देश के हित में नहीं होगा । पांचवीं योजना में इस क्षेत्र को महत्व देना इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि इसके बिना छोटे क्षेत्रों को कोई लाभ नहीं पहुंच सकता । अतः इस दिशा में काफी कार्य किया गया है और इस

महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लघु उद्योगों के बारे में भी मंत्री महोदय वही दृष्टिकोण है। उनकी समस्याओं को भी हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम मिश्रित अर्थ व्यवस्था के माध्यम से औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए श्री पाई ने गैर सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों को भी लाइसेंस देने में कोई संकोच नहीं किया। इस तरह हमने लघु उद्योगों को सहायता की है। यह देश के हित में है जिसका सर्वत्र स्वागत किया गया है।

खेद की बात है कि लघु उद्योग बोर्ड की बैठकें हर छः महीने नहीं होती। दो वर्ष तक मैं भी इस बोर्ड में रहा और मैंने देखा कि दो साल में केवल एक बैठक बुलाई गई। गत चार वर्षों में इस बोर्ड की केवल तीन बैठकें हुई हैं। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाये कि बोर्ड की बैठक हर छः महिने हो।

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे कोंकण में उद्योगों की स्थापना करें और रेल मंत्री वहां रेल लाइन बिछाने के लिए कदम उठाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को 3-30 बजे उत्तर देना है। अब केवल एक और सदस्य भाषण दे सकते है।

***श्री आर० एन० बर्मन** (लालगोला): मैं बंगाल में उद्योग की समस्या के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैंने 26 मार्च को पश्चिम बंगाल में औद्योगिक उत्पादन की प्रगति दर के बारे में एक प्रश्न पुछा था। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया था कि औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक अखिल भारतीय आधार पर तैयार किया जाता है और इन आंकड़ो से राज्यवार औद्योगिक उत्पादन का पता नहीं चल सकता। इसका यह अर्थ है कि उद्योगों के मामले में, विभिन्न राज्यों में वर्षानुवर्ष कितनी प्रगति होती है, यह जानना संभव नहीं है।

खेद की बात है कि उद्योगों सम्बन्धी, वार्षिक सर्वेक्षण आधुनिकतम नहीं है। यह खेदजनक ही नहीं है, बल्कि आश्चर्य जनक भी है, कि औद्योगिक विकास मंत्रालय के पास राज्यों के हर वर्ष के औद्योगिक विकास संबंधी आंकड़ों को संकलित करने की व्यवस्था नहीं है। अगले वर्ष से मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में विभिन्न राज्यों द्वारा जारी किए जाने वाले लाइसेंसों का विवरण दिया जाना चाहिए।

कभी पश्चिम बंगाल देश के औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यो में सबसे ऊपर था। किन्तु आज वहां के उद्योगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। राज्य का आर्थिक विकास काफी हद तक उद्योगों पर निर्भय करता है। पश्चिम बंगाल में पटसन तथा इंजीनियरी उद्योग बहुत ही दैयनीय स्थिती में है।

इन सभी बातों का हमारे पटसन उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। न केवल भारत में ही अपितु बंगला देश में भी पटसन उद्योग की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पटसन कारखाने अपने उत्पादन में 15 से 20 प्रतिशत की कमी कर रहे हैं। यदि ऐसा हो गया तो पटसन कारखानों के लगभग 30,000 कर्मचारी रोजगार खो बैठेंगे। अब स्थिति यह है कि 7,500

*बंगला में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपांतर।

Summarised traslated version based on english translation of the speech delivered in Bengali.

[श्री आर० एन० बर्मन]

पटसन कर्मचारी जबरन छुट्टी पर हैं। यदि शीघ्र ही कोई उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की गई तो पटसन उद्योग संकट में पड़ जायेगा।

पटसन उद्योग का अध्ययन करने के लिए कुछ समय पूर्व एक सरकारी प्रतिनिधि मंडल अमरीका में पटसन का बिक्री बढ़ाने के प्रयोजन से वहां भेजा गया था। इस मंडल ने अपनी सिफारिशों में सुझाव दिया है कि पटसन की वस्तुओं पर लगाये गये उत्पाद शुल्क में राहत दी जानी चाहिये। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिया जायेगा? सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि पटसन कारखानों से होने वाले लाभ को पटसन कारखानों पर ही लगाया जाये। जिससे कि पटसन मिलों का आधुनिकीरन किया जा सके तथा अनुसंधानका कार्य आगे बढाया जा सके। दुसरे, अभी तक पटसन के मूल्यों के सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की गई है, यही घोषणा भी शीघ्र ही की जानी चाहिये।

हमारे देश में वगन बनाने वाले एकक अधिकांशत: पूर्वी क्षेत्र में ही हैं। देश में वैगनों का भारी कमी है, परन्तु रेलवे बोर्ड धन के अभाव के कारण वैगन नहीं खरीद पा रहा है। अब स्थिति यह होती जा रही है कि वैगन कारखानों के समक्ष संकट उत्पन्न होता जा रहा है। वैगन जैसे बड़े उद्योग को केवल मात्र रेलवे के आर्डरों पर ही निर्भर नहीं रहने दिया जाना चाहिये। इसके लिए विदेशों से भी आर्डर प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये जाने चाहियें।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मेरा मंत्रालय के कार्यकरण सम्बन्धी जो सराहना की गई है, मैं उसके लिए अपने मंत्रालय के सहयोगियों तथा अधिकारियों की ओर से सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम आप की आकांक्षाओं के अनूरूप पूरा उतरने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

मेरी यह इच्छा थी कि विरोधी दलों के सदस्य पूर्ण संख्या में यहाँ उपस्थित होते क्योंकि हमारी नीतियों, तथा कार्यकरण की जो भी आलोचना होती उससे यह उजागर होता कि हमने कहाँ गलती की है, हमारा क्या लक्ष है, क्या समस्याएँ हैं, उनका किस प्रकार समाधान करने का प्रयत्न किया गया है और अब हमें क्या करना चाहिए।

हमारे देश में औद्योगिक विकास हो रहा है। विश्व के औद्योकृत देशो में हमारा छटा या सातवां स्थान आता है। गत दो वर्षों में हुई दो प्रमुख घटनायें यथा आणविक विस्फोट तथा अन्तरिक्ष उड़ाने हमारे औद्योगिक विकास की ही प्रतिक है। इसमें अब संदेह नही है कि कुछ ही समय के बाद हमारे देश की गणना, वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित देशों में की जानी लगेगी। परन्तु इसका तात्पर्य यह भी नहीं हो सकता कि औद्योगिक विकास के माध्यम से अपने देश में जनसाधारण की समस्याओं का समाधान कर लिया है। तथ्य तो यह है कि ज्यों ज्यों हमारे देश की जनसंख्या में वृद्धो होती जा रही है त्यों त्यों हमारी समस्याओं भी बढ़ती जा रही है। परन्तु इसकी ओर ध्यान दिये बिना ही यदि मंत्री या मंत्रालय विशेष कार्य पर आरोप लगा दिये जाये तो सम्भवत: उस आलोचना को स्वस्थ्य आलोचना नहीं कहा जा सकता। तथ्य तो यह है कि आज हमारे देश में औद्योगिक विकास का ढांचा जर्मनी तथा जापान की तुलना में काफी अच्छा है। हमें आशा है कि हम उसमें अपेक्षित प्रगति कर पायेंगे। हमें इस कार्य के लिए लोगों को सही ढंग से तैयार करना होगा, उनमें अपेक्षित जोश भरना होगा।

[श्री वसंत साठे पीठासीन हुए।
SHRI VASANT SHATHE *in the Chair.*]

हाल ही में हमारी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन, विभिन्न विशेषज्ञ एजन्सियों द्वारा किया गया है। हमारा देश उन कुछ गिनेचुने देशों में से एक है जहां मुद्रास्फीति पर काबू पा लिया गया

हैं जहां मुद्रास्फीति अधिक होगी वहां प्रगति सम्भव नहीं हो सकती। मुद्रास्फीति का समाज के सब से दुर्बल वर्ग पर अत्याधिक प्रभाव पड़ता है तथा हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्रीय नीति के अंग के रूप में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखे। मूल्यों के सूचकांक पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट होता है कि गत छः महीनों में थोक मूल्यों के सूचकांक में लगभग 6 प्रतिशत से भी अधिक की कमी हुई है। परन्तु इससे ही हमें संतोष नहीं करना है। यह सम्भव है कि यदि हमने उत्पादन में वृद्धि न की होती, पूंजी निवेश की अन्य दिशाओं में वृद्धि न की होती तथा अन्य मुद्रास्फीति विरोधी उपाय न किये होते तो सम्भवतः आज स्थिति हमारे काबू में न होती। सदन मेरे साथ पूर्णतया सहमत होगा कि ऐसे सतत प्रयत्न करने अपेक्षित ही थे।

इस वर्ष हमारा लक्ष्य 7 से 8 प्रतिशत की वृद्धि दर को बनाये रखने का है। हमारे कुछ सज्जन पूछते हैं कि क्या यह सम्भव है? इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यही है कि हमारे पास प्रतिष्ठापित क्षमता की कोई कमी नहीं है। यदि हमने इसका पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर लिया तो वृद्धि होना स्वाभाविक ही होगा। क्षमता यदि बढ़ाई जाती है तो उसका उचित उपयोग भी सम्भव बनाया जाना चाहिये अन्यथा वह निरर्थक होगा। हमने देखा है कि परियोजनायें यदि वह सरकारी था गैर-सरकारी, यदि उन्हें समय पर आरम्भ न किया जाय, यदि उनमें ध्यानपूर्वक पूंजीनिवेश न किया जाय, तो उनमें होने वाला विलम्ब काफी मंहगा पड़ता है। अब हमें देखना यह है कि क्या राष्ट्र की आदतों को इसी प्रकार चलने दिया जाये या परिवर्तित परिवेश में जब कि राष्ट्र को समस्याओं को तुरन्त सुलझाने की आवश्यकता है, इन आदतों को बदल, अपने कार्यकरण में अमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाये। हम इसी प्रकार के प्रयत्नों के लिए अग्रसर हो रहे हैं।

मैंने अभी कहा कि 7 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करना संभव है यदि इस्पात उत्पादन तथा कोयले के उत्पादन में भी अपेक्षित वृद्धि हो। हम अपने संयंत्रों को प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिक उत्पादन कर सकते है। हमें आशा है कि कृति भी इस कार्य में हमारी सहायता करेगी। पन-बिजली की समस्या जो अनेक राज्यों के समक्ष चली आ रही है वह भी दूर करने में हमें समानता प्राप्त होगी। मंत्रालय द्वारा यह निर्णय किया गया है कि जहां 20 प्रतिशत से अधिक बिजली की कटौती की जाती है, वहां रक्षित बिजली उत्पादन संयंत्र चालू करने की अनुमति दे दी जाय, उन्हें डीजल दे दिया जाय। इन अस्थाई समस्याओं को हल करने का यह भी एक ढंग हो सकता है। वास्तविकता तो यह है कि इस प्रकार की समस्यायें प्रत्येक देश के समक्ष किसी न किसी समय आती रहती है। इन समस्याओं को बुद्धिपूर्वक ढंग से हल करना उस देश की तकनीकी विद्या पर निर्भर करता है। उत्पादन में 7 से 8 प्रतिशत की वृद्धि संभव है। परन्तु ऐसा केवल एक ही वर्ष के प्रयत्नों से सम्भवः नहीं है, इसके लिये हमें अनेक वर्षों तक अपना प्रयत्न जारी रखना होगा प्रायः हम सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के अधिकारियों की आलोचना करते रहते हैं परन्तु मैं समझता हूं कि जब कभी वह प्रशंसा के पात्र हो तो उनकी प्रशंसा भी की जानी चाहिये।

प्रो० दण्डवते ने बताया कि हमें लाभ की ओर भी अपेक्षित ध्यान देना चाहिये। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच आखिर अन्तर क्या है? इनमें अन्तर तो केवल स्वामित्व का ही है। इनकी अनेक ऐसी समस्यायें है जिनका समाधान किया जा सकता है तथा उनके लिए हम पूर्णतया प्रयत्नशील है। भारी इंजीनियरिंग के 14 सरकारी कारखानों में, जोकि हमारी देखरख में थ, हमने उनमें वर्ष 1972 में 268 करोड़ रुपये के मूल्य का उत्पादन किया है। वर्ष 1973 में यह उत्पादन लक्ष्य बढ़ाकर 409 करोड़ रूपये कर दिया गया तथा वर्ष 1974-75 में यह 557 करोड़ रुपये का है। वर्ष 1972-73, तथा 1973-74 में हमें इन एककों से हानि होती थी परन्तु वर्ष 1974-75 में यह हानि 31 करोड़ रुपये के लाभ के रूप में बदल गई है।

[श्री टी० ए० पाई]

कुछ लोगों ने हम से पूछा है कि मूल्यों के बारे में हमारी नीति क्या है। मैंने आरम्भ में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि हम उत्पादन के मूल्य उसी प्रकार के उत्पादों के मूल्यों से अधिक नहीं होंगे ब्यूरो द्वारा हमें 10 प्रतिशत मूल्य अधिक लेने की अनुमति दी गई है परन्तु फिर भी मैंने अपनी एककों को निदेश दिये है कि वह यह 10 प्रतिशत मूल्य वृद्धि भी न ले। हम अन्तर्राष्ट्रीय क्रयादेश प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है तथा हमने अपना उत्पादन लक्ष्य 720 करोड़ रुपये के उत्पादन का रखा है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बात हमारे समक्ष यही है कि हम यह समझने का प्रयत्न करे कि किस समस्या का समाधान किस प्रकार उचित ढंग से किया जा सकता है। हमें सरकारी क्षेत्र की एककों की उचित समय पर अपेक्षित सराहना भी करनी चाहिये।

हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और निजी क्षेत्र को भी उसकी सीख देते हैं। मैंने भी सरकारी क्षेत्र के एककों को निदेश दिया है कि वे यथाशीघ्र देशी वस्तुओं का प्रयोग आरम्भ करें। किसी प्रकार का बहाना नहीं सुना जायेगा जैसे कि उनको अमुक पुर्जा देश में उपलब्ध नहीं हुआ है। यह उनका कर्तव्य है कि वे अपने तकनीकी लोगों की सहायता से उन्हें बनायें। इन कारणों से उत्पादन में विलम्ब अथवा कमी बर्दाश नहीं की जायेगी।

सरकारी क्षेत्र में कुल 6,227 करोड़ रुपये के निवेश में से मेरा मंत्रालय 845 करोड़ रुपये के निवेश के लिए जिम्मेदार है। यह केवल 14 प्रतिशत है। हमारे यहां कुछ एक सबसे बड़े इंजीनियरिंग यूनिट हैं। मेरे विचार में उनके कार्य को देखते हुए कहा जा सकता है कि सरकारी क्षेत्र अपनी समस्याओं का समाधान करने में समर्थ है। यदि सभी सरकारी कारखाने 10% भी लाभ कमाने लगे तो मुद्रास्फीति सम्बन्धी अधिकांश समस्याओं को हल किया जा सकता है।

सरकारी क्षेत्र की मुख्य कमी यह थी कि यह लाभ कमाने में असमर्थ था। अब इस त्रुटि को दूर करने के प्रयास शुरु हो गये हैं। इससे देश की आर्थिक गतिविधि में अधिक गति आयेगी। इससे हम यह समझने के योग्य हो जायेंगे कि अर्थ व्यवस्था में गतिरोध का समय जिसमें कि गत तीन-वर्षों से हम फंसे हुए थे, अब समाप्त हो रहा है। जब हम स्वतन्त्र हुए तो हमारी कृषि पिछड़ी थी थी और उद्योगों का विकास नहीं हुआ था। करोड़ों लोगों को, जो निराशा और अंधकार में डूब हुए थे, देश के राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में लाना था। खाद्यान्न, कपड़ा, आवास, शिक्षा तथा रोजगार की उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। आर्थिक व्यवस्था कि पहले कदम के रूप में मुख्य उत्पादन क्षेत्रों में संगठित करना है।

हमारी जैसी परिस्थितियों में राज्य के सहयाण सम्बन्धी पहलुओं को तब तक स्थगित नही किया जा सकता जब तक कि किसी स्तर तक आर्थिक प्रगति न कर ली जाये। हमारे जैसे देश में उन कल्याणकारी कार्यों का, जिनमें सामाजिक उपयोगिता और आधारभूत ढांचा सम्मिलित है समग्र आर्थिक विकास-ढांचे से अटूट सम्बन्ध है। जब तक सामाजिक उपयोगिताओं तथा आधर भूत ढांचे की प्रगति नहीं होती है तब तक अर्थिक प्रगति नही हो सकती। अतः, औद्योगिक नीति संकल्प ने सरकार को आवश्यक रूप से अधिक कार्य करने के लिये दिये है ताकि प्रभावी ढंग से कुछ विकास किया जा सके और गैर-सरकारी उद्यमों की भूमिका को देश की ऐसी एजेन्सी के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है जो प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कुछ लक्ष्यों को पूरा करेगा।

एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था में, जहां गैर-सरकारी क्षेत्र इस ढंग से नियमित नहीं किया जा सकता उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, सरकारी क्षेत्र को उस क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार होना चाहिये ताकि वह कई क्षेत्रों का विस्तार करके लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अब विकास के इस चरण में गैर-सरकारी क्षेत्र को यह महसूस करना चाहिये कि यदि लोक वित्तीय संस्थाओं

के माध्यम से काफी निवेश किया गया है तो उन्हें यह पूछने का अधिकार है कि उत्पादन क्यों नहीं किया गया, लाभ क्यों नहीं कमाया गया और प्रबन्ध ठीक ढंग से क्यों नहीं चलाया गया ? यह नीति का मामला है । उन्होंने कहा है कि क्योंकि शेयर अच्छे थे और वित्तीय संस्थाएं उन्हें खरीद रही थीं यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष राष्ट्रीयकरण है । यह कोई उचित बात नहीं । वास्तव में सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की छोटे अंशधारियों के प्रति भी जिम्मेदारी थी, अतः यह वांछनीय है कि वित्तीय संस्थाएं पूंजी-निवेश पर निरन्तर निगरानी रखें ताकि किसी भी संस्थाको आर्थिक दृष्टि से संकटग्रस्त न होना पड़े । गैर-सरकारी क्षेत्र को इस बात की गारंटी नहीं देनी चाहिये कि उसे औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गतही नियमित किया जा सकता है । निवेश के लिए किस तरह के लोगों को आकर्षित किया जाये और अधिक उत्पादन-क्षमता तैयार की जाये ? इसकी तुलना में लाइसेंस का मामला उतना महत्वपूर्ण नही है । विखण्डनकारी प्रवृत्तियां अब समूचे देश में दिखाई दे रही हैं । यदि बेरोजगारी की समस्या समूचे देश मे विखंडनकारी प्रवृत्ति को स्थान दे रही है तो राष्ट्रीय एकता की बात ही सर्वथा व्यर्थ है । क्या हम केवल छोटी-छोटी बातों पर लड़ते-झगड़ते रहें और इस बात का निर्णय न करें कि हमारी मूल नीति क्या होनी चाहिये ?

पांचवीं योजना मे पांच सीमेंट फैक्टरियां शामिल की गई है परन्तु धन केवल तीन फैक्टरियो के लिए दिया गया है । सरकारी क्षेत्र के विस्तार का मार्ग खोजना चाहिये । यदि उसे लोगों को संसाधन जुटाने हैं तो उन्हें भी सरकारी वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिय । इसके लिए अवश्यक प्रक्रिया को बदलना होगा ।

राष्ट्रीय क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । समय आ गया है जबकि प्रत्येक औद्योगिक यूनिट को, चाहे वह सरकारी क्षेत्र मे हो अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र मे, स्थानीय लोगों से साधन जुटाने के लिए एक उपकरण का काम करना चाहिये । बड़े-बड़े यूनिट 'आइवरी टावर' की तरह हैं । कर्मचारी और प्रबन्धक जनता से परे है । कुछ वस्तुओं का उत्पादन करने के अलावा उन्हें सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में भी काम करना चाहिये । उन्हें समूचे क्षेत्र में एकीकरण का वातावरण पैदा करना है । इस क्षेत्र में लोग भी शामिल होने चाहियें ।

जहां तक एकाधिकार वादियों का सम्बन्ध है उनके बारे में यदि यह आशंका है कि वह शेयरों में गड़बड़ी करेंगे तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आर्टिकल आफ एसोसिएशन में पर्याप्त उपबन्ध किये जायें और उनके हस्तांतरण की अनुमति न दी जाये क्योंकि इससे गड़बड़ी होने की सम्भावना है । संयुक्त क्षेत्र के सिद्धान्त का उद्देश्य सरकारी धन तथा सरकारी प्रबन्ध है परन्तु मेरे सिद्धान्त के अनुसार जनता का धन और सरकार का प्रबन्ध होगा तथा लोग स सिद्धान्त की सराहना करेंगे क्योंकि यह ोत्साहन देने योग्य है ?

हमने कुछ वस्तुओं से नियन्त्रण हटा लिया है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन आरम्भ किया जा सके तथा वस्तुएं उपलब्ध करोड जा सके, हमने इनमें से कुछ से नियंत्रण हटा दिये हैं । टायरों से नियंत्रण हटा लिया गया है । ट्रैक्टरा से भी हमने नियंत्रण लगभग हटा लिया है परन्तु हम मूल्यों पर अपना नियंत्रण बनाये हुये हैं । टायरों के मूल्यों पर भी हम नियंत्रण रखना चाहते हैं । मैं चाहता हूं कि मोटर गाड़ियों के आवश्यक पुंजो के बारे में भी मूल्यनियत्रण रखा जाये क्योंकि मोटर-गाड़ी निर्माता सरकार के पास आ कर कहते हैं कि चूंकि टायर निर्माताओं और अन्य निर्माताओं ने मूल्य बढ़ा दिये हैं अतः विनिर्मित वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ाये जाने चाहिए । यदि मूल्य, वेतन, कर तथा कच्चे माल के मूल्य बढ़े हैं तो मूल्य बढ़ाया जाने का औचित्य है ही ।

मूल्य नियंत्रण होना ही चाहिए ताकि सभी वस्तुओं पर दृष्टि रखी जा सके । आज साबुन जसी वस्तु का उत्पादन भी क्षमता क 110 प्रतिशत हो रहा हैं । शिशु आहार, ड्राई बैटरीज ब्लैटज

[श्री टी० ए० पाई]

तथा अन्य इसी प्रकार की वर्गीकृत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार हुआ है, क्योंकि उनका उत्पादन क्षमता के 85% तक हुआ है । बड़े-बड़े कारखानों द्वारा 100 प्रतिशत तक का उत्पादन भी हो रहा है । इन सभी वस्तुओं के बारे में हमने यह जानने का प्रयास किया कि क्षमता का उपयोग करने सम्बन्धी इनकी समस्याएं क्या हैं । हम यह चाहते हैं कि उन्हें सहायता दी जाये ताकि वे निर्धारित क्षमता का पूरा उपयोग कर सकें । हम लघु उद्योगों की समस्याओं का पता लगाने तथा उन्हें दूर करने के काम को निश्चित रूप में उपयुक्त महत्व प्रदान करते हैं ।

वास्तव में लघु उद्योगों में 19 प्रतिशत वृद्धि हुई है । उनकी संख्या 4 लाख है । कच्चे माल की कमी के कारण उत्पादन की अपेक्षा कच्चा माल बेचना अधिक लाभदायक है । इस लिये कुछ लघु उद्योग उत्पादन न करके कच्चा माल ही बेच देते हैं । इनके बारे में सही पता लगाने का मैं यत्न करूंगा ।

कहा गया था कि किसी भी उद्योगपति को अपना काम करवाने के लिये 10 या 12 एजेंसियों के पास जाना पड़ता है । निस्संदेह एक केन्द्रीय समन्वय केन्द्र होना चाहिए जिसमें सभी समस्याओं का परीक्षण किया जा सके । हम यह प्रयत्न भी कर रहे है कि सम्पूर्ण देश की प्रक्रिया का मानकीकरण किया जाये जिससे कम से कम समस्यायें उत्पन्न हों । हम निश्चय ही यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि लघु उद्योग क्षेत्र के लोगों की शिकायतों को किस प्रकार कम किया जा सकता है ।

मुद्रा-स्फीति तथा लघु उद्योग क्षेत्र के एककों की मशीनरी की कीमत में हुई वृद्धि को दृष्टगत रखते हुए, हम लघु उद्योगों की सीमा 7- 1/2 लाख से बढ़ा कर 10 लाख कर रहे हैं । हम सहायक मशीनरी के विकास को भी उपयुक्त प्रोत्साहन देना चाहते हैं । हमने इसकी सीमा 10 लाख से 15 लाख तक बढ़ाने का निश्चय किया है । हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि उपयुक्त प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की जाये । दुर्गापुर में एक टूल रूम स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी गई है ।

जहां तक ग्रामीण उद्योगों का सम्बन्ध है, उन्हें अन्य लघु स्तर के उद्योगों की तरह ही बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के योग्य बनाया जाना चाहिए और हमें एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसके अन्तर्गत खादी आयोग इस प्रकार के उत्पादों के लिए सारे देश की विहणन संस्था मानी जाये । हम चाहते हैं कि आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण समाप्त किया जा सके ।

बीडी उद्योग की समस्या का उल्लेख भी किया गया है । सरकार पहले ही इस बात से सहमत हो गई है कि यह एक ऐसा उद्योग है जो कर सहन कर सकता है । इस समय इस उद्योग से 75,000 परिवारों का लालन पालन हो रहा है । यह उद्योग रोजगार के अवसर देता है, अतः इसे समाप्त करने के लिये कुछ नहीं किया जायेगा ।

किसी भी उद्योग को पश्चिम बंगाल से स्थानान्तरित किये जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती । इंजीनियरी उद्योग के क्षेत्र में बंगाल का स्थान प्रमुख रहा है और इसे क्षति नहीं पहुंचने दी जानी चाहिए । हमें निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माल डिब्बा उद्योग तथा अन्य इंजीनियरी उद्योगों में क्रयादेशों की कमी के कारण प्रतिक्रिया की कोई शृन्खला शुरू न हो जाये । इसका प्रभाव अन्य इकाइयों पर भी पड़ेगा । जहां तक मोटरकारों का संबंध है उनके राष्ट्रीयकरण का सुझाव दिया गया है । यह एक कठिन समस्या है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तमिलनाडु तथा बंगाल में इस उद्योग को भारी आघात पहुंचा है । हमें ऐसे प्रयत्न करने चाहिए कि माल की मांग पैदा हो जाये । टैक्सियों पर राज्य सरकारें भारी कर लगाती है जब कि होना यह चाहिए

कि व्यक्तिगत उपयोग में लाये जाने वाली कारों पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए न कि सार्वजनिक उपयोग में आने वाली टैक्सियों पर ।

हम माल डिब्बा उद्योग का भी ध्यान रखने की चेष्टा करेंगे । हमने कई संकटग्रस्त कारखानों को विशेष रूप से 'बर्न एण्ड कम्पनी' को अधिकार में लिया था । हमें उसके प्रबन्ध में परिवर्तन करना पड़ा । नये निर्माण कार्यक्रमों में हम अनेकता लाने वाले कार्यक्रमों को ले रह हैं । हम उपलब्ध श्रमिकों तथा उनकी कार्यकुशलता का निश्चित रूप से उपयोग करेंगे ताकि कम्पनी सामान स्तर पर आ सके ।

प्रश्न उठाया गया है कि औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम कोई कार्य नहीं कर रहा । उन्होंने उद्योग के पुनर्वास के लिये 17 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी । अबतक 11 करोड़ रुपए आबंटित किये जा चुके हैं । वस्त्र उद्योग, राष्ट्रीय वस्त्र निगम के बारे में हम सहायकों की समस्या तय कर पाये है । इस उद्योग के पुनर्वास का कार्य कठिन था क्योंकि बहुत से कारखानों में जग जंग चुके थे । उन्हे पूरी तरह आधुनिक बनाने के लिये 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है । पांचवीं योजना में इसके लिये हमने 120 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया है ।

पांचवीं योजना के अन्तर्गत कम से कम 120 करोड़ की आवश्यकता होगी । चौथी योजना के दौरान योजना आयोग का अनुमान था कि हमें 25 लाख तक वे तथा 18,000 लूमों की आवश्यकता होगी । वर्ष 1972 में वस्त्र बनाने की मशीनरी का उत्पादन 40 करोड़ रुपए का था । पिछले वर्ष यह 75 करोड़ तथा इस वर्ष 120 करोड़ होने जा रहा है । 24 उद्योग के विस्तार की अत्यन्त आवश्यकता थी । अतएव इसके आधुनिकीकरण के अतिरिक्त इस उद्योग में धन लगाने की भी आवश्यकता है । हम इस बात पर पूरा ध्यान देंगे कि जितने भी संभव हो उतने स्रोत एकत्र किये जाये तथा आरम्भ किये गये सुधार किये जा सके ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या ऐसा सम्भव नहीं कि उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय एक संयुक्त बैठक में बाजार में गिरावट आ गई है...

श्री टी० ए० पांडे : मैं समझता हूं देश की समस्याएं समन्वय के अभाव से पैदा होती हैं । मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं वाणिज्य मंत्रालय से बातचीत करूंगा । सीमेंट की इस समय हमारी क्षमता लगभग 2.1 करोड़ टन की है तथा वर्ष का उत्पादन 1.7 करोड़ टन होने की सम्भावना है तब हमने 10 लाख टन सीमेंट निर्यात की योजना बनायी थी । सरकार ने भवन निर्माण आदि के लिये सीमेंट के उपयोग पर प्रतिबन्धों को अगस्त तक चलना था । इस समय इस्पात उपलब्ध है । वास्तव में 'आर्क' यही उद्योग मंदी का सामना कर रहा है । वर्तमान स्थिति के कारण निर्माण उद्योग में भारी बेरोजगारी है । इसलिए 1 मई से यह सब प्रतिबन्ध हटा दिये जायेंगे और इससे कुछ सामान्यता आ जायेगी । हम ऊपर सीमेंट को नियंत्रण में लायेंगे ताकि एक ही प्रकार सीमेन्ट रखा जाये ।

पिछली बार मैंने राज्यों के उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया । वे इस बात से सहमत नहीं थे कि किसी जिले को पिछड़ा घोषित किया जाये क्यों कि इससे अन्य जिलों की भी पिछड़ा हुआ घोषित करने की मांग आ सकती है । यदि सभी जगह ऐसा हो जाये तो कहीं भी विकास हो सकेगा

सभापति महोदय : कुछ क्षेत्रों को अग्रणी घोषित करके इस समस्या का हल किया जा सकता है ।

श्री टी० ए० पाई : कोई भी अग्रणी होना पसन्द नहीं करेगा ।

पिछड़ेपन के दूर करने की समस्या रोजगारों के पैदा करने तथा जनता को अधिक धन उपलब्ध किये जाने से सम्बद्ध है ।

श्री राम सहाय पांडे (राजनंदगाव) : सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी प्रतिवेदन में वर्ष 1972-73 के लाभ 19 करोड 85 लाख रुपए तथा लाभांश 17 करोड़ 15 लाख रुपए तथा 1973-74 में लाभ 64 करोड़ 30 लाख रुपए परन्तु लाभांश केवल 13 करोड़ 12 लाख रुपए दिये गये । 2,793 करोड़ रुपए ऋण लिए गये है जबकि व्याज 111 करोड़ 30 लाख रुपए दिया गया है । व्याज की दर 7 प्रतिशत से 10-1/2 प्रतिशत होने पर भी व्याज की राशि कम क्यों है ?

श्री टी० ए० पाई : मैं इस पर ध्यान दूंगा । कुछ लाभ तो हानि को पूरा करने में लग गये । भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० भोपाल ने पहली बार तमाम घाटों को पूरा करके अर्जित किया है ।

मैं माननीय सदस्यों का सद्भावना के लिये धन्यवाद देता हूं । मैं उनसे उचित औद्योगिक विकास कार्यो में सहयोग की प्रार्थना करता हूं ।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : लघु उद्योगो के लिये वित्तीय सीमा 7-1/2 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने तथा सहायक उद्योगों के लिये 10 लाख से 15 लाख करनी आपकी उदारता है । क्या बैंक तथा वित्तीय संस्थाए इन क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देंगी ।

श्री टी० ए० पाई : सीमा 10 लाख से 15 लाख कर दी गई है । परन्तु बैंक विस्तार के बारे में अपने को सन्तुष्ट करेंगे । हमारे स्रोत सीमित है अतएव हमें इसके लिये उद्योगों को चुनना पड़ता है ।

सभापति महोदय : हमें गृह मंत्रालय के लिए भी एक घंटा निर्धारित करना है ।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरे कटौती प्रस्ताव पर उन्होंने सभा को गुमराह किया है ।

सभापति महोदय : आप उन्हें लिख कर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं ।

Shri Ramavtar Shastri : Land belonging to 300 cultivators was acquired out of which only 13 have been provided with jobs etc. It is their own policy to provide employment to those whose land has been acquired . My cut motion was 56, 57, 61, 62 and 64 may be taken up separately.

कटौती प्रस्ताव संख्या 56, 57, 61, 62 और 64 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Cut motions 56, 57, 61, 62 & 64 *were put and nrgatived.*

सभापति महोदय द्वारा उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की निम्नलिखित मांग मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई ।

The following Demand for Grands in respet of Ministry of Industry and Civil supply was put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
58	उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय	2,51,98,000	
59	उद्योग	10,20,12,000	156,27,91,000
60	ग्राम और लघु उद्योग .	23,34,01,000	31,09,68,000
61	नागरिक पूर्ति और सहकारिता .	4,41,33,000	22,30,62,000

प्रो० मधु दंडवते : एक कटौती प्रस्ताव राष्ट्रीय क्षेत्र के पक्ष में था तथा दूसरा विपक्ष में । अब दोनों ही रद्द हो गय है।

गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय को वर्ष 1975-76 को निम्नलिखित अनुदानों की मांगें प्रस्तुत की गई

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
46	गृह मंत्रालय .	2,12,01,000	..
47	मंत्रिमण्डल .	99,49,000	
48	कार्मिक विभाग और प्रशासनिक सुधार	5,11,22,000	
49	पुलिस . .	1,45,14,27,000	1,62,50,000
50	जनगणना . .	2,82,18,000	..
51	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	87,09,22,000	15,00,65,000
52	दिल्ली	82,45,56,000	33,23,98,000
53	चण्डीगढ़ . .	11,79,69,000	3,84,53,000
54	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह .	14,78,23,000	7,00,95,000
55	अरूणाचल प्रदेश	19,47,53,000	5,86,63,000
56	दादरा और नागर हवेली	1,06,95,000	1,20,17,000
57	लक्षद्वीप .	1,91,05,000	87,50,000

श्री सरोज मुखर्जी (कटवा) : चूंकि गृह मंत्रालय अपना कार्य सुचारू रूप से करने में असफल रहा है, अतः मैं इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन नहीं करता। श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी के गृह मंत्री काल के दौरान जन स्वतंत्रता, जनता विशेषकर विरोधी दलों के नेताओं तथा उनके अनुयायियों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है। नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन पश्चिम बंगाल से आरम्भ हुआ था। वहां मार्क्सवादियों तथा वामपंथी दलों को सर्वप्रथम इसका शिकार बनाया गया क्योंकि वे सत्तारूढ़ दल के लिए एक राजनैतिक चुनौती बन गए थे। शनैः शनैः अन्य विरोधी दलों पर भी यह जाल बिछाया जाने लगा और अन्ततोगत्वा स्वयं सत्तारूढ़ दल को भी नहीं छोड़ा क्योंकि उन्होंने एक प्रकार का दमन चक्र आरम्भ कर दिया था। आज स्थिति यह हो गई है कि कोई भी अपने आपको सुरक्षित नहीं समझता। चाहे वह विरोधी पक्ष का नेता हो अथवा सत्तारूढ़ दल का। किसी को भी यह खबर नहीं कि उसका अन्त कहां हो जाये। सत्तारूढ़ दल तथा विरोधी पक्षों के कई नेताओं का कत्ल कर लिया गया है। इसका ज्वलंत उदाहरण श्री ललित नारायण मिश्र की हत्या है। यदि गृह मंत्री में जिम्मेदारी की तनिक भी भावना होती तो उन्होंने इस घटना पर त्यागपत्र दे देना था।

जनता की कठिनाइयां दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसलिए उन्होंने सरकार की नीतियों में परिवर्तन करने के लिए आन्दोलन और विरोध आरम्भ कर दिया। इसको कुचलने के लिये सरकार ने पूर्ण दमन की नीति अपनाई।

आये दिन श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा कांग्रेस के अन्य नेता यह कहते रहे है कि विपक्ष हमारी कठिनाइयों तथा आर्थिक संकटो का अनुचित लाभ उठा रहा है। ऐसा करना उनके लिए स्वाभाविक ही है। लोग अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इस उद्देश्य से सरकार की नीति में परिवर्तन करने हेतु विभिन्न प्रकार के आन्दोलन चला रहे हैं। संसदीय लोकतंत्र में आस्था रखने वाले सभी देशों में ऐसा किया ही जाता है।

क्या आप जानते हैं कि बंगाल में क्या हो रहा है। 20,000 लोगों को अपने घरो से निकाला जा रहा है। क्या किसी देश में ऐसा हो सकता है ? 1,000 कर्मकारों, अध्यापकों तथा प्रोफेसरों को काम पर नहीं जाने दिया जा रहा है। उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी पुलिस उनकी कोई सहायता नहीं करती। गुन्डे उन्हे काम पर जाने से रोकते हैं। पश्चिम बंगाल की यह हालत है। इसका ताजा उदाहरण श्री जयप्रकाश नारायण पर कलकत्ता में हुआ हमला है। वह सभा भवन में भाषण देने जा रहे थे किन्तु सशस्त्र कांग्रेसी युवकों ने उन्हें वहां जाने से रोका। कांग्रेस तथा सरकार के लिए यह बड़ शर्म की बात है। श्री जयप्रकाश नारायण को जनता के समक्ष अपने विचार अभिव्यक्त करने से रोका गया और उन्हें फासिस्ट की संज्ञा दी गई। उन पर पत्थर फेंके गए। इन सब घटनाओं में पुलिस की सांठ गांठ थी। गृह मंत्रालय जनता के अधिकारों की भी सुरक्षा नहीं कर सकता। संविधान के अन्तर्गत जो थोड़े बहुत अधिकार लोगों को प्राप्त हैं, उनकी भी रक्षा नहीं की जा रही है। और इस प्रकार लोगों के मूलभूत अधिकारों का हनन किया जा रहा है।

आप नवयुवकों को उकसा रहे हैं। केन्द्र तथा राज्य में सत्तारूढ़ दल के नेता सशस्त्र युवकों को विरोधी दलों तथा लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। ऐसा प्रत्येक राज्य में हो रहा है। इस तरह हत्या की जो घटनाएं होती हैं वे सुनियोजित ढंग से होती हैं। गृह मंत्रालय इसमें सहायक होता है। गत तीन चार वर्षों में लगभग 130 या 131 हत्याएं हुई हैं। इनमें मार्क्सवादी तथा वामपंथी नेता भी मारे गए है। बड़े शर्म की बात है कि ऐसी घटना निरंतर बढती ही जा रही है। इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि देश में अभी भी लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता आदि है। बिहार तथा गुजरात में श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन के दौरान सैकडों लोग मारे गए हैं।

जनता स्वयं कभी हिंसा नहीं करना चाहती । सत्तारुढ़ दल ही जनता को हिंसा करने के लिए बाध्य करता है । आज स्थिति यह है कि पुलिस एक वर्ष में एक हजार बार से भी अधिक बार गोली चलाती है। ये सब कार्य करने के लिए गृह मंत्रालय आपात स्थिति, भारत रक्षा नियम, 'आंसुका' आदि की आड़ ले रहा है । सरकार कहती है कि आपात स्थिति समाप्त इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि बाहरी धमकियों तथा आंतरिक खतरों की आशंका है । प्रत्येक को यही पूछना है कि "खतरा क्या है" । यदि वास्तव में कोई खतरा है तो फिर आपात स्थिति को जारी रखना न्यायोचित है किन्तु जब इस तरह की कोई बात नहीं है तो फिर आपात स्थिति को जारी रखने का उद्देश्य केवल सत्तारुढ़ दल के हितों की रक्षा करना है । आप अपने आपको सत्ता में रखने के लिए ही आपात स्थिति को समाप्त नहीं कर रहे है । प्रत्येक समझदार व्यक्ति की यही मांग है कि आपात स्थिति तत्काल समाप्त की जाये ।

श्री स्वर्ण सिंह कहते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सामान्य स्थिति है । पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाइ भी कोई असाधारण बात नहीं है । हमारे लिए इस समय किसी तरह का भी कोइ खतरा नहीं है। अतः आपात स्थिति तत्काल समाप्त की जानी चाहिए । यदि इसे समाप्त नहीं किया जायेगा तो लोग यही सोचेंगे कि आप ऐसा सत्ता में रहने के लिए कर रहे हैं। समाचार पत्रों में बताया गया है कि श्रमिकों की हड़ताल के 512 मामलों में भारत रक्षा नियम लागू किया गया है । कभी कभी भारत रक्षा नियमों को मंहगाई भत्ता कम करने के लिए लागू किया गया है ।

Mr. Chairman : As the Hon. Members know that we have only one hour for discussing the demands for grants in respect of the Ministry of Home affairs. At six P.M. all the demands will be guillotined. I want that at least the leaders of the parties should get an opportunity to speak thereon. I would request the Hon. Members not to take more than ten minutes.

श्री सरोज मुखर्जी : रेलवे हड़ताल को दबाने के लिए भी भारत रक्षा नियम लागू किये गये । कई कर्मचारियो को उत्पीड़ित किया गया । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध भी भारत रक्षा नियम लागू किये गये । 'आंसुका' का प्रयोग राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध किया जा रहा है । 'आंसुका' के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए 50 प्रतिशत व्यक्ति राजनीतिक कार्यकर्ता हैं । यहां तक कि विधायक तथा संसद सदस्य भी इस के अन्तर्गत गिरफ्तार किए जा रहे हैं । किन्तु गृह मंत्री कहते हैं कि उन्हें राजनीतिक कारणों से नहीं अपितु हिंसा आदि अन्य कारणों से गिरफ्तार किया जाता है । यह राजनीतिक बेईमानी समाप्त होनी चाहिए ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में श्री मोहसिन ने स्वयं स्वीकार किया है कि सरकार इस दिशा में असफल रही है । उन्हें तंग करने की घटनाएं बढ़ती जा रही है । उन्होंने स्वीकार किया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश , आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में हरिजनों पर अत्याचार किए जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई हैं ।

उन्होंने बताया कि इन्दिराजी की प्रेरणा से अगली योजना में 455 करोड़ रुपए आंबटित किये गय हैं परन्तु आप को पता नहीं है कि इस धन को व्यय करने का उत्तरदायित्व किन पर है ।

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री सरोज मुखर्जी : **

सभापति महोदय : आपकी बात को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है ।

गृह मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव पेश किये गये हैं

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
46	1	श्री सरोज मुखर्जी	भारत के विभिन्न राज्यों में रहने वाले भाषाई अल्प संख्यकों की विभिन्न भाषाओं के विकास के लिये सही नीति बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने में विफलता ।	राशि को घटा कर एक रुपया किया जाये ।
46	2	श्री सरोज मुखर्जी	अनसूचित जातियों, अनसूचित जन-जातियों तथा पिछड़े वर्गों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करने में विफलता ।	—,,—
46	3	श्री सरोज मुखर्जी	नेपाली भाषा को भारत के संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रु० कम किये जाये ।
46	4	श्री सरोज मुखर्जी	विभिन्न राज्यों की आदिमजातीय भाषाओं, विशेषतया पश्चिम बंगाल की संथाली, आसाम की बोदो तथा त्रिपुरा राज्य में रहने वाली जन-जातियों की कोगबार्क और त्रिपुरी भाषा को मान्यता प्रदान करने तथा उन का विकास करने की आवश्यकता ।	—,,— —,,—
46	5	श्री सरोज मुखर्जी	आंतरिक सुरक्षा कानून का दुरुपयोग तथा सरकार द्वारा अपने उस वचन का पालन न किया जाना, कि आंतरिक सुरक्षा कानून का उपयोग सत्ताधारी दल के राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध नहीं किया जायेगा ।	—,,—

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

1	2	3	4	5
46	6	श्री सरोज मुखर्जी	मार्च, 1975 में त्रिपुरा के विपक्षी नेताओं तथा विधायकों को अवरुद्ध करने हेतु आंतरिक सुरक्षा कानून इस्तेमाल किया जाना ।	राशि में से 100 रु० कम किये जाये ।
47	25	श्री सरोज मुखर्जी	सरकार के समस्त कार्यकलापों में समुचित तथा शीघ्र समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच सरकारी कार्य आबंटित करने में असफलता ।	राशि को कम कर के 1 रुपया कर दिया जाये ।
48	27	श्री सरोज मुखर्जी	राज्य पुनर्गठन के परिणामस्वरूप कार्मिकों का अनुचित आबंटन तथा सेवाओं का एकीकरण ।	–,,–
48	28	श्री सरोज मुखर्जी	केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा विशेषकर पुलिस के उप-अधीक्षकों द्वारा जो वास्तव में स्थल पर जाकर जांच करते हैं, की गई जांच को शीघ्र निपटाने के लिए एक कारगर नीति बनाने में असफलता ।	–,,–
49	30	श्री सरोज मुखर्जी	अपनी उचित मांगों के समर्थन में आन्दोलन करने वाले लोगों के विरुद्ध केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा दल द्वारा शक्ति का प्रयोग करने की नीति को छोड़न में विफलता ।	–,,–
49	31	श्री सरोज मुखर्जी	नक्सलवादियों के विरुद्ध लड़ने की आड़ में जनवरी, 1975 में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कालीनगर ग्राम की महिलाओं तथा बच्चों पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के अमानवीय अत्याचार ।	राशि में से 100 रु० कम किये जाये ।
49	32	श्री सरोज मुखर्जी	विभिन्न राज्यों में पुलिस द्वारा जो कि स्थानीय जमींदारों तथा महाजनों की रक्षा के लिये गई थी, हरिजनों का मारा जाना ।	–,,–
49	33	श्री सरोज मुखर्जी	विभिन्न राज्यों में हरिजन महिलाओं तथा लड़कियों के साथ बलात्कार किये जाने तथा उन पर अत्याचार किये जाने की घटनाओं में वृद्धि ।	–,,–

1	2	3	4	5
50	44	श्री सरोज मुखर्जी	यथासम्भव कम समय में जनसंख्या के अनुसंधान और अध्ययन का परिणाम प्रकाशित करने में असफलता ।	राशि को कम कर के 1 रुपया किया जाये ।
51	45	श्री सरोज मुखर्जी	राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाने के उददेश्य से विभिन्न राज्यों को वास्तविक स्वायत्तता देने के लिये नीति निर्धारण करने में असफलता।	—,,—
51	46	श्री सरोज मुखर्जी	जो स्वतंत्रता सेनानी वास्तविक रूप से जेल गये हैं उनके अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों, अर्थात जो भूमिगत हो गये थे और जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में कई प्रकार से योगदान किया था, को प्रतिष्ठित दर्जा देने में असफलता ।	—,,—
51	47	श्री सरोज मुखर्जी	संसद् (लोक सभा) में और विभिन्न राज्य विधानमंडलों में रिक्त स्थानों के लिये उपचुनावों को सत्तारूढ़ दल के हित में असाधारण और अनिश्चित काल के लिये स्थगित करना ।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिये जाये ।
51	48	श्री सरोज मुखर्जी	त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों के लिये वयस्क मताधिकार और संविधान की षष्टम् अनुसूची के आधार पर एक क्षेत्रीय परिषद का गठन करने की आवश्यकता जिसे अनसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के विकास कार्य आरम्भ करने के अधिकार प्राप्त हों ।	—,,—
51	49	श्री सरोज मुखर्जी	विरोधी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं तथा उनके अनुयायियों की नागरिक स्वतंत्रता और उनके लोकतंत्रीय अधिकारों की रक्षा करने में असफलता ।	—,,—
51	50	श्री सरोज मुखर्जी	सत्तारूढ़दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों और संगठनों के अधिकारों की रक्षा करने में असफलता और इस प्रकार देश में एक दल और एक नेता राज की ओर अग्रसर होना।	—,,—

1	2	3	4	5
51	51	श्री सरोज मुखर्जी	राज्यों में विशेषकर पश्चिम बंगाल में जहां पर विरोधी शक्तियां मुख्यत: वामपंथी शक्तियां सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए एक राजनैतिक चुनौती हैं, विद्यमान अर्द्ध-फासिष्टवासी आंतक की परिस्थितियां ।	राशि में से 100 रुपए कम कर दिये जाये ।
52	86	डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	आवेदकों को निश्चित तारीखों पर राशन कार्ड देने में दिल्ली के सर्कल राशनिंग दफ्तरों की असफलता ।	–,,–
52	87	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	दिल्ली के सर्कल राशनिंग अधिकारियों का आम जनता के प्रति उदासीनता-पूर्ण रवैया ।	–,,–
52	88	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	आम जनता की असुविधा तथा परेशानी को दूर करने के लिये दिल्ली के सर्कल राशनिंग दफ्तरों के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता ।	–,,–
52	89	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	दिल्ली में जनता को नये राशन कार्ड जारी करने में लालफीताशाही को रोकने की आवश्यकता ।	–,,–
52	90	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	दिल्ली में एक बस्ती से दूसरी बस्ती में जाने वाले आवेदकों को राशन कार्ड जारी करने में होने वाले विलम्ब को दूर करने की आवश्यकता ।	–,,–
52	91	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	दिल्ली के विभिन्न सर्कल राशनिंग दफ्तरों के निरीक्षकों का आम जनता के प्रति उदासीनतापूर्ण व्यवहार ।	–,,–
46	92	श्री दीनेन भट्टाचार्य	जनवारी आन्दोलन को दबाने के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का प्रयोग ।	राशि को कम कर के 1 रुपया कर दिया जाये ।
46	93	श्री दीनेन भट्टाचार्य	राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरुद्ध तथा जनवादी आन्दोलन को दबाने के लिये आंसुका और भारत रक्षा नियमों का दुरुपयोग ।	–,,–

1	2	3	4	5
46	94	श्री दीनेन भट्टाचार्य	आंसुका और भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को राजनीतिक कैदी मानने में असफलता ।	राशि को कम करके 1 रुपया कर दिया जाये ।
46	95	श्री दीनेन भट्टाचार्य	त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र में स्वायत्त-शासी जिला परिषद् स्थापित करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपए कम कर दिये जाये ।
46	96	श्री दीनेन भट्टाचार्य	त्रिपुरा की आदिवासी पट्टियों का अनुसूचित क्षेत्र बनाने में असफलता ।	—,,—
47	97	श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	अनुसंधान तथा विश्लेषण प्रभाग के प्रतिवेदन को, जो सत्तारूढ़ दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों के विरुद्ध छिपे तौर पर गुप्तचर कार्य के लिये प्रयोग किया जा रहा है, संसद् के समक्ष रखने में असफलता ।	राशि को कम कर के 1 रुपया कर दिया जाये ।
46	7	श्री रामावतार शास्त्री	मजदूरों के अपने वैध अधिकारों के लिये चलाये जाने वाले आन्दोलनों का दमन करने के लिए आंसुका और भारत रक्षा नियमों का दुरुपयोग ।	राशि में से 100 रुपए कम कर दिये जाये ।
46	8	श्री रामावतार शास्त्री	आपात स्थिति तथा भारत रक्षा नियमों को समाप्त करने में असफलता ।	—,,—
46	9	श्री रामावतार शास्त्री	साम्प्रदायिक दंगों को भड़काने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने में असफलता ।	—,,—
46	10	श्री रामावतार शास्त्री	स्वतंत्रता-सेनानियों को शीघ्र पेन्शन दिलाने में असफलता ।	—,,—
46	11	श्री रामावतार शास्त्री	सीमा सुरक्षा बल संगठन में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई-भतीजा वाद को रोकने में असफलता ।	—,,—
46	12	श्री रामावतार शास्त्री	दिल्ली और देश के अन्य भागों में अपराधों को रोकने में असफलता ।	—,,—

1	2	3	4	5
46	13	श्री रामावतार शास्त्री	नेपाली भाषा को भारत संघ की एक शासकीय भाषा के रूप में मान्यता देने से इंकार करके दार्जिलिंग जिले के नेपाली भाषी लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं का आदर करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिए जाय ।
46	14	श्री रामावतार शास्त्री	स्वीकृत वैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर आसाम में भाषा की समस्या को हल करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने में असफलता ।	—,,—
46	15	श्री रामावतार शास्त्री	भाषायी अल्पसंख्यकों के बारे में नीति निर्धारित करने तथा उसे कार्यान्वित करने और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने में असफलता ।	—,,—
46	16	श्री रामावतार शास्त्री	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के शिक्षा संबंधी और आर्थिक हितों का समुचित रूप से तथा उत्तरोत्तर विकास करने में असफलता ।	—,,—
46	17	श्री रामावतार शास्त्री	भारत के विभिन्न राज्यों में श्रमिक संघ, किसान और अन्य लोकतंत्रीय आन्दोलनों के कारण जेलों में नजरबन्द लोगों के वर्गीकरण, उपचार और कुटुम्ब भत्ते के लिये एक समान स्तर सुनिश्चित करने में असफलता ।	—,,—
46	18	श्री रामावतार शास्त्री	भारतीय जेलों में आंसुका के अन्तर्गत विचारणाधीन अथवा नजरबन्द उन लोगों को जो राजनीतिक दलों और श्रमिक संघ, किसान सभा और अन्य लोकतंत्री जन संगठनों के कार्यकर्ता अथवा सदस्य हैं, राजनीतिक दर्जा देने का उपबन्ध करने की आवश्यकता ।	—,,—
46	19	श्री रामावतार शास्त्री	देश में साम्प्रदायिक दंगों पर रोक लगाने में असफलता ।	—,,—

1	2	3	4	5
46	20	श्री रामावतार शास्त्री	देश में जमाखोरों के विरुद्ध तत्काल और समुचित कार्यवाही करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपए कम कर दिये जाये ।
46	21	श्री रामावतार शास्त्री	राष्ट्रीय एकता कायम करने की दृष्टि से भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये नीति निर्धारित करने तथा उसे कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।	—,,—
46	22	श्री रामावतार शास्त्री	सामान्य रूप से सभी स्तरों पर तथा विशेषरूप से सरकारी उपक्रमों के अंतर्गत ठेके के काम में भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता ।	—,,—
46	23	श्री रामावतार शास्त्री	अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये ठोस उपाय करने में असफलता ।	—,,—
46	24	श्री रामावतार शास्त्री	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा दमन और शोषण से रक्षा करने में असफलता ।	—,,—
47	26	श्री रामावतार शास्त्री	विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच शीघ्र तालमेल बिठाने और शीघ्र-कार्य-निष्पादन के दायित्वों को पूरा करने में मंत्रिमण्डल की असफलता ।	—,,—
48	29	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों, सामान्यतया उनकी शिकायतों तथा कर्मचारी कल्याण सम्बन्धी मामलों को सही ढंग से निपटाने में विफलता ।	—,,—
49	34	श्री रामावतार शास्त्री	विभिन्न समुदायों के बीच शान्ति तथा सद्भाव बनाये रखने में पुलिस अधिकारियों की विफलता ।	—,,—
49	35	श्री रामावतार शास्त्री	देश भर में युवकों तथा छात्रों में तेजी से बढ़ रहे कुप्रभाव को रोकने में पलिस उच्चाधिकारियों की विफलता ।	—,,—

1	2	3	4	5
49	36	श्री रामावतार शास्त्री	हत्या, चोरी तथा बलात्कार जैसे अपराधों को रोकने के लिये नीतियां बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने और असली अपराधियों को अविलम्ब कठोर दण्ड देने में उच्चाधिकारियों की विफलता ।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिये जाये ।
49	37	श्री रामावतार शास्त्री	राजधानी में कानून और व्यवस्था की स्थिति का पूर्णतया फेल होना और विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के लिये किसी प्रकार की सुरक्षा का अभाव ।	–,,–
49	38	श्री रामावतार शास्त्री	देश में अपने अधिकारों के लिये मजदूरों, किसानों, अध्यापकों, छात्रों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के लोकतंत्रीय आन्दोलनों को दबाने के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के प्रयोग को निरुत्साहित करने की आवश्यकता ।	–,,–
49	39	श्री रामावतार शास्त्री	समाज के कमजोर वर्गों के साथ पुलिस के उच्च अधिकारियों के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन की आवश्यकता।	–,,–
49	40	श्री रामावतार शास्त्री	सी० आई० ए० और पृथकतावादी शक्तियों की गतिविधियों को कड़ी कार्यवाही करके रोकने की आवश्यकता ।	–,,–
49	41	श्री रामावतार शास्त्री	अपराधों, अर्थात् हत्याओं, बलात्कारों छेड़-छाड़ और चोरी की घटनाओं को रोकने और वास्तविक अपराधियों को उदाहरणात्मक दण्ड देने में असफलता ।	–,,–
49	42	श्री रामावतार शास्त्री	नवयुवकों में फैल रही चरित्रहीनता को रोकने हेतु एक प्रगतिशील नीति निर्धारित करने और उसे लागू करने में असफलता ।	–,,–
49	43	श्री रामावतार शास्त्री	कानून और व्यवस्था की स्थिति को विशेषकर भारत की राजधानी दिल्ली के संदर्भ में सम्भालने में असफलता ।	–,,–

1	2	3	4	5
49	72	श्री रामावतार शास्त्री	गाड़ियों और विशेषकर मिनी बसों को अत्यधिक रफ्तार पर चलाने को रोकने में दिल्ली यातायात पुलिस की असफलता ।	राशि में से 100 रुपए कम कर दिये जाये ।]
49	73	श्री रामावतार शास्त्री	दिल्ली परिवहन निगम के उन बसों का, जिन पर बस मार्ग ठीक प्रकार से नहीं लिखे जाते, दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा चालान करने में असफलता ।	—,,—
49	74	श्री रामावतार शास्त्री	दिल्ली में सभी पुलिस अधिकारियों को दिल्ली परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते समय टिकट खरीदने के अनुदेश देने की आवश्यकता ।	—,,—
49	75	श्री रामावतार शास्त्री	नगर में यातायात को ठीक से विनियमित करने और कुतब रोड, लाहौरी गेट, फतहपुरी और चावड़ी बाज़ार जैसे विभिन्न स्थानों पर अत्याधिक भीड़ को रोकने में दिल्ली यातायात पुलिस की असफलता ।	—,,—
49	76	श्री रामावतार शास्त्री	दिल्ली पुलिस अधिकारियों को दिल्ली परिवहन निगम की बसो में बसों के अगले दरवाजे से चढने से रोकने के लिए अनुदेश देने की आवश्यकता ।	—,,—
49	77	श्री रामावतार शास्त्री	दिल्ली में पुलिस अधिकारियों को बसों में चढते समय आम जनता के साथ लाइन में खड़े होने के अनुदेश देने की आवश्यकता ।	—,,—
49	78	श्री रामावतार शास्त्री	दिल्ली के सभी पुलिस अधिकारियों को वर्ष में दो बार अपनी सम्पत्ति तथा बैंकों में जमा राशि की घोषणा करने के लिये निदेश देने की आवश्यकता ।	—,,—
49	79	श्री रामावतार शास्त्री	दिल्ली के सभी पुलिस अधिकारियों को वर्ष में एक बार यह शपथ दिलाने की आवश्यकता कि वे अपने कर्तव्य पालन में रिश्वत नहीं लेंगे ।	—,,—

1	2	3	4	5
49	80	श्री रामावतार शास्त्री	दिल्ली में उन पुलिस अधिकारियों के लिये जो रहस्यों का पता लगाकर अनुकरणीय कर्तव्यपालन का प्रदर्शन करते हैं, बिना पारी के पदोन्नति का एक विशेष कोटा निर्धारित करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपए कम कर दिजीए ।
49	81	श्री रामावतार शास्त्री	उन पुलिस अधिकारियों को जो उन्हें सौंपे गये मामलों का पता लगाने में असफल रहते हैं पदावनत करने में तथा उनकी आगे पदोन्नति पर रोक लगाने की आवश्यकता ।	—,,—
49	82	श्री रामावतार शास्त्री	दिल्ली के पुलिस के महानिरीक्षक के निजी देखरेख में एक विशेष विभाग स्थापित करने की आवश्यकता, ताकि वे उत्पीड़ित लोगों से पुलिस की ज्यादतियों के बारे में शिकायतें सुन सकें और सम्बन्धित दोषी अधिकारियों को दण्ड दे सकें ।	—,,—
49	83	श्री रामावतार शास्त्री	पुलिस के अधिकारियों को उनके ड्यूटी के स्थान के नजदीक यथासम्भव निवास-स्थान आबंटित करने की आवश्यकता ।	—,,—
46	98	श्री रामावतार शास्त्री	अल्पमतावलंबियों को पुलिस की नौकरी देने में भेदभाव की नीति बरतना ।	राश को कम कर के एक रुपया कर दिया जायें ।
46	99	श्री रामावतार शास्त्री	उर्दू के विकास के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देने में विफलता ।	—,,—
46	100	श्री रामावतार शास्त्री	अल्पमतावलम्बियों के अधिकारों की रक्षा करने में विफलता ।	—,,—
46	101	श्री रामावतार शास्त्री	उर्दू भाषी जनता को समुचित अधिकार देने में असफलता ।	—,,—
46	102	श्री रामावतार शास्त्री	राज्य विधान सभाओं द्वारा पास किये गये कानूनों को राष्ट्रपति की स्वीकृति दिलाने में अनावश्यक विलंब ।	—,,—

1	2	3		5
46	103	श्री रामावतार शास्त्री	पुलिस सिपाहियों की कठिनाइयों को देखते हुए उनके लिए वेतन आदि की अच्छी व्यवस्था करने में असफलता ।	राशि को कम कर के एक रुपया कर दिया जाये ।
46	104	श्री रामावतार शास्त्री	आदिवासियों एवं हरिजनों को सरकार नौकरियों में सुरक्षित स्थानों के अनुसार नौकरी देने में असफलता ।	—,,—
46	105	श्री रामावतार शास्त्री	आदिवासियों एवं हरिजनों पर होने वाले सामाजिक तथा अन्य प्रकार के जुल्मों का अंत करने में असफलता ।	—,,—
46	106	श्री रामावतार शास्त्री	संकट कालीन स्थिति का अंत करने में असफलता ।	—,,—
46	107	श्री रामावतार शास्त्री	आदिवासियों, हरिजनों एवं दूसरे कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने में असफलता ।	—,,—
46	108	श्री रामावतार शास्त्री	ट्रेड यूनियन, किसान एवं दूसरे जनवादी आन्दोलनों को कुचलने के लिए पुलिस का नाजायज इस्तेमाल ।	—,,—
46	109	श्री रामावतार शास्त्री	ट्रेड यूनियनों, किसान सभाओं एवं दूसरे राजनैतिक एवं प्रगतिशील आन्दोलनों के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मीसा एवं डी० आई० आर० के इस्तेमाल को रोकने में असफलता ।	—,,—
46	110	श्रीरामावतार शास्त्री	साम्प्रदायिक एवं फासिस्ट संगठनों की गतिविधियों के विरुद्ध कठोर रुख अपनाने में असफलता ।	—,,—
46	111	श्री रामावतार शास्त्री	राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आनन्द मार्ग, जमाते-इस्लामी जसे संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने में असफलता ।	—,,—
46	112	श्री रामावतार शास्त्री	पुलिस में जनसेवा की भावना का संचार करने में विफलता ।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिये जाये ।
46	113	श्री रामावतार शास्त्री	पुलिस सिपाहियों के ट्रेड यूनियन संगठनों को मान्यता देने में असफलता ।	—,,—

1	2	3	4	5
46	114	श्री रामावतार शास्त्री	देश में अमन और कानून की बिगड़ती हुई स्थिति ।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिये जाय ।
46	115	श्री रामावतार शास्त्री	अपराधियों के साथ पुलिस की सांठगांठ को समाप्त करने में असफलता ।	–,,–
46	116	श्री रामावतार शास्त्री	पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार एवं घूस-खोरी की पराकाष्ठा ।	
46	117	श्री रामावतार शास्त्री	देश भर में लूट, हत्या, चोरी, आगजनी, शीलहरण की घटनाओं में वृद्धि ।	–,,–
46	118	श्री रामावतार शास्त्री	तस्करों को जेलों में विशेष सुविधायें देना ।	–,,–
46	119	श्री रामावतार शास्त्री	तस्करों के एक जल से दूसरी जेल में भेजने के लिए उन्हें हवाई-जहाज से ले जाने पर धनराशि का अपव्यय ।	–,,–
46	120	श्री रामावतार शास्त्री	तस्करों के जेलों में इलाज पर अनावश्यक व्यय ।	–,,–
46	121	श्री रामावतार शास्त्री	ट्रेड युनियन, किसान एवं दूसरे जनवादी एवं वामपक्षी आन्दोलनों के सिलसिले में गिरफ्तार लोगों को एक ही वर्ग में रखने तथा उन्हें विशेष सुविधा देने में विफलता ।	–,,–
46	122	श्री रामावतार शास्त्री	ट्रड यूनियन, किसान, एवं दूसरे जनवादी एवं वामपक्षी आन्दोलनों में गिरफ्तार व्यक्तियों को राजबंदी मानन में विफलता ।	–,,–
46	123	श्री रामावतार शास्त्री	ट्रेड यूनियन, किसान, दूसरे जनवादी एवं वामपक्षी आन्दोलनों में गिरफ्तार लोगों के लिए देश भर में सुविधा के लिए समान कानून बनाने की आवश्यकता ।	–,,–
46	124	श्री रामावतार शास्त्री	साम्प्रदायिक दंगा करवाने वालों के विरुद्ध कठोर से कठोर सजा देने की आवश्यकता ।	–,,–
46	125	श्री रामावतार शास्त्री	देश में फूट एवं अराजकता पैदा करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर नीति अपनाने में विफलता ।	–,,–

1	2	3	4	5
46	126	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार में चल रहे प्रतिगामी एवं फासिस्ट आन्दोलन के प्रति कठोर नीति अपनाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिये जाय ।
46	127	श्री रामावतार शास्त्री	सेना और फौज को बगावत करने की सलाह देने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	–,,–
46	128	श्री रामावतार शास्त्री	मजदूर, किसान एवं अन्य जनवादी आन्दोलनों को दबाने के लिये पुलिस का इस्तेमाल नहीं करने का एलान करने की आवश्यकता ।	–,,–
46	129	श्री रामावतार शास्त्री	तस्करों के साथ जेलों में समाज विरोधियों की तरह व्यवहार करने में असफलता ।	–,,–

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : मुझे यह सुचना बड़ा हास्यास्पद लगा कि पिछले एक वर्ष में नागरिक स्वतन्त्रता का हनन हुआ है । वास्तव में इस बीच गृह मंत्रालय को अति कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा । कठिन आर्थिक संकट के समय आवश्यक तो यह था कि सभी लोग और दल मिल कर एक जुट होकर कठिनाइयों को हल करने का यत्न करते परन्तु इसके विपरीत कुछ नेताओं और दलों ने संकटपूर्ण स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर कठिनाइयां पैदा कर दी हैं । गृह मंत्री के लिये चुनौती पूर्ण स्थिति पैदा हो गई है । इस स्थिति में उन्होंने संयम से काम लिया है और इसके लिये वह प्रशंसा के पात्र हैं ।

रेल मंत्री की हत्या के बाद उन्होंने मांग की गृह मंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए । देश में असुरक्षा पैदा करने वाले कौन से तत्व हैं ?

स्थिति का सामना करने के लिये गृह मंत्रालय प्रशंसा का पात्र है । कहीं भी सेना और जैसा पुलिस को उकसाया नहीं जाता । परन्तु यहां उन्हें विद्रोह के लिये उकसाया जा रहा है ।

कल श्री मधु लिमये ने दिल्ली के उप राज्यपाल के विरुद्ध कुछ निराधार आरोप लगाये थे । उप राज्यपाल राजनिति में नहीं पड़ते । वह अनुभवी, योग्य और कुशल प्रशासक हैं । यह कहना नितान्त गलत है कि उन्होंने दल बदल को बढ़ावा दिया है । दिल्ली नगर निगम जनसंघ के अपने ही कर्मों के कारण भंग हुआ है ।

गृह मंत्री दिल्ली के प्रशासनिक गठन पर फिर से विचार करें । स्थानीय तथा केन्द्रीय स्तरों पर अनेकों एजेंसियां और प्राधिकार है । इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये ।

दिल्ली में कानून एवं सुरक्षा के मामलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । नगर में प्रतिवर्ष दो लाख व्यक्ति बाहर से आते है तथा एक लाख यहां जन्म लेते है । आवास की व्यवस्था करते समय इस वार्षिक वृद्धि का ध्यान रखना चाहिए । इससे काफी समस्याए उत्पन्न हो गई हैं ।

अत: दिल्ली की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय की मांगो का समर्थन करता हूं ।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : About 50 thousands naxalities are languishing in jails and most of them belong to Bengal and Andhra Pradesh. Due to some historical and political reasons, this movement has come to an end. Therefore, I want that all the detenues should be released. If the Government have sufficient proof of criminal offence, they should be prosecuted through the Courts. But to put them in jails for indefinite period is inhumane. A number of naxalities have been shot dead by the police on one or the other pretext. Maltreatment is being meted out to the persons who are in the lock up. It is highly disgraceful on the part of the present Government.

The Law and order situation in the Country is deteriorating. In Ghazipur district two Harijans were cut to pieces and 300 houses belonging to Harijans were set on fire.

About JP movement, I would like to say that it is diversionary movement and indirectly it is helping the present Government.

A new tendency is developing among our second line of defence viz. B.S.F. C.R.P. and P.A.C. Wherever communal riots take place they are deputed to ease the situation but instead they enter the houses and take away petty things. This is a dangerous tendency developing in them and it should be checked. I hope that Government will pay attention towards the matter.

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी) : यह कहना गलत है कि पश्चिम बंगाल में लोगों का तथा कांग्रेस तथा अन्य राजनीतिक दलों के नेताओ का जीवन असुरक्षित है । विरोधी पक्ष के सदस्य विधान सभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेते और जो कुछ मन में आता है, वे कह देते हैं । वे छोटे छोटे मामलों की ओर संसद एव विधान सभाओं का ध्यान आकर्षित करते हैं ।

देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए और यह प्रयत्न करना चाहिए कि आम आदमी की समस्याएं दूर हो सकें । हड़तालों, आन्दोलनों एवं बन्धो से समस्याए बढती ही हैं, कम नहीं होती । विरोधी दलों को चाहिये कि वे राजनीतिक उदेश्यो की पूर्ति की बजाय राष्ट्रीय हित के लिए कार्य करें ।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के बारे में राज्य मंत्रियो का सम्मेलन बुलाया गया है । हमने प्रत्येक राज्य सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि वे जनजातियों, भूमि नीति, निहित स्वार्थो द्वारा आदिवासियों के शोषण का अन्त करने , तथा मद्य नीति आदि के बारे में कोई कार्यक्रम बनाये, ऐसे कार्यक्रम बनने से जन जीवन में सुधार होगा ।

अनुसुचित जातियों पर हो रहे अत्याचार सबके लिए चिन्ता का विषय है । हमने राज्य सरकारों को लिखा कि है वे इस ओर ध्यान दें और अपराधियों को सजा दें एवं अनुसुचित जातियों सम्बन्धी कार्यक्रम को क्रियान्वित करें ।

भाषायी अल्पसंख्यको के अधिकारों की रक्षा करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है । संविधान के अनुरुप भाषायी अल्पसंख्याकों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है । इन कार्यों के लिए भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति की गई है । हमारा यह प्रयत्न रहेगा कि भाषायी अल्पसंख्यकों के बच्चों को उनकी मातृ भाषा में शिक्षा प्राप्त हो । राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में निर्देश दिए जा चुके हैं । यदि कोई राज्य सरकार उन निदेशों का पालन नहीं करती तो उन्हें सामान्य नीति के अनुरुप चलने के लिए कहा जाएगा ।

[श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी]

जहां तक अपराधों का सम्बन्ध है, वर्ष 1974 में अपराधों की संख्या में कमी हुई है। लेकिन हमारा प्रयत्न रहना चाहिए कि अपराध न हों। हमें इस मामले में सुस्ती नहीं बरतनी चाहिए। हम इस ओर विशेष ध्यान दे रहे है।

दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सच है कि एक ही काम करने वाली कई संस्थाएं हैं। गृह मंत्रालय इस ओर विशेष ध्यान दे रहा है। दिल्ली में जनसंख्या बढती जा रही और अन्य राज्यों से लोग आकर दिल्ली में बस गए हैं। अत: हमें इस ओर विशेष ध्यान देना है कि बिजली, पानी, आवास गंदी बस्तियों को हटाने एवं प्रभावकारी पुलिस नियन्त्रण आदि सुविधाएं जनता को किस प्रकार उपलब्ध कराई जाए।

श्री सरोज मुखर्जी ने आपातकालीन स्थिति के बारे में प्रश्न पूछा है। यह सच है कि संविधान के अन्तर्गत मंत्रि परिषद् की सलाह पर जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि देश में आपातकालीन स्थिति तो वह इसकी घोषणा कर देता है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सरकार अपेक्षित समय से अधिक आपातकालीन स्थिति जारी नहीं रखेगी। प्रधानमंत्री ने देश को बाहरी खतरे से उत्पन्न स्थिति के बारे में कई बार बताया है। पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई पर लगी रोक हट जाने तथा चीन के वर्तमान रवैये से देश को खतरा बना हुआ है। इस सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री एवं सरकार को यह निर्णय करना होता है कि देश को उत्पन्न खतरा वास्तविक है या काल्पनिक। विरोधी पक्ष इन सब बातों के परिपेक्ष्य में स्थिति का अनुमान लगाए। मात्र नारे लगाने से कोई लाभ नहीं। विरोधी पक्ष को यह नहीं सोचना चाहिए कि आपातकालीन स्थिति से अधिकार कम हो जाते हैं अथवा सरकार को अप्रजातांत्रिक ढंग अपनाने पड़ते हैं। वर्ष 1962-68 में आपातकालीन स्थिति के रहते हुए चुनाव हुए थे। इसी प्रकार वर्ष 1971 में आपात कालीन स्थिति रहते हुए चुनाव हुए थे। अत: विरोधी पक्ष को यह नही समझना चाहिए कि अब चनाव नही होंगे। सरकार द्वारा लिया जायजा ही आपतकालीन स्थिति घोषित करने के लिए निर्णायक तत्त्व होता है। विरोधी दलों से मेरा अनुरोध है कि वे इस पहलू पर भी सोचें।

अध्यक्ष महोदय : कुछ सदस्यों ने गृह मंत्रालय के बारे में कटौती प्रस्तावों की सूचना दी है। इन्हें अब मतदान के लिए रखा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

All the cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा गृह मंत्रालय की मांग संख्या 46 से 57 मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई

The demonds No. 46 to 57 in respect of Ministry of Home Affairs were put and adopted

संचार शिक्षा, और समाज कल्याण, ऊर्जा आदि मंत्रालय

Ministries of Communications, Education And Social Welfare, Energy etc.

अध्यक्ष महोदय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई

The Following Demands in Respect of Different Ministries Were Put And Adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
1	2	3	4
13	सन्चार मन्त्रालय .	83,17,000	1,79,17,000
14	विदेश संचार सेवा . .	6,52,50,000	4,04,83,000
15	डाक और तार कार्यचालन व्यय	3,87,98,73,000	..
16	डाक और तार सामान्य राजस्व को लाभांश प्रारक्षित निधि में विनियोग और सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण की वापसी .	29,59,28,000	..
17	डाक और तार का पूंजी परिव्यय	..	1,43,78,33,000
24	शिक्षा विभाग . .	1,17,09,000	..
25	शिक्षा . . .	1,09,17,76,000	42,39,000
26	समाज कल्याण विभाग .	11,89,05,000	..
27	ऊर्जा मंत्रालय . .	37,92,000	..
28	बिजली विकास .	20,20,12,000	69,86,59,000
29	कोयला और लिगनाइट	15,70,99,000	1,93,26,68,000
31	वित्त मंत्रालय .	26,64,64,000	..
32	सीमा शुल्क .	20,20,70,000	..
33	संघ उत्पाद शुल्क . .	26,98,51,000	..
34	आयकर, संपदा शुल्क, धन कर, दान कर . .	29,44,48,000	..

1	2	3	4
35	स्टाम्प . .	7,84,67,000	68,32,000
36	लेखा परीक्षा . .	53,35,04,000	..
37	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल . . .	29,30,97,000	17,48,16,000
38	पेंशनें . . .	16,95,00,000	..
39	अफीम और क्षारीय पदार्थों के कारखाने. . .	4,17,26,000	45,91,000
40	राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण .	2,50,31,67,000	83,000
41	वित्त मन्त्रालय का अन्य व्यय .	29,83,33,000	2,02,06,15,000
42	सरकारी सेवकों आदि को उधार	..	38,72,29,000
43	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय . .	53,80,000	..
44	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य .	58,20,34,000	26,69,95,000
45	परिवार नियोजन . .	55,92,08,000	1,08,33,000
62	सूचना और प्रसारण मंत्रालय .	29,26,000	..
63	सूचना और प्रचार . .	12 47,08,000	1,87,08,000
64	प्रसारण . . .	24 37,05,000	17,61,67,000
65	श्रम मंत्रालय . .	54,69,000	..
66	श्रम और रोजगार . .	30 19,09,000	4,82,000
67	विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय . .	18,38,02,000	..
68	न्याय प्रशासन . .	22,17,000	..
69	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	56,43,000	..
70	पैट्रो और पैट्रो रसायन उद्योग .	60,43,20,000	1,48,64,30,000
71	खाद और रसायन उद्योग .	15,04,000	3,03,73,58,000
72	योजना मंत्रालय . .	10,32,000	..
73	अंक संकलन . .	7,55,42,000	..

1	2	3	4
74	योजना आयोग . .	2,83,00,000	..
75	नौवहन और परिवहन मन्त्रालय	1,89,09,000	..
76	सड़कें . . .	57,64,25,000	58,45,53,000
77	बन्दरगाह द्वीप द्वीपस्तम्भ और नौवहन . . .	1,273,03,000	1,61,64,67,000
78	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन	40,82,000	17,46,67,000
79	इस्पात विभाग . .	32,50,09,000	1,64,01,12,000
80	खान विभाग . .	22,61,000	..
81	खान और खनिज . .	21,12,66,000	69,83,33,000
82	पूर्ति विभाग . .	19,72,000	..
83	पूर्ति और निपटान . .	7,12,94,000	..
84	पुनर्वास विभाग . .	19,44,57,000	5,16,20,000
85	पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय . . .	36,96,000	..
86	मौसम विज्ञान . .	7,91,14,000	1,67,50,000
87	विमानन . . .	14,78,82,000	20,37,21,000
88	पर्यटन . . .	9,77,92,000	4,86,17,000
89	निर्माण और आवास मंत्रालय .	41,82,000	..
90	लोक निर्माण . .	45,43,79,000	12,43,84,000
91	जलपूर्ति और मलव्यवस्था .	89,22,000	..
92	आवास और नगर विकास .	5,95,52,000	9,06,50,000
93	लेखा सामग्री और छपाई .	19,67,77,000	..
94	परमाणु ऊर्जा विभाग .	33,48,000	..
95	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान विकास और औद्योगिक परियोजनाएं .	36,65,08,000	58,13,56,000
96	न्यूक्लीयर विद्युत् स्कीमें .	26,80,72,000	34,70,58,000
97	संस्कृति विभाग .	5,65,34,000	..

1	2	3	4
98	पुरातत्व . . .	4,91,93,000	..
99	इलेक्ट्रानिक्स विभाग . .	6,15,57,000	1,82,50,000
100	विज्ञान और शिल्प विज्ञान विभाग	7,19,87,000	1,25,00,000
101	भारतीय सर्वेक्षण . .	13,00,03,000	..
102	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को अनुदान .	31,24,29,000	..
103	अन्तरिक्ष विभाग . .	22,15,51,000	6,92,92,000
104	लोक सभा .	3,44,81,000	..
105	राज्य सभा . .	1,31,60,000	..
106	संसदीय कार्य विभाग .	16,07,000	..
107	उप राष्ट्रपति का सचिवालय .	4,17,000	..

विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1975

APPROPRIATION (No. 2) BILL, 1975

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : "मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

श्री सी० सुब्रमण्यम : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधयक पर विचार किया जाए ।"

Shri Madhu Limaye (Banka) : On the one hand Government talk of cut in expenditure, while on the other hand they are still extravagant. I have came to know from reliable sources that a part of the office of the Department of Small Scale Industries, which is at present located in Nirman Bhawan, is being shifted to Ekka Bhawan at a cost of Rs. 15 thousand per month as rent. I would like to know from the hon. Minister whether there is any machinery to check such extravagance and how do they exercise their control over such acts?

Shri Sukal Narain Bakhia was put under delention twice. His detention was challenged in the High Court and the Court was of the opinion that the reasons put forward for his detention were vague and never existed subsequently legislation was amended and new orders were issued for his detention on the same grounds. Again the High Court held his detention illegal. I want that the reasons of his detention be placed on the Table of the House because I suspect some foul play in this matter. After going through the reasons, the House can decide whether some officers were not in league with the smugglers. An enquiry should be conducted into the matter and the defaulters suspended.

Under the Jawahar Lal Nehru University a a rule was framed that the meeting of the University Court will be held once a year. The last meeting was held on 1st October, 1973 and since then no meeting has taken place.

I would like to know the amount spent on each students and the ratio between students and teacher?

So far as planned expenditure is concerned, Banaras University spends 6 crores on 10 thousand students. On the other hand Jawahar Lal Nehru University spends 3 crores and 24 lakhs of rupees on about one thousand students. Is it Socialism?

I would like to say a few words regarding the functioning of Delhi Administration. The money allocated for supplying mid-day meals to school children was appropriated for other purposes. Not only that, biscuits supplied by the Britania Biscuit Company were sub-standard. If such is the situation in Delhi Administration, we can easily guess the situation prevailing in other institution.

I have been giving notice regarding Shri M. T. Raju, Member of Parliament. from Andhra Pradesh. I had written a letter to the Prime Minister and she assured me that an enquiry will be conducted into the matter. I would like to know from the the hon. Finance Minister the findings of the enquiry and what concrete steps are being taken by the Government to check such things?

I would also like to raise a point about the Conduct of a Member of Parliament Members of Parliament can influence the Ministers and get licences for themselves as well as for relatives.

This incident pertains to South Bihar. A factory was set up there. The Machinery has not yet been installed. In the meantime an agreement has been arrived at with a flour mill to sell this factory. But the factory was actually sold to another flour mill because it was ready to pay more i.e. about Rs. 18 lakhs. This resulted into a dispute because the agreement was concluded with the first flour mill. A Minister intervened

[Shri Madhu Limaye]

and helped in sorting out the matter and a compensation to the tune of Rs. 3 lakhs was paid. An amount of Rs. 5 to 7 lakhs was earned in this whole deal of getting a licence and then selling the factory.

Members of Parliament have got certain privileges; they have an easy access to Ministers. Should we make use of our privileages for furthering our own interests? This is a matter for consideration by all of us.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपूर): इस सभा में कई बार कहा जा चुका है कि पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक मास्टर प्लान भेजा है और बताया है कि इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए 156 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता है। मंत्री महोदय ने इसके लिए एक समिति का गठन करने का आश्वासन दिया है। इस समिति का क्या हुआ? योजना मंत्री और योजना मंत्रालय के सचिव ने समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया और इस समिति के गठन का विचार छोड़ दिया गया। बेटर कालोनी के प्लाटधारियों को स्वामित्व देने के अधिकार का क्या बना? इन कालोनियों के विकास के बारे में क्या किया गया? वे निम्न स्तर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके पास रोजगार और जीवन यापन का कोई साधन नहीं है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें।

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : The functioning of Labour Ministry is not satisfactory. Jute strike went on for 47 days which resulted in heavy loss of foreign exchange to the country. There was loss of crores of rupees due to Dock and Port strike. Hundreds of factories are going to be closed down in the country rendering thousands of workers jobless. Thousands of workers were laid off in Kanpur on the plea of shortage of power. There are lay-offs and lock-outs in a number of industries and there is loss worth crores of rupees. It is really regrettable that the Labour Ministry is paying no attention to this matter.

The Labour Minister has been thinking of bringing forward legislation relating to labour relations, but this legislation has not yet been introduced. It is a sorry state of affairs. Meetings of Labour Standing Committee are also not being held.

As regards the question of recognition of unions, no verification has yet been made. A number of years have gone by, but no decision has yet been taken.

The Labour Ministry, instead of taking certain conecrete measures is encouraging groupism and is acting in a partisan manner, This creating difficult situation.

In Bengal, an expert Committee has recommended that an amount of Rs. 63 should be given to jute employees and othr r workers in the form of D.A. This amount has been reduced to Rs. 16. Thus the Labour Ministry is only creating difficulties for the workers.

There are lakhs of members of CITU, but representation is not being given to this union is in various Committees and groupism and partisan attitude are encouraged. This is the reason of increasing resentment among workers.

The Consultative Committee has taken an unanimous decision that rai lway employees be reinstated according to decisions of the High Court. This decision must be communicated to the Cabinet and action taken accordingly. But nothing has been done so far.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : There is acute shortage of drinking water in various states, particularly Bihar, which is a backward state also. The situation in Patna is grave. The situation in other cities and rural areas is also bad. Wells are drying up. The Government should make arrangements for the supply of drinking water on war footing.

Bihar Government have demanded Rs. 42 lakhs from the Centre for slum clearance work in Patna City. Only Rs. 20 lakhs have been given. The balance of Rs. 22 lakhs should also be provided to the State Government for this work. Patna is in grip of mosquito menace. There is no underground drainage. The entire city is dirty. Roads are lying breached. Streets are not clean. The Bihar Government should be given funds so as to make the slum clearance scheme a success.

Rich people form House Building Cooperative Societies and acquire land belonging to poor agriculturists. A Committee was appointed under the Chairmanship of Shri A. N. Mulla to go into the problem of land acquisition. This Committee had recommended that a legislation should be enacted. The Government should bring forward a Bill on land acquisition soon.

The Government should pay proper wages of extra departmental employee of the P. & T. Department. They should be given D.A. There should also be a channel of promotion for these employees.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जो सरकार ने स्वीकार की हैं, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी मंहगाई भत्ते की पांच किश्तों के हकदार हैं। परन्तु 15 अप्रैल तथा 21 अप्रैल, 1975 को हुई बैठकों में हम वित्त सचिव को इस बारे में सन्तुष्ट नहीं कर सके हैं। उनका उत्तर यह था कि वह सरकार को हमारे विचार बता देंगे। यह बात सचमुच दुखदायी होगी यदि केन्द्रीय कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की पांच किश्तें नहीं दी जातीं। मंत्रिमंडल का इस बारे में निर्णय लेना चाहिये और इन पांच किश्तों का भुगतान करना चाहिये।

डाक तथा तार विभाग के विभागेतर कर्मचारियों की संख्या 2 लाख है। उन्हें महंगाई भत्ते की किश्तें नहीं दी गई हैं यद्यपि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दी जा चुकी हैं। यह प्रश्न तदर्थ रूप में मंहगाई भत्ते के भुगतान का है।

श्रमजीवी और गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के लिए एक मजूरी बोर्ड का गठन किया गया है। मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट के प्रस्तुत होने तक वे अन्तरिम राहत की मांग कर रहे हैं। श्रमजीवी तथा गैर-श्रमजीवी पत्रकारों को यह राहत मिलनी ही चाहिये।

ग्रिंडलेज बैंक में गड़बड़ी चल रही है। यह बैंक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए ज्ञात है। बैंक ने एक नक्शा प्रकाशित किया है जिसमें काश्मीर को विवादास्पद क्षेत्र घोषित किया गया है। बैंक के कर्मचारियों के विरुद्ध सख्तियां शुरू कर दी गई हैं। वहां एक आम हड़ताल हो सकती है। बैंक प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच संघर्ष टालने के लिए अवश्य कोई कायवाही की जानी चाहिये।

महंगाई भत्ते की अदायगी नहीं रोकी जानी चाहिए। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों में निराशा है। उन्हें उनकी देय मंहगाई भत्ते से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। उन्हें मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए। यह भत्ता गोदी कर्मचारियों, सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों तथा जूट कर्मचारियों सभी को मिला है। मैं वित्त मंत्री से इस प्रकार का आश्वासन चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के इस भय को दूर किया जा सके कि उनका मंहगाई भत्ता रोका जा रहा है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का पद बहुत समय से रिक्त पड़ा हुआ है और विभिन्न विश्वविद्यालयों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुदान का नियतन नहीं किया जा रहा है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों विशेषकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को अनुपात से अनुदान नहीं दिया गया। इन बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुदानों का नियतन उचित तथा संतुलित ढंग से करना चाहिये।

जहां तक लोक सभा सचिवालय और लोक सभा पुस्तकालय तथा अनुसन्धान सुविधाओं का सम्बन्ध है, हमें यह देखकर दुःख होता है कि पुस्तकालय और अनुसन्धान सुविधाओं की बढ़ोतरी के लिए कोई उपबन्ध नहीं है क्योंकि लोक सभा पुस्तकालय को दिये गये अनुदान तथा अन्य उपबन्ध अपर्याप्त है।

आज कल हम शाम को छः बजे के बाद तक बैठते हैं। संसद कर्मचारियों को बहुत देर तक काम करना पड़ता है। वित्त मंत्रालय को संसद कर्मचारियों के साथ कुछ न्याय करना चाहिये।

स्टेट बैंक के अध्यक्ष बड़ी-बड़ी नौकरियों के लिए नियुक्ति के मामले में तानाशाही ढंग से काम कर रहे है। वह मैनेजिंग डाइरेक्टरों तथा नौ अन्य महाप्रबन्धकों से परामर्श नहीं करते। अभी हाल में उप-महाप्रबन्धक की नियुक्ति की गई है। उस व्यक्ति की पदोन्नति दस वरिष्ठ अधिकारियों की उपेक्षा करके की गई है जिसके परिणामस्वरूप स्टेट बैंक के अधिकारियों के बीच बड़ी हताशा पदा हो गई है। यदि इस प्रकार की हताशा जारी रही तो स्टेट बैंक का कार्यकरण और बिगड़ जायेगा। मार्च, 1972 में मुख्य महाप्रबन्धकों का सम्मेलन हुआ था जिसमें स्टेट बैंक के अध्यक्ष ने अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करते हुए प्रबन्ध उत्तराधिकार योजना रखी। मुख्य महाप्रबन्धकों ने इस योजना पर आपत्ति की। रिजर्व बैंक ने भी इस योजना पर आपत्ति की। जब अध्यक्ष विदेश गये तो उन्होंने लिखित निर्देश दिये कि उनकी अनुपस्थिति में सारे कागज उपाध्यक्ष को भेजे जायें। उपाध्यक्ष एक उद्योगपति थे और बैंक कार्य में विशेषज्ञ नहीं थे। ये निर्देश स्टेट बैंक नियमों के विरुद्ध थे। वित्त मंत्री को आश्वासन देना चाहिये कि स्टेट बैंक को एक ही व्यक्ति नहीं चलायेगा और इसे कुछ सिद्धान्तों तथा नियमों के आधार पर ही चलाया जायेगा।

दिल्ली में एक स्वतन्त्रता सेनानी गृह है जिसमें 7 व्यक्ति रहते हैं। यह विलिंगडन अस्पताल के पीछे स्थित है। वहां पीने के पानी, नहाने तथा खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक स्वतन्त्रता सैनानी 100 रुपये देता है। उसे कुल 200 रुपये की भत्ता मिलता है। इसके बावजूद भी इस गृह की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

वित्तमंत्री (श्री सी० सुब्रम्हण्यम) : माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों को सम्बन्धित मंत्रालयों को भेजा जायेगा और उन पर उचित कार्यवाही की जायेगी। वित्त मंत्रालय सम्बन्धी प्रश्नों की चर्चा मैं अपने उत्तर में करूंगा।

Shri Madhu Limaye : There is no use of giving the notice. The points raised now can be replied to late, but the points raised earlier can be replied to now.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ प्रश्न अन्य मंत्रालयों से सम्बन्धित हैं। अपने मन्त्रालय के बारे में प्रश्नों का उत्तर वह कल देंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा प्रश्न मंहगाई भत्ते के बारे में है, जो वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित है।

श्री सी० सुब्रम्हण्यम : मैंने कहा है कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर वित्त विधेयक पर वाद-विवाद के अपने उत्तर में दूंगा। महंगाई भत्ते जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर अचानक निर्णय नहीं लिया जा सकता। मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर कल दूंगा।

Shri Madhu Limaye : This is a very unhealthy pratice. It should not be made a precedent for the future. We gave notice according to the rules framed by you, but it has become useless.

Gradually our rights are being eroded.

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में भविष्य में हमें यह तरीका अपनाना पड़ेगा कि प्रत्येक मंत्रालय के लिए प्रथक सूचना दी जाये। 10 बजे से पहले प्राप्त नोटिस सम्बन्धित मंत्रियों को भेजे जायेंगे और उन्हें उपस्थित रहना पड़ेगा। इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा।

प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

पक्ष में 115 : विपक्ष में 13

Ayes 115; Noes 13

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted.

खण्ड 1,2,3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 1,2,3, the Schedule , the Enacting Formula and the Title were added to the bill.

श्री सी० सुब्रम्हण्यम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 30 अप्रैल, 1975/10 वैशाख, 1897 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till 11.00 of the Clock on Wednesday, the 30th April, 1975/Vaisakha 10, 1897 (Saka).

———

भा०स०मु०ना०—वि०2—18 लोक सभा (एन्०डी०)/75—10–10–75—200.

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]